आकाश भारती

नेशनल ब्राडकास्ट ट्रस्ट

खण्ड I

आकाशवाणी और दूरदर्शन

के लिए

स्वायत्तता सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आकाश भारती

आकाश——विस्तृत, सीमाहीन आकाश माध्यम है।
भारती का अर्थ है भापा।
संस्कृत के शब्दकोप "अमरकोश" में भारती के
अतिरिक्त ब्राह्मी, गिरा, वाक्, वाणी और सरस्वती
का भापा के पर्याय के रूप में उल्लेख किया गया है।
"आकाश भारती" द्योतक है भारत के लोगों की
सुख-शान्ति और समृद्धि के लिए एक असीम और
सनातन खोज की।
हम एक ऐसे राष्ट्रीय न्यास की कल्पना करते है
जिसके अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक साथ
और समान रूप से विकास हो सके।
इसलिए हम इसे "आकाश भारती" नाम दे रहे है——
राष्ट्रीय प्रसारण न्यास।

प्रस्तावना

'पूर्ण स्वायत्तता' की ओर

0.1. भारत, प्रसारण अपनाने वाले विश्व के पहले देशों में है। एलेक्ट्रो-चुंबकीय हर्ट्ज तरंगों से सर्वप्रथम बेतार के संकेत 1895 में मारकोनी ने भेजे और प्राप्त किए। इन्होंने दशकों पहले विकसित सिद्धांतों पर काम किया। कितने ही अनुरागी उमड़ पड़े। जहाजरानी और अन्य उपयोगों में बेतार के तार और रेडियो टेलीफोन ने बड़ी तेजी से विकास किया। प्रथम विश्व-युद्ध में सैनिक संचार और प्रचार के माध्यम के रूप में इसे बड़ा प्रोत्साहन मिला, यद्यपि इस युद्ध के कुछ वर्षों के बाद ही विश्व ने समुचित रूप से प्रसारण-युग में प्रवेश किया। प्रथम नियमित प्रसारण केन्द्र 1920 में पिट्सबर्ग में आरम्भ हुआ और लगभग इसी के साथ-साथ रेडियो-कारपोरेशन आफ अमेरिका ने प्रसारण शुरू किया। इसके प्रणेता डेविड सर नाफ ने कहा कि "प्रसारण का कार्य राष्ट्र को शिक्षित करना, उसे सूचना देना और उसका मनोरंजन करना है।" ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कंपनी, 1922 में एक इंजीनियर जान (बाद में लार्ड) रीथ की देखरेख में स्थापित हुई, जो 1927 में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को शाही अधिकार-पत्र मिलने के बाद उसके सर्व-प्रथम महानिदेशक बने।

0.2. रेडियो के तुरन्त बाद टेलीविजन आया। 1923 में आइकानॉस्कोप कैमरे के लिए पेटेंट दर्ज किया गया। आर० सी० ए० ने 1932 में इसका और आगे विकास किया जिसने विकसित कैथॉड-रे ट्यूब रिसीवर पर 120 लाइनों वाले टेलीविजन का प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम-विकसित सार्व-जनिक टेलीविजन सेवा 1936 में बी० बी० सी० ने शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध से इस सेवा में व्यवधान पड़ा और 1946 से पहले यह फिर शुरू नही हो सकी। अमरीका में 1941 में नियमित टेलीविजन सेवाएं शुरू हुई लेकिन 1950 तक ही टेलीविजन का अंतर्राष्ट्रीय रूप विकसित होना शुरू हुआ। आज विश्व में 25,000 टेलीविजन ट्रांसमीटर और लगभग 25,000 ही अचल रेडियो ट्रांसमीटर है।

0.3. भारत में प्रसारण प्रायोगिक रूप में 1923 में, कलकत्ता में सर्वप्रथम रेडियो-क्लब की स्थापना के साथ आया; जिसके बाद यह बम्बई, मद्रास और अन्य स्थानों में फैला। लेकिन 1927 तक ही एक निजी कंपनी द्वारा इंडियन ब्राडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ नियमित प्रसारण सेवा शुरू हो सकी। 1930 में इस कंपनी का कारोबार बंद हो गया, लेकिन सरकार ने इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस के अंतर्गत प्रसारण जारी रखने के लिए इसकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया।

0.4. इस प्रयोग की सफलता से प्रोत्साहित होकर सरकार ने 1935 में प्रसारण को स्थायी आधार देने का निश्चय किया और कंट्रोलर आफ ब्राडकास्टिंग की देखरेख में एक पृथक विभाग बनाया गया। 1936 में इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आल इंडिया रेडियो रखा गया। शुरू-शुरू में प्रसारण के प्रशासकीय नियंत्रण का काम उद्योग तथा श्रम विभाग को सौंपा गया था जो बदलकर 1937 में संचार-विभाग को और 1941 मे सूचना तथा प्रसारण विभाग को सौंप दिया गया।

0.5. 1947 में, अविभाजित भारत में केवल नौ रेडियो स्टेशन थे। विभाजन के बाद आकाशवाणी के पास छ: केन्द्र ही रह गए जिनकी संख्या तब से काफी बढ़ी है लेकिन वह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक 'संबद्ध-विभाग' ही रहा है।

नेहरू के विचार

0.6. ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय प्रसारण-संगठन के ढांचे की आवश्यकताओं के बारे में व्यापक रूप से विचार नही किया गया हालांकि 15 मार्च, 1948 को संविधान सभा में विदेशी-प्रचार पर हुई बहस का उत्तर देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :

> "मेरे विचार में प्रसारण का स्वरूप यथासंभव लगभग ब्रिटिश ढांचे का, बी० बी० सी० की तरह का होना चाहिए, अर्थात् अच्छा होगा कि यदि हम सरकार के अधीन अर्ध-स्वायत्त निगम रखें, जिसकी नीतियां सरकार नियंत्रित करे, अन्य अर्थो मे सरकारी विभाग के रूप में नही बल्कि एक अर्ध-स्वायत्त निगम के रूप में। लेकिन मैं नही सोचता कि यह तत्काल व्यवहार्य होगा। मैंने सदन में इसका केवल उल्लेख किया है। मेरे विचार में हमें इस उद्देश्य को सामने रखना चाहिए, भले ही हमें कई कठिनाइयां आएं। दरअसल, अधिकांश मामलों में हमारा उद्देश्य अर्ध-स्वायत्त निगम होना चाहिए, स्पष्टत: नीति और अन्य बाते सरकार द्वारा नियंत्रित होंगी लेकिन सरकार या सरकारी-विभाग उनके रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नही करेंगे। लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नही है।"

0.7. इसके बाद इस मामले को आगे नही बढ़ाया गया यद्यपि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्रों मे यह शर्त रहती है कि :

> "यदि सार्वजनिक निगम बना तो किसी भी समय उसमें काम करने के लिए आपका तबादला हो सकता है, और यह कि इस तरह के तबादले में आपकी सेवा की शर्तें वही होंगी जो निगम के कर्मचारियों के लिए निर्धा-रित की जाएंगी।"

चंदा समिति

0.8. भौगोलिक और भाषायी पहुंच, नई सेवाओं और प्रसारण-घंटों की वृद्धि की दृष्टि से आकाशवाणी कुछ ही समय में एक बड़ी प्रसारण संस्था बन गई। लेकिन उसके आंतरिक संगठन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में सीमा-क्षेत्रों में प्रसारणों की पहुंच और आकाशवाणी की सूचना देने की उसकी भूमिका की दृष्टि से कुछ कमियों का पता लगा। भारत सरकार ने 1964 में प्रसारण और सूचना माध्यम के लिए एक समिति गठित की, जिसे चंदा समिति के नाम से जाना जाता है। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न प्रचार माध्यम इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और अप्रैल, 1966 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। समिति ने पाया कि "भारतीय संदर्भ में, प्रसारण जैसे सर्जनात्मक माध्यम का विभागीय नियम-व्यवस्थाओं के विधान (लिखित) के अंतर्गत विकसित होना संभव नहीं है। केवल संस्थागत परिवर्तन से ही आकाशवाणी को वर्तमान कठोर वित्तीय और प्रशासनिक सरकारी कार्य-प्रणाली से मुक्त किया जा सकता है।" तदनुसार, समिति ने सिफारिश की कि "आकाशवाणी (और दूरदर्शन) के लिए पृथक निगम (निगमों) का गठन किया जाए जिसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भर्ती की अपनी पद्धति तैयार करने, वेतनमानों और सेवा शर्तों के नियमन और अपनी सर्जनात्मक गतिविधि के लिए सुचारु वित्तीय और लेखा पद्धति तैयार करने की आजादी हो।"

0.9. इस सिफारिश पर दिसम्बर, 1969 में मंत्रिमण्डल ने विचार किया और अप्रैल, 1970 में लोक सभा को सूचित किया गया कि "यह तय पाया गया कि आकाशवाणी को स्वायत्त निगम में बदलने के बारे में विचार के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है।"

0.10. स्वरूप में बड़े परिवर्तन की चंदा समिति की एक सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और पहली अप्रैल, 1976 से इसे लागू कर दिया गया। इसके अनुसार दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दिया गया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में दूरदर्शन का गठन किया गया।

आपात-स्थिति

0.11. आपात-स्थिति ने भारतीय प्रसारण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सभी जनसम्पर्क माध्यमों पर सेंसर लागू कर दिया गया। प्रसारण पर इसके विपरीत असर को विस्तार के साथ अगस्त, 1977 में लोक सभा में पेश किए गए आंतरिक-आपात-स्थिति के दौरान जनसम्पर्क माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेतपत्र में दिया गया है।

0.12. तत्कालीन प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1975 में आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों के सम्मेलन में कहा था कि वे नहीं समझती कि आकाशवाणी की 'विश्वसनीयता' की धारणा के क्या मानी है, क्योंकि निःसन्देह आकाशवाणी सरकार का एक अंग है और रहेगा। श्वेतपत्र के अनुसार आकाशवाणी संहिता, जिसे 1967 में मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति से अन्तिम रूप दिया गया था और मार्च, 1970 में फिर मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति से, जिसे संशोधित किया गया था, उसे सू० प्र० मं० (सूचना तथा प्रसारण मंत्री) की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में एकदम रद्द कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि परिवर्तित स्थितियों को देखते हुए आकाशवाणी की वर्तमान संहिता का कड़ाई से पालन करना सम्भव नहीं है। मंत्री ने यह फैसला भी किया कि यदि प्रधान मंत्री इस कार्यवाही को मंजूरी देती हैं तो मंत्रिमण्डल में मामला ले जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान मंत्री ने 4 मई, 1976 को टिप्पणी लिखी: 'प्रसारण-कर्त्ताओं को दिए गये दिशानिर्देश अब अव्यवहार्य हैं। अतः संहिता रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझती कि संसद को औपचारिक सूचना देना आवश्यक है'। यह ध्यान देने योग्य है कि पहले संहिता की प्रतियां संसद में पेश की गई थीं। इस तरह यह मामला मन्त्रिमण्डल को या संसद को नहीं भेजा गया, जैसा कि होना चाहिए था।

0.13. मार्च, 1977 में जब नई लोक सभा के लिए देश में चुनाव हो रहे थे, तब इन्हीं घटनाओं की पृष्ठभूमि में बिना अपवाद के सभी विपक्षी दलों ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को अपने राजनीतिक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग बनाया था। वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव-घोषणा पत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन को 'यथार्थ-स्वायत्तता' प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिज्ञाबद्ध किया था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद नई सरकार ने अपने इस संकल्प की फिर पुष्टि की। और इसी घोषित नीति के अनुरूप सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 17 अगस्त, 1977 को राजपत्रित-अधिसूचना जारी कर आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता के लिए वर्तमान कार्यदल का गठन किया।

हमारे विचारार्थ विषय

0.14. प्रस्ताव में कहा गया है :—

सरकार की इस घोषित नीति के अनुरूप कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, ताकि ये उचित और तटस्थ तरीके से काम कर सकें, यह निर्णय किया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कामकाज की जांच और उनके भावी स्वरूप के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया जाए। कार्यदल इस प्रकार से गठित किया गया है :—

1. श्री बी० जी० वर्गीज . . अध्यक्ष
2. श्री वी० जी० राजाध्यक्ष . सदस्य
3. डा० मैल्कम एस० आदिशेषैया . सदस्य
4. श्री चंचल सरकार . . सदस्य
5. श्री पी० एल० देशपांडे . सदस्य

6. श्री उमाशंकर जोशी . . सदस्य
7. श्री ए० जी० नूरानी . . सदस्य
8. प्रो० जे० डी० सेठी . . सदस्य
9. श्री० पी० जे० फर्नान्डीस . सदस्य
10. श्री सी० आर० सुब्रमण्यम . सदस्य
11. डा० ईश्वरदास . . सदस्य-सचिव

2. इस दल के विचार्य विषय होंगे :—

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के प्रस्ताव के कामकाजी, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर विचार करना, जो संसद के प्रति उत्तर-दायी हों, और जिसमें विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के प्रसारण संबंधी स्वायत्त-संगठनों के विभिन्न स्वरूपों को मद्दे नजर रखा जाए।

(ख) स्वायत्त-संगठन (संगठनों) के स्वरूप और ढांचे और सरकार के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में सुझाव देना।

(ग) स्वायत्तता प्रदान करने की दशा में दोनों माध्यमों के कार्मिकों को शामिल किए जाने, उनकी योग्यता और उनके पुनर्भरण के बारे मे विचार करना और सिफारिशें देना।

(घ) यदि सरकार कार्यदल की सिफारिशो को स्वीकार कर लेती है तो प्रस्ताव को यथाशीघ्र लागू करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना।

(ङ) अन्य किसी मामले पर विचार करना जो इन माध्यमों के भावी स्वरूप के बारे में कार्यदल की सिफारिशों के लिए आवश्यक हो।

3. कार्यदल इस माध्यम के विशेषज्ञों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से सलाह-मशविरा कर सकता है जिनसे विचार करना वह जरूरी मानता हो।

4. कार्यदल का सदर मुकाम नई दिल्ली होगा और वह आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें कर सकता है, लेकिन प्रस्ताव के व्यापक अध्ययन के लिए वह देश के उन स्थानों की यात्रा भी कर सकता है जहां जाना वह उपयुक्त समझता है।

5. कार्यदल अपनी कार्यप्रणाली का तरीका खुद तैयार करेगा।

6. कार्यदल यथासंभव जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा लेकिन यह उसके गठन के तीन महीनों के अन्दर पेश कर दी जानी चाहिए।

7. * * * *

0.15. श्रीमती नयनतारा सहगल 7 नवम्बर, 1977 को कार्यदल की एक और सदस्या नियुक्त की गई।

कार्यप्रणाली, बैठकें और यात्राएं

0.16. कार्यदल ने 31 अगस्त, 1977 को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक की। सूचना तथा प्रसारण मंत्री को उद्घाटन बैठक में आमंत्रित किया गया जिन्होंने कार्यदल में संक्षिप्त भाषण दिया।

0.17. कार्यदल की पहली कुछ बैठकों में यह बात जाहिर हुई कि जो काम उसे सौंपा गया है उसके महत्व और सार्थकता को देखते हुए उसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यदल की नियुक्ति से, विशेषकर आपात-स्थिति के दौरान इस माध्यम की भूमिका को देखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन के अदर और बाहर तथा जनमानस में स्पष्टत: व्यापक रुचि और आशाएं पैदा हो गई थी। कार्यदल ने एक व्यापक प्रश्नावली तैयार और जारी करने का निश्चय किया जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (परिशिष्ट प)। उसने सभी तरह के मत प्राप्त करने के लिए दिल्ली और देश के अन्य भागों के समाज के विभिन्न वर्गों के विचार जानने का निश्चय किया। उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रो की जानकारी के लिए यात्रा करना भी जरूरी समझा ताकि सदस्य प्रसारण की कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हो सकें और उसके गुण दोषों को जान सकें। चूंकि इस सबमें समय लगता, समिति ने समय चाहा और उसे 28 फरवरी, 1978 तक का समय प्रदान कर दिया गया।

0.18. कार्यदल ने अपनी बैठकें दिल्ली, बम्बई, पुणे, मद्रास, बंगलौर और कलकत्ता मे की। सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर लगभग सभी राज्यों और आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई केन्द्रो का दौरा किया। लगभग 4,200 प्रश्नावलियां बाहर भेजी गई और 215 उत्तर प्राप्त हुए जो पत्रों, वक्तव्यों, समाचारपत्र लेखों, और कार्यदल को सीधे डाक से भेजे गए अन्य ज्ञापनों के अलावा है। ब्यौरा परिशिष्ट 'फ' में दिया गया है।

0.19. कार्यदल के जो सदस्य अपने वास्तविक काम से विदेश गए थे उन्होंने इस मौके का फायदा विदेशी प्रसारण प्रणालियों की कार्यविधि के बारे में कुछ न कुछ समझने में उठाया। श्री चंचल सरकार अमरीका, कीनिया और ब्रिटेन गए; श्री ए० जी० नूरानी जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन और यूरोपीय ब्राडकास्टिंग यूनियन के जेनेवा स्थित कार्यालय देखने गए। डा० ईश्वरदास जापान, फिलीपीन्स, हांगकांग, मलेसिया, सिंगापुर, और थाईलैंड गए। डा० मैलकम आदिशैया मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ईरान गए। प्रो० जे० डी० सेठी अमरीका के अनेक प्रसारण संगठन देखने गए और श्री बी० जी० वर्गीज पेरिस स्थित यूनेस्को के सदर मुकाम गए। यद्यपि ये यात्राएं काफी कम समय के लिए और यहां तक कि अनियत थी तो भी इनसे सदस्यों को विदेशों के विभिन्न प्रसारण संगठनों को देखने समझने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि हर जगह प्रसारण प्रणालियों और संचार नीति के बारे में चिन्तन मनन चल रहा है।

आभार स्वीकृति

0.20. विदेश मंत्रालय ने भी कार्यदल के लाभ के लिए आकाशवाणी की विदेश सेवा और विदेशी प्रसारण-ढांचों से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया और सूक्ष्म रूप से उन की तुलना की।

0.21. कार्यदल भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का आभारी है कि उन्होंने हमें सहयोग दिया और जो जानकारी और टिप्पणी उनसे मांगी गई थी वह सहायता की उत्कट भावना से हमें दी।

0.22. इसी प्रकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के महा-निदेशालय, और दिल्ली और अन्य जगहों के उनके सभी सहयोगी और हर स्तर पर कर्मचारियों ने हमें पूरा-पूरा सहयोग दिया।

0.23. हमे अनेक विदेशी दूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशी प्रसारण-संगठनों ने, सूचनाएं, पुस्तकें, अधिनियम, रिपोर्टें और अन्य सामग्री भेजने में यथाशीघ्र और उदारता से सहायता की और विदेशी दौरों के समय सदस्यों की मदद की।

0.24. हमें बहुत ही सुयोग्य सेक्रेटेरिएट की सेवाएं प्रदान की गई और हम उनकी निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए अपनी सराहना लिपिबद्ध करते हैं।

सर्वसम्मत रिपोर्ट

0.25. हमने कार्यदल का काम चुनौती और उत्साहपूर्ण और साथ ही व्यक्तिगत रूप से शिक्षाप्रद और लाभकारी पाया। जिन व्यक्तियों से हमने भेंट की उनकी अन्तर्दृष्टि, विचार और अनुभव और विषयवस्तु के बारे में हमें जो लिखित सामग्री मिली वह बड़ी शिक्षाप्रद थी। कार्यदल के सदस्यों में बड़ी जल्दी मित्रता और सद्भाव पैदा हो गया जिससे हमारा काम हल्का और गतिशील हो गया, जिसके कारण हम भारतीय प्रसारण के स्वायत्त स्वरूप के बारे में अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश कर पाए हैं।

अध्याय 1

पचास साल बाद

1.1 आकाशवाणी, विश्व के सबसे पुराने और बड़े प्रसारण संगठनों में से है। लेकिन उसका मात्र विकास हुआ है। वह विश्व के सबसे बड़े रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त संगठनों में से है। भारतीय दूरदर्शन 1959 में शुरू हुआ, लेकिन नियमित प्रसारण दिल्ली से 1965 से ही शुरू हुआ। यह अभी भी अपनी शैशव अवस्था में है, तो भी चल रही कुछ परियोजनाओं के कुछ ही वर्षों में पूरी हो जाने पर दूरदर्शन की थलीय पहुंच से लगभग 10 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे, जो कुछ कम नहीं।

1.2 भारतीय दूरदर्शन, ध्वनि प्रसारण की तरह अनायास शुरू हुआ। देश में रेडियो की प्रथम प्रणाली प्रतिभाशाली, अनुरागी व्यक्तियों और निजी कम्पनियों ने संगठित की। उनके विफल होने पर सरकार ने उसे ले लिया। हाल ही में दूरदर्शन उपहार-रूप प्राप्त उपकरणों से मार्गदर्शी प्रयोग की तरह शुरू हुआ और उपहार में ही प्राप्त और सामग्री से पहला नियमित् प्रसारण और उसका विकास शुरू हुआ।

1.3 हमारे विचार में किसी भी संस्था या संगठन के प्रभावकारी प्रबंध के लिए सबसे आवश्यक बात है कि पहले सोच-विचार कर उद्देश्य तैयार किए जाएं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यवाही योजना बनाई जाए। हमने आकाशवाणी के शुरू होने से अब तक के ऐसे ही उद्देश्यों और नीतियों को जानने की कोशिश की।

उद्देश्यों की खोज

1.4 मार्च 1956 में प्रथम प्रकाशित और जून, 1972 में परिवर्तित आल-इंडिया रेडियो मेन्युअल के अनुसार "आकाशवाणी का मुख्य कार्य देश भर के श्रोताओं के लिये कार्यक्रम नियोजित और प्रसारित करना है।" इस किसी कदर साफ वक्तव्य की अगली सूचना से कोई विशेष व्याख्या नहीं हो पाती। वह है "इन कार्यक्रमों में पर्याप्त मनोरंजन और पर्याप्त मात्रा में सूचना तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, और सामयिक विषयों पर समुचित तरीके से विचार विमर्श और समाचार शामिल है।"

1.5 इसी नियम-पुस्तिका के अनुसार आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के कुल कार्यक्रमों में लगभग 50 प्रतिशत संगीत होता है जो "राष्ट्रीय एकीकरण के हित और आपसी सद्भाव के लिए रिकार्ड की गई सामग्री का विनिमय करते है।" घरेलू और विदेशी सेवाओं में रोजाना लगभग 200 समाचार बुलेटिनें प्रसारित होती हैं, जबकि "विभिन्न विचारों वाले लोगों को मंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर नियमित रूप से वार्ताएं, विचार-विमर्श, व्याख्याएं और भेंट-वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।" नियम-पुस्तिका से जो अन्य उद्देश्य चुने जा सकते हैं उनमें "देश के सामने उपस्थित विभिन्न कार्यो पर ध्यान खीचने के लिए" रेडियो नाट्य रूपक तैयार करना शामिल है। ग्रामीण प्रसारण "कृषि-कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक और राष्ट्रीय समर्थन उपलब्ध कराने के लिए" है। महिला-कार्यक्रम "सूचना और शिक्षण," के लिए है। औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम का उद्देश्य "श्रमिक वर्ग में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति बढती हुई जागरूकता और देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनकी भूमिका की अभिरुचि उत्पन्न करना है।" आदिम जातियों की भाषाओं में कार्यक्रम, "आदिम-संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं।" युववाणी का उद्घाटन, युवा पुरुषों और महिलाओं को "उनकी अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए" किया गया।

1.6 निर्बाध और नीरस विवरण का यह लम्बा आख्यान कोई सुस्पष्ट और विचारपूर्वक निर्धारित ध्येय नही दर्शाता। अधिकतर कार्यक्रमों की ऐसी तदर्थ सूची बिना पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और सुविधाओं के, सीमित बजट तथा नाम-मात्र श्रोता-अनुसंधान और बिना जवाबदेही के लाद दी गई है। अतएव कड़े नियंत्रण के होते हुए भी विशेष लाभ न हो सका।

1.7 दरअसल कार्य-दल के सदस्यों ने अपने दौरों और विचार-विमर्श के दौरान जो दो बहुत ही स्पष्ट बातें पाई, वे ये हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का अनियोजित विकास हुआ है और प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों में निम्न-उत्साह और गहरी कुंठा है। फिर भी कई उत्कृष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं क्योंकि इन संगठनों और देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सदस्य लगभग इतने ही प्रभावित इस तथ्य से हुए, जो बार-बार उनके सामने प्रस्तुत किया गया कि इतने कम साधनों से प्राय: कितना अधिक लाभ उपलब्ध किया गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि दूरदर्शन के कुछ टेलीविजन प्रसारण "दैनिक जादू" से कम नहीं है।

1.8 आकाशवाणी पर स्वाधीनता के बाद 1977 के अन्त तक, कुल 80 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी नही लगाई गई है जिसका व्यय 84 से अधिक केन्द्रों और 155 ट्रांसमीटरों पर हुआ। यह देश और विदेश के श्रोताओं के लिए 35 भाषाओं और 137 बोलियों में रोजाना 1,045 घंटे प्रसारण करते है।

राष्ट्रीय स्वरूप की स्थापना

1.9. स्वतंत्रता के तुरन्त बाद आकाशवाणी के सामने पहला काम "राष्ट्रीय स्वरूप" स्थापित करना था। तदनुसार प्रत्येक राज्य और भाषायी क्षेत्र में कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने की एक अग्रणी योजना शुरू की गई।

1.10. 1950 के शुरू मे तब के सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी पर फिल्मी संगीत को निरुत्साहित किया। इससे हल्के-फुल्के मनोरंजन के अभाव में कई श्रोता रेडियो-सीलोन सुनने लगे, ऐसा 1957 तक चला, जब विविध-भारती सेवा शुरू की गई। विभिन्न ख्याति प्राप्त लेखकों और संगीतज्ञों को प्रोड्यूसर के पद पर आकाशवाणी में लाया गया। इन्हें "स्टाफ-आर्टिस्ट" की श्रेणी में रखा गया। लेकिन इस प्रथा से सर्जनात्मकला का गला घुट गया। अल्प-अवधि के अनुबंध वाले कलाकारों की मांग पर उन्हें स्थायी अनुबंध दे दिए गये। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से भर्ती हुए स्थायी "प्रोग्राम स्टाफ" और अनुबंधों पर नियुक्त "स्टाफ आर्टिस्ट" के बीच मतभेद की गहरी खाई की नींव पड़ गई। इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रो में कर्मचारियो के साथ संबंध बिगड़ना जारी है।

1.11. आकाशवाणी की आवाज दूर-दूर तक ले जाने के लिए 1961 और 1966 के बीच मीडियम-वेव की नई योजना शुरू की गई। तदनुसार, 20 सहायक ट्रांसमीटर स्थापित किए गये, प्रत्येक की क्षमता 20 कि०वाट थी। ये ट्रांसमीटर बिना किसी सम्बद्ध स्टूडियो सुविधा के विभिन्न मुख्य केन्द्रों में टेप किये गये कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए लगाये गये थे। मीडियम वेव की इस योजना ने कार्यक्रमों की विविधता की कमी को दूर करने के लिए कुछ नही किया। इन सहायक केन्द्रों ने बड़े-क्षेत्रो के विविध श्रोताओं के लिए डिब्बा-बन्द कार्यक्रम उपलब्ध कराने से अधिक और कुछ नही किया। ये केन्द्र स्थानीय आवश्यकताओ के अनुरूप स्थानीय-कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करने में अक्षम थे। आकाशवाणी अभी भी इस कमी से उबरने की कोशिश कर रहा है। इन सहायक केन्द्रों को स्वयं कार्यक्रम तैयार करने वाले केद्रों में बदलने के लिए---कुछ को छोड़कर ---पांचवी योजना तक मे पर्याप्त धन नही दिया गया।

गांव के लिए, पर शहरी

1.12. ग्रामीण प्रसारण कार्यक्रम 1935 मे इलाहाबाद में कृषि-संस्थान द्वारा शुरू किये गये। लेकिन आकाशवाणी ने कही 1956 मे महाराष्ट्र के गांवों में कार्यक्रमों को सुनने की अध्ययनपरक कोशिश की। आकाशवाणी पूना द्वारा सेवित 145 ग्रामीण-रेडियो मंचों के प्रयोग को सफल देखकर इस कार्यक्रम के विस्तार की योजना बनाई गई। दुर्भाग्यवश इस प्रयत्न को जारी नही रखा गया। अब हाल में खेतिहर प्रसारण को कुछ बढ़ावा जरूर मिला है।

1.13. स्कूल-प्रसारण ने भी एक-एक कर प्रगति की। इस समय 50,000 रेडियो स्कूल हैं, जिनमें से 29,000 से अधिक तमिलनाडु में और 5,600 महाराष्ट्र में हैं।

1.14. 1967 में 28 विविध भारती केन्द्रों में व्यावसायिक-सेवा के उद्घाटन से आकाशवाणी का शहरी फिल्मों की ओर रुझान और सुदृढ़ हुआ। सरकार द्वारा इस बात का औचित्य ठहराए जाने के बावजूद कि भारत में टेलीविजन ग्रामीण विकास मे सहायक है, दूरदर्शन में भी यही झुकाव देखा जाता है।

1.15. 1962 मे चीन-भारत युद्ध के समय यह स्पष्ट हो गया कि सीमावर्ती क्षेत्र में आकाशवाणी तो सुनाई नही देती, लेकिन रेडियो पीकिंग जोर से और साफ सुनाई देता था। परिणामस्वरूप इम्फाल, डिब्रूगढ़ और कुर्सियांग में नये केन्द्र खोले गये और सामयिक कार्यक्रम, जो कि पहले केन्द्रित कर दिये गये थे, उन पर फिर बल देने की कोशिश की गई।

संचार और प्रसार

1.16. अपनी पांचवी योजना पूरी होने पर आकाशवाणी का प्राथमिक मीडियम वेव का प्रसार सिद्धांत रूप में आबादी के 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। लेकिन आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों की प्रसारण शक्ति कमजोर है और, जसे-जैसे विदेशी ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उसकी सुनवाई भी देश के कुछ भागो में ज्यादा हो रही है, और हमारी प्रसार क्षमता घट रही है।

1.17. व्यापक-रेडियो जाल के बावजूद प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 1976 के अन्त तक 1 करोड़ 75 लाख से कम लाइसेंस शुदा सेट थे। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत सेट शहरी क्षेत्रो में है, जिनमें से अधिकाश महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य अधिक विकसित राज्यों में हैं। उत्तर-मध्य और पूर्वी राज्यों में रेडियो सेटों का फैलाव कम है। "ट्रांजिस्टर-क्रान्ति" से उस सामुदायिक और संगठित सामूहिक श्रवण को क्षति पहुंची है जिसे ग्रामीण रेडियो-मंच के जरिए बढावा मिला था। सेटों के अपर्याप्त रख-रखाव और त्रुटिपूर्ण निगरानी से भी सामूहिक और सामुदायिक आधार पर रेडियो सुनने की लोकप्रियता कम हुई और यदि रेडियो उन तक पहुंचाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है तो इस पद्धति को नये आधार पर पुनर्जीवित करना पड़ेगा। चर्चा-मण्डल और महिला-मण्डल की भी नई शुरुआत हो गई।

1.18. आकाशवाणी और दूरदर्शन के शैक्षणिक, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य शिक्षाप्रद प्रसारण का सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों और शिक्षा अधिकारियों के साथ कमजोर पारस्परिक सम्पर्क है। इसलिये वे पर्याप्त प्रभावशाली नही हो सके। बहु-माध्यम के तरीके का उपयोग नही किया गया है और विस्तार प्रसारणों को प्रकाशनों और फोल्डरों के जरिए पर्याप्त समर्थन नही मिला है। सामाजिक न्याय के विकास और पिछड़े वर्गो को उनके अधिकारों के

प्रति जागरुक करने में प्रसारण का उपयोग यदि हुआ भी है तो अप्रभावकारी ढंग से हुआ है। दरअसल दलगत राजनीति और चुनाव-प्रसारण अप्रैल, 1977 से पहले वर्जित थे।

भू-उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन-प्रयोग और भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग

1.19. सर्वोपरि प्रणालीगत तरीके और सावधानी और विचारपूर्वक तैयार की गई राष्ट्रीय संचार नीति का अभाव एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग कार्यक्रम में परिलक्षित होता है। भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह में जो 1981 में चालू होगा, अन्तः निर्मित टेलीविजन क्षमता है जिसका वृद्धिशील विनियोग व्यय (संकट कालीन उपग्रह समेत अन्तरिक्ष खण्ड पर) 30 से 40 करोड़ रुपये के बीच है। फिर भी उपग्रह से सम्बद्ध भूमि स्थित उपकरणों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। सुदृढ़-संचार-आधार के बजाय यही तकनीकी ठेलपेल भू-उपग्रह-शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था में देखने को मिलती है। इसने और कुछ नही तो प्रसारणकर्त्ताओं की आंखें इस बात के लिए खोलीं कि सामाजिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने और श्रोताओं की आवश्यकताएं तथा पूर्व-परीक्षण-कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित कर "रचनात्मक अनुसंधान" करने की आवश्यकता है।

1.20. हमने यहां जो भी कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की है वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के विकास के संक्षिप्त विवरण से अधिक कुछ नही है। इसे और विस्तार से परिशिष्ट 'क' में दिखाया गया है। हमने व्यापक तौर पर ऐसे पहलुओं को लिया है जो उन समस्याओं को समझने में सहायक हो सकें, जिनसे आज वे आक्रांत हैं और जो प्रसारण माध्यम की पुनर्रचना के हमारे प्रस्तावों को समझने में योग दे सकेंगी। हालांकि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के कामकाज के मूल्यांकन में आलोचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन हमने उनकी उपलब्धियों और सफलताओं या अनेक निष्ठावान प्रसारण-कर्त्ताओं, कलाकारों, और इंजीनियरों के उल्लेखनीय योगदानों की अनदेखी नहीं की है, जिन्होंने असामान्य रूप से विकट परिस्थितियों में तथा संगठनात्मक, वित्तीय और राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने श्रम से इन संगठनों को विकसित किया। फिर भी यदि हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन के काम के प्रति निराशा प्रकट की है तो वह इसलिए कि इन संगठनों से जो ऊंची आशाएं की गई थीं, उन्हें पूरा करने में वे असफल रहे हैं। उनके सामने पेश कुछ समस्याएं केवल प्रसारण माध्यम की ही नही बल्कि वे आमतौर पर भारत की अन्य संस्थाओं के स्तर को ही दर्शाती हैं। तब भी प्रसारण में लोगों की आकांक्षाएं धूमिल नहीं हुई है, जो ठीक भी है। अतः पिछले समय के बारे में हमारी आलोचना को यू देखना चाहिए कि वह इस उद्देश्य से की गई है कि भविष्य उज्जवल हो।

अध्याय 2

संचार नीति और प्रसारण

2.1 भारत में प्रसारण माध्यमों के नियोजित ढंग से विकसित न होने का कारण यह है कि प्रसारण माध्यमों की भूमिका को एक ऐसी निश्चित राष्ट्रीय संचार नीति का अंग मानकर नहीं चला गया है जिसमें शिक्षा, संस्कृति और नृत्य आदि से संबंधित सभी उच्चारण विधाएं सम्मिलित हों। इस स्थिति की वजह यह भी हो सकती है कि 'संचार नीति' और 'पद्धति विश्लेषण' जैसी धारणाएं भी अपने आप में नई धारणाएं हैं।

2.2 संचार या दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता है। निजी और सामाजिक आवश्यकताओं व इच्छाओं की अभिव्यक्ति तथा शिक्षा की दृष्टि से यह आवश्यकता सामाजिक है, तो एक जनतंत्रीय समाज के आधार के रूप में विवेकसम्मत जनमत तैयार करने, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के समर्थन हेतु लोगों को जानकारी देने और समझाने तथा लोगों की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने की दृष्टि से यह राजनीतिक आवश्यकता है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण और विकास प्रक्रिया के अंतर्गत टेक्नोलोजी को जन-जन तक पहुंचाने के साधन के रूप में तथा विज्ञापन और क्रय-विक्रय संबंधी सूचनाओं की दृष्टि से यह आर्थिक आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत और सामाजिक अभिव्यक्ति, नई खोज, अनुभवों को समृद्ध बनाने और सृजन की दृष्टि से संचार, सांस्कृतिक आवश्यकता है।

संचार का विकास

2.3 संचार का विकास भाषण, लेखन, कला और संगीत के माध्यम से हुआ है। पुस्तकों की छपाई और इश्तिहारों के जरिये अपना विचार प्रचारित करने की वजह से सेंसरशिप का प्रवेश हुआ और इसके साथ शुरू हुआ प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष। इसके बाद नए-नए आविष्कार होते गए। तार, टेलीफोन, बेतार संचार व्यवस्था, सिनेमा, टेलीविजन, इंटीग्रेटिड सर्किट, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ऊंची फ्रीक्वैंसियों का इस्तेमाल, ट्रांसमिशन और स्विच प्रणाली के नए-नए जटिल उपकरण, कम्प्यूटर, उपग्रह आदि असंख्य संचार साधनों का विकास हुआ और न जाने कितने अन्य उपकरण भविष्य में विकसित होंगे।

2.4 संचार के क्षेत्र में हुई इस क्रांति ने स्थान और समय की सीमाएं समाप्त कर दी हैं और यह एक से अधिक साधनों पर निर्भर है। इस क्रांति के व्यापक और नाजुक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिणाम सामने आए हैं। माध्यम को छोटे से छोटा रूप देना, उसकी लागत कम करना और उसका लोकतंत्रीकरण इस क्रांति की प्रमुख विशेषताएं हैं।

2.5 शारीरिक संचार भी बहुत विकसित हो गया है। पैदल चलने से लेकर घुड़सवारी, छकड़ागाड़ी, भाप इंजन, परिष्कृत भाप इंजन, विमान और जेट विमान के बाद अंतरिक्ष यान तक का आविष्कार हो चुका है। परन्तु विकसित देशों में आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि वस्तुओं या लोगों की बजाय सूचना तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था होने से छपाई के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से संदेश भेजने की प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे सूचनाएं आसानी से और तीव्रता से पहुंचाई जा सकें।

2.6 भारत जेट, उपग्रह और कम्प्यूटर युग को अपनाकर भी पिछले युगों की परम्पराओं से मुक्त नहीं हो पाया है। दक्षिण भारत की समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली एक कम्पनी कई वर्षों तक प्रतिकृति संचरण (फैक्सिमिली ट्रांसमिशन) प्रणाली से काम करती रही है और डाक-तार विभाग एक अंक प्रेषण (डाटा ट्रांसमिशन) प्रणाली का विकास कर रहा है।

नया सूचना युग

2.7 संचार एक प्रकार का साधन है। इसके अलावा यह एक ढांचा है, जिसमें वैयक्तिक सम्पर्क से लेकर इलेक्ट्रानिक सम्पर्क तक सभी माध्यम शामिल हैं। विभिन्न माध्यम मिलकर काम करते हैं और संचार नीति का उद्देश्य यह है कि निश्चित समय पर साधनों, आवश्यकताओं और भावी जरूरतों के हिसाब से इस पूरी व्यवस्था से काम लिया जा सके।

2.8 संचार के क्षेत्र में क्रांति से सूचना की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिसमें तेजी के साथ सूचनाएं एकत्र करने और उनके विश्लेषण से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सूचना वस्तुतः एक शक्ति है।

2.9 सूचना प्रसारित करने से सम्बद्ध लोगों की अत्यधिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए यह मांग बराबर बढ़ रही है कि इन पर यथोचित नियंत्रण लगाया जाये। प्रेस की स्वतन्त्रता की धारणा में 'सूचना की स्वतंत्रता,' 'सूचनाओं के आदान-प्रदान की स्वतंत्रता,' 'सूचनाओं का मुक्त और सन्तुलित रूप से प्रेषण और प्राप्ति' और 'विचारों के संचार का अधिकार' जैसी धारणाएं सम्मिलित हो गई हैं। लेकिन

हम यह अवश्य कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को प्रसारण माध्यम से अपनी बात कहने का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। हां, विचार अवश्य सुलभ होने चाहिएं। अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने रेड लायन मामले में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के "फेयरनेस डाक्ट्रिन" को उचित ठहराते हुए कहा—" सर्वोच्च अधिकार श्रोताओं और दर्शकों का है न कि प्रसारकों का। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जनता का अधिकार है कि उसे राजनीतिक, नैतिक, सौन्दर्यपरक तथा अन्य विचारों और अनुभवों के संबंध में उचित कार्यक्रम मिलें। इस अधिकार को संवैधानिक रूप से न तो कांग्रेस और न ही कमीशन कम कर सकता है[1] "।

2.10 निरक्षरता, ज्ञान और संचार में रुकावट है। किंतु संचार को तेजी के साथ शिक्षा, साक्षरता, चेतना और टेक्नोलोजी के प्रसार के साधन के रूप में मान्यता मिल रही है।

2.11 किसी भी संचार प्रणाली के लिए विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का बहुत महत्व है। इसलिए निष्पक्षता, सन्तुलन और प्रामाणिकता बहुत जरूरी तत्व है। जापानी फिल्म 'रशोमोन' में बहुत सुन्दर ढंग से यह दर्शाया गया था कि सत्य एक जटिल स्थिति है और इसे संदर्भों की समग्रता में ही समझा जा सकता है।

2.12 केवल सूचना प्रेषित करना ही संचार नहीं है। इसमें समझ, बोध और सहमति के तत्व भी शामिल है। अतः संचार सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि उससे कहीं व्यापक चीज है।

2.13 भारत में संचार नीति का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को जागृत करना और ज्ञान, शिक्षा देकर उन्हें लोकतांत्रिक नागरिक बनने को तैयार करना क्योंकि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सतत जागरूकता जरूरी है ; लोगों के लिये समान अवसरों की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करना, देश की भिन्नता और एकता दोनों को बनाए रखना और विकास तथा स्वीकृत राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में जानकारी देना।

2.14 'लोगों' या जनता की बात करते हुए हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बहुसंख्यक लोग युवा, निर्धन, अनपढ़ और पिछड़े हुए हैं। आधी संख्या महिलाओं की है। जनसंचार के माध्यमों की इनमें से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए।

2.15 सूचना और शिक्षा की प्रणालियां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती हैं। रेडियो और टेलीविजन अनौपचारिक शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। वे विकास संबंधी सूचनाओं के प्रसार में भी बहुत सहायक हो सकते हैं। रेडियो और टी०वी०, परम्परागत माध्यमों को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, जिनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बरकरार रह सकता है।

2.16 एक खतरा यह है कि माध्यम और मशीनी तंत्र को भ्रमवश प्रसारित होने वाले संदेश से अधिक महत्वपूर्ण समझ लिया जा सकता है। यह कहावत सही है कि समस्या यह नहीं कि बिल्ली काली है या सफेद, लेकिन यह है कि वह चूहे पकड़ सकती है या नहीं। इसलिए संचार प्रणालियों को इस प्रकार बनाया जाए कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल हों तथा दूसरो की नकल न की जाए क्योंकि संचार व्यवस्था भी व्यापक संस्कृति का एक अंग है।

2.17 संचार संबंधी टेक्नोलोजी में तेजी से प्रगति होने, उसकी विभिन्न शाखाएं विकसित होने तथा उत्तरोत्तर जटिल होते जाने के कारण मशीनों के बारे में और विचारों के प्रेषण के बारे में भी एक राष्ट्रीय संचार नीति बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस संबंध में किए जाने वाले निर्णयों का व्यापक सामाजिक और आर्थिक महत्व है इस लिए यह आवश्यक है कि प्रसारण के बारे में इस व्यापक संदर्भ में ही विचार किया जाए।

संचार का जनतंत्रीकरण

2.18 स्वतंत्रता के तीस वर्ष बाद भारत में प्रसारण तंत्र को स्वायत्तता दी जानी है। राजनीतिक शक्ति द्वारा अब तक अपने अधिकार में रखे गए और काम में लाए गए इतने शक्तिशाली माध्यम पर से अपना नियंत्रण समाप्त करने की यह आत्म-विसर्जनमूलक प्रथा शायद अपने आप में अनूठी है। आपातस्थिति में इन महत्वपूर्ण माध्यमों के राजनीतिक दुरुपयोग के अलावा, बढ़ती हुई अफसरशाही, सृजनशीलता का अभाव और माध्यमों की पूरी क्षमता के अनुसार काम न ले पाना तथा अन्य अनेक व्यापक कारणों से, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियंत्रण के हस्तांतरण का औचित्य सिद्ध होता है।

2.19 रेडियो और दूरदर्शन का स्वरूप ही ऐसा है कि वे जनता के ही अधिकार क्षेत्र में रहें और यह आवश्यक है कि वे जनता के हितों को पूरा करें। जन संचार माध्यमों के रूप में रेडियो और दूरदर्शन का राष्ट्रीय संचार नीति और सिद्धांतों के व्यापक संदर्भों के अनुकूल होना आवश्यक है। इस नीति में ऐसा प्रचार तंत्र तैयार करने से संबंधित व्यवस्था होगी, जिससे सूचनाओं और शिक्षा व संस्कृति संबंधी संदेश केवल सरकार से लोगों तक ही नही बल्कि लोगों से सरकार तक, लोगों से लोगों तक, जनता से नीति-निर्धारकों तक, गांवों से शहरों तक, युवकों से अन्य लोगों तक पहुंचा कर विभिन्न वर्गों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव हो। राष्ट्रीय बहस और अभिव्यक्ति के वास्तविक समन्वय को पूरा करने के लिए विरोधी मतों और अल्प-संख्यकों की आवाज

[1] रेड लायन ब्राडकास्टिंग कम्पनी बनाम एफ० सी० सी०, यू० एस० सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 395 यू० एस० 367, पृ० 389.

अवश्य सुनी जानी चाहिए। "खुली सरकार", 'जनता के साथ सीधा सम्पर्क' विकेन्द्रीकरण और लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वचनबद्ध होने के बाद ऐसा करना बहुत जरूरी है। आज की भूल कल सच्चाई का रूप ले सकती है।

2.20 प्रसारण के विषय निश्चित श्रोताओं या दर्शकों के हितों के अनुकूल होने चाहिएं और उन लोगों तक संदेश अच्छे से अच्छे ढंग से पहुंचने चाहिएं। शिक्षित और प्रबुद्ध जनता निरन्तर प्रगति करते हुए और अधिक प्रसारणों की मांग कर सकती है और उनसे लाभान्वित हो सकती है। यह प्रसारण की शैक्षणिक भूमिका है। समाचारों तथा उनके विश्लेषण को लोगों तक पहुंचाना भी रेडियो का महत्वपूर्ण काम है। इसी से जनमत तैयार होता है, जो चुनावों और लोकतांत्रिक बहस के जरिये जनता की सार्वभौमिक और शक्तिशाली इच्छा के रूप में प्रकट होती है। इसलिए लोगों के जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के अनुसार इन माध्यमों द्वारा निष्पक्ष, प्रामाणिक और उचित ढंग से ज्ञान देने का महत्व सबसे ज्यादा है। यह सही कहा गया है कि प्रसारण माध्यम किसी स्वतंत्र समाज में किसी एक विचारधारा या बाजार के हितों को नहीं देखते बल्कि वे स्वयं विभिन्न विचारों के बाजार होते हैं।

2.21 रेडियो और टेलीविजन का उद्देश्य लोगों को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। जन संपर्क साधन के रूप में उन्हें अधिक से अधिक लोगों का, और अधिक से अधिक लोगों के लिए, माध्यम बन कर काम करना चाहिए न कि आजकल की तरह शहरी उच्च वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, हालांकि कुछ 'लोकप्रिय' शैक्षणिक और देहाती कार्यक्रम भी प्रसारित होते रहते हैं।

सन् 2,000 ईसवी की संभावित आवश्यकताएं

2.22 रेडियो और टेलीविजन आज भी देश में सूचनाएं प्रसारित करने और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के सबसे बड़े माध्यम हैं। इस समय करीब 2 करोड़ रेडियो और 6 लाख टेलीविजन सेट हैं। दूरदर्शन को तो चालू हुए अधिक समय नहीं हुआ, किंतु देश की आबादी की तुलना में रेडियो सेटों की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। 2,000 ईसवी तक अगर जनसंख्या 95 करोड़ हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए तथा साधनहीनता समाप्त हो जाए तो 80 से 90 प्रतिशत घरों में रेडियो हो जाने चाहिएं। 4 या 5 सदस्यों वाले औसत परिवार की कल्पना करें तो 19 से 20 करोड़ परिवार होंगे और इस प्रकार 16 से 18 करोड़ रेडियो सेट होंगे। इसी तरह 5 से 10 प्रतिशत परिवारों में टेलीविजन सेट (इनकी कीमत, टेक्नोलोजी में प्रगति और अधिक उत्पादन से कम हो सकती है) हो सकते हैं। सन् 2,000 तक समुदायों (गांव, शहरी समुदाय, स्कूल, अस्पताल, टेलिक्लब) के लिए टेलीविजन सेटों की संख्या एक करोड़ 20 लाख से तक करोड़ 80 लाख तक हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि देश भर में दूरदर्शन का प्रसारण शुरू हो जाए। इस विषय पर भी नीति बनाने के लिए चर्चा की जरूरत है।

सार्वजनिक और अल्पसंख्यकों के लिए प्रसारण

2.23 जन संचार माध्यम सब तरह के श्रोताओं व दर्शकों के लिए होना है। तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों तक कार्यक्रम पहुंचें। यह जरूरी नहीं कि समान आचार-विचार या रहन-सहन वाले लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित हों। बल्कि दुनिया भर में यह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि कई प्रकार के कार्यक्रम विशेष क्षेत्रों और अलग-अलग संस्कृति वाले छोटे समुदायों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रसारित किये जायें।

2.24 भारत में रेडियो खासकर अनपढ़ तथा कम पढ़े लिखे लोगों को जानकारी देने और उन्हें शिक्षा देने के माध्यम के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह वृद्ध लोगों, विकलांगों, चक्षुहीनों तथा दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का साथी बन सकता है। रेडियो से हमारा सम्पर्क तात्कालिक हो सकता है। टेलीविजन अभी महंगा है इसलिए यह शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तथा सामुदायिक आधार पर उपयोगी होने के कारण विकास कार्यों में सहायता दे सकता है। लेकिन शैक्षणिक प्रसारणों के लिए आवश्यक है कि वे एक निश्चित वर्ग के लिए हों। ये वर्ग छोटे हों तथा इनका चयन आयु (स्कूल प्रसारण), कृषि संबंधी परिस्थितियां, सांस्कृतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि और भाषा के आधार पर होना चाहिए।

2.25 लोगों के सहकार के आधार पर विकेन्द्रीकृत विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के वास्ते यह आवश्यक है कि स्थानीय आधार पर रेडियो और दूरदर्शन से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित हों। हमारा देश इतना विशाल है और यहां इतनी विभिन्नताएं है कि प्रसारण का विकेन्द्रीकरण बहुत जरूरी है।

2.26 परम्परागत दृष्टि से रेडियो और दूरदर्शन लोगों में एकता का भाव पैदा करने वाले माध्यम है। ऐसा और कोई माध्यम आज भी नहीं जो एक साथ 10 करोड़ लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जैसा कि इस समय आकाशवाणी के लिए संभव है। शायद इनमें से आधे या आधे से भी ज्यादा श्रोताओं ने मार्च के चुनावों के परिणाम रेडियो पर सुने होंगे।

2.27 विविधता और विकेन्द्रीकरण का औचित्य है, क्योंकि पृथक-पृथक तत्वों में सामंजस्य लाने का भाव भी साथ-साथ सक्रिय रहता है। इसलिए देश में प्रसारण तीन राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों पर करने और उनमें समंजन की संभावना खोजने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर तो प्रसारण की व्यवस्था पहले से ही है और आशा है कि स्थानीय स्तर पर भी प्रसारण शीघ्र प्रारंभ हो जायेगा।

केन्द्रीय उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय न्यास

2.28 संविधान की सातवीं अनुसूची की पहली सूची (संघ सूची प्रविष्टि 31) में प्रसारण, केन्द्री सरकार का विषय है। दूरसंचार सेवाएं और अंतरिक्ष संबंधी सुविधाएं भी, जिन पर प्रसारण व्यवस्था आधारित है, केन्द्र के अधीन है। रेडियो तथा टेलीविजन (उपग्रह सहित) ही ऐसे माध्यम हैं, जिनका स्वरूप सार्वजनिक भी है और अन्तर्राष्ट्रीय भी। प्रसारण के नाम में ही यह निहित है कि वह डाक सेवा या टेलीफोन की भांति एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक संपर्क करने का साधन नहीं है। इसके अलावा प्रसारण का विस्तार देश की सीमाओं के पार तक होता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। इसी तरह प्रसारण फ्रीक्वेंसियों की संख्या सीमित होने के कारण ये अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अलाट की जाती हैं। किसी देश को अलाट की गई फ्रीक्वेंसियां एक प्रकार से दुर्लभ राष्ट्रीय संपत्ति होती हैं और इस पर राष्ट्रीय नियंत्रण होना जरूरी है। ऐसे ठोस कारण होने पर ही प्रसारण को केन्द्रीय विषय-सूची में रखा गया है और यह केन्द्रीय विषय होना भी चाहिए।

2.29 किंतु भारत सामाजिक विविधताओं वाला देश है और यह राज्यों का संघ या फेडरेशन है। इतने शक्तिशाली और विस्तृत होते जाने वाले माध्यम पर केन्द्रीय नियंत्रण से अतीत में राजनीतिक विवाद पैदा हुए और भविष्य में भी ऐसे विवाद उठ खड़े हो सकते हैं। भाषा, विषय, संगीत, नाटक-विशेषकर लोक संगीत, लोक-नृत्य और लोक-नाटक की समृद्ध परम्पराओं को सुरक्षित रखने तथा नया जीवन देने के कारण यह स्थिति सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रभाव डालने वाली है।

2.30 जब राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर निर्णय लेने में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पर बल दिया जा रहा है तो स्थानीय स्तर पर भी अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। इन परिस्थितियों में 50 वर्ष के सरकारी संरक्षण के पश्चात् केन्द्र सरकार का एक साथ राष्ट्रीय प्रादेशिक और स्थानीय माध्यमों का प्रबंध दिन-ब-दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। तर्कसंगत और उचित यही प्रतीत होता है कि एक स्वायत्तशासी प्रसारण संगठन हो, जिस पर राष्ट्रीय स्वामित्व हो और संसद् के प्रति उत्तरदायी हो लेकिन वैधानिक दृष्टि से तथा विदेशी प्रसारणों व फ्रीक्वेंसियों के निर्धारण के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और डाक-तार तथा अंतरिक्ष सेवाओं की आवश्यकता के कारण केन्द्र सरकार के अधीन हो।

2.31 आकाशवाणी और दूरदर्शन में एक साथ बाजार, समाचार पत्र, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विस्तार एजेंसी तथा सांस्कृतिक अकादमी की विशेषताएं हैं। इस प्रकार के अनूठे संगठन की स्वायत्तता भी अनूठी होनी चाहिए। प्रसारण संगठन को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की तरह की कम्पनी या भारतीय जीवन बीमा निगम के समान एक विधिसम्मत निगम या परमाणु ऊर्जा अथवा अंतरिक्ष या इलैक्ट्रानिक्स आयोगों की भांति एक आयोग बनाया जा सकता है। इसे रेलवे या डाक-तार बोर्ड के समान एक बोर्ड अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की तरह पंजीकृत सोसायटी भी बनाया जा सकता है। इस संगठन को अपने ही संविधान द्वारा नियंत्रित विश्व-विद्यालय अथवा संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग के समान संवैधानिक इकाई का स्वरूप भी प्रदान किया जा सकता है। किंतु प्रसारण में उत्पादन या व्यापार नहीं होता। सभी वास्तविक या संभावित श्रोता या दर्शक इसके उपभोक्ता या ग्राहक हैं और प्रत्येक नागरिक इसका शेयर होल्डर है। इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाई जा सकती, जिसका बाजार भाव तय किया जा सके और यहां विचारों तथा सृजनात्मक प्रतिभाओं के सिवाय कोई कच्चा माल भी नहीं है। प्रसारण संगठन की सेवाओं—यथा सजगता, जानकारी, सूचना और आनन्द—की माप कर पाना भी कम कठिन नहीं है। कुल मिलाकर कोई विशेष नियामक कार्य अपेक्षित नहीं है।

2.32 प्रसारण भिन्न प्रकार का कार्य है। प्रसारण संगठन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप यह हो सकता कि वह एक राष्ट्रीय न्यास हो, लाभ न कमाने वाली संस्था हो, आवश्यक सार्वजनिक सेवा हो, उसे संसदीय चार्टर के अधीन काम करने की अनुमति मिली हो और वह संसद् के प्रति उत्तरदायी हो।

6 I & B/77—3

अध्याय 3

स्वायत्तता के सात रूप

3.1 'चैम्बर्स ट्वेंटियेथ सेंचुरी' शब्दकोष में स्वायत्तता का अर्थ है "स्वशासन की शक्ति या अधिकार"। जर्मनी के दार्शनिक इम्मेन्यूएल कांत ने स्वायत्तता की कल्पना मानवीय इच्छा के ऐसे सिद्धान्त के रूप में की, जिसमें आत्म-निर्देशन स्वयं में ही निहित हो। यह बात अवश्य ही विचित्र लग सकती है कि स्वायत्तता का अर्थ जानने के लिए वर्तमान शब्दकोष या अठारहवीं शताब्दी के दार्शनिक का सहारा लिया जाए, क्योंकि इस शब्द का रोज-मर्रा की बोलचाल में प्रयोग होने से ऐसा लगता है कि इसका अर्थ आमतौर पर सब समझते ही होंगे। वास्तविकता यह है कि इस शब्द के ठीक तात्पर्य से कोई भी पूरी तरह परिचित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की गवाही के दौरान यह बात सामने आई कि स्वायत्तता के बारे में उनके विचार एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और कुछ ऐसे अर्थ-भेद हैं जिनसे स्वायत्तता के आदर्श की पवित्रता पर ही आंच आती है।

3.2 देश में विभिन्न क्षेत्रों—कोयले से लेकर डबलरोटी, इस्पात उत्पादन से लेकर होटल प्रबंध और मशीनी औजारों के निर्माण से लेकर जहाजरानी संचालन तक—की स्वायत्त-शासी कम्पनियों के कामकाज की मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह समझ जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक और प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत भी स्वायत्तशासी संगठनों और सरकार के बीच कई तरह के संबंध बन गए हैं।

3.3 हममें से बहुतों को बचपन में देखे गए उस कार्नीवाल की याद आ सकती है, जिसमें हमने अनेक 'हंसते हुए शीशों' में अपने चेहरे देखे हों। लेकिन वे दर्पण वास्तव में कोई मजाक की चीज नहीं थे। उन शीशों में हमें अपने ही अलग-अलग आकार और शक्लें दिखाई देती थीं: कभी छोटी, मोटी और बढ़े हुए पेट वाली शक्ल तो कभी लम्बा, पतला और भूखा चेहरा और फिर कभी विशालकाय तिकोन मुंह और हाथी जैसी मोटी टांगें। इन सब अपरूपों को देखकर यह समझ पाना कठिन होता था कि असलियत आखिर क्या है?

रूप नहीं, तत्व

3.4 हम यहां स्वायत्तता के सात रूपों का उल्लेख करेंगे:

(क) स्वायत्तता का संबंध केवल रूप या संरचना से न होकर तत्व से है। किसी संगठन का बाहरी ढांचा या रूप कुछ भी क्यों न बनाया जाए, उसका वास्तविक स्वरूप और दूसरों से उसके संबंध उन बातों पर निर्भर होंगे, जो कानून के दायरे से बाहर है और जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करने वाले होंगे। भारत सरकार ने ऐसे स्वायत्तशासी संस्थानों की, जिन पर सरकारी विभागों का नियंत्रण नहीं है, स्थापना करने में अलग-अलग ढांचों को अपनाया है। ये संस्थान व्यवसायिक प्रकार के विभागीय संस्थान हैं, कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां है, संसद् के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित निगम और आयोग हैं तथा सोसायटी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां भी हैं। इन श्रेणियों में सार्वजनिक क्षेत्र के 120 संस्थान हैं। रेल, डाक-तार तथा आयुध कारखाने सरकारी संचालन वाले व्यावसायिक संस्थान हैं, जिनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर, राज्य व्यापार निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, जीवन बीमा निगम और विमान कम्पनियों को संसद् के विशेष कानूनों के अन्तर्गत बनाया गया है। यदि उन विभागीय संस्थानों को छोड़ दिया जाए, जो सरकार का ही आवश्यक अंग हैं, तो कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों और संसदीय अधिनियमों के अन्तर्गत गठित निगमों और आयोगों में व्यावहारिक तौर पर बहुत कम अन्तर है। इनकी स्वायत्तता की मात्रा इनकी संरचना से नहीं, बल्कि अन्य भिन्न पहलुओं से प्राप्त होती है। इन दोनों प्रकार की कम्पनियों पर संसदीय नियंत्रण बना रहता है। संसद में इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और संबंधित मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनके वित्तीय मामलों में दखल दे सकता है। अदालतों को भी निर्णय देने का अधिकार है और इस प्रकार इनका ऊपरी स्वरूप कुछ भी हो, इनकी स्वायत्तता विभिन्न कारणों से सीमित हो जाती है।

एकाधिकार अंकुश को जन्म देता है

(ख) जब किसी क्षेत्र में एक ही संस्था या बहुत कम संस्थाएं हों तो स्वायत्तता देना कठिन होता है, लेकिन एक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं में प्रतियोगिता की स्थिति में स्वायत्तता प्रदान करना आसान होता है। संभवत: यही समस्या की जड़ है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कोल इंडिया, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स और इंडियन एयरलाइन्स जैसे कुछ संस्थानों का एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार है। दूसरी ओर माडर्न ब्रेड, अशोक होटल और एच० एम० टी० जैसी बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां है, जिन्हें अन्य कम्पनियों से मुकाबला करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि जिस कम्पनी

का एकाधिकार है, उसके बारे में सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके काम का मूल्यांकन करने की और कोई कसौटी नहीं है। इसमें सरकार को लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं और काम का मूल्यांकन करना होता है। मूल्य संबंधी नीतियां तय करने के साथ-साथ बाजार की स्थिति भी संभालनी होती है। किन्तु प्रतियोगिता वाली कम्पनियों की स्थिति बिलकुल भिन्न है। इनके संबंध मे निर्णय सरकारी अधिकारियों के हाथ में नहीं होते, बल्कि वे बाजार की स्थिति के अनुसार किए जाते हैं। माडर्न ब्रेड की कीमत दूसरी कम्पनियों की डबलरोटी की कीमत को ध्यान में रख कर तय करनी होती है। अशोक होटल के प्रबन्धकों को दूसरे होटलों में उपलब्ध सुविधाओं और वहां प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखना ही होता है। इसलिए एकाधिकार की स्थिति की बजाय प्रतियोगिता वाली स्थिति में प्रबंध संबंधी स्वायत्तता देना अधिक सरल होता है। यह बात विमान कम्पनियों के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती है। हमारे यहां दो विमान कम्पनियां हैं—एयर इंडियां और इंडियन एयरलाइन्स। देश के भीतर विमान सेवाएं चलाने का अधिकार एकमात्र इंडियन एयरलाइन्स को है। दूसरी ओर एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय मार्गो पर विमान चलाती है और उस क्षेत्र में उसे विश्व भर की अन्य विमान कम्पनियों से होड़ करनी होती है। इंडियन एयरलाइन्स पर सरकार का नियंत्रण बहुत मजबूत रहता है। किन्तु एयर इंडिया के मामले में स्थिति अलग है। इसके काम करने के हालात का निर्णय भारत सरकार द्वारा नही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की दूसरी विमान कम्पनियों का मुकाबला न कर पाने पर एयर इंडिया के लिए टिक पाना कठिन हो जाएगा।

हमें स्वायत्तशासी प्रसारण निगम बनाने पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना है कि उसे एकाधिकार क्षेत्र में रहना है। हम इस प्रश्न पर प्रेस की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से भी विचार कर सकते हैं। वास्तव में प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ क्या है? इसका निश्चय ही यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक समाचारपत्र पूर्णतया या एक समान निष्पक्ष होता है। असल में बहुत से समाचारपत्रों का सुस्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक झुकाव होता है। प्रेस की स्वतंत्रता का सार यह है कि समाचारपत्रों में प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहे। समाचारपत्र बहुत बड़ी संख्या में होते है; हर समाचारपत्र अपनी नीति को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करता है। समाचारपत्रों के विचार अलग-अलग होने के बावजूद उनका पाठक चुनाव करने की स्थिति में होता है और वह अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। किन्तु आकाशवाणी के श्रोता और दूरदर्शन के दर्शक इस तरह से चुनाव करने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि हम पूर्णतया प्रतियोगिता वाली प्रसारण प्रणाली की कल्पना नही कर रहे और क्योंकि हम लगभग एकाधिकार वाली प्रसारण प्रणाली के सन्दर्भ में विचार कर रहे हैं, इसलिए स्वायत्तता पर कुछ अकुंश होना आवश्यक है।

स्वायत्तता प्राप्त करनी होती है

(ग) स्वायत्तता कोई ऐसी चीज नही है जो प्रदान की जाए। उसे सायास प्राप्त करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वायत्तता का अध्ययन करने और विभिन्न कम्पनियों के कामकाज में सरकार के 'हस्तक्षेप' के कारणों का विश्लेषण करने पर बहुत विचित्र तथ्य सामने आता है। सरकार की ओर से हस्तक्षेप की हालत क्यों और कैसे बनती है? संसद् में कम्पनियों के बहुत अधिक घाटे में चलने, अच्छी सेवाएं न देने, उत्पादित वस्तुओं का स्तर घटिया होने, प्रबन्ध ठीक न होने, मजदूरों, कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच मतभेद रहने तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दूसरों का ध्यान उन्ही कम्पनियों की ओर जाता है, जिनका प्रबन्ध संतोषजनक नही है। दूसरी ओर ऐसी कम्पनियों के बारे में न सवाल पूछे जाते है और न ही हस्तक्षेप होता है, जो मुनाफा कमाती हैं, उचित दामों पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध करती है और लोगों की नजर में अच्छी समझी जाती हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि किसी स्वायत्त संस्था की आंतरिक स्थिति और उसकी साख ही इस बात की कसौटी है कि उसे कितनी स्वायत्तता दी जाए या उसके मामलों में कितना हस्तक्षेप किया जाए। जब हम स्वायत्तशासी प्रसारण निगम की स्थापना करते हैं तो उसकी स्वायत्तता इन बातों पर निर्भर होगी कि वह कितने सही ढंग से काम करता है, किस हद तक श्रोताओं या दर्शकों को संतुष्ट करता है कितने श्रेष्ठ कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और उसके समाचार तथा समसामयिक विषयों के कार्यक्रम कितने निष्पक्ष और उचित होते हैं। निगम को खुद अपने काम से ही अपनी स्वायत्तता की रक्षा करनी होगी और बाहरी संस्थाओं के हस्तक्षेप को रोकना होगा।

स्वतंत्रता की भावना का विकास

(घ) स्वायत्तता का संबंध सिर्फ दो संस्थानों के आपसी रिश्ते से ही नही है। किसी एक संस्था के अपने प्रबन्ध में भी स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। यह एक आम धारणा है कि स्वायत्तता किसी ऐसी बाहरी संस्था से आजाद होना है, जो उसके काम में हस्तक्षेप करना चाहे। इस प्रकार प्रसारण व्यवस्था की स्वायत्तता का अर्थ आमतौर पर यह लगाया जा रहा है कि उसे सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना है। गवाहियों के दौरान हमें लगा कि किन्ही और स्तरों पर भी स्वायत्तता की मांग की जा रही है। केन्द्र निदेशक आकाशवाणी मुख्यालय के सन्दर्भ में और अधिक स्वायत्तता चाहते थे। प्रोड्यूसर और तकनीशियन रचनात्मक स्वायत्तता चाहते थे और चाहते थे कि नीति निर्धारण के मामले में उनकी आवाज और अधिक सुनी

जाए। इसलिए स्वायत्तता की धारणा व्यापक होनी जरूरी है। स्वायत्तता का अर्थ यह है कि प्रबन्ध का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी सम्बद्ध व्यक्ति भागीदार हों और उन पर केन्द्रीय नियंत्रण कम हो तथा व्यक्तियों और विभागों में स्वतन्त्रता की भावना बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरों और कार्यक्रमों से सम्बद्ध अमले के बीच तथा कार्यक्रम से सम्बद्ध कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों के बीच तथा कुछ अन्य वर्गों के बीच भी आपसी तनाव से स्वायत्तता निश्चय ही कुछ हद तक कम हुई है, जिससे दूसरों को हस्तक्षेप करने का अच्छा मौका मिला है। यदि यही स्थिति जारी रही तो स्वायत्तता खतरनाक और हानिकर सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस बारे में हम कड़ी चेतावनी देना चाहेंगे।

उत्तरदायित्व

(ङ) स्वायत्तता कोई स्वयं-पूर्ण धारणा नहीं है। वह अनिवार्यतः जिम्मेदारी की धारणा से जुड़ी हुई है। जब कभी भी स्वायत्तता जैसे शब्द का प्रयोग हो तो अपने आपसे यह सवाल करना आवश्यक है कि 'स्वायत्तता किससे' और 'स्वायत्तता किसलिए'। संभवतः माना यह जाता है कि संगठन को बनाने वाली संस्था अर्थात् सरकार से ही स्वायत्तता प्राप्त करनी है। किन्तु ऐसी स्वायत्तता की गारन्टी की शर्त यह है कि इस बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि कुछ पूर्व-सम्मत निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना है। यदि निश्चित लक्ष्य सामने हो तो आसानी से स्वायत्तता दी जा सकती है, बशर्ते कि उसके साथ उत्तरदायित्व की भावना भी जुड़ी हो। स्वायत्तता तभी वास्तव में सार्थक होती है, क्योंकि तब वह न तो निर्द्वन्द्व होती है और न ही निरंकुश; और वह कुछ व्यक्तियों की मनमानी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित नहीं हो सकती। स्वायत्तता की जरूरत पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होती है, जिनकी जांच किसी बाहरी अधिकरण द्वारा की जा सके और जिनके संबंध में स्वायत्त संस्था से जवाब तलब किया जा सके।

इसलिए यह आवश्यक है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उत्तरदायित्व की पद्धति विकसित करने को प्रोत्साहन दिया जाए। इस बारे में आम सहमति है कि यह उत्तरदायित्व संसद् जैसी संस्था के प्रति हो लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में और भी कई पक्ष हैं, जिनके प्रति उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सच्चा उत्तरदायित्व यह होगा कि स्वायत्त संगठन इन सभी पक्षों के प्रति भी उत्तरदायी हो। अतः हमें उत्तरदायित्व के संदर्भ में केवल संसद् ही नहीं, बल्कि कुछ और मंचों की भी खोज करनी होगी, जिनमें सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों तथा समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

योजना के ढांचे के अन्तर्गत

(च) स्वीकृत राष्ट्रीय योजनाओं के संदर्भ में पूर्ण स्वायत्तता की कल्पना नहीं की जा सकती। योजनाओं का तात्पर्य यह है कि दलगत राजनीति कुछ भी हो, देश कुछ निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के किसी भी संस्थान के लिए, चाहे वह कितना ही स्वायत्तशासी क्यों न हो, यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय योजनाओं और विकास की प्रक्रिया के अंग के रूप में काम करे। गैर-सरकारी कम्पनियां भी उस प्रकार की पूर्ण स्वायत्तता हासिल नहीं कर सकतीं, जैसी कि वे चाहती हैं। वे भी राष्ट्रीय विकास योजनाओं से प्रभावित होती हैं। शिक्षा पद्धति में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शैक्षणिक स्वतंत्रता के आदर्श पर चलते हुए भी ऐसी प्रतिभाएं तैयार हों, जिनकी देश को विकास के लिए आवश्यकता है। इसलिए ऐसे स्वायत्तशासी प्रसारण संगठन के बारे में सोचना कठिन है, जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के दायरे से पूरी तरह बाहर हों। हां, राष्ट्रीय विकास व लक्ष्यों तथा किसी पार्टी के राजनैतिक उद्देश्यों के बीच भेद अवश्य करना होगा। व्यावहारिक तौर पर इस प्रकार का भेद करने के लिए बड़ी सूझ-बूझ और कुशलता से काम लेना होगा।

राष्ट्रीय परिस्थितियां

(छ) स्वायत्तता कितनी और किस प्रकार की है, यह देश के पूरे वातावरण पर निर्भर करता है। परिस्थितियां ही मनुष्य को बनाती है और हमारा जीवन उस वातावरण से प्रभावित होता रहता है, जिसमें हम रहते हैं। किसी भी प्रसारण व्यवस्था पर अनिवार्य रूप से उन लोगों के सामान्य आचार-विचार, संस्कृति और स्वभाव का असर होगा, जिनके लिए वह कार्यक्रम प्रसारित करती है। भारत के लोगों में स्वतंत्रता-बोध विद्यमान है और यदि वे उसे उजागर करते हैं तो स्वतः ही स्वायत्तशासी प्रसारण प्रणाली के लिए अनुकूल वातावरण बन जाएगा। किंतु यदि स्वायत्तता को गुलामों और जी-हुजूरों के सुनसान रेगिस्तान में एक अकेला उद्यान बन कर रहना है तो उसकी कल्पना करना मुश्किल है।

3.5. हमने स्वायत्तता के इन सात रूपों की विवेचना इसलिए की है, ताकि स्वायत्तशासी प्रसारण संगठन बनाने के सवाल पर निरपेक्ष या किसी अकेली दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक पहलुओं को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए और एक अनूठे संगठन के लिए एक अनूठी स्वायत्तता की हमारी पहले निर्दिष्ट बात की भी पुष्टि हो जाए।

अध्याय 4

नीति और संगठनात्मक प्राचल

4.1 आकाश भारती अथवा नेशनल ब्राडकास्ट ट्रस्ट के लिए विभिन्न वैकल्पिक ढांचों पर विचार करने और उनमें से चुनाव करने के पूर्व, उन श्रोताओं की विशिष्टताओं पर विचार करना आवश्यक है, जिनकी इस संगठन को सेवा करनी होगी। यद्यपि आकाश भारती की देशान्तर सेवा का अपना महत्व होगा, भारत की जनता की सेवा ही स्पष्टतः आकाश भारती के कार्यकलाप का प्रमुख उद्देश्य होगा ।

4.2 भारतीय श्रोताओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी आश्चर्यजनक विविधता है। यह विविधता अनेकानेक भाषाओं और बोलियों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक रीति-रिवाजों, राजनीतिक विचारधाराओं, जातीय उत्पत्तियों, विकास और शिक्षा के स्तर, खेती और जलवायु संबन्धी स्थितियों और शहरीकरण की अवस्था तथा अन्य ऐसी ही बातों में देखी जा सकती है। संसार के किसी भी अन्य प्रसारण संगठन को न तो इतनी तरह के लोगों की सेवा करनी होती है और न उनसे अंतरप्रभावित होना पड़ता है । आकाश भारती को इस बात को अच्छी तरह समझना एवं स्वीकार करना चाहिए ।

संगठन के लक्ष्य

4.3 आकाश भारती (या एन बी टी) के लिए संगठनात्मक ढांचा विकसित करने के लिए दूसरी बुनियादी आवश्यकता निगम के उद्देश्यों की व्याख्या करना, और जहां कई उद्देश्य हों, उनमें प्राथमिकता निश्चित करना है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और उसका बोध कराने के व्यापक और अभिभावी उद्देश्य के भीतर आम तौर पर यह समझा जाता है कि प्रसारण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, अर्थात् मनोरंजन, सूचना और शिक्षा। इस समय लगता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के संसाधनों और ध्यान का बड़ा हिस्सा पहले दो उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगाया जा रहा है और शिक्षा और सचेतनता के क्षेत्र में इन्होंने वह प्रभाव पैदा नही किया है, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती थी। तथापि, अगर देश की प्राथमिकताओं में प्रसारण को उच्च स्थान मिलना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब प्रसारण देश के विकास प्रयत्नों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका अदा करे। अगले दो दशकों तक, इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों में ग्रामीण विकास सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए, भौतिक उपस्थिति और कार्यक्रमों की मात्रा दोनों दृष्टियों से, प्रसारण कार्यक्रमों में अब शहरी अभिजात वर्गीय समाज के स्थान पर, ग्राम निवासियों, कस्बों में रहने वाली जनता और शहरों की गरीब जनता की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इस प्रकार कार्यक्रमों के शिक्षात्मक स्वरूप की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी करनी होगी। साथ ही इसे शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटना होगा और प्रासंगिक परम्परा को आधुनिकता से जोड़ने में योग देना होगा।

4.4 अनेक गवाहों और संस्थाओं ने जिनसे कार्यदल ने भेंट की अथवा जिन्होंने इस विषय में हमें लिखा, संगठनात्मक ढांचे के जिन विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों की अनुशंसा की उनकी जांच करते समय हमने निगम के उन लक्ष्यों का ध्यान रखा है जिनकी अगले अध्याय में व्याख्या की गई है ।

4.5 श्रोताओं की रूपरेखा और साध्य लक्ष्यों के स्पष्ट हो जाने के बाद संगठन की उपयुक्तता न केवल इस बात से जांची जाएगी कि यह कितनी सफलता के साथ अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है बल्कि इस बात से भी कि यह किस तरह भविष्य में बढ़ती हुई और बदलती हुई मांगों को पूरा कर सकेगा। इसलिए, इसके ढांचे को अत्यधिक कठोरता से बचाना होगा और विकास की अनुमति इस प्रकार देनी होगी जिससे न तो अनावश्यक भार पड़े और न समय-समय पर जल्दी-जल्दी संगठनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता पड़े ।

4.6 दूसरे, इस संगठनात्मक ढांचे के बारे में राय वे लोग कायम करेंगे जो इसके लिए काम करते हैं। उनका मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें एक मैत्रीपूर्ण और समर्पित दल के रूप में काम करने, अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने और मान्यता एवं पुरस्कार के लिए निष्पक्ष रूप से विचार किए जाने का अवसर मिलता है या नहीं। वे यह भी चाहेंगे कि दुर्भावना, पूर्वाग्रह और भाईभतीजावाद के विरुद्ध उनके पद सुरक्षित रहें। यद्यपि वे यह स्वीकार करेंगे कि इस सुरक्षा का अर्थ भयंकर दुराचरण, अनुशासनहीनता, लापरवाही और अकुशलता से संरक्षण नहीं हो सकता।

अद्वितीय संस्था

4.7 किसी भी संगठन में जो इन दो कसौटियों पर पूरा उतरता है, कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश निगमों में समान रूप से पाई जाती हैं। तथापि, तीन विशेषताओं के कारण आकाश भारती अद्वितीय हो जाती है। पहला देश के सभी क्षेत्रों तक तत्काल पहुंच सकने की अपनी अत्यधिक शक्ति और विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहां अभी भी 70 प्रतिशत जनता अशिक्षित है, जनमत को प्रभावित कर सकने की अपनी क्षमता के कारण,

आकाश भारती को अपने असंख्य श्रोताओं की आवश्यकताओं और भावनाओं को शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील होना पड़ेगा। इसी के साथ ही इसे अपनी असीम शक्ति के कारण दिन प्रतिदिन राजनीतिक और अन्य दबावों से अपने को निरन्तर बचाए रखना होगा।

4.8 दूसरी विशेषता, जिसके कारण आकाश भारती अद्वितीय हो जाती है, विभिन्न वर्गों की विधाओं के समन्वय की आवश्यकता है। ये विधाएं सर्जनात्मक कलात्मक कौशल की भी है और व्यावसायिक कौशल की भी। इनमें अपेक्षाकृत सरल कौशल से लेकर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करना, विस्तार सेवा, समाचार एकत्र और सम्पादित करना, और राष्ट्रव्यापी संगठन की व्यवस्था जैसे जटिल विषय शामिल है। इन सभी को मिल कर ऐसे कार्यक्रम तैयार करने होंगे जो विभिन्न प्रकार के श्रोताओं की आवश्यकताए पूरी कर सके।

4.9 अन्त में, अगर इसे अपना काम सही ढंग से करना है तो समाज का शायद ही कोई वर्ग ऐसा हो जिसके साथ इसे घनिष्ठ संबन्ध न रखना पड़े। इनमे शामिल हैं केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग ग्राम विस्तार कार्यकर्ता तक ; संसद् ; राज्य विधान सभाएं ; ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय रूप से निर्वाचित संस्थाए ; स्कूल ; कालेज और विश्वविद्यालय ; शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र की संस्थाए व संगठन ; समाचारपत्र ; किसान ; उद्योग और मजदूर संघ ; संगीतज्ञ ; लेखक और कलाकार आदि-आदि।

4.10 इसलिए किसी भी अन्य सार्वजनिक निगम की आकाश भारती के साथ, जहां तक काम की संवेदनशीलता, व्यापकता और जटिलता का प्रश्न है, तुलना नही की जा सकती, यद्यपि अनेक निगमों में कही अधिक मनुष्य काम करते है, कही अधिक पूंजी लगी है या वे कही अधिक राशि का व्यय करते हैं।

एक, अनेक नहीं

4.11 हमने प्रसारण संगठनों का ढांचा नये सिरे से तैयार करने के अनेक प्रस्तावों पर विचार किया है। इनमें से कुछ का, जो अधिक व्यावहारिक थे, विश्लेषण किया गया है और अपनी सिफारिश करने के पूर्व हमने उन्हें अस्वीकार करने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट किया है।

4.12 हमारे सामने पुनर्गठन के लिए रखे गए अनेक सुझावों का सम्बन्ध एक बहुत बड़ा संगठन स्थापित न करने से था। इस बात का भय प्रकट किया गया था कि इस प्रकार के संगठन में जल्दी फैसले नही किए जाएंगे, उच्च स्तर पर प्रबन्धकगण जनता की इच्छाओं-आकांक्षाओं और अपने कर्मचारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदना से शून्य होंगे और उनमें प्रतियोगिता एवं लागत की चेतना का अभाव होगा। संक्षेप में इनमें किसी भी बड़े एकाधिकारवादी संगठन में पाई जाने वाली कमियां होंगी, इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए इन सुझावों में दो या अधिक छोटे लेकिन स्वायत्त निगम बनाने की बात कही गई थी।

4.13 हमारे सामने रखा गया एक सुझाव यह था कि केवल एक ही राष्ट्रीय प्रसारण अधिकरण बनाने के स्थान पर राज्य स्तर के स्वायत्त प्रसारण निगम बनाए जाने चाहिए, जिनकी नीति के निर्धारण में राज्य सरकारों की भूमिका मुख्य हो। इस विचार के पक्ष में कहा गया था कि आकार में छोटे होने के अलावा ये निगम जिस जनता की सेवा करेंगे उसमें कम आन्तरिक विविधता होगी, अपने श्रोताओं के अधिक घनिष्ठ सम्पर्क में रहेंगे और प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, क्योंकि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सामाजिक सेवाओं सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, इस ढांचे में दोनों पक्षों का ठीक ढंग से मेल-जोल हो सकेगा। इसी तरह का एक दूसरा सुझाव यह था कि चार या पांच पृथक् और स्वायत्त प्रादेशिक निगम होने चाहिएं जो एकमात्र राष्ट्रीय निगम और कई राज्य स्तर के संगठनों के बीच के।

4.14 कार्यदल ने आकार और भौगोलिक विस्तार में कमी से होने वाले संगठनात्मक और परिचालन सम्बन्धी लाभों को तो स्वीकार किया, परन्तु उसने मुख्यतः इस आधार पर इन प्रस्तावों को नामंजूर किया कि इनसे प्रसारण के एक प्रमुख उद्देश्य, अर्थात् राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन को गंभीर हानि पहुंचेगी। देश की समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रचार प्रत्येक नागरिक में अन्य प्रदेशों की समस्याओं और अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों और संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करना और इस प्रकार समस्त देश को प्रभावित करने वाले प्रश्नों के बारे में मतैक्य स्थापित करना इतना परम महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी ढांचा इसमें आड़े आता है तो उसे स्वीकार नही किया जा सकता।

4.15 इन सुझावों को मान लेने से अनेक तकनीकी मामलों में, जो अपेक्षाकृत अधिक जटिल है जैसे कि अन्तःक्षेत्रीय और अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों की स्थापना, समन्वित दृष्टिकोण का विकास भी असंभव होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के वर्तमान अखिल भारतीय संवर्गों को समाप्त करने में न केवल दुःसाध्य कठिनाइयां आएंगी बल्कि इससे भाषायी और सांस्कृतिक विखंडन होगा। वित्तीय दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में लाइसेंस शुल्क और विज्ञापन सेवा से होने वाली आय में काफी अन्तर होगा। प्रसारण व्यवस्था का विकास असमान होगा ; कुछ क्षेत्र, जिन्हें संचार की सबसे अधिक आवश्यकता है पूरी तरह सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहे बिना इस काम को नही कर सकेंगे और सरकार पर निर्भरता से उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी।

4.16 कार्यदल का विचार है कि अन्ततोगत्वा प्रसारण अधिकरण की स्वायत्तता ट्रस्टियों और कार्यकारी मंडल के सदस्यों की प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर करेगी।

एक मात्र राष्ट्रीय मंडल के लिए ही आवश्यक योग्यता वाले व्यक्तियों को खोज पाना कठिन होगा। अगर प्रादेशिक या राज्यों के आधार पर ऐसे मंडलों का गठन किया जाए तो उनकी सदस्यता के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों को खोज निकालना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा जब केन्द्रीय सरकार प्रसारण व्यवस्था पर अपना एकाधिकार समाप्त कर रही है तो यह बात स्पष्टतः विचित्र लगती है कि राज्य सरकारों को स्थानीय एकाधिकार स्थापित करने के लिए 'सत्ता का हस्तान्तरण किया जाए'। प्रसारण व्यवस्था एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है और उसके ढांचे और परिचालन का सही निर्धारण प्रशासकीय आधार पर नहीं जैसे कि केन्द्र, राज्य, जिला परिषद् या नगर पालिका के आकार पर, बल्कि राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय आधार पर उपयुक्तता को देखते हुए अधिक पूर्ण रूप से किया जा सकता है, यद्यपि हमें पूरी आशा है कि प्रसारण व्यवस्था प्रशासन के साथ सभी स्तरों पर घनिष्ठ सहयोग से काम करेगी।

4.17 इन कारणों से कार्यदल की राय है कि स्वायत्त प्रादेशिक निगम यहां तक कि राज्य स्तर के सरकारी निगमों का संघ भी नहीं होना चाहिए। उनके स्थान पर मात्र एक नेशनल ब्राडकास्ट ट्रस्ट या आकाश भारती की स्थापना का प्रस्ताव किया जाता है जो एक विकेन्द्रित ढांचे के रूप में काम करेगी। प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर काफी अधिकार दिए जाएंगे ताकि जल्दी निर्णय लिए जा सकें, स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता हो और रुचियों की जानकारी रह सके, विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, राज्य सरकारों, जिला और विकास खण्ड के अधिकारियों से, राष्ट्रीय प्रश्नों पर समान नीति निर्धारित और लागू करने और आवश्यक समन्वय स्थापित करने की क्षमता का त्याग किए बिना, घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके।

इंजीनियरी का ताना कार्यक्रमों का बाना

4.18 सुझावों का एक दूसरा समूह था कि शेष ढांचे से इंजीनियरिंग संवर्गों को पृथक् कर दिया जाए और सरकार के स्वामित्व में एक पृथक् प्रसारण इंजीनियरिंग निगम या विभाग के रूप में, और संभव हो तो सरकारी कर्मचारियों के रूप में, इस वर्ग के कर्मचारियों को रहने दिया जाए। इस प्रसंग में एयरपोर्ट अथारिटी और नागर विमानन महा-निदेशालय को एयरलाइन्स से अलग करने का उदाहरण दिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इंजीनियरों और अन्य प्रसारण कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम में कोई समानता नहीं है और पृथक्करण से स्टूडियो स्तर पर भी, जहां यह स्वीकार किया गया कि स्टाफ आर्टिस्टों, प्रोग्राम प्रोड्यूसरों और इंजीनियरों के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है, समन्वय की कोई समस्याएं पैदा नहीं होंगी। इसके पक्ष में यह भी तर्क दिया गया कि इससे मशीनों, उपकरणों आदि के लिए भावी विस्तार का खर्च स्वतः ही केन्द्रीय सरकार वहन कर लेगी। अगर टेलीविजन और रेडियो लाइसेंस शुल्क और विज्ञापन सेवा की आय ही प्रसारण संगठन की प्रत्यक्ष आय हो तो इंजीनियरी संवर्ग के पृथक्करण से सरकारी कोष पर इसकी निर्भरता कम हो जाएगी और इसकी स्वायत्तता मजबूत हो जाएगी।

4.19 कार्यदल ने सावधानी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया है और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर विभिन्न स्तरों पर परिणामों के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना है तो सही संगठनात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त उन व्यक्तियों का निर्धारण करना है, जो नतीजे प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करना है। उदाहरण के लिए किसी स्टूडियो अथवा रिकार्डिंग यूनिट या ओ० बी० वैन के साथ सम्बद्ध इंजीनियर या तकनीशियन को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस यूनिट के कार्यक्रम समय पर तैयार हों, प्रभारी अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में रखना सर्वथा वांछनीय होगा। एक ऐसे व्यक्ति के अभाव में, जो मौके पर निर्णय ले सके, विशेष रूप से अनेक अस्पष्ट क्षेत्रों में जहां अनेक विधाओं का परस्पर व्यापन है, आज की अपेक्षा कहीं अधिक पारस्परिक झगड़े और देर होगी। इसी प्रकार स्टूडियो इंजीनियरों और तकनीशियनों को अन्य इंजीनियरों और तकनीशियनों से पृथक् करने से उनकी पदोन्नति आदि सम्बन्धी समस्याएं पैदा होंगी। दल की राय में वित्तीय स्वायत्तता सम्बन्धी तर्क में भी कोई सार नहीं है। इस प्रस्ताव से यह संभावना समाप्त नहीं हो जाती कि सरकार ट्रांसमीटरों व अन्य यंत्रों के विस्तार और रख-रखाव के लिए धनराशि देना रोक कर दबाव नहीं डालेगी।

4.20 इंजीनियरों और कार्यक्रम कर्मचारियों को एक सुगठित टीम के रूप में काम करना होता है, क्योंकि वे माध्यम और संदेश रूपी कपड़े का ताना-बाना है। इन दोनों को पृथक् करने का अर्थ होगा इस व्यवस्था की कुशलता को कम करना और यहां तक कि व्यवस्था की सर्जनात्मकता को समाप्त करना। इंजीनियरी सम्बन्धी बाहरी नियंत्रण से कार्यक्रम निर्माण की स्वायत्तता कम हो जाएगी और समन्वय में बाधायें आती रहेंगी।

रेडियो और टेलीविजन—एक संगठन के अधीन

4.21 सुझाव का एक तीसरा वर्ग इस बात से संबन्धित था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए दो पृथक् स्वायत्त निगम स्थापित किए जाएं। यह तर्क दिया गया कि रेडियो के विपरीत, टेलीविजन को प्राप्य धनराशि अपेक्षाकृत कम होने के कारण, एक सम्मिलित निगम में टेलीविजन के साथ 'सौतेले बेटे' जैसा व्यवहार किया जाएगा और परिणामस्वरूप उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। यह कहा गया कि टेलीविजन के तकनीकी और गैर-तकनीकी पहलुओं के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रेडियो से सर्वथा भिन्न होते हैं, और दूरदर्शन का अबाध विकास सुनिश्चित करने का एकमात्र

तरीका यह है कि इसे एक पूर्णतः पृथक् निगम को सौंप दिया जाए।

4.22 यह स्वीकार करते हुए भी कि टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक, रेडियो के समान नही है, दल ने अनुभव किया कि दोनों संगठनों में अनेक समान सेवाएं है और पूर्ण विभाजन से खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा और नई समस्याएं पैदा होंगी। पहली बात तो यह है कि जो भी सामान्य राष्ट्रीय संचार नीति विकसित हो, जिसका प्रसारण निःसंदेह एक आवश्यक भाग होगा उसमें बहु-माध्यम दृष्टिकोण पर जोर देना ही होगा। हम अनुभव करते हैं कि वर्तमान भारतीय संदर्भ में, ये दो सेवाएं एक दूसरे की पूरक हैं और इसलिए उन्हें एकीकृत और समन्वित निर्देशन मिलना चाहिए। दूसरे, जहां टेलीविजन के कुछ पहलुओं के इंजीनियरिंग कौशल में कुछ विशेषज्ञता है, रेडियो और टेलीविजन में इतना अन्तर नही है कि एक संगठन से दूसरे संगठन को इंजीनियरिंग कर्मचारी भेजने की प्रथा को जारी न रखा जा सके। कार्यक्रमों के वास्तविक निर्माण के क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में जैसे प्रशासन और कार्मिक, लेखा, संदर्भ और गवेषणा, श्रोता अनुसंधान और आवास, परिवहन और कल्याण जैसी कर्मचारी सुविधाएं यहां तक कि समाचार में भी कई समान सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी।

4.23 इसलिए कार्य दल आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए दो पृथक निगम बनाने के इस प्रस्ताव का समर्थन नही कर सकता। तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि नये समेकित ढांचे के भीतर, जिसे इन दो इलेक्ट्रानिक माध्यमों के विकास का काम सौंपा जाए, रेडियो और टेलीविजन के पृथक व्यक्तित्व, विशेष कौशल और अपनी-अपनी भूमिकाओं को मान्यता देने की आवश्यकता है।

मार्ग निर्देशक सिद्धान्त

4.24 प्रस्तावित नेशनल ब्राडकास्ट ट्रस्ट अथवा आकाश भारती के लिए संगठन के प्रस्ताव तैयार करते समय हमने निम्नलिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा है:

(क) इस संगठन को न केवल संसद्, बल्कि जनमत और श्रोताओं एवं विभिन्न अधिकरणों, संस्थाओं और हितों के प्रति जो इसके कार्य से प्रभावित होते हैं और इसलिए जिन्हें इसे प्रभावित करने का अवसर मिलना चाहिए, पूरी तरह संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और उत्तरदायी होते के साथ-साथ सभी प्रकार के दबावों का, चाहे वह सरकारी, राजनीतिक, व्यापारिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हों, विरोध कर सकने योग्य होना चाहिए।

(ख) यद्यपि आकाश भारती की असीमित शक्ति के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध आखिरी रक्षक संसद् रहेगी, इस संगठन के भीतर भी आन्तरिक रोक और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस प्रकार के संसदीय हस्तक्षेप की जहां तक हो सके आवश्यकता न पड़े। इसी के साथ-साथ आकाश भारती के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नही होना चाहिए।

(ग) हर प्रकार की सुरक्षाओं के बावजूद प्रसारण संगठन की शक्ति इतनी अधिक व्यापक प्रतीत हो सकती है कि एक स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता हो जो श्रोताओं और दर्शकों की शिकायतें सुने, कार्यक्रमों की गुणवत्ता अथवा रुचि के बारे में नहीं, बल्कि विकृतियों, गलत बयानी और अनुचित कार्यक्रम प्रसारित करने के आरोपों के बारे में और कुछ निष्पक्ष मानकों के आधार पर विचार करे। इसलिए हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के बाहर लेकिन आकाश भारती के तत्वावधान में एक शिकायत बोर्ड की स्थापना का समर्थन करते है। इसका ब्यौरा पृथक से दिया गया है।

(घ) संगठनात्मक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि आकाश भारती एक ऐसे संसक्तिपूर्ण और सुसंगठित संगठन के रूप में कार्य कर सके जो समग्र निर्धारित नीतियों और लक्ष्यों को पूरा करे। लेकिन इसके साथ ही उसका ढांचा अत्यधिक विकेन्द्रीकृत होना चाहिए और नीचे के स्तर पर काफी अधिकार दिये जाने चाहिएं ताकि फैसले जल्दी किए जा सकें और सभी स्तरों पर परिणामों के लिए उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके।

(ङ) अगर संगठन को उन कठिन कार्यो को पूरा करना है, जो उसे सौंपे जाएंगे तो ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह न केवल भौगोलिक और श्रम-शक्ति की दृष्टि से विकास की आवश्यकताओं के साथ मेल खाए, बल्कि कार्यक्रमों और यंत्रों-मशीनों आदि की जटिलता के दृष्टिकोण से भी जिन्हें इसे नियंत्रित कराना और खपाना होगा, समर्थ हों।

(च) रेडियो और टेलीविजन के अपने-अपने विशिष्ट स्वरूपों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि इनमें से हरेक दूसरे को कोई बाधा पहुंचाए बिना अपना विकास कर सके। तथापि, जहां कहीं संभव हो, उन सेवाओं का द्विगुणीकरण न किया जाए, जिनका गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए बिना समान रूप से उपयोग किया जा सकता है, ताकि खर्च कम किया जा सके। इसी प्रकार एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भी, अर्थात् संचार समर्थन द्वारा राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सहायक बनने के लिए भी, दोनों माध्यमों को एक दूसरे का परिपूरक होना चाहिए। इस कारण से इन दो

माध्यमों के दिशा-निर्देशन और परिचालन में काफी सीमा तक समन्वय आवश्यक है। अन्य क्षेत्रों में कुछ सीमा तक प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(छ) ढांचे में सभी कर्मचारियों को ऊर्ध्वाधर और समस्तरीय गतिशीलता के द्वारा विकास के अवसर मिलने चाहिएं।

(ज) आकाश भारती में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक स्पष्टतः निर्धारित कार्य होना चाहिए, उसे इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार और वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधन दिए जाने चाहिएं तथा उसे परिणाम के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। जिम्मेदारी टालने के अवसर यथासंभव कम कर दिए जाने चाहिएं। तथापि, तकनीकी, सर्जनात्मक, व्यापारिक और अन्य विधाओं को, जिन्हें अवश्य ही घनिष्ठ रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, देखते हुए एक ऐसा ढांचा वांछनीय है जो मिलकर काम करने की भावना को बढ़ावा दे।

(झ) जहां हमने आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन-प्रसारण पर आधारित पूर्ण प्रतियोगी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है, हम स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार करने वाली एजेंसियों को बढ़ावा देकर और विश्वविद्यालयों और अन्य स्वीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को अधिकार प्रदान करके कम शक्ति के ट्रांसमिटरों से स्थानीय प्रसारण द्वारा विनियमित विविधता और नियंत्रित प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा किन अन्य संस्थाओं को प्रसारण का अधिकार दिया जाए यह काम आकाश भारती के अधीन लाइसेंस बोर्ड के लिए छोड़ दिया जाए।

(ञ) शिक्षा और विस्तार-सेवा के क्षेत्र में, प्रसारण माध्यम नीति निर्धारण नहीं करेगा। वह केवल संबन्धित सरकार का विस्तार संदेश जनता तक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा। इसके लिए प्रसारण संगठन और विस्तार एवं शैक्षणिक अधिकारियों के बीच सभी स्तरों पर उपयुक्त सम्पर्क की आवश्यकता होगी।

संभावित विकास का स्वरूप

4.25 उस संगठनात्मक ढांचे की, जिसकी हम सिफारिश करेंगे रूप-रेखा देने से पूर्व प्रसारण *व्यवस्था* के दीर्घावधि विस्तार के बारे में कुछ अनुमान लगाने आवश्यक हैं, ताकि यह संगठन विकास को सरलता और नियोजित ढंग से व्यवस्थित कर सके और अपना सके। जहां टेलीविजन की विकास दर लागत से प्रभावित हो सकती है, यह न केवल वांछनीय बल्कि आवश्यक है कि देश के विकास लक्ष्यों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरा करने के लिए रेडियो का जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से विकास किया जाए। इसलिए यह मान लिया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक को उस समय जब अधिकतम कार्यक्रम सुने जाते हैं स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय इन तीनों में से अपनी पसन्द के किसी भी चैनल पर कार्यक्रम सुनने की सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार, यह मान लिया जा रहा है कि अपनी असंदिग्ध अन्तः शक्ति के बावजूद अभी कुछ समय तक टेलीविजन केन्द्रों का एक-एक ही चैनल में प्रसारण होगा, जिसमें या तो स्थानीय या प्रादेशिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसलिए प्रस्तावित ढांचे में आशा की गई है कि अगले 15 वर्षों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धि पर निर्भर रहते हुए देश में 400 से 600 रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएं। इनमें से अधिकांश कम शक्ति वाले स्थानीय केन्द्र होंगे। अनुमान है कि टेलीविजन केन्द्रों का, जिनकी संख्या इस समय 14 है, अपेक्षाकृत धीरे विकास होगा। हां, इंडियन नेशनल सेटलाइट अथवा 'इनसेट' के जरिए कार्यक्रमों के वितरण से विशेषतया कुछ कम घने बसे और दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्यक्ष दर्शन की सुविधा के कारण कुछ विस्तार हो सकता है।

4.26 नेशनल ब्राडकास्ट ट्रस्ट या आकाश भारती जैसी किसी भी संस्था के लिए ढांचे की सिफारिश करते समय उस वित्तीय प्राचल का ध्यान रखना, जिसमें उसे काम करना है, जरूरी हैं। इस बारे में हम अगले परिच्छेदों में विचार करेंगे।

4.27 हम आकाश भारती को वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भिन्न संगठन के रूप में देखते हैं। यह काम ट्रस्टियों का होगा कि वे आकाश भारती के बारे में संसद्, सरकार और जनता को, जो उसके असली मालिक हैं, बताएं और प्रसारण संगठनों अर्थात् आकाशवाणी और दूर-दर्शन और अन्य ऐसे ही प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों को संसद्, सरकार और जनता के विचारों से परिचित करें।

अध्याय 5

कानूनी ढांचा

5.1 कार्य दल से विशेष रूप से कहा गया है—

(क) कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन को पूरी स्वायत्तता देने सम्बन्धी प्रस्ताव के रचनात्मक, वित्तीय और कानूनी पहलुओं, संसद के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की संगति की जांच करें, ऐसा करते समय प्रसारण के मामलों में अन्य लोकतांत्रिक देशों में विद्यमान स्वायत्त संगठनों के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखा जाय; और

(ख) स्वायत्त संगठनों क स्वरूप और ढांचे तथा उनके सरकार से संबंधों के बारे में सुझाव दें।

5.2 भारत में स्वायत्त प्रसारण संगठन की स्थापना को इस देश में प्रसारण के इतिहास की पृष्ठभूमि के आधार पर, विशेषकर हाल ही के अनुभवों और उस वातावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इनके गठन का प्रस्ताव किया गया है।

5.3 विद्यमान संगठनों—आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में व्यापक जन असंतोष रहा है। हमारे लिए यह अनावश्यक है कि हम उन बातों को विस्तार से बतायें कि आपातस्थिति के दौरान किस प्रकार इनकी विश्वसनीयता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। यह बात अगस्त, 1977 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंतरिक आपातस्थिति के दौरान संचार साधनों के दुरुपयोग संबंधी श्वेत-पत्र में विस्तार से बतायी गयी है।

5.4 हमारा विचार है कि सभी राष्ट्रीय प्रसारण सेवायें राष्ट्रीय हित के लिए एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करने के लिए संसद द्वारा कानून के अन्तर्गत स्थापित एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त संगठन में पूरी तरह निहित होनी चाहिएं। केवल वही संगठन जो इन परीक्षणों में सफल होगा, राष्ट्रीय विश्वास का द्योतक होगा जो इसकी सफलता के लिए अपरिहार्य है। यह आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्था को सरकारी हस्तक्षेप और दवाव से सुरक्षित रखने के लिए जितनी भी संभव हो अधिक से अधिक संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। तथापि, यह भी कम आवश्यक नहीं है कि इसी प्रकार अन्य पक्षों के राजनीतिक या अन्य दवावों से भी इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ यथार्थ केवल यह है कि सभी इच्छुक पक्षों की ओर से उन्हें मान्यता देने के लिए दवाव दिया जायेगा और इन सब का प्रतिरोध करना उन लोगों का काम होगा, जो संस्था चलाते हैं। संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा केवल किसी एक सीमा तक दवावों का प्रतिरोध करने में उनकी सहायता कर सकती है। अंतिम मूल्यांकन में प्रसारण संस्था, जनतांत्रिक मूल्यों को समर्थन और पोषण प्रदान करने की जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं से अधिक बलवती नहीं हो सकती जिन पर वह आधारित है। यह भली भांति देखा गया है कि "किसी देश की प्रसारण व्यवस्था का उदय उसके अपने इतिहास, राजनीतिक परम्पराओं और प्रथाओं से होना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष में यह कानूनी रूप से स्थापित एक सार्वजनिक निगम में निहित होगी और संसद के अधिनियम द्वारा तैयार की जायेगी। यह लोकतांत्रिक समाज की उन संस्थाओं में से एक होगी जो कानूनी नियमों के अनुसार कार्य करती हैं और उन मूल्यों पर आधारित होगी जो इस प्रकार के समाज के सूचक हैं।

5.5 मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रसारण संस्था बनाने के लिए दो मार्ग अपनाये जा सकते हैं:—पहला तो यह है कि इसके प्रशासन को राजनीति से अलग रखा जाए और दूसरा यह है कि राजनीतिक और अन्य शक्तियों को इसमें इस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाए कि कोई एक राजनीतिक दल इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर ले। हमारे देश में उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रसारण पद्धति वांछनीय नहीं है। यहां आम लोगों की मांग यह है कि एक ऐसा संगठन व जिसकी आंतरिक कार्य प्रणाली में स्वायत्ता प्राप्त हो और निष्पक्ष रूप से काम कर सके।

5.6 आधुनिक राय यह है कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की भांति प्रसारण संगठनों की स्वायत्तता भी आवश्यक है। जन संचार साधनों की घोषणा और 1970 में यूरोप परिषद् की सलाहकार सभा द्वारा अपनायें गये मानव अधिकारों में विशेष रूप से कहा गया है कि "न तो व्यक्तिगत उद्यमों को न ही वित्तीय समूहों को समाचारपत्र, रेडियो टेलीविजन के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार होना चाहिए। तथा न ही सरकारी नियंत्रित एकाधिकार की अनुमति होनी चाहिए। इसमें घोषणा की गई है "समाचारपत्रों और अन्य जन साधनों पर राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। स्वतंत्रता के किसी प्रकार के अतिक्रमण का फैसला किसी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए न कि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा" (अनुच्छेद 4)। दूसरा सिद्धांत यह था कि "जन साधनों के आंतरिक संगठन में उत्तरदायी सम्पादकों को विचारों की स्वतंत्रता की गारंटी होनी चाहिए। उनकी सम्पादकीय स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए" (अनुच्छेद 6)।

5.7 हमारी वैधानिक पद्धति के अनुसार जिस प्रकार की संस्था की हमने सिफारिश की है—स्थापना केवल संसद के

अधिनियम द्वारा की जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत संसद को "बेतार, प्रसारण और संचार के इसी प्रकार के अन्य साधनों" के सम्बन्ध में पूर्ण वैधानिक शक्ति प्राप्त है। (सातवीं अनुसूची की सूची 1—संघीय सूची; प्रविष्टि 31)।

5.8 तथापि, यह मानना आवश्यक है कि संसद के किसी एक अधिनियम द्वारा स्थापित कोई संस्था दूसरे अधिनियम द्वारा समाप्त की जा सकती है या किसी अध्यादेश द्वारा पहले अधिनियम का निरसन किया जा सकता है। एक अध्यादेश द्वारा 1975 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1966 का निरसन कर के भारतीय प्रेस परिषद की समाप्ति इसका एक बढ़िया उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति वास्तविक समापन के कारण होने वाली उन कमियों के बारे में सोच सकता है जिनसे प्रसारण संगठन की स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रभावी रूप से कमजोर होती है।

5.9 विश्व में प्रसारण संगठनों के अनेक स्वरूप हैं। कुछ देखने में तो स्वतंत्र दिखाई देते हैं किन्तु उनकी मूलभूत संरचना के कारण वे विभिन्न प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप के लिए खुले रहते हैं। इस प्रकार के एक प्रसारण संगठन में यह व्यवस्था है :—"इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों और शक्तियों के निष्पादन में, निगम प्रसारण सम्बन्धी सरकारी सामान्य नीति का पालन करेगा और इस सम्बन्ध में सरकार की नीतियों के अनुसरण में मंत्री द्वारा दिये गये किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निर्देशों का पालन करेगा।" इस प्रकार, कोई भी सामग्री सतर्कतापूर्वक बनाए गये निगम के प्रशासनिक ढांचे को इस धारा के अनुसार वह चाहे एकल संवैधानिक संशोधन हो या संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया गया हो या किसी अध्यादेश द्वारा लागू किया गया हो, इसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, अतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सरकारी नियंत्रण से निगम की स्वायत्तता और इसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में ही व्यवस्था होनी चाहिए और एक न्यास का विचार इसी में बनाया जाना चाहिए। इसमें निहित धारणा की व्याख्या पूर्ण रूप से देश में स्थित अन्य सार्वजनिक निगमों के अनुसार की जानी चाहिए।

5.10 यह आवश्यक नहीं है कि किसी अनुसूची के रूप में संविधान में ही सम्पूर्ण वैधानिक ढांचा तैयार किया जाय। केवल यह आवश्यक है कि संविधान में राष्ट्रीय प्रसारण निगम की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्ट निर्देशन किया गया हो और उसमें इस प्रकार के निगम के सदस्यों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई हो। एक बार ऐसा कर लेने पर, इस स्वायत्तता या स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कानून को न्यायालयों द्वारा अवैध करार दिया जा सकता है। निरीक्षण की व्यवस्था के साथ साथ, संवैधानिक व्यवस्था द्वारा देश के राष्ट्रीय जीवन में संस्था के महत्व को विशिष्टता दी जानी चाहिए। तथापि, हम कहना चाहेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि निगम की स्थापना के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रतीक्षा की जाए। एक कानून पारित करके निगम की स्थापना की जा सकती है और इस प्रकार अस्तित्व में लाये गये संगठन को बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

5.11 हम निम्न रूप से संविधान संशोधन के मसौदे की सिफारिश करते हैं :—

329-क

(1) सभी प्रसारणों की व्यवस्था और संचालन पूरी तरह एक स्वायत्त और स्वतंत्र सार्वजनिक निगम के प्राधिकार द्वारा या उसके अन्तर्गत की जायेगी जो जनहित में एक न्यासी के रूप में निष्पक्ष काम करेगा (इस संविधान में जिसे राष्ट्रीय प्रसारण न्यास या "आकाश भारती" कहा गया है)।

(2) आकाश भारती में एक अध्यक्ष और न्यासी होंगे तथा अध्यक्ष और अन्य न्यासियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन नामों की सूची में से की जायेगी जो उन्हें कानूनी रूप से बनाए गए नामांकन पैनल द्वारा भेजे जायेंगे।

(3) धारा (1) और (2) की व्यवस्थाओं और इस संविधान की अन्य व्यवस्थाओं के अधीन आकाश भारती का गठन इस प्रकार का होगा जिसकी व्यवस्था संसद् द्वारा कानून के अन्तर्गत की जायेगी।

5.12 हम सिफारिश करते है कि उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाये गये अधिनियम में यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि यह निगम "देश का एक समष्टि नागरिक" होगा। संवैधानिक घोषणा के अभाव में, आकाश भारती को उन मूलभूत अधिकारों के प्रयोग का अधिकार नही होगा, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद (19), जो केवल नागरिकों को प्राप्त है।

5.13 जिस प्रकार के प्रसारण निगम की हमने सिफारिश की है उसका निर्देशन संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम में बताये गये कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार के उद्देश्यों की तालिका को न्यास के घोषणापत्र के रूप में सम्मान दिया जा सकता है। हम निम्न उद्देश्य तालिका सुझाते हैं :—

न्यास—

(क) राष्ट्र की एकता और संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखेगा।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत दिये गये भाषण और अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार को कायम रखेगा।

(ग) नागरिकों को सार्वजनिक हित के सभी मामलों राष्ट्रीय हों या अन्तर्राष्ट्रीय के बारे में स्वतंत्रता, सत्यता और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सूचित करने के अधिकारों की, वह रक्षा करेगा।

(घ) देश में प्रसारण की निष्पक्षता, गरिमा और स्वायत्तता को कायम रखेगा।

(ङ) एक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की, जो स्वरूप और गुण में प्रमुख रूप से भारतीय हो, व्यवस्था करेगा।

(च) सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों और सम्बन्धों को प्रोत्साहित करेगा, देश में समन्वय और सहानुभूति की आवश्यकता के प्रति सावधानी बरतेगा और यह व्यवस्था करेगा कि कार्यक्रमों में उन विभिन्न तत्वों को प्रतिबिम्बित किया जाए जिनसे भारत की समन्वित संस्कृति बनती है।

(छ) सभी वर्गों के लोगों को जगाने, सूचित करने, समझाने, शिक्षित करने, उनका मनोरंजन करने और उन्हें सम्पन्न बनाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का उत्पादन और प्रसारण करेगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय प्रसारण के श्रोताओं में सभी श्रेणियों के लोग होते हैं।

(ज) युवकों, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, जनजातियों के लोगों और सीमा क्षेत्रों, पिछड़े या दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों की विशेष आवश्यकताओ और हितो को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण, अशिक्षित और कम सुविधाप्राप्त जनसंख्या (लोगों) की सेवा करेगा।

(झ) महिलाओं के स्तर और समस्याओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करेगा और उसकी सूचना देगा।

(ञ) सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेगा और शोषण, असमानता और अन्य बुराइयों जैसे अस्पृश्यता और संकीर्ण निष्ठाओं का विरोध करेगा।

(ट) धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों को कायम रखेगा और देश में सभी वर्गों के लोगों में सच्चाई और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करेगा।

(ठ) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों की सूचना का सुन्दर और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करेगा, जिसमें किन्ही विचारों या विचारधाराओं या अपने सिद्धांतों की वकालत किये बिना विरोधी विचारों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल है।

(ड) शैक्षणिक स्तरो को औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रमों, अनुवर्ती शिक्षा तथा खुली शिक्षा पद्धतियों से उन्नत करने में सहायता करेगा।

(ढ) नयी जानकारी और अध्ययनों के विस्तार तथा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन की सहायता के रूप में प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।

(ण) सभी वर्गों के लोगों के लिए मनोरंजन और मन बहलाव की व्यवस्था करेगा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति—परम्परागत, शास्त्रीय, आधुनिक और अन्तर्राष्ट्रीय—के सभी स्वरूपों को बढ़ावा देगा।

(त) बालकों, अंधों, वृद्धों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठायेगा।

(थ) इस प्रकार के प्रसारणों द्वारा व्यापकता और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करेगा ताकि उससे भारत की सभी भाषाओं में और उनके बीच संचार सुविधाओं को प्रोत्साहन मिले।

(द) प्रौद्योगिकी के समुचित चयन और उपलब्ध प्रसारण फ्रीक्विंसियों के बढ़िया उपयोग के माध्यम से प्रसारण की व्यापक व्यवस्था करने और उच्च स्तर की ग्राह्यता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा।

5.14 यह आवश्यक है कि न्यास की स्थापना करने वाले कानून में उन अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए जो एक ओर तो राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओं के रूप में लोकतांत्रिक सरकार से समुचित रूप से संबंधित हों और दूसरी ओर न्यास और संसद् के बीच सम्बन्धों से। तथापि, हम आदर्श मानकर लोकतांत्रिक देशों के किन्ही प्रसारण संगठनों के अन्धानुकरण के विरुद्ध चेतावनी देते है। उन देशों में स्वायत्त प्रसारण निगमों का जन्म काफी समय पहले और एक ऐसे वातावरण में हुआ जिसमें स्वायत्तता का आदर बढता गया। भारत में, इसके विपरीत स्वायत्त संस्थाओं के क्षरण और रेडियो व टेलीविजन की अविश्वसनीयता की पृष्ठभूमि में एक स्वायत्त संगठन की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। बी०बी०सी० के घोषणापत्र और आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैड, कनाडा, आयरलैड के अधिनियमों में मंत्रियों को इस भावना से पर्याप्त शक्तियां दी गयी हैं कि उनका प्रयोग कम किया जायेगा जैसा कि वास्तव में होता भी रहा है। अतः बी०बी०सी० लाइसेंस और करारनामा तथा इन्डिपेंडेंट ब्राडकास्टिंग आथोरिटी एक्ट (स्वतंत्र प्रसारण प्राधिकरण अधिनियम) 1973 (ब्रिटेन) की धारा 22(3) या आस्ट्रेलियाई अधिनियम के खण्ड 77 या आइरिश अधिनियम के खण्ड 31 में वस्तुतः मंत्रियों को शक्ति प्रदान की गयी है कि वे किसी विशिष्ट अवधि के लिए या सदा के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी सामग्री या किसी वर्ग के प्रेषण को रोक सकते है। निगम का एकमात्र प्रतिकार यही है कि वह जनता को इस प्रकार की अधिसूचना की जानकारी देकर जन भावना को सतर्क कर दे। इस प्रकार के निषेधाधिकार की स्वायत्तता से तुलना नही की जा सकती और हमारी परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंगत होगा। तथापि, सरकार को कुछ सीमित वैधानिक अधिकार दिये जा सकते हैं जिससे वह न्यास को ऐसी सामग्री के प्रसारण से रोक सके जिसका सीधा सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश के परिरक्षण

और गंभीर सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से हो। सरकार को एक शक्ति और भी दी जा सकती है, जो आस्ट्रेलियाई अधिनियम के अनुच्छेद 86 के अनुसार इस प्रकार है:—
"आपातकाल के मामलों में प्रसारण—(1). किसी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय आपातकाल के समय कोई निगम, यदि मंत्री द्वारा उससे ऐसा करने को कहा गया, तो निर्देशों के अनुसरण में घोषणा प्रसारित करेगा कि यह प्रसारण किया जाना है। (2) घोषणा प्रसारित करने में निगम घोषणा करेगा कि इस प्रकार की मांग की गई है। इस व्यवस्था को इंडिपेंडेंट ब्राडकास्टिंग आथोरिटी एक्ट (स्वतंत्र प्रसारण प्राधिकरण अधिनियम) 1973 के अनुच्छेद 22(1) में भी प्राथमिकता दी गयी है जिसमें सर्वोच्च (क्राऊन) सत्ता के किसी मंत्री को लिखित अधिसूचना द्वारा, जैसा वह उचित समझे किसी घोषणा को अमुक समय में अमुक केन्द्रों से प्रसारित करने का प्राधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। यह उल्लेख करना रुचिकर है कि बी०बी०सी० के लाइसेंस और करारनामे की धारा 13(3) में किसी मंत्री के निवेदन पर कोई घोषणा प्रसारित करने और इसी प्रकार के निवेदन पर "किसी अन्य सामग्री" के बीच भेद किया गया है। अन्य सामग्री उन मामलों तक सीमित है जब मंत्री के विचार से "आपातस्थिति पैदा हो गयी हो या जारी हो"।

5.15 राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय प्रसारणों के लिए आकाशवाणी या दूरदर्शन तक पहुंच होगी। इसी प्रकार के अधिकार का विस्तार प्रादेशिक प्रसारण व्यवस्था में राज्य स्तरीय प्रसारणों के लिए राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों तक किया जा सकता है।

5.16 केन्द्र और राज्य सरकारें भी प्रसारण माध्यम का जब भी आवश्यक हो आपात्कालीन घोषणाएं करने और महामारी की चेतावनियां देने के लिए उपयोग कर सकती हैं।

5.17 केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिकारिक नीतियां स्पष्ट करने के लिए प्रसारण माध्यम तक उत्तरदायी पहुंच होनी चाहिए। इस प्रकार के मंत्रिस्तरीय प्रसारणों की आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचित अधिकारियों से सलाह करके व्यवस्था करनी चाहिए। ये "सरकारी प्रसारण" बहुत कम होंगे क्योंकि एक सजग प्रसारण संगठन जब भी आवश्यक होगा सामान्यतया उत्तरदायी मंत्रियों और अधिकारियों से साक्षात्कार, वार्ता और अद्यतन प्रेस सम्मेलनों की व्यवस्था करेगा। तथापि, एक सीमा तक "सरकारी प्रसारणों" की व्यवस्था होगी, इन प्रसारणों का दलीय राजनीतिक प्रसारणों से जिनके बारे में अलग से बताया गया है भेद करने में सतर्कता बरती जायेगी।

5.18 प्रधान मंत्री की तरह लोक सभा में विपक्ष के नेता को भी राष्ट्रीय प्रसारणों के लिए सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन प्रसारणों की संख्या और स्वरूप को आपसी समझौते से तय किया जा सकता है। हम सिफारिश करते हैं कि इस प्रकार की पद्धति प्रत्येक राज्य में विधान सभा में विपक्ष के मान्य नेता को, यदि वहां कोई हो, आदर देने के लिए अपनाई जा सकती है।

5.19 आई०टी०यू० (अन्तर्राष्ट्रीय बेतार संचार संघ) द्वारा विश्व के देशों को फ्रीक्विंसियों के आवंटन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता करके अनुबन्ध करना केन्द्र का दायित्व होगा। आवंटित फ्रीक्विंसियां, किसी प्राधिकारी में निहित होनी चाहिएं, सीमित होने के कारण दुर्लभ प्राकृतिक साधन के रूप में इनको ध्यान में रखना चाहिए जिनका नियतन विभिन्न बेतार उपभोक्ताओं—जिनमें आकाश भारती केवल एक है, रक्षा सेनाएं, पुलिस और उड्डयन व जहाजरानी प्राधिकरण अन्य हैं—को किया जाता है। केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देने के उद्देश्यों के लिए सम्बन्धित सरकार की सातवी अनुसूची में सूची 1 की प्रविष्टि 31 के अन्तर्गत आती है, और भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने तथा फ्रीक्विंसियों के नियंत्रण का काम संचार मंत्रालय में बेतार सलाहकार करता है।

5.20 तथापि, प्रसारणों को नियंत्रित करने के अधिकार के साथ प्रसारण लाइसेंस देने का अधिकार सरकार में निहित नहीं होना चाहिए या होना आवश्यक नहीं है। प्रसारण (ट्रांसमीटरों के लाइसेंस देने) और प्रसारण करने (कार्यक्रम जारी करने) के बीच अन्तर है। किसी प्रकार का भ्रम राष्ट्रीय न्यास की भावना के सन्दर्भ से स्पष्ट हो जाता है, राष्ट्र (हम लोगों) का प्रतिनिधित्व संसद करती है सरकार जिसकी कार्यकारी शाखा है। यदि संसदीय जनतंत्र में जनता पूर्ण प्रभुतासम्पन्न है तो उसे पूरी सूचना और विरोधी विचारों तथा भावनाओं की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे स्वयं निर्णय करके उसी के अनुसार मतदान कर सके। इस प्रकार स्वतंत्र और स्वायत्त प्रसारण पद्धति लोकतांत्रिक धर्म का एक अंग है जो संसद के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी है किन्तु सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं।

5.21 एक बार आकाश भारती की स्थापना हो जाने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रसारणों की अपनी सीधी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद उचित रूप से इसका नाम "सूचना मंत्रालय" रख देना चाहिए।

5.22 प्रसारण संगठन और संसद के बीच सम्बन्धों पर व्यापक विचारों को सुनने के बाद हमारा विचार है कि स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के दावों के बीच समझौते का बढ़िया तरीका यह है कि न्यास पर यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वह अपने बजट और लेखे की वार्षिक रिपोर्ट तथा उस पर आडिटर की टिप्पणी के माध्यम से संसद को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। इस रिपोर्ट में शिकायत बोर्ड (कंप्लेंट बोर्ड) की रिपोर्ट और लाइसेंस बोर्ड तथा अधिकार प्राप्त केन्द्रों, जिनका वर्णन हम बाद में करेंगे, के संचालन की समीक्षा भी होनी चाहिए। संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने का सहज अधिकार

प्राप्त होगा। किन्तु उनसे आशा की जाती है कि वे रोज मर्रा के कामों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं करेंगे।

5.23 आकाश भारती को नये केन्द्र खोलने और ट्रांसमीटर लगाते समय केन्द्र और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर लेने चाहिएं।

5.24 वित्तीय दायित्व स्वतंत्र वाणिज्यिक लेखापरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने चाहिएं। चूंकि प्रसारण व्यय में धीरे-धीरे वृद्धि की संभावना है, वह सदा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निगमों या सार्वजनिक व्यय के क्षेत्रों में लगी भारी लागत और व्यय की तुलना में संतुलित होने चाहिएं। प्रसारण पद्धति की वास्तविक लेखा-परीक्षा तो उसके कार्यक्रमों की लेखा-परीक्षा में निहित है जो प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति दिन असंख्य श्रोताओं/दर्शकों द्वारा की जाती है जिन्हें इसे इसके श्रोता होने के नाते संतुष्ट करना चाहिए। प्रसारण पद्धति की अद्वितीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि इसके वाणिज्यिक रूप में लेखा-परीक्षा प्रतिष्ठित लेखा परीक्षकों की मान्य फर्म द्वारा की जानी चाहिए और यह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण जीवन बीमा निगम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित होने के बावजूद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकार सीमा से बाहर है। इस सुझाव का यह अर्थ नहीं है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए स्तरों से कठोरता में किसी प्रकार कम हों। यह तो केवल विशेष व्यवस्था खोजने के लिए है। प्रसारण एक भिन्न चीज है। इसकी व्याख्या उद्योग और कला दोनों रूपों में की गयी है। यहां तक कि इस व्यवसाय में भी "विचार" ही इसकी सम्पत्ति है, एक अद्रव परिसम्पत्ति जो कार्यक्रमों को जन्म देती है।

5.25 हम आकाश भारती को वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विकल्प के रूप में नहीं मानते बल्कि गुणानुसार इससे भिन्न मानते हैं। यह न्यासियों का काम होगा कि वे प्रसारण संगठन की संसद, सरकार और जनता जो इसकी वास्तविक स्वामी है के लिए, प्रसारण संगठनों जिनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा ऐसे प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्र शामिल है जिनको इन संगठनों से इतर लाइसेंस दिए गए हैं, व्याख्या करें।

5.26 अन्ततः स्वायत्तता कानून पर इतनी आधारित नहीं होती जितनी कि प्रथाओं और परम्पराओं पर। स्वायत्तता और स्वतंत्रता का रचनात्मक अभ्यास पुरस्कार स्वरूप नहीं मिले उनका लगातार पोषण करना होता है।

5.27 जन सेवा के रूप में प्रसारण के अद्वितीय गुण और लोगों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि सरकार प्रसारण माध्यम को जो "पूर्ण स्वायत्तता" देना चाहती है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आकाश भारती, राष्ट्रीय प्रसारण न्यास को सौंप दे जिसका संचालन 12 न्यासियों की एक समिति करेगी। एक केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन आकाश भारती की वैधानिक इकाइयां होंगी। अब या भविष्य में देश में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के लिए आकाश भारती सार्वजनिक न्यासी होगा, जिनमें संबंधित प्रौद्योगिकियां जैसे तार द्वारा प्रसारण और समुद्रीतार, दूरदर्शन भी शामिल हैं।

और तन्त्र-विस्तार के लिए प्रसारण इंजीनियरी आवश्यक है, जबकि पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता न होने पर भी समुचित वित्तीय प्रबंध अत्यन्त आवश्यक है।

6.6 हमने अध्यक्ष और वित्त, इंजीनियरी, सामयिक मामले, विस्तार और संस्कृति के लिए पांच कार्यात्मक न्यासियों को पूर्णकालिक और शेष 6 न्यासियों को अंशकालिक आधार पर रखने की संभावना पर विचार किया। इसकी जांच करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो स्तर (टू-टीयर) वाला न्यासी मंडल अंशतः कार्यकारी और अंशतः अन्यथा रखना व्यावहारिक नहीं होगा और किसी भी रूप में कार्यकारी मंडल पहले दिए गए कारणों से अवांछनीय होगा। इससे या तो न्यासियों और निदेशकों के केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के बीच दुहरा अधिकार, संघर्ष और उत्तरदायित्व की अस्पष्टता होगी अथवा निदेशकों का केन्द्रीय कार्यकारी मंडल स्पष्टतः व्यावसायिक और कार्यात्मक रूप से मातहत होगा, जिससे उसका औचित्य सिद्ध नहीं हो सकेगा।

6.7 अतः यह निश्चित करने पर कि किसी भी कार्यात्मक न्यासी के कार्यकारी उत्तरदायित्व नहीं होने चाहिए और प्रवर कार्यकारी के आरक्षित अधिकारों का प्रयोग यदि जरूरी हो तो समूचे न्यासी मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, हमने 5 प्रस्तावित कार्यात्मक न्यासियों को गैर कार्यकारी आधार पर किन्तु पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में रखने के बारे में विचार किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जबकि यह महत्वपूर्ण था कि न्यासियों को अपने क्षेत्रों के अन्दर ऊंचे स्तर का तकनीकी और वित्तीय बोध हो, ताकि वे अनुमोदन के लिए आने वाले निवेश, प्रौद्योगिकी चयन और प्रबंध संबंधी अन्य मामलों से संबंधित नीति के मामलों का मूल्यांकन कर सकें तो भी इन विधाओं में प्रख्यात न्यासियों को पूर्णकालिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्पष्टतया दिन प्रति दिन के मामलों से संबंधित नहीं होंगे।

6.8 इसके बाद हमने सामयिक मामलों, विस्तार और संस्कृति के लिए तीन पूर्णकालिक न्यासियों को रखने के मामले पर विचार किया और अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका इस व्यापक मांग के कारण औचित्य होगा कि स्वायत्तता से प्रसारण कार्यक्रमों में अवश्य ही निर्णायक और गुणात्मक अन्तर आना चाहिए, और इसलिए भी, कि केन्द्रीय कार्यकारी मंडल या क्षेत्रीय कार्यकारी मंडलों में, जिनका हमने सुझाव दिया है, इन न्यासियों के समतुल्य कोई व्यक्ति नहीं होगा। यदि हम यह सिफारिश करते हैं कि ये तीन न्यासी पूर्णकालिक हों तो इस विश्वास से कि प्रसारण संगठन में नये जीवन का संचार करने के लिए और इसको तीव्र प्रगति के नए चरण में ले जाने के लिए गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता है।

6.9 विस्तार और शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन तथा समाचार और सामयिक प्रसंग-प्रसारण का इन्हीं से संबंध होता है। ये भारत के गांवों के जीवन में परिवर्तन ला सकते है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पूरी जानकारी दे सकते है; और हमारे लोकतंत्र को अधिक जनप्रिय और जाग्रत बना सकते हैं।

6.10 हमने सुझाव दिया है कि इन तीनों आवश्यक पहलुओं में से प्रत्येक पहलू एक एक असाधारण योग्यता वाले पूर्णकालिक न्यासी की विशेष रुचि का होना चाहिए जो उनको प्रत्येक दृष्टि से—मुख्यालय से, स्थानीय केन्द्रों से (निरन्तर यात्रा करके) तथा तकनीकी और मानव आवश्यकताओं की दृष्टि से देखेंगे।

6.11 फिर भी यह पूछा जा सकता है कि इन्हें पूर्णकालिक क्यों रखा जाए? पूर्णकालिक इसलिए, क्योंकि इतने बड़े संगठन में नेतृत्व प्रदान करने का काम पूरे समय और शक्ति की अपेक्षा रखता है। यह एकाग्रता के बिना नहीं किया जा सकता। यह इन तीनों न्यासियों का काम होगा कि वे न्यासी मंडल के अपने सहयोगियों को प्राथमिकताओं और नीतियों के बारे में राय बनाने में सहायता करें।

6.12 संगठन को जीवंत बनाने का यह प्रायः अप्रचलित तरीका पूर्णतया उन लोगों की योग्यता पर निर्भर करेगा जो इन तीनों पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। हमारी कल्पना है कि वे अपेक्षाकृत ऐसे कम उम्र के व्यक्ति होंगे जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर दिया हो कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च नेतृत्व दे सकते हैं। यद्यपि वे विस्तार, संस्कृति और सामयिक मामलों से संबंधित होंगे, तो भी यह जरूरी नहीं है कि वे उन क्षेत्रों के ही विशिष्ट व्यक्ति हों। इन से अपेक्षा यह की जाती है कि उनमें विशिष्ट मेधा हो और प्रेरणात्मक नेतृत्व दे सकने की क्षमता हो। हम नहीं समझते कि इस प्रकार के लोग 'पद' के लिए 'आवेदन' करने को तत्पर होंगे। आम तौर से उनको इस चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक सेवा के लिए राजी करना होगा। और जिस योग्यता के व्यक्तियों की हम परिकल्पना करते है, उसके लिए हमारे विचार में, पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.13 सामयिक मामलों, संस्कृति और विस्तार से संबन्धित न्यासियों के कोई सीधे कार्यकारी या प्रशासनिक कार्य नहीं होंगे और वे प्रसारण संगठन के कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रसारण महानियंत्रक, जो केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के प्रमुख होंगे, के माध्यम से काम करेंगे। इनका काम संगठन के अन्दर इन कार्यों के प्रशासनिक पहलुओं की अपेक्षा नीति और गुणात्मक पहलुओं से गहरा सम्पर्क रखना और अपेक्षित प्रेरणा देना होगा। कार्यदल ने इस प्रश्न पर कि क्या इन पूर्णकालिक न्यासियों के होने से प्रसारण संगठन के अन्दर उत्तरदायित्व के बारे में कुछ अस्पष्टता हो सकती है, काफी विचार किया। अपनी सिफारिशें करते हुए हम यह महसूस करते हैं कि आगामी विकासशील वर्षों में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रमों के इन आवश्यक क्षेत्रों में नए विचार और पहल की अत्यन्त आवश्यकता है।

6.14 न्यासी, चाहे उनकी भूमिका कुछ भी हो, संगठन में किसी वर्ग या हित का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वे चार्टर में निर्धारित अच्छे प्रसारण के स्वीकृत मानदंडों और मूल्यों के बारे मे सार्वजनिक हित का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी न्यासी समान होंगे और वे न्यासी मंडल के माध्यम से सामूहिक इकाई के रूप में कार्य करेंगे । किसी भी न्यासी को पूर्णकालिक या कार्यात्मिक दर्जे का होने के नाते कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। न्यासी मंडल से केन्द्रीय कार्यकारी निर्देशक मंडल को सभी पत्रादि प्रसारण महानियंत्रक की मार्फत, जो न्यासी मंडल के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, भेजे जायेंगे ताकि इन दो अंगों के बीच आवश्यक सम्पर्क रहे।

6.15 अतः हम 12 सदस्यों के एक न्यासी मंडल की नियुक्ति की सिफारिश करते है जिसमें अध्यक्ष और तीन अन्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो सामयिक मामलों, विस्तार और सांस्कृतिक कार्य से संबन्धित होंगे।

6.16 अध्यक्ष और तीन अन्य पूर्णकालिक न्यासियों के अतिरिक्त हम सिफारिश करेंगे कि कम से कम एक न्यासी ऐसा हो जो वित्त और प्रबन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त अनुभवी हो और कम से कम एक अन्य न्यासी ऐसा हो जो प्रसारण प्रौद्योगिकी से परिचित प्रख्यात वैज्ञानिक या इंजीनियर हो।

6.17 हम यह समझते हैं और सिफारिश करते हैं कि मंडल में पुरुष और महिलाएं दोनों ही होंगे।

6.18 न्यासियों को, चाहे वे पूर्णकालिक हों या अंशकालिक, आकाश भारती के अधीन गठित सभी परिचालन अंगों की गतिविधियों से पूरी तरह अवगत रखा जाना चाहिए। पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अन्तिम उत्तरदायित्व इनका होगा, किन्तु वे सामान्य रूप से और सिद्धान्त रूप से संगठन के प्रयोजनों को समर्थन देने और उनको बढ़ावा देने में न्यासिता कार्य को पूरा करेंगे। कार्य निष्पादन का दायित्व केन्द्रीय कार्यकारी मंडल और कतिपय अन्य एजेंसियों का होगा जिनके स्वरूप और कार्य का निर्देश अलग से किया गया है।

6.19 हम सिफारिश करते है कि मुख्य कार्यकारी, जिनका पदनाम प्रसारण महानियंत्रक होगा, और जो केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के प्रमुख होंगे, न्यासी मंडल के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे। न्यासी सामान्य रूप से प्रसारण संगठन में केन्द्रीय कार्यकारी मंडल तथा प्रसारण महानियंत्रक के माध्यम से काम करेंगे। तथापि श्रोता अनुसंधान निदेशक को सभी श्रोता अनुसंधान रिपोर्टें न्यासी मंडल और केन्द्रीय कार्यकारी मंडल को साथ साथ प्रस्तुत करनी होगी। इससे न्यासी विभिन्न प्रसारण कार्यक्रमों के तकनीकी स्तर सहित उनके प्रति जनता की प्रतिक्रियाओं की जानकारी रख सकेंगे।

6.20 न्यासी मंडल की बैठकें साल में कम से कम छः बार होंगी यद्यपि हम समझते है कि इससे अधिक बार बैठकें करना आवश्यक हो सकता है। कोरम न्यासियों की कुल संख्या के आधे से एक अधिक का होगा। अन्य मामलों में न्यासी अपनी कार्यविधि का निश्चय स्वयं करेंगे। हम यह उम्मीद करते है कि वे अलग-थलग नहीं जा बैठेंगे, किन्तु केन्द्रों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और देश के सभी भागों के सभी वर्गों के लोगों से सम्पर्क करने का निरन्तर प्रयास करेंगे, ताकि वे प्रसारण संगठन के बारे में जनता को और जनता के विचारों के बारे में प्रसारण संगठन को अच्छी तरह समझा सकें।

6.21 यह वांछनीय होगा कि समय समय पर मंडल का नवीकरण किया जाए और इसमें नया खून लाया जाए। हमारी राय में इसके लिए यह व्यवस्था सर्वोत्तम होगी कि न्यासियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाए और एक तिहाई सदस्यों को हर एकान्तर वर्ष में रिटायर किया जाए तथापि हम यह सिफारिश करेंगे कि शुरू के 12 न्यासियों के बीच इस प्रावधान के साथ कि अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक न्यासियों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, रिटायर होने का क्रम लाटरी डाल कर तय किया जाए।

6.22 न्यासियों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रसारण महानियंत्रक, निदेशकों और नियंत्रक के स्तर तक के अन्य वरिष्ठ कार्मिकों अर्थात् प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यकारी मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति करना होगा। वे प्रस्तावित लाइसेंस बोर्ड के सदस्यों की भी नियुक्ति करेंगे। एक अन्य नाजुक दायित्व आकाश भारती के बजट और लेखापरीक्षित लेखे के साथ प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त (फ्रैंचाइज) केन्द्रों की गतिविधियों सहित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद् को प्रस्तुत करना होगा। सभी बड़े निवेशों और प्रसारण पद्धति के विस्तार प्रौद्योगिकी, चयन, सेवा की कोटि, कार्यक्रमों में मुख्य परिवर्तनों से संबन्धित नीति निर्णय तथा पारिश्रमिक और वेतनों में संशोधन सहित ऐसे मामलों में जिनसे न्यास की वित्तीय आत्म-निर्भरता पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, न्यास मंडल की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। वास्तव में वे आकाश भारती के लिए उच्चतम जन-सम्पर्क का भी संचालन करेंगे।

6.23. हमने न्यासी मंडल और विशेषकर अध्यक्ष को, जो उत्कृष्ट कोटि, योग्यता और सत्यनिष्ठा का कोई पुरुष या महिला हो सकती है, नामजद करने की प्रक्रियाओं के बारे में काफी विचार किया। इस विशाल प्रभावशाली, संवेदनशील और जटिल संगठन के प्रमुख का चयन करने में लगभग राष्ट्रीय आम राय की आवश्यकता होगी। क्योंकि नए संगठन की परम्पराओं और स्वर को न्यासियों द्वारा स्थापित किया जाना है, अतः उनका भी चयन निर्णायक महत्व का होगा। यह विशेषकर आरम्भिक पद-धारियों के चयन में तो और भी जरूरी होगा।

6.24 इन नियुक्तियों के स्वरूप और संवेदनशीलता को देखते हुए हमने विभिन्न चयन प्रक्रियाओं पर विचार किया और ऐसी प्रक्रिया मालूम करने का प्रयास किया जिसमें

निष्पक्षता और संसद् के माध्यम से जनता को जवाबदेही दोनों का समन्वय हो। काफी विचार-विमर्श करने के बाद हम यह सिफारिश करते हैं कि न्यासियों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल (यह पद शीघ्र ही अस्तित्व में आने वाला है) और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर आधारित एक नामांकन पैनल द्वारा प्रस्तुत नामों की सूची में से प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाए। इस प्रकार के पैनल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति होगा। किन्तु, उनके कठिन उत्तरदायित्व में उनकी सहायता करने के लिए हम सिफारिश करते है कि वे विज्ञान, संस्कृति और कलाओं के क्षेत्र से अन्य दो विख्यात व्यक्तियों को सहयोजित करेंगे। हम यह पैनल पर छोड़ते हैं कि वह अपनी प्रक्रिया स्वयं निश्चित करे और प्रथम बार अध्यक्ष का चयन होने पर अन्य न्यासियों के चयन के लिए उसको परामर्शदाता के रूप में सहयोजित करे। एक बार न्यासी मंडल की नियुक्ति होने पर, पदधारी या निवर्तमान अध्यक्ष नामांकन पैनल को सलाह देने के लिए उपलब्ध होंगे।

6.25 यदि प्रधानमंत्री अध्यक्ष और न्यासियों के नामों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने से पहले विपक्ष के नेता से परामर्श कर लें तो यह एक स्वस्थ परम्परा होगी।

6.26 नामों की जो सूची दी जानी है वह निस्सन्देह भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी। न्यासी मंडल के अध्यक्ष के मामले में, नामांकन पैनल प्रधानमंत्री को दो या अधिक से अधिक तीन नामों की सिफारिश कर सकता है। तथापि, अन्य सभी रिक्तियों के बारे में, नामांकन पैनल के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि वह भरी जाने वाली रिक्तियों से 50 प्रतिशत अधिक नाम भेजें। किसी कार्यात्मक न्यासी का चयन नहीं हो पाने पर नामांकन पैनल को उन विशिष्ट श्रेणी के लिए वैकल्पिक नाम सुझाना पड़ सकता है। तथापि, हमारा ख्याल है कि ऐसी नौबत शायद ही आयेगी।

6.27 हम सिफारिश करते हैं कि न्यासियों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दर्जे के बराबर होना चाहिए और उनकी अनर्हताएं और उनको हटाने की प्रक्रियाएं भी वही होनी चाहिए। तथापि आयु-सीमा निर्धारित करने की जरूरत नही है।

अध्याय 7

प्रबन्ध और कार्यक्रम ढांचा

I

7.1 प्रसारण का सार होता है प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मूल तत्व और उनकी गुणवत्ता। साथ ही यह भी कि वे कितनी अच्छी तरह सुनाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी तत्व हैं उनसे भी बेहतर प्रसारण में सहायता मिलती है। इसलिए समस्त प्रसारण प्रणाली का असली मुद्दा कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया और प्रेषण केन्द्रों में निहित है। यही वे आधार है जिन पर शेष ऊपरी ढांचे का निर्माण होना चाहिए। आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास), भारत में प्रसारण के वृहत्तर ढांचे को परिभाषित करता है, जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी व दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के रूप में रहेंगे। प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्र और कार्यक्रम तैयार करने वाली स्वतन्त्र कम्पनियां अन्य प्रसारण माध्यम होंगी।

7.2 प्रसारण केन्द्रों का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है। इन्हें मोटे तौर पर महानगरीय प्रादेशिक अथवा स्थानीय केन्द्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है । ये आकार-प्रकार और स्थापित ट्रान्समीटरों की शक्ति के सन्दर्भ में भले ही अलग-अलग हों पर एक महत्वपूर्ण अपवाद को छोड़कर उनका कार्यक्रम क्रियाकलाप अनिवार्यतः एक-सा ही होगा। यह है—ऐसे कार्यक्रम तैयार करना जिन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यक्रम और स्थानीय कार्यक्रम कहा जाएगा। इनका परस्पर अन्तर कुछ अधिक स्पष्ट नहीं है क्योंकि कुछ कार्यक्रम एक-दूसरे से मिलते-जुलते होंगे, साथ ही कुछ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान भी होगा। अच्छे कार्यक्रम स्थानीय से राष्ट्रीय श्रोताओं की ओर बढ़ेंगे और विशेषकर नाटक, संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अन्य स्वरूपों के क्षेत्र में अन्तर सांस्कृतिक आदान-प्रदान होगा।

विकेन्द्रीकरण और सहभागिता

7.3 हम चाहेंगे कि *'रेडियो स्टेशन'* स्टूडियो-प्रेषण प्रणाली की ऐसी दूरदराज सी दीखने वाली, अलग-थलग इकाई बनकर न रह जाए जहां उसी जनता का प्रवेश न हो, जिसकी सेवा के लिए उसकी स्थापना हुई है। उसे अधिक सार्थक बनना होगा। इसके विपरीत हमारा विचार है कि विशेषकर स्थानीय स्तर पर एक छोटा और अपेक्षाकृत साधारण यन्त्र सज्जा वाला ऐसा 'मुख्य केन्द्र' स्थापित किया जाए जिसके चारों ओर छोटी-छोटी रिकार्डिंग इकाइयाँ व कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्र हों। इनसे प्रसारण प्रक्रिया को जनता तक ले जाने में और लोगों को प्रसारण प्रक्रिया से जोड़ने में सहायता मिलेगी । हमारे ख्याल में केवल आउटडोर प्रसारण गाड़ियों के जरिए ही इसे नहीं किया जा सकता। यह बात रेडियो और टेलीविजन दोनों पर लागू होती है।

7.4 कार्यक्रम प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और प्रोड्यूसरों को कार्यक्रम तैयार करने में पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए । फिर भी उच्चतर स्तरों पर देख-रेख व तालमेल की आवश्यकता तो रहेगी ही । 'राष्ट्रीय समाचारों' के अतिरिक्त दूसरे सब कार्यक्रम अलग-अलग केन्द्रों पर तैयार किए जाएंगे, भले ही वे कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय तरंगों पर प्रसारण के लिए क्यों न हों।

केन्द्रीय सुविधायें

7.5 आकाशवाणी व दूरदर्शन दोनों के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय समाचार कक्ष होना चाहिए जो विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन तैयार करेगा। समाचारों का तात्कालिक महत्व होता है और उनके बारे में एक सी नीति अपनाने की बात को देखते हुए एक ऐसे केन्द्रीय स्थल की आवश्यकता अनुभव होती है, जो समाचार केन्द्र के रूप में उसके बहुत अधिक महत्व को देखते हुए राष्ट्र की राजधानी ही होनी चाहिए। इसी तरह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन भी, मोटे तौर से इन्ही आधारों पर, हर प्रदेश की राजधानी में तैयार किये जायेंगे।

7.6 आकाशवाणी को विदेश सेवा कार्यक्रम तैयार करने *और अपनी अनुश्रवण इकाई के लिए भी मुख्यालय में केन्द्रीय* सुविधाओं की आवश्यकता होगी । यह पूरी तरह एक राष्ट्रीय क्रियाकलाप है । वैसे कुछ विदेश-सेवा कार्यक्रम और ट्रान्समिशन सुविधा की दृष्टि से किसी भी क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से प्रसारित किए जा सकते हैं। लेकिन इस पर नियन्त्रण केन्द्रीय ही रहेगा।

क्षेत्रों की आवश्यकता

7.7 प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से यह ढांचा कुछ दूसरी तरह का होगा। आज देश में 84 आकाशवाणी केन्द्र और 155 रेडियो प्रेषित्र हैं, जब कि 1947 में इनकी संख्या मात्र 6 थी। 13 दूरदर्शन केन्द्र और कुछ अतिरिक्त टेलीविजन (कार्यक्रम) आधार निर्माण केन्द्र हैं। केन्द्रों और प्रेषित्रों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि की सम्भावना

है और आकाशवाणी की 14 वर्षीय 'आई टी० यू० योजना 1975-89 में 780 ट्रान्समीटरों (इनमें वर्तमान ट्रान्समीटर भी सम्मिलित हैं) की स्थापना करने की बात कही गई है। इनमें से 352 ट्रान्समीटर कम-शक्ति केन्द्र होंगे जो लगभग इतने ही जिलों की सेवा करेंगे।

7.8 कुछ वर्ष पहले आकाशवाणी ने 4 इंजीनियरिंग क्षेत्रों की स्थापना की थी और विकास के वर्तमान स्तर को देखते हुए इधर हाल ही में 4 कार्यक्रम क्षेत्रों को स्थापित करने की बात पर बल दिया है (इनकी भौगोलिक रूपरेखा कुछ अलग होगी)। इनमें से दो, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, तो स्थापित भी किए जा चुके हैं। पश्चिमी क्षेत्र में, जिसका मुख्यालय बम्बई में है, 22 रेडियो स्टेशन हैं और पूर्वी क्षेत्र में 18 रेडियो स्टेशन हैं। इसका मुख्यालय है—कलकत्ता। इसके अतिरिक्त भ्रमण के लिए और प्रशासनिक नियमों के अनरूप हर केन्द्र निदेशक पर निश्चित प्रसारण 'क्षेत्र' का उत्तरदायित्व भी होता है।

चार स्तरीय ढांचा

7.9 यह माना जाता है कि कार्य-संचालन की प्रबन्ध व्यवस्था का स्तर अगर ऊंचा रखना है तो यह जरूरी है कि उसके जिम्मे 10 से 15 रेडियो स्टेशनों से अधिक की देख-रेख का भार नहीं डाला जाना चाहिए। क्योंकि दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में 500 से 600 कार्यरत रेडियो स्टेशनों की अभिकल्पना है इसलिए तीन स्तरीय ढांचा रखा जाए तो कोई 40 से 50 तक क्षेत्रों की स्थापना करनी होगी। इतने अधिक क्षेत्रों के बीच तालमेल बनाए रखना केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के लिए एक बहुत ही उलझाव-भरा काम सिद्ध होगा। 15 वर्षीय समय सीमा की दृष्टि से सांगठनिक ढांचे पर विचार करते हुए यह कार्य दल इस नतीजे पर पहुंचा है कि राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के प्रबन्ध और तालमेल के लिए चार संचालन स्तर होने चाहिए—राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक (अगर तुरन्त नहीं, तो आगे यथासमय) और केन्द्र। अगर हमें राष्ट्रीय कवरेज को विकेन्द्रीकृत रखने के साथ-साथ कार्यक्रमों यन्त्रादि व उपकरणों, वित्त, कार्मिक और जन-सम्पर्क जैसे मामलों में एक सीमा तक नीतिगत तालमेल बनाए रखना है तो यह ढांचा आवश्यक है।

पांच क्षेत्र

7.10 तदनुसार हम पांच क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश करते हैं। ये होंगे—दक्षिणी, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी और उत्तरी (देखिए—अनुलग्नक)। दक्षिणी क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, और लक्षद्वीप सम्मिलित होंगे। पश्चिमी क्षेत्र में ये राज्य सम्मिलित होंगे—राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा। केन्द्रीय क्षेत्र में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश होंगे। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसकी समस्याएं अपने आप में अनोखी व विशेष प्रकार की हैं, सिक्किम तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और अन्ततः उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली सम्मिलित होंगे। इन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल कमोबेश बराबर होगा, और इनकी जनसंख्या 12 से 15 करोड़ के बीच होगी। केवल पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जिसकी आबादी साढ़े सात करोड़ बैठेगी। हर क्षेत्र में कुछ राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश होंगे। हमारा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के मुख्यालय महानगरों व बड़े शहरों से दूर स्थापित किए जाएं ताकि बड़े शहरों की आपाधापी से बचा जा सके और उन्हें छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन के विविध रंगों से अपने कार्यक्रमों को सज्जित करने का अधिक अवसर मिल सके। उन्हें अपना ध्यान इन्हीं पर केन्द्रीत करना चाहिए। मैसूर या कोयम्बतूर, आणंद या उदयपुर, रायपुर या रांची, शिलांग अथवा सिल्चर और पटियाला या पन्तनगर जैसे स्थान इन क्षेत्रों के मुख्यालय बनने के अधिक उपयुक्त हैं। ये सभी विश्वविद्यालयीय नगर हैं, विकास के केन्द्र-स्थल या सांस्कृतिक केन्द्र कहे जा सकते हैं और सभी में संचार की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

7.11 प्रस्तावित क्षेत्रों में से हर एक में पहले ही 20 या अधिक रेडियो व टेलीविजन स्टेशन हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। प्रबन्ध, कार्यक्रम समर्थन और तालमेल की दृष्टि से जहां तक रेडियो स्टेशनों का सम्बन्ध है हम एक क्षेत्र में 10 से 15 स्टेशनों के सामूहिकीकरण की सिफारिश करते हैं लेकिन हम वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्रों व क्षेत्रों के बीच किसी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या अभी काफी कम है। जैसे-जैसे यह प्रणाली विस्तार पाती है, इसमें क्षेत्रों के रूप में एक स्तर या तल जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे जब तक प्रस्तावित संगठन पूरी तरह कार्यशील न हो जाए, तब तक केवल तीन स्तरीय प्रणाली ही चलेगी।

नीचे तक अधिकार बांटना

7.12. कार्य दल को पता था कि ऊपरी स्तर पर बहुत अधिक संकेन्द्रण होने और चार स्तरों या तलों वाली प्रणाली में उत्तरदायित्व की पहचान खोने के अपने खतरे होते हैं। हमारे विचार से केन्द्रीय कार्यकारी मंडल (सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड) एक ऐसी नीति नियामक व दिशा निर्देशक समिति के रूप में कार्य करेगी जिस पर पूरे संगठन के समग्र क्रियाकलाप की जिम्मेदारी तो होगी लेकिन जहां तक संचालन का सम्बन्ध है केन्द्रीय समाचार कक्ष, अनुश्रवण इकाई, विदेश सेवा खण्ड, कार्यक्रम आदान-प्रदान के लिए ट्रांसक्रिप्शन सेवा तथा प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यों की देख-रेख का उत्तरदायित्व ही होगा। कार्य-संचालन प्रबन्ध का अधिकांश उत्तरदायित्व मुख्य रूप से क्षेत्रीय निदेशक व उसके कार्यपालक बोर्ड पर

होगा और कार्यक्रम तैयार करना केन्द्रों का काम होगा। क्षेत्रीय स्तर की प्रणाली एक छोटी ईकाई होगी जिसकी मुख्य भूमिकाएं होंगी—कार्यक्रम, तकनीकी और प्रबंध व्यवस्थाओं को समर्थन देने के साथ-साथ इनके आपसी कार्य में तालमेल रखना। इनमें विशेषकर वे नए बनने वाले स्थानीय केन्द्र होंगे, जिनमें कार्य करने वालों की संख्या सीमित होगी, और ये जहां तक सम्भव होगा, स्थानीय प्रतिभाओं और सामुदायिक सहयोग-संलग्नता का लाभ उठाएंगे। हमारे विचार से क्षेत्रीय स्तर या मंडलीय तल प्रणाली द्वारा अपने लिए बड़े-बड़े सचिवालयों को विकसित करना ठीक नहीं होगा।

7.13. प्रस्तावित ढांचे में यह व्यवस्था है कि वित्तीय, कार्मिक और तकनीकी मामलों में क्षेत्रों को काफी अधिकार दिए जाएं। उनसे ये प्रादेशिक और स्थानीय केन्द्रों को मिलेंगे। हां, ये अधिकार उन दिशा निर्देशक सिद्धांतों और नियंत्रणों के आधार पर मिलेंगे जिन्हें सी० ई० बी०, क्षेत्र और अंततः प्रदेश निर्धारित करेंगे।

7.14. क्षेत्रीय प्रमुख के नीचे रेडियो व टेलीविजन दो अलग-अलग धाराओं के रूप में काम करेंगे, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके लिए दो अलग-अलग कार्य संचालन प्रमुख होंगे, जो इन दो विभिन्न माध्यमों के उचित विकास के लिए विशेषीकृत योग्यताएं उपलब्ध कराएंगे।

केन्द्रीय कार्यकारी मंडल

7.15. हमारा सुझाव है कि एक पूर्ण-आवधिक केन्द्रीय कार्यकारी मंडल की स्थापना की जाए जिसके अध्यक्ष हों प्रसारण के महानियंत्रक या कार्यकारी संचालक। वह मुख्य कार्यकारी होंगे और उन पर न्यास मंडल की नीतियों व निर्देशों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व होगा। सी० ई०बी० के दूसरे निदेशक अथवा संचालक क्रमशः आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार व सामयिकी, इंजीनियरिंग, वित्त, कार्मिक व श्रोता अनुसंधान जैसे कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आठ व्यक्तियों की टोली के अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय निदेशक होंगे। ये सी० ई० बी० के सदस्य होने के साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष भी होंगे।

7.16. आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार व सामयिकी, इंजीनियरिंग, वित्त, कार्मिक और श्रोता अनुसंधान अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रमुख होंगे। यह देखना उनका काम होगा कि क्षेत्रों में होने वाले कामकाज का स्तर जहां तक संभव हो ऊंचा रहे और साथ ही उन पर अपने-अपने संवर्ग की देख-भाल की जिम्मेदारी भी होगी। हर निदेशक को विभिन्न विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा।

7.17. सी० ई० बी० एक समूह के रूप में काम करेगा तथा यह न्यास मंडल को सूचना व परामर्श देता रहेगा, ताकि वह नीतियां निर्धारित करे, और मुख्य निर्णय ले सके।

7.18. सी० ई० बी० को अपने में एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व होना होगा जिसमें प्रसारण का वास्तविक अनुभव भले ही न हो, लेकिन उसकी अनुभूति का भाव अवश्य निहित हो और जिसके पास प्रबंध और नियोजन के क्षेत्र में नेतृत्व देने की स्वतः सिद्ध क्षमता हो।

7.19. आकाशवाणी के निदेशक व दूरदर्शन के निदेशक दो मुख्य मीडिया प्रमुख होंगे जिन्हें संस्कृति व विस्तार के क्षेत्रों में शक्तिशाली कार्यक्रम-प्रबंध समर्थन रहेगा। इंजीनियरिंग, वित्त, कार्मिक और श्रोता अनुसंधान जैसे अन्य दूसरे निदेशों के लिए वे इन विभागों के निदेशकों पर निर्भर करेंगे।

7.20. समाचार और सामयिकी के निदेशक प्रसारण के इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे। वह केन्द्रीय समाचार कक्ष को निर्देशित करेंगे जोकि एक जनरल मैनेजर के अधीन काम करेगा। आकाशवाणी का सम्पादक, दूरदर्शन का सम्पादक, एक विदेश सम्पादक और एक अनुश्रवण सम्पादक उसके नीचे काम करेंगे।

विस्तार की भूमिका

7.21. आकाशवाणी और दूरदर्शन के निदेशकों के अंतर्गत विस्तार माध्यम प्रमुखों का विशेष उल्लेख करना होगा क्योंकि यही वे लोग हैं जो टेलीविजन व रेडियो दोनों को राष्ट्रीय संचार समूह का प्रभावशाली अंग बनाने में निर्णायक भूमिका निभाहेंगे। इसके लिए उन्हें दोनों माध्यमों के साथ-साथ सब स्तरों पर विस्तार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों जैसे अन्य संचार माध्यमों के सम्मिलित उपयोग के लिए कार्य नितियां विकसित करनी होंगी। उन्हें केन्द्रीय व प्रादेशिक स्तरों पर संवद्ध मंत्रालयों के निकट परामर्श के साथ ही बैंकों, पंचायतों, सहकारी समितियों और इन जैसी ही अन्य संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना इन विशेषज्ञों का एक प्रमुख कार्य होगा, जिन्हें ये मुख्यतः क्षेत्रीय, प्रादेशिक और कभी-कभी स्थानीय केन्द्रों के जरिए करेंगे, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम होगा क्षेत्रों में विस्तार कार्यक्रमों की उन्मुखता, गुणवत्ता, तकनीकों और लागत-प्रभावशीलता में सुधार लाना। यद्यपि विस्तार नीति का निर्धारण केन्द्र व राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन कार्यक्रम नियंत्रण और प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रसारण संगठन पर होगी।

इंजीनियरिंग सेवायें

7.22. न्यास मंडल से नीचे इंजीनियरिंग के निदेशक समस्त तकनीकी मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें टेक्नालाजी का चयन, उपकरणों का मानकीकरण, विकास, रख-रखाव, ट्रान्समीटरों की स्थापना और उनकी शक्ति, तरंगों का सर्वानुकूल उपयोग, परियोजनाओं की तैयारी और उन पर अमल, अनुसंधान व विकास और टेक्नीकल प्रशिक्षण

जैसी बातें शामिल होंगी । उन्हें अनुसंधान व विकास तथा प्रमुख परियोजनाओं के लिए जनरल मैनेजरों का सहयोग मिलना चाहिए ।

7.23. हमने टेलीविजन इंजीनियरिंग को रेडियो इंजीनियरिंग से अलग करने और प्रशासनिक दृष्टि से दोनों को उनके मीडिया प्रमुखों के अधिकार क्षेत्र में रखने की संभावना पर विचार किया लेकिन अनेक कारणों से ऐसा न करने का निश्चय किया । पहली बात तो यह कि अत्यन्त विशेषीकृत क्षेत्रों को छोड़ दें, तो टेलीविजन और रेडियो—दोनों के अधिकांश यंत्र-उपकरण एक जैसे ही हैं । इसलिए अनेक मामलों में तकनीकी कार्मिक परस्पर स्थानान्तरणीय हैं और उन्हें होना भी चाहिए । इसके अतिरिक्त जैसी कि संभावना है दूरदर्शन की अपेक्षा रेडियो कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगा, उस स्थिति में दोनों संवर्गों के पृथक्करण से दूरदर्शन संवर्ग में ठहराव की स्थिति आ जाएगी । इसी कारण से कार्यकारी दल का सुझाव है कि कार्यक्रम क्षेत्र में जहां कि माध्यम विशेषज्ञता का स्तर निश्चित रूप से अधिक ऊंचा होना आवश्यक है, वहां भी लोगों को टेलीविजन व रेडियो के बीच स्थानान्तरित होते रहना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली व बहुमुखी प्रसारकों की पदोन्नति के मार्ग में अनावश्यक व्यवधान उपस्थित न हो सके ।

'प्रशासन' की अवधारणा

7.24. कार्यकारी दल का विचार है कि प्रशासन व प्रशासनिक संवर्ग की वर्तमान अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । प्रशासन या प्रबंध किसी भी क्रिया-कलाप का अभिन्न अंग है । चीफ इंजीनियर अपने अधीनस्थ अफसरों पर नजर रखते हैं और अधीनस्थ अफसर आगे सहायकों को संभालते है । इस तरह यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रिशियनों तक चलती है । यही बात कार्यक्रम तैयार करने वाले कर्मचारियों, वित्त विभाग के लोगों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है । इन परिचालन वर्गों को अपना प्रशासन चलाने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं होती । जरूरत होती है पदवृद्धि नीतियों, छुट्टियों व स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों, भत्तों और अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे मामलों में पेशेवर या विशेषज्ञ दिशानिर्देश की । कार्मिक विभाग का काम है कि वह इस तरह का परामर्श तो दे और किसी तरह की कोई कार्यकारी भूमिका स्वीकार न करे । जिन क्षेत्रों में कार्मिक विभाग की मुख्य कार्यकारी भूमिका रहेगी वे हैं प्रशिक्षण व कल्याण (आवास, चिकित्सा लाभ आदि) । हर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समस्त विशेषीकृत निदेशों का निर्धारण करना आवश्यक नही कि उनका विकास भी किया जाए । एक ऐसा अनिवार्य कार्य है, जिसकी आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में ही इस समय ठीक व्यवस्था नहीं है ।

चयन प्रक्रिया

7.25. कार्मिक विभाग की एक दूसरी महत्वपूर्ण लेकिन *गैर-कार्यकारी भूमिका होगी चयन, प्रशिक्षण,* मूल्यांकन और पदोन्नति और केरियर प्लानिंग की ठोस नीतियां तय करना । कार्यकारी दल ने इस बात पर विचार किया कि क्या संघ लोक सेवा आयोग के बदले रेलवे सेवा आयोग जैसी ही अंदरुनी संस्था यहां भी बनाई जा सकती है ? यह विचार किया गया है कि क्योंकि आकाश भारती भविष्य में सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था नही रहेगी इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करना आवश्यक नहीं होगा और कलात्मक व अन्य विशेषीकृत योग्यताओं के विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग इस तरह के चयन के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा ।

7.26. रेलवे सेवा आयोग जैसी आंतरिक चयन प्रणाली से अलग एक भीतरी विभागीय चयन प्रणाली को तरजीह देने का कारण कार्यदल का यह विचार है कि इससे व्यक्ति और उसके लिए काम करने वाले आदमी के बीच के सम्बन्ध कमजोर होते हैं । फिर भी इस प्रणाली में घुस आने वाले भाई-भतीजावाद व पक्षपात के विरुद्ध काफी एहतियात रखने होंगे । इसलिए एक आंतरिक पदोन्नति प्रणाली की सिफारिश करते हुए यह दल चाहेगा कि निम्नलिखित बातों पर अमल किया जाए :

(क) विभिन्न चयन बोर्डों—सी० ई० बो० जिनका गठन ट्रस्टियों की सहमति से करेगा—में एक स्थायी पेनल से एक प्रमुख बाहरी व्यक्ति को स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाए, जोकि बोर्ड की अध्यक्षता करेगा और जिसकी सहमति आवश्यक होनी चाहिए ।

(ख) क्योंकि अधिकांश लोग न केवल अपने प्रशासनिक प्रमुख के अधीन बल्कि उसी तरह के दूसरे वरिष्ठ लोगों के नीचे भी काम करते हैं, जिनके साथ उनके संचालन सम्पर्क होते है या जिनके साथ ये बहुक्षेत्रीय टोली के सदस्य के रूप में काम करते हैं, इसलिए इस बात को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि जो लोग विश्लेषक के सम्पर्क में आते हैं उनके विचार भी गुप्त रिकार्डों में दर्ज होने चाहिए । इससे प्रार्थियों की क्षमताओं के सम्बन्ध में आम राय का आधार अधिक व्यापक बनने में मदद मिलेगी ।

(ग) साल में कम से कम एक बार कार्य सम्बन्धी स्पष्ट निदेश और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि उनके परिप्रेक्ष्य में लोगों के *कामकाज को जांचा-परखा जा सके* और इस तरह व्यक्तिनिष्ठता के तत्व को कम किया जा सके ।

7.27. इस भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद होगा ठेके पर कलाकारों का चयन। यहां हमारा यह सुझाव है कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय निदेशक के अधीन स्वर परीक्षा बोर्ड गठित किए जाएं और प्रोड्यूसर, प्रमुख कलाकार कला व समीक्षक चयन व श्रेणीकरण में सहायता दें। इन बोर्डों से यह भी कहा जाए कि ये सब स्तरों पर, स्थानीय स्तर पर खास तौर से, कार्यक्रमों का विश्लेषण करें, ताकि सचमुच अच्छे स्थानीय कार्यक्रमों को क्षत्रीय या राष्ट्रीय चैनल पर पुनःप्रसारित किया जा सके। इससे प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रेरित करने में बहुत सहायता मिलेगी।

7.28. प्रसारण प्रणाली के विस्तार के साथ-साथ इसी तरह के प्रादेशिक स्वर परीक्षा बोर्डों की स्थापना की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

वित्त प्रबन्ध

7.29. वित्तीय स्वायत्तता को बनाए रखने और वित्तीय प्रबन्ध में सुधार लाने के काम में वित्त निदेशक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह वित्त व बजट निर्माण लेखा और लागत नियत्रण, व्यावसायिक प्रसारणों के लिए समय की बिक्री, परियोजना समीक्षण और संचालन अनुसंधान और प्रबन्ध सूचना प्रणालियों जैसी प्रबन्ध सेवाओं की देखरेख करेगा। उसे माल खरीद की उचित प्रक्रियाएं तय करनी चाहिएं, जिनमें उपयोगकर्ताओं यथा इंजीनियरों और प्रोग्राम प्रोड्यूसरों का भी प्रतिनिधित्व होगा। कार्य दल का ख्याल है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में मौजूदा वित्त व्यवस्था उसका बहुत ही कमजोर पक्ष है और वहां लागत चेतना, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और संगठन में राजस्व व्यय के आर्थिक व वित्तीय विश्लेषण का बहुत ही अभाव है। मौजूदा प्रक्रियाएं धीमी, बोझिल और अकार्यकुशल हैं। यह काम भी वित्त निदेशक का होगा कि वह संगठन के पूरे ताने-बाने में लागत नियंत्रण की उचित व्यवस्था का निर्माण करे, प्रतिभा के लिए पुरस्कार दे और आवर्ती व पूंजीगत व्यय को कम करने में अपनी क्षमता दिखाए और प्रक्रियागत विलम्ब को दूर करने के कदम उठाते हुए लागत-लाभ अनपात तय करे। पर्याप्त लेकिन सस्ते उपकरणों व सुविधाओं का उपयोग, ऊपरी खर्चों में बचत कार्यक्रमों के लिए बाहरी संस्थाओं और तकनीकी सेवाओं का उपयोग, जिनकी लागत कम हो सकती है, और स्टूडियों समय का बेहतर उपयोग आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें काफी कुछ किया जा सकता है और जिनमें अंतः मण्डल, अंतः क्षेत्र और अन्तः केन्द्र प्रतिद्विदता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

7.30 हमारा सुझाव है कि आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग एक स्वायत्त विभाग के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षक के अधीन जोकि जनरल मैनेजर की श्रेणी का होगा, गठित किया जाए। वह सीधे सी० जी० बी० को रिपोर्ट देगा, तथापि उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपियां साथ-साथ न्यासी मण्डल के सदस्यों को भी भेजी जानी चाहिएं। इस तरह से एक सीमा तक आंतरिक लेखा परीक्षा क्रियाकलाप की स्वाधीनता सुनिश्चित हो जाएगी और इससे ट्रस्टियों को राष्ट्रीय प्रसारण संगठन की वित्तीय ईमानदारी पर नजर रखने का आधार मिल सकेगा।

श्रोता अनुसन्धान

7.31 श्रोता अनुसंधान एक महत्वपूर्ण कार्य है और वर्तमान प्रसारण, प्रसारण प्रणाली में एक अत्यन्त उपेक्षित क्षेत्र है। इसी को देखते हुए हम श्रोता अनुसंधान निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं जो सी० ई० बी० का सदस्य होगा। यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह सब तरह के श्रोता अनुसंधान कार्यो का संगठन करे। इसमें कार्यक्रम श्रेणीकरण और व्यावसायिक प्रसारण के लिए बाजार सर्वेक्षण करना भी शामिल है। उसका कार्यालय आकाशवाणी व दूरदर्शन के साथ-साथ प्रस्तावित अधिकार प्राप्त केन्द्रों के लिए भी काम करेगा। वह राष्ट्रीय प्रसारण संगठन से अलग स्वतंत्र कार्यक्रम एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रति श्रोताओं के रुझान व प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण भी करेगा। श्रोता अनुसंधान एक अत्यन्त कुशल और व्यावसायिक कार्य है जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक सांख्यिकीविद् और दूसरे कार्मिक भाग लेते हैं। श्रोता अनुसंधान आकाशवाणी की विशेष सेवा के लिए भी आवश्यक है।

7.32 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रोता अनुसंधान विभाग के निदेशक को चाहिए कि वह अपनी सब रिपोर्ट सूचना के लिए ट्रस्टियों के बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करें।

कानूनी सेवाएं

7.33 सी० ई० बी० को कुछ सहायक सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि तीन जनरल मैनेजरों की नियुक्ति की जाए जो क्रमशः कानूनी सेवाओं, नियोजन और सूचना सेवाओं के प्रमुख हों।

7.34 एक ऐसे अति संवेदनशील संगठन में जोकि अपने क्रियाकलाप से व्यक्तियों व संगठनों की साख व गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, कानूनी सेवा विभाग के कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे।

निगमित नियोजन

7.35 नियोजन विभाग का मुख्य काम होगा—अल्प व दीर्घ अवधि—वार्षिक, पंचवर्षीय और पन्द्रह वर्षीय, परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय प्रसारण संगठन की निगमित आयोजना को बनाना और समय-समय पर उसे अद्यतन बनाना इसे न सिर्फ यन्त्रों—ट्रांसमीटरों, स्टूडियों और इंटरलिंकेज के आकार, टैक्नालॉजी और स्थापना स्थलों के बारे में दीर्घावधि विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा बल्कि इसके साथ ही इस बात का अनुमान भी लगाना होगा कि कार्यक्रमों और अनुसंधान व विकास

की कितनी मांग होगी और साथ ही दीर्घावधि श्रमशक्ति नियोजन से संबंधित समस्याओं पर भी विचार करना होगा। प्रसारण नियोजन में आंतरिक के साथ विदेश प्रसारण भी शामिल होगा। इसके लिए वित्तीय पूर्वानुमान आवश्यक होगा और ऐसे विकल्पों का निर्माण करना होगा जिससे यह संगठन अधिकाधिक स्वावलम्बी बन सके। इन सब कार्यों को करने के लिए नियोजन निदेशक को अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा। इसे सी० ई० बी० के समक्ष अल्प, मध्यम और दीर्घावधि योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिएं, जिनमें से वह मनपसन्द योजना का चुनाव कर सके।

सशक्त सूचना स्कन्ध

7.36 आकाश भारती के क्रियाकलाप की प्रकृति और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एक सशक्त सूचना खण्ड और "फीड बैंक" यंत्र योजना की आवश्यकता है। जन सम्पर्क की पारम्परिक व सीमित अवधारणाओं—जिनका अर्थ है समय-समय पर संवाददाता सम्मेलन, काकटेल पार्टियां और समाचारपत्रों में विज्ञापन देना—से काम चलनेवाला नहीं है। सूचना सेवाओं के जनरल मैनेजर और उसके सहकर्मियों को ट्रस्टियों और सी० ई० बी० के आंख-कान बनना होगा। उन्हें हर समय विभिन्न प्रश्नों पर जनमत को आंकते रहना होगा, समस्याओं या आलोचना का पूर्वानुमान करना होगा और संसदों, केन्द्रीय व राज्य सरकारों, जनमत नेताओं व अन्य लोगों से निकट सम्पर्क रखना होगा ताकि वे आकाश भारती और इसकी सेवाओं के बारे में उपजने वाली आशंकाओं व गलत धारणाओं को सावधानी के साथ लेकिन प्रभावशाली ढंग से ठीक कर सकें।

7.37 सूचना सेवाओं के जनरल मैनेजर पर सामान्य जनसम्पर्क, समाचार कतरनों, डाक्यूमैंटेशन और पुस्तकालय सेवाओं और राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के अभिलेखागार आदि का उत्तरदायित्व भी रहना चाहिए। कार्यक्रम पत्रिकाओं के साथ आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रासारित होने वाले शैक्षणिक और विस्तार कार्यक्रमों के समर्थन में निकलने वाली प्रकाशित सामग्री का उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा। कार्यक्रम पत्रिकाओं में बहुत सुधार किया जा सकता है और कोई कारण नही कि ये आमदनी न कमाएं। आकाश भारती के लिए यह लाभदायक होगा कि वह अपने कर्मचारियों की बड़ी संख्या के लिए, जिनमें से काफी दूर-दराज के स्थलों पर कार्यरत हैं, एक या अधिक संस्था पत्रिकाओं को प्रकाशित करे। उन लोगों को यह अनुभूति कराना जरूरी है कि वे एक सामान उद्यम में भागीदार हैं। साथ ही उन्हें कार्मिक परिवर्तन, नई घटनाओं व अन्य बातों के बारे में सूचित रखा जाना चाहिए।

7.38 इन तीनों जनरल मैनेजरों की पहुंच सी० ई० बी० तक होनी चाहिए और जब आवश्यक हो तो उन्हें बोर्ड की बैठकों में भी बुलाया जाना चाहिए।

नीति नियोजन

7.39 सी० ई० बी० के पास केन्द्रीय समाचार कक्ष और आकाशवाणी के विदेश सेवा विभाग के अतिरिक्त और कोई परिचालन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। विदेश सेवा विभाग आकाशवाणी निदेशक के सीधे नियंत्रण में रहेगा। केन्द्रीय समाचार कक्ष का मुख्य सम्पादक और विदेश सेवा प्रभाग के प्रमुख ये दोनों ही जनरल मैनेजर की श्रेणी के होने चाहिए।

7.40 इसके अलावा, सी० ई० बी० को एक छोटा, लेकिन अत्यधिक व्यावसायिक और विशेषीकृत ग्रुप रहना चाहिए, जो नीति निर्धारण करने, क्षेत्रों के कार्यकलाप में तालमेल बैठाने और उन्हें विशेषज्ञ परामर्श देने की भूमिका निबाहेगा, और आमतौर पर राष्ट्रीय प्रसारण संगठन को इसकी व्यावसायिक व सामाजिक प्रतिबद्धता को आगे बढाने व इसके कलात्मक, तकनीकी वित्तीय व दूसरे स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान करेगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए बोर्ड को रोजमर्रा का प्रशासनिक कार्य कम से कम रखा जाना चाहिए।

7.41 कार्यक्रम तैयार करने और प्रेषण परिचालन उत्तरदायित्व काफी बड़ी सीमा तक पांचों क्षेत्रों को सौंप दिया जाना चाहिए। क्षेत्रों को प्रोग्राम तैयार करने वाली या संकीर्ण सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयां न समझकर उन्हें प्रबंध परिषदें मानना चाहिए। कार्य दल इस बात पर जोर देगा कि विभिन्न मंडलों व क्षेत्रों के बीच व्यापकतम स्तर पर कार्यक्रम आदान-प्रदान, और सांस्कृतिक, विस्तार और तकनीकी *अन्त: क्रिया होनी चाहिए*। कार्यक्रमों की दृष्टि से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच या केरल और कश्मीर के बीच उतने ही घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिए जितने कि उनके अपने क्षेत्रों में निकट पड़ौसी केन्द्रों के बीच हो सकते हैं। देश में संस्कृति और कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास व टकराव नहीं होना चाहिए। एकता भी विभिन्नता जितनी ही महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल

7.42 हमारा सुझाव है कि हर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल (जेड०ई०बी०) की स्थापना की जाए जिसका अध्यक्ष क्षेत्रीय निदेशक हो, तथा जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंजीनियरिंग, श्रोता अनुसंधान, वित्त व कार्मिक भागों के क्षेत्रीय नियंत्रक और प्रादेशिक नियंत्रक भी हों। इस स्तर पर भी हम सामूहिक उत्तरदायित्व पर जोर देंगे। रेडियो स्टेशन कार्यक्रम तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त हर राज्य में प्रमुख रेडियो स्टेशन के साथ एक समाचार कक्ष संलग्न रहेगा जिसका काम होगा समाचार संकलन प्रक्रिया में तालमेल बैठाना और प्रादेशिक चेनलों के लिए सामयिकी के कार्यक्रम आयोजित करना। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियंत्रक अपने मंडलों में तैयार होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता की देखरेख की भूमिका निबाहेंगे।

7.43 हमारी सिफारिश है कि क्षेत्रीय मुख्यालयों मे प्रदेशों व केन्द्रों को अधिकाधिक अधिकार दिए जायें ताकि कार्यों के लिए उत्तरदायी लोग अपने काम न करने या खराब क्रियाकलाप के लिए कोई बहाने न ढूंढ सकें। फिर भी इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देशक बातें तय की जानी चाहिएं ताकि हर क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय केन्द्र एकदम अपनी मनमानी ही न चलाने लगें।

7.44 दूरदर्शन के नियंत्रक प्रशासनिक व संचालन की दृष्टि से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी टेलीविजन केन्द्रों के लिए उत्तरदायी होंगे। क्योंकि प्रस्तावित समय-सीमा में प्रति क्षेत्र इनकी संख्या 10 से लेकर 15 से अधिक होने की संभावना नहीं है, इसलिए इन पर आराम से नियंत्रण रखा जा सकेगा। लेकिन जहां तक रेडियो स्टेशनों का सम्बन्ध है, जैसे-जैसे हर क्षेत्र में इनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे ही नए क्षेत्रों का गठन करना पड़ेगा।

प्रादेशिक नियंत्रक

7.45 सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विस्तार इंजीनियरिंग, वित्त और कार्मिक विभागों के अधिकारी प्रादेशिक नियंत्रक को सहयोग देंगे। उसके कार्यालय को छोटा रखा जाना चाहिए और उसे सहयोगी भूमिका, विशेषकर स्थानीय प्रसारण केन्द्रों के सन्दर्भ में निभानी चाहिए।

स्थानीय केन्द्र

7.46 प्रस्तावित स्थानीय केन्द्र छोटे लेकिन आत्मभरित इकाइयों के रूप में होंगे। वैसे अधिकतर कार्यक्रम क्षेत्र में इधर-उधर घूमने वाले प्रोग्राम टेक्नीशियनों या प्रोटेक्स द्वारा तैयार किए जायेंगे, जो यहां-वहां जाकर चलती-फिरती गाड़ियों में या उन छोटे रिकार्डिंग कक्षों में, जो सुवाह्य उपकरणों से सज्जित होंगे, रिकार्डिंग करेंगे। ये प्रोटेक्स जहां सम्भव होगा, साधारण रख-रखाव और "फीडबैक" क्रियाकलाप भी पूरा कर सकेंगे। स्थानीय केन्द्र एक स्टेशन मैनेजर के अधीन रहेंगे, जहां गिने-चुने कर्मचारी ही होंगे। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, एक विस्तार और सामूहिक श्रवण अधिकारी, एक टेक्नीकल अधिकारी, और एक लेखा व कार्मिक अधिकारी जैसे लोग रहेंगे। हमारा सुझाव है कि इस दिशा में स्थानीय व सामूहिक सहयोग को अंशकालिक व स्वयंसेवी आधार पर प्रोत्साहन दिया जाए। यह कहां तक सम्भव होगा, यह बात स्थानीय प्रतिभाओं और कार्यक्रम पेश करने वालों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

7.47 कार्यदल को आशा है कि स्थानीय केन्द्र सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने में प्रेरणादायी भूमिका निभायेंगे। वर्तमान में सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम देश के अधिकांश भागों में समाप्त प्रायः स्थिति में है। केन्द्र मैनेजर पर अपने केन्द्र को चलाने की ही नहीं, बल्कि अपने ट्रांसमीटरों की सीमा में कार्यक्रम सुनने या देखने वाले समूहों को संगठित करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।

II

नियंत्रण व सन्तुलन

7.48 हमने राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के आन्तरिक ढांचे पर विचार-विमर्श किया है। यह संगठन रचनात्मक व प्रभावशाली ढंग से काम करे और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहकर अनुकूल संचालन करे इसके लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकरण हो और अधिकार दिए जाएं। लेकिन फिर भी अगर स्वायत्तता और उत्तरदायित्व को साथ-साथ चलना है तो कुछ नियंत्रण व संतुलन अवश्य रहने चाहिएं। अब हम इसी की चर्चा करेंगे।

7.49 कुछ नियंत्रण और संतुलन तो स्वयं ट्रस्टियों द्वारा रखे जायेंगे और कुछ आन्तरिक लेखा परीक्षा, श्रोता अनुसंधान, भर्ती व स्वर परीक्षा प्रक्रियाओं आदि से बनेंगे, जिनमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय स्तरों पर विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाता है, जो अपनी व्यावसायिक दक्षता, स्तर और ईमानदारी के कारण चुने जाते हैं। मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को आकाश भारती के लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा प्रसारण की अनुमति प्रदान करना एक अन्य नियंत्रण होगा। क्योंकि इस प्रक्रिया से कुछ प्रतिद्वंद्विता पैदा होगी।

7.50 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और केन्द्र स्तरों पर कार्य-परामर्शदात्री समितियां होनी चाहिए। इनकी सदस्यता में व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उनमें समय-समय पर परिवर्तन की व्यवस्था भी। इन समितियों का चुनाव सावधानी से किया जाना चाहिए और उनकी कार्रवाइयों व सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। अगर उनके कार्य संचालन के लिए एक छोटा-सा सचिवालय रहे तो यह काम हो सकता है।

न्याय मंडल

7.51 हम एक शिकायत बोर्ड या न्याय मंडल की स्थापना का सुझाव भी देते है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होगी। इसमें चार सदस्य होंगे जिनका चुनाव भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। शिकायत बोर्ड का एक अध्यक्ष अथवा न्यायाध्यक्ष होगा, जिसे पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और तीन दूसरे सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

7.52 न्याय मंडल या शिकायत बोर्ड कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार नही करेगा। इसके लिए कुछ दूसरी प्रक्रियाएं होनी चाहिएं। न ही यह कार्यक्रमों की गुणवता पर विचार करेगा। मूलरूप में यह जनता की शिकायतों पर विचार करेगा, जैसे अन्यायपूर्ण व गलत व्यवहार, किसी की "प्राइवेसी" पर अनुचित आक्रमण और गलत प्रस्तुतीकरण जैसी बातें। बशर्ते कि कथित अपराध के 30 दिन के अन्दर शिकायतें दर्ज करा दी गई हों। आकाश भारती उचित विनियमों के माध्यम से विस्तृत प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है। वैसे हमारा विचार यह है कि इन विनियमों में ऐसी व्यवस्था

होनी चाहिए कि शिकायत बोर्ड तब तक किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा जब तक कि शिकायत करने वाला शिकायत के मामले में अदालत में जाने का अपना अधिकार छोड़ने को राजी न हो जाए।

7.53 न्याय मंडल या शिकायत बोर्ड यानिकाओं की जांच-पड़ताल करेगा और उन पर कोई ध्यान नहीं देगा जिन्हें वह गलत या महत्वहीन समझता हो। ग्राह्य शिकायतों को राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के पास स्पष्टीकरण या टिप्पणी के लिए भेज दिया जाएगा। अगर इस स्थिति में कोई समझौता नहीं होता है तो शिकायत बोर्ड उस मामले पर विचार करेगा और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह बिना विलम्ब के जनता के सामने रखेगा, प्रेस को प्रकाशित करने के लिए देगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को शिकायत बोर्ड के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए कार्यक्रम का समय देना होगा। ये निष्कर्ष आकाश भारती की कार्यक्रम पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने चाहिए।

7.54 न्याय मंडल या शिकायत बोर्ड के अध्यक्ष का स्तर और अर्हताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कम नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उन्हीं आधारों पर और उन्हीं प्रक्रियाओं के अनुसार हटाया जाना चाहिए जोकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होती हैं।

7.55 1970 की आकाशवाणी संहिता, जिसका आपातकाल में अतिक्रमण कर दिया गया था, अब पुनः लागू कर दी गयी है। अनेक साक्षियों ने जिन्होंने कार्य दल के समक्ष बयान दिया था, यह मत व्यक्त किया कि संहिता बहुत प्रतिबंधात्मक है।

7.56 हमने जिस सांगठनिक ढांचे का सुझाव दिया है वह सरल और व्यावहारिक है। इसमें अधिकार बांटने और विकेन्द्रीकरण के तत्व काफी मात्रा में निहित हैं। इसमें आंतरिक और बाह्य जवाबदारी की अंतर्निमित प्रणाली मौजूद है और यह अभिवृद्धि व रूपांतरण या अनुकूलन में समर्थ है। आकाश भारती अपने क्रियाकलाप के निरन्तर मूल्यांकन के तौर-तरीके बना ही लेगी, लेकिन फिर भी प्रति सात वर्ष बाद एक प्रसारण आयोग द्वारा पूरी प्रणाली का सम्पूर्ण पुनरीक्षण होना चाहिए। वैसे आकाश भारती को वास्तविक कार्य अनुभव और अप्रत्याशित आवश्यकताओं के संदर्भ में अपने कार्य नियमों के माध्यम से दैनंदिन क्रियाकलाप में परिवर्तन, संशोधन करते रहना होगा।

हम बहुत अंश में इस विचार से सहमत हैं और सिफारिश करते हैं कि आकाश भारती को चाहिए कि वह समयानुकूल संहिता तैयार करें।

नये क्षेत्र

क. आकाशवाणी

क्षेत्र का नाम	राज्य	केन्द्र
(क) दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
		2. विजयवाड़ा
		3. विशाखापत्तनम
		4. कुडप्पा
	कर्नाटक	5. बंगलौर
		6. भद्रावती
		7. धारवाड़
		8. गुलबर्गा
		9. मंगलौर/उडिपि
		10. मैसूर
	तमिलनाडु	11. कोयम्बतूर
		12. मद्रास
		13. त्रिचुरापल्ली
		14. तिरुनेलवेली
	केरल	15. अलेप्पी
		16. कालिकट
		17. त्रिचूर
		18. त्रिवेन्द्रम
	पांडिचेरी लक्षद्वीप	19. पांडिचेरी
(ख) पश्चिमी	राजस्थान	20. जयपुर
		21. जोधपुर
		22. उदयपुर
		23. अजमेर
		24. बीकानेर
	गुजरात	25. अहमदाबाद
		26. राजकोट
		27. बड़ोदा
		28. भुज
	महाराष्ट्र	29. औरंगाबाद
		30. नागपुर
		31. परभणी
		32. पुणे
		33. रत्नागिरी
		34. सांगली
		35. बम्बई
		36. जलगांव
	गोआ	37. पणजी

क्षेत्र का नाम	राज्य	केन्द्र
(ग) केन्द्रीय	विहार	38. भागलपुर
		39. पटना
		40. रांची
		41. दरभंगा
	उड़ीसा	42. कटक
		43. जैपुर
		44. सम्बलपुर
	मध्य प्रदेश	45. जगदलपुर
		46. रायपुर
		47. रीवा
		48. छतरपुर
		49. भोपाल
		50. इन्दौर
		51. अम्बिकापुर
		52. ग्वालियर
		53. जबलपुर
(घ) उत्तरी	उत्तर प्रदेश	54. लखनऊ
		55. कानपुर
		56. इलाहावाद
		57. गोरखपुर
		58. नजीबावाद
		59. मथुरा
		60. रामपुर
		61. वाराणसी
	चण्डीगढ़	62. चण्डीगढ़
	दिल्ली	63. दिल्ली
	हरियाणा	64. रोहतक
	पंजाव	65. जालंधर
	हिमाचल प्रदेश	66. शिमला
	जम्मू और कश्मीर	67. जम्मू
		68. श्रीनगर
		69. लेह
(ङ) पूर्वी	पश्चिम वंगाल	70. कलकत्ता
		71. कुर्सियांग
		72. सिलीगुड़ी
	सिक्किम	—
	असम	73. गौहाटी
		74. सिल्चर
		75. डिब्रूगढ़
(च) पूर्वी	मेघालय	76. शिलांग
	नागालैण्ड	77. कोहिमा
	मणिपुर	78. इम्फाल
(च) पूर्वी—जारी	त्रिपुरा	79. अगरतला
	मिजोरम	80. ऐजल
	अरुणाचल प्रदेश	81. तवांग
		82. तेजू
		83. पासीघाट
	अंडमान और निकोवार	84. पोर्ट ब्लेयर

क्षेत्र का नाम	आकाशवाणी केन्द्र	अनुमानित जनसंख्या (1976) मिलियन में
दक्षिणी	19	150.2
पश्चिमी	18	116.7
मध्य	16	133.4
उत्तरी	16	136.6
पूर्वी	15	72.5
कुल	84	609.4

ख—दूरदर्शन (निर्माणाधीन केन्द्रों सहित)

क्षेत्र का नाम	दूरदर्शन केन्द्र
(क) दक्षिणी	1. मद्रास
	2. हैदरावाद
	3. गुलवर्गा
(ख) पश्चिमी	1. वम्बई—पुणे
	2. अहमदावाद-पिज
	3. जयपुर
(ग) केन्द्रीय	1. संभलपुर
	2. मुजफ्फरपुर
	3. रायपुर
(घ) उत्तरी	1. दिल्ली-मसूरी
	2. श्रीनगर
	3. अमृतसर
	4. लखनऊ
	5. जालंधर
	6. कानपुर
(ङ) पूर्वी	1. कलकत्ता

अध्याय 8

वित्तीय आयाम

8.1 प्रसारण प्रणाली के पुनर्गठन पर हुई सभी चर्चाओं में मुख्य विषय यही रहा कि क्या स्वायत्तशासी आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रणाली वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और व्यापारिक रूप मे व्यवहार्य सिद्ध होंगी ? वित्तीय व्यवहार्यता के बारे मे इस चिन्ता के पीछे एक मूल मान्यता है, ऐसी मान्यता जिस के बारे मे कुछ अधिक सावधानी से विचार करना जरूरी है। यह तो लगभग स्वत: सिद्ध ही समझा जाता है कि कोई भी सस्था तब तक स्वायत्तशासी नहीं हो सकती जब तक कि वह वित्तीय रूप से स्वतन्त्र न हो। इस समस्या का विपर्यय वही पुरातन विश्वास है कि 'जिसका खाना, उसका गाना'।

8.2 इस मान्यता मे कुछ शकाएं हो सकती है। पहले तो, हमारे जैसी प्रणाली में, जो राष्ट्रीय आयोजना पर आधारित है, कोई भी संस्था, अपने स्वामित्व और वित्तीय स्वतन्त्रता के बावजूद, राष्ट्रीय विचार धारा और राष्ट्रीय नीति के ताने-बाने से मुक्त नही रह सकती। उदाहरण के लिए ऐसी निजी कंपनिया भी, जिन्हें सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं हो, सरकार के नियंत्रण से परे नहीं है, क्योंकि वे भी औद्योगिक लाइसेंस, विनिमय नियंत्रण, आयात-निर्यात प्रतिबन्ध, एकाधिकारी और प्रतिबन्धित अधिनियम, कम्पनी कानून के प्रावधानो, श्रमिक कानून आदि के व्यापक ढाचे से बंधी है। इसलिए इन कंपनियो की वित्तीय स्वायत्तता उनको उस समय सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए कवच नहीं हो सकती जब यह हस्तक्षेप सरकारी नीति के कारण हो।

8.3 इसका दूसरा पहलू यह है कि देश में ऐसी अनेक सस्थाएं मौजूद हैं जो किसी भी रूप मे वित्तीय दृष्टि से सक्षम या साधनों की दृष्टि से सरकार से स्वतन्त्र नही है। तो भी ये संस्थाएं स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई है और उनसे अपेक्षा भी यही की जाती है, और वे सरकार की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध पासंग का काम करती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय वित्तीय दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं है और उन्हे संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि पर पूर्णत: निर्भर रहना पड़ता है। तो भी, न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वह स्वतन्त्र रहे। इस तरह की जो अन्य संस्थाए सवैधानिक ढांचे की अभिन्न अंग है, उनमे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय और मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय आते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त भी स्वायत्तशासी है हालांकि, उनका संवैधानिक दर्जा इनके समान नहीं है। इन संस्थाओं की रचना सोच-समझ कर और जानबूझ कर की गई थी, जिससे वे कार्यपालिका की निरंकुश शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध नियंत्रण तथा संतुलन का कार्य कर सके। यह सच है कि इन में किसी के भी पास अपने स्वतन्त्र साधन नहीं हैं, फिर भी उनकी मूल स्वायत्तता में कोई कमी नही आई है।

8.4 इसीलिए यह कल्पना की जा सकती है कि एक स्वायत्तशासी आकाश भारती स्वतन्त्रता और स्वायत्तता की परम्पराओं का विकास कर सकता है, भले ही वह अनुदानों या आर्थिक सहायता के लिए, सरकार पर निर्भर हो। वस्तुत. संसद द्वारा वार्षिक अनुदान पर मतदान का अवसर, इस संगठन के कार्य-निष्पादन पर बहस करने और उसके मूल्यांकन के लिए आभ्यन्तरिक उपाय प्रदान करेगा, इससे जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो जाएगा।

वर्तमान वित्तीय स्वरूप

8.5 फिर भी, कुछ वित्तीय स्वायत्तता सुविधाजनक होगी और संगठन में लोच तथा आत्मविश्वास पैदा करेगी। इसीलिए आइए अब हम, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की वर्तमान वित्तीय क्षमता पर विचार करे। दोनों में से कोई भी संगठन, कंपनियों की भांति हिसाब किताब नही रखता, इसलिए इनका तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा वाणिज्यिक अर्थ मे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का लेखा पारम्परिक सरकारी ढर्रे के अनुसार वार्षिक खर्च, आय तथा पूजी दोनो के रूप में रखा जाता है, हालाकि प्रारूप वाणिज्यिक लेखा वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। अन्त में दी गई सारणियो मे आकाशवाणी और दूरदर्शन का पिछले कुछ वर्षों के आय-व्यय का लेखा दिया गया है। इन आकड़ो से प्रतीत होता है कि सरकार इन दोनों संगठनों के परिचालन से जितना कमाती है, राजस्व व्यय, उससे बहुत अधिक नही है।

8.6 आकाशवाणी और दूरदर्शन की वित्तीय स्थिति की और साफ तस्वीर समझने के लिए हमें उनके आय-व्यय के लेखा को प्रचलित वाणिज्यिक अर्थो मे रख कर देखना चाहिए। इसका अर्थ होगा :—

(क) वार्षिक परिचालन व्यय और पूंजी निवेश में स्पष्ट भेद होना चाहिए।

(ख) वार्षिक परिचालन में वार्षिक पूंजी निवेश, व्याज और मूल्यह्रास के रूप में दर्शित होना चाहिए।

(ग) सरकारी प्रणाली में जो हस्तान्तरण और उचन्त लेखे होते है उनको समाप्त कर दिया जाए।

पूंजी परिसम्पत्तियां

8.7 आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1976-77 तक गभग 75 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश था। यह व्यय नेक वर्षो की अवधि में किया गया है। 1 अप्रैल, 1977 क समस्त परिसम्पत्तियों का मूल्य 52 करोड़ रुपये था और प 23 करोड़ रुपये आज तक हुए मूल्यह्रास को प्रकट करता । इसके लिए नीचे लिखे विकल्प हो सकते है:—

(1) सरकारी हिस्सा पूंजी के रूप में इन परिसम्पत्तियों को आकाश भारती यानी राष्ट्रीय प्रसारण न्यास को सौंप दिया जाए और यदि लाभ हो तो सरकार को लाभांश दिया जा सकता है।

(2) इन परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण कर दिया जाए और इनकी लागत को निर्धारित व्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण समझा तथा ऋण को वापस करने का विकल्प नए संगठन पर हो। व्याज का भुगतान, लाभ की राशि पर अन्तिम प्रभार हो सकता है।

(3) परिसम्पत्तियों की लागत का कुछ अंश हिस्सा पूंजी और कुछ अंश ऋण के रूप में समझा जाए जैसा सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में किया जाता है।

(4) संसद के एक अधिनियम के अधीन इन परिसम्पत्तियों को अनुदान के रूप में आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को हस्तान्तरित कर दिया जाए जिसमें यदि कोई लाभ होता है तो उसे प्रसारण प्रणाली का विस्तार करने में पुनः निवेश करने की व्यवस्था हो।

यदि परिसम्पत्तियों को सरकार से लेकर इस नई संस्था ो 100 प्रतिशत ऋण के रूप में दे दिया जाता है, जैसा कि सरे विकल्प में है, तो सरकार द्वारा स्वयं ऋणों पर दिए ाने वाले व्याज को देखते हुए, व्याज की दर सात प्रतिशत नर्धारित की जा सकती है। यदि दीर्घकालीन ऋण के लिए ाणिज्यिक व्याज दरें ली जाती है तो इसे 10 प्रतिशत रखा ा सकता है। 7 प्रतिशत की दर से इस संस्था पर 3.64 रोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा और 10 प्रतिशत की र से यह बोझ 5.20 करोड़ रुपये वार्षिक होगा। इसे ार्षिक परिचालन व्यय के रूप में दर्शाना होगा। आकाश ारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को, अपनी परिसम्पत्तियों ा मूल्यह्रास को भी अपने चालू खर्चो में दिखाना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि स्थापित यंत्रों उपकरणों के स्वरूप के अनुसार मूल्यह्रास दरें भी भिन्न-भिन्न होंगी। मोटे तौर पर वार्षिक मूल्यह्रास के लिए जिस राशि का प्रावधान करना होगा वह 5.20 करोड़ रुपए के आस-पास बैठेगी। यह राशि, इस नई संस्था के विस्तार के साथ-साथ बढ़ती जाएगी।

8.8 वार्षिक परिचालन व्यय में, जिसमें वेतन तथा मजदूरी, उपभोग्य सामग्री, किराए भाड़े आदि शामिल होते हैं, व्याज और मूल्यह्रास को और जोड़ दें; तो निम्नलिखित तस्वीर सामने आएगी :—

	करोड़ रु० मे
1. परिचालन व्यय 1976-77 मे . .	36.18
2. व्याज—7 प्रतिशत की दर से . .	3.64
3. मूल्यह्रास—10 प्रतिशत की दर से .	5.20
योग . . .	45.02

8.9 इसके मुकाबले, 1976-77 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की आमदनी इस प्रकार रही:

	करोड़ रु० में
1. लाइसेंस फीस से शुद्ध आय . .	23.65
2. विज्ञापन प्रसारण सेवा से आय .	8.00
योग . . .	31.65

रेडियो/टेलीविजन सेटों पर उत्पादन शुल्क

8.10 फिर भी, प्रसारण प्रणाली से होने वाली वास्तविक आय की यह अधूरी तस्वीर है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुनने और देखने के लिए ही, लोग रेडियो तथा टेलीविजन सैट खरीदते है। इन सैटों के लिए लाइसेंस फीस तो प्रसारण प्रणाली के खाते मे जाती है, किन्तु इन सैटों के उत्पादन और बिक्री पर जो उत्पादन शुल्क सरकार वसूल करती है वह सामान्य राजस्व खाते में जमा होता है। पिछले पांच वर्षो में वसूल किए उत्पादन शुल्क के आंकड़े नीचे दिए गए है:—

राजस्व वसूली

(करोड़ रु० में)

	टी०वी० सेटों से	रेडियो सेटों से	योग
1972-73 .	0.73	5.07	5.80
1973-74 .	1.70	4.95	6.65
1974-75 .	3.56	6.44	10.00
1975-76 .	4.13	4.74	8.87
1976-77 .	4.53	5.40	9.93

इसके बारे में यह दलील दी जा सकती है कि रेडियो और टी० वी० सैटो पर वसूल किया गया उत्पादन शुल्क प्रसारण प्रणाली की आय का अंग होना चाहिए क्योंकि सरकार तो मात्र संग्रह करने का काम करती है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि इन उत्पादन शुल्को के निर्धारण में सरकारी नीति को प्रभावित करने का अधिकार इस प्रसारण प्रणाली को भी होना चाहिए क्योंकि सैटों के उत्पादन तथा बिक्री को वे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और परिणामस्वरूप प्रसारण प्रणाली की सफलता तथा संवृद्धि को भी प्रोत्साहन देते है।

तुलन पत्र

8.11 इन परिवर्तनो के साथ, आय और व्यय की नीचे दी गई तस्वीर उपस्थित होगी :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आय	व्यय				
		राजस्व व्यय	कुल परि-सम्पत्तियां	कुल परि-सम्पत्तियों पर व्याज 7% की दर पर	कुल परि-सम्पत्तियों का मूल्य-ह्रास 10 की दर पर	कुल व्यय
1972-73	26.17	14.97	40.82	2.85	4.08	21.90
1973-74	28.40	14.92	34.34	2.40	3.43	20.75
1974-75	33.93	16.70	40.60	2.84	4.06	23.76
1975-76	38.11	22.06	46.90	3.20	4.69	30.03
1976-77 (अनुमानित)	41.68	36.18	52.00	3.64	5.20	45.02
1977-78 (अनुमानित)	45.36	40.83	60.20	4.21	6.02	51.06

टिप्पणी : पूंजीगत व्यय को निकाल दिया गया है क्योंकि व्यय के आकड़ो मे 10 प्रतिशत मूल्यह्रास जोड़ लिया गया है। इस तरह यह पता चलेगा कि मूल्यह्रास और 7 प्रतिशत की दर से व्याज को जोड़ कर व्यय, 1975-76 तक, रेडियो और टी०वी० सैटो पर वसूल किए गए उत्पादन शुल्क समेत आय से कम रहा है, लेकिन 1976-77 मे आगे चल कर स्थिति बदल जाती है जब व्यय के आंकड़े आमदनी से लगभग उतने ही बढ़ जाते है जितना व्याज देय है।

8.12 अतिरिक्त आय के अर्जन की संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत होती है। कुछ प्रसारण सेवाओं को व्यापारिक आधार पर चलाने मे प्रतिबन्ध रहे है और इस सम्बन्ध मे काफी हिचकिचाहट रही है। उदाहरण के लिए रेडियो विज्ञापन अब तक 'विविध भारती' कार्यक्रमो तक ही सीमित रहे है। इस पर अध्याय-9 "विज्ञापन प्रसारण" के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया गया है।

8.13 रेडियो और टेलीविजन सैटो पर लाइसेंस फीस के संग्रह पर भी दृष्टिपात करना होगा, लाइसेस फीस की काफी चोरी होती है और पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल होगा कि बहुसंख्यक सैटो के मालिक वास्तव में लाइसेंस फीस नियमित रूप मे भी दे रहे है या नहीं। इस पर अध्याय–10, "रेडियो लाइसेंस" मे विचार किया गया है।

8.14 हम कुछ सिफारिशे ऐसी कर रहे है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की विज्ञापन सेवाओं पर विज्ञापन दरे युक्तियुक्त करने और रेडियो तथा टेलीविजन सेटो पर लाइसेंस फीस बढाने के बारे मे है। कार्यक्रम पत्रिकाओं की बिक्री और उनमे विज्ञापन कार्यक्रम बिक्री, डिस्को तथा टेपो का उत्पादन तथा बिक्री और स्टूडियो के किराए आदि से भी कमाई की गुजाइश है।

परिसम्पत्तियों का पूर्ण हस्तान्तरण

8.15 विभिन्न विकल्पो पर काफी विचार विमर्श करने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संसद के एक अधिनियम के अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन की समस्त परिसम्पत्तियां आकाश भारती को पूर्ण अनुदान के रूप मे दे देना सबसे अच्छा होगा। यह विकल्प सबसे सरल, पक्का और पूर्ण होगा। इससे सरकार को निहायत पुरानी परिसम्पत्तियो पर व्याज या लाभाश देने से आकाश भारती की जान बच जाएगी, जिनमे से कुछ जैसे बम्बई में 10 कि० वा० का ट्रांसमीटर, तो 1938 के है। अनेक ट्रांसमीटर और कुछ अन्य उपकरण तो, स्वतन्त्रता के बाद

भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) कोष की रचना। यह एक प्रकार का स्थायी कोष होगा जो सरकारी प्रतिभूतियों में निविष्ट किया जाएगा, जिसमे होने वाली वार्षिक आय पूंजीगत व्यय के लिए स्वतः उपलब्ध होगी और यदि खर्च के बाद कोई राशि बचती है तो वह आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) द्वारा रखे गए पूंजी आरक्षित कोष में जमा हो जाएगी। सरकार के लिए यह जरुरी नही है कि वह वास्तव में कोई अलग से प्रसारण न्यास कोष स्थापित करे बल्कि उसे तो केवल यह दायित्व लेना होगा कि राष्ट्रीय स्थायी कोष की राशि पर मिलने वाले व्याज के बराबर धन आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को देती रहे।

8.23 प्रसारण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में वित्त पोषण की व्यवस्था जिस प्रकार की जाती है उसके उल्लेख से यह बात कुछ समझ मे आ सकती है। प्रसारण प्रणाली के लिए पाचवी पंचवर्षीय योजना में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। योजना व्यय को कम करने और खर्च में अन्य कटौतियों के परिणाम स्वरुप पिछले वर्ष पांच वर्षो के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए वास्तविक योजना परिव्यय लगभग 80 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहा है। मान लें कि छठी पंचवर्षीय योजना में, पांचवीं योजना के वास्तविक परिव्यय मे 60 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो आशा करनी चाहिए कि प्रसारण योजना के लिए व्यय 130 करोड़ रुपये या और अधिक तीव्र विकास कार्यक्रमों के लिए गुंजाइश रख कर 200 करोड़ रुपये भी हो सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि आगामी पांच वर्षो में 40 करोड़ रुपये की वार्षिक दर से परिव्यय होगा। यदि, इसके बजाए हम मान लें कि सरकार सैद्धान्तिक रुप में, 600 करोड़ रुपये का आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) कोष स्थापित करती है जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निविष्ट मान लिया जाए तो आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को सरकार को जो वार्षिक व्याज देना पड़ेगा वह लगभग 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बैठेगा; यह छठी योजना में सरकार के परि-कल्पित वार्षिक व्यय से अधिक नहीं होगा।

8.24 इस प्रकार, एक आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) कोष के बन जाने से कम से कम 40 करोड़ रुपये की वार्षिक सतत पूंजी आय सब समय के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। यह राशि आकाश भारती के वार्षिक बजट में दिखाई जाएगी जो इसकी वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के साथ यथा समय संसद के सामने प्रस्तुत होगा। इससे आकाश भारती को पूर्ण तो नहीं, पर सुनिश्चित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी और इससे उसे यह सुविधा मिलेगी कि वह अनावश्यक अनिश्चितता के विना अपने महत्वपूर्ण विस्तार कार्यक्रमों पर व्यय कर सकेगी। किन्तु कार्यदल ने यह महसूस किया है कि यह प्रस्ताव वास्तव में कुछ असामान्य सा है और इससे सरकार के वित्तीय और बजटीय कार्यकलापों में एक बिल्कुल नयी धारणा का सूत्रपात होगा, हालांकि स्थायी निधि का सिद्धान्त निजी न्यासों, धर्मार्थ कार्यों, विश्व विद्यालय और अन्य संस्थाओं के मामलों में पहले से सर्वविदित है। अतः इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा नहीं की गई।

8.25 चूंकि आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) कोष की रचना में मान लिया गया है कि प्रसारण प्रणाली को एक सुव्यवस्थित राष्ट्रीय सेवा के रुप में बनाए रखने के लिए सरकार और संसद रजामन्द हैं; अतः कार्यदल ने अधिक पारम्परिक आधार पर एक अन्य विकल्प पर सोच-विचार शुरु किया। वह यह है कि प्रस्तावित आकाश भारती जब गठित हो जाए तब वह आगामी 10-15 वर्षो के दौरान प्रसारण प्रणाली के विस्तार तथा नवीकरण के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार करे जो दो या तीन पंचवर्षीय अवधियों में विभाजित हो। तब वह पूंजीगत व्यय संबंधी अपनी पंच वर्षीय योजनाओं को योजना आयोग तथा सर-कार को प्रस्तुत करे और तर्क संगत व्याज दरों पर पूंजी अनुदान के रुप में उनके बजटीय समर्थन के लिए आश्वासन प्राप्त करे। ऐसे एक मुश्त अनुदान के आश्वासन का इन परिस्थितियों में आशय यह होगा कि सरकार यह वचन देती है कि वह आगामी पांच वर्षो की अवधि के दौरान एक निश्चित धनराशि आकाश भारती को प्रति वर्ष देती रहेगी, जबकि विस्तृत पूंजी बजट का निर्धारण और स्वीकृति साल-दर-साल होती रहेगी।

अव्यपनीय कोष

8.26 दोनों में से जो भी विकल्प अपनाया जाय, सर-कार को चाहिए कि वह शुरुआत में ही वे दोनों कोष आकाश भारती प्रदान कर दे जिनको प्रसारण के लिए पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। इनमें पहला है 1 अप्रैल 1975 को स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन (विज्ञापन राजस्व) अव्यपनीय कोष, जिसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि इन दोनों प्रसारण संगठनों की विज्ञापन सेवा से सरकार को जो निवल राजस्व प्राप्त होता है उसमें से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन मुहैया किए जाएं।

8.27 आकाशवाणी और दूरदर्शन के विज्ञापन राजस्व का उपयोग करने से संबद्ध नियमों के अनुसार, इन दोनों संगठनों से वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान अनुमानित निवल राजस्व के तुल्य एक एक-मुश्त राशि को अनुदानों के लिए पूरक मांग के जरिए एक अलग उपशीर्ष में अन्तरित किया जाना था जिसे "आकाशवाणी और दूर-दर्शन विज्ञापन राजस्व अव्यपनीय कोष" कहते हैं। बाद के वर्षो में, संबद्ध वर्षो में अनुमानित निवल राजस्व और पिछले वर्षो में अनुमानित निवल राजस्व तथा वास्तविक निवल राजस्व में यदि कोई अन्तर हो तो उसे जोड़ कर बनी रकम

के तुल्य धनराशि को, अनुदानों के लिए वार्षिक मांग के जरिए इस कोष में अन्तरित किया जाना है। यदि कभी ऐसा हो कि किसी वर्ष के लिए अनुमानित निवल राजस्व, संबद्ध वर्ष के लिए वास्तविक निवल राजस्व से कम हो, तो बाद के वर्षों के लिए अनुदान मांगें तैयार करते समय, इस कोष के अन्तरण में उसके तुल्य समंजन कर दिया जाएगा।

8.28 अव्ययनीय कोष में से किए गए या किये जाने वाले व्यय को अनुदानों के लिए वार्षिक मांगों में कटौती इंदराज के जरिए यथोचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इस स्रोत से उपलब्ध की गई धनराशियों की गणना, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए बजट तथा योजना आवंटन में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

8.29 इस कोष में से निकाले गए धन का इस्तेमाल, यान्त्रिक तथा यन्त्रेत्तर सुविधाओं के सुधार के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के रूप में और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर किया जाना चाहिए। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के लिए विभिन्न उच्च प्राधिकारियों की अनुमति जरूरी होनी चाहिए।

8.30 चालू बकाया राशि और 1978–79 में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इस कोष में अनुमानित योगदान को मिलाकर अव्ययनीय कोष में 26.49 करोड़ रुपये की राशि हो जाने की आशा है। इसके मुकाबले, अब तक का व्यय और आकाशवाणी तथा दूरर्शन में 1978–79 के लिए अनुमानित राशि लगभग 2.90 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 1979 को अव्ययनीय कोष में लगभग 23.59 करोड़ रुपये शेष रहने की आशा है।

8.31 हम सिफारिश करेंगे कि इस समस्त राशि को आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को नितान्त अनुदान के रूप में दे देना चाहिए।

प्रतिस्थापन और नवीकरण

8.32 आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में अभी हाल में दिया गया दूसरा वित्तीय वचन भी एक सैद्धान्तिक प्रतिस्थापन और नवीकरण 'कोष' ही है जो आकाशवाणी तथा दरदर्शन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा नवीकरण संबंधी अन्तरमंत्रालयी दल की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसका अनुमोदन बाद में सरकार द्वारा भी कर दिया गया था। 1977-82 की अवधि के दौरान प्रतिस्थापन और नवीकरण की मद में आकाशवाणी के लिए कुल 9.80 करोड़ रुपये और दूरदर्शन के लिए 2.25 करोड़ रुपये, अर्थात् दोनों को मिलाकर कुल 12.05 करोड़ रुपये बैठता है जिसमें से 75 लाख रु० 1977-78 में और 1.69 करोड़ रुपये 1978-79 में खर्च किया जाना है।

8.33 इस प्रकार के सैद्धान्तिक नवीकरण और प्रतिस्थापन 'कोष' के लिए सरकार की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करेंगे कि वह इस धनराशि को आकाश भारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) को दिए जानेवाले वार्षिक पूंजी अनुदान में डालने की पक्की व्यवस्था करे।

हमारी सिफारिशें

8.34 सारांश में, हम सिफारिश करते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की सभी विद्यमान परिसम्पत्तियां एक पूर्ण अनुदान के रूप में आकाश भारती को दे दी जाएं, जिसके एवज में इस न्यास को ऋण लेने का अधिकार हो। आकाश भारती को सेटों की बढ़ी हुई लाइसेंस फीस और विज्ञापन राजस्व से अपनी राजस्व आय मिलेगी और इसके बजट में जो घाटा रहेगा उसे पांच वर्ष की आरम्भिक अवधि के दौरान सरकार द्वारा पूरा करने की गारंटी इस बात को ध्यान में रखते हुए दी जाए कि रेडियो तथा टी० वी० सेटों पर उत्पादन शुल्क के रूप में प्रसारण प्रणाली ने राष्ट्रीय कोष में अब तक अंशदान किया है और आगे भी इससे बड़े पैमाने पर करेगी। अपने पूंजी बजट के लिए आकाश भारती को अव्ययनीय कोष की वर्तमान शेष राशि पूर्ण अनुदान के रूप में मिलने के साथ-साथ उन सभी राशियों के लिए 1982 तक वार्षिक अनुदान मिलने चाहिए जिनके लिए 'आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में प्रतिस्थापन तथा नवीकरण' शीर्ष के अन्तर्गत पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आकाश भारती को एक दीर्घकालीन पूंजी बजट तैयार करना चाहिए जिसकी पहली पंचवर्षीय अवधि के बारे में योजना आयोग तथा सरकार विचार-विमर्श करें जिसके आधार पर सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध हो कि वह एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक बजट राशियों में एक खण्ड अनुदान उपलब्ध कराए।

8.35 आकाशवाणी और दूरदर्शन के दीर्घकालिक विस्तार के लिए हमने अध्याय-19 में कुछ वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया है। अस्थाई रूप से स्वीकृत आकाशवाणी 14 वर्षीय "आई० टी० यू० योजना" 1975–89 पर परिव्यय वर्तमान कीमतों के अनुसार लगभग 715 करोड़ रु० होगा, जबकि दूरदर्शन के विस्तार में एक मिश्रित उपग्रह-सहपृथ्वी उपागम के लिए प्रक्षेपित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) योजना में 1985 तक 371 करोड़ रु० के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। इतने बड़े आकार का निवेश, हालांकि आकाशवाणी और दूरदर्शन के विकास पर पहले किए गए व्ययों की तुलना में काफी बड़ा है, तो भी वह, किसी एक परियोजना या निगमों में किए गए भारी निवेश की अपेक्षा बहुत ही कम है, कार्य-कलाप के पूर्ण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए। फिर भी, आकाश भारती की स्थापना करते समय इस प्रकार के निवेश की आशा तो की ही जानी चाहिए और उसके लिए उचित प्रावधान भी होना चाहिए।

8.36 अनुलग्नक–1 में पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान दिया गया है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा छठी योजना के कतिपय प्रक्षेपों पर आधारित है। हम सिफारिश करते हैं कि जब आकाश भारती गठित हो जाए तो वह इस योजना की समीक्षा और आवश्यकतानुसार प्रसारण प्रणाली में विस्तार के हेतु अधिक धनराशि के आवंटन के लिए प्रयास कर सकती है।

8.37 हम, आकाशवाणी और दूरदर्शन के वित्तीय प्रबंध की बारीकियों में नहीं गए हैं। संगठन और वित्त संबंधी अनेक पहलू ऐसे हो सकते हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए जैसे अपनाए जाने वाले वेतनमान, मुआवजे की शर्तें, अनुरक्षण व्यय और सुविधाओं का उपयोग आदि। आकाश भारती को चाहिए वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के वित्तीय प्रबंध के सभी पक्षों की बारीकी से जांच करे जिससे यह प्रणाली लागत के अनुसार कारगर बन सके। राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली के अंतर्गत भावी आयोजना और परिचालन में स्वामियों को वित्तीय बुद्धिमता का परिचय तो देना ही है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यकारी मंडल में एक ऐसे मजबूत और समर्थ वित्त-निदेशक की नियुक्ति भी महत्वपूर्ण होगी जो आधुनिक प्रबंध-पद्धति से भली भांति परिचित हो।

अनुलग्नक—1

1978-79 से 1982-83 तक के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की आय-व्यय का पूर्वानुमान

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राजस्व	पूंजी	योग	टिप्पणी
1978-79	48.97	10.31	59.28	1. राजस्व व्यय 1978-79 के आंकड़े स्वीकृत बजट अनुमान से लिए गए है लेकिन अव्यपनीय कोष और नवीकरण तथा प्रतिस्थापन कोष मे वसूलियां तथा अंशदान शामिल नही है। इससे आगे के आंकड़े (1) पिछले वर्ष में हुए गैर-योजना व्यय में .5 प्रतिशत की वृद्धि और (2) अनवरत योजना के प्रस्तावो पर आधारित है।
1979-80	54.69	26.05	80.74	2. पूजी व्यय के आंकड़े, 1978-79 के लिए स्वीकृत अनुमानो और अनवरत योजना के प्रस्तावो पर आधारित है।
1980-81	63.37	39.21	102.58	3. व्याज और मूल्यह्रास प्रभार शामिल नही है।
1981-82	71.68	52.08	123.76	
1982-83	78.64	59.57	138.21	

आय

वर्ष	लाइसेंसों से निवल राजस्व	विज्ञापन सेवा से सकल राजस्व	अन्य स्रोतो से राजस्व	कुल राजस्व	टिप्पणी
1978-79	29.00	9.00	0.10	38.10	1972-73 और परिशोधित अनुमान 1977-78 के बीच औसत के आधार पर लाइसेंस फीस से आय में 2.25 करोड़ रु० वार्षिक वृद्धि होगी। विज्ञापनों से आय में 0.50 करोड़ रु० की वार्षिक वृद्धि मानी गई है। अन्य स्रोतों से होने वाली वृद्धि की कोई गणना नही की गई है। इसी आधार पर ये आंकड़े तैयार किए गए है।
1979-80	31.25	9.50	0.10	40.85	
1980-81	33.50	10.00	0.10	43.60	
1981-82	35.75	10.50	0.10	46.35	
1982-83	38.00	11.00	0.10	49.10	

वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक के लिए बजटीय घाटे का पूर्वानुमान

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजी निवेश	प्राप्तियां	घाटा (—)
1	2	3	4	5
1978-79	48.97	10.31	38.10	(—)10.87
1979-80	54.69	26.05	40.85	(—)13.84
1980-81	63.37	39.21	43.60	(—)19.77
1981-82	71.68	52.08	46.35	(—)25.33
1982-83	78.64	59.57	49.10	(—)29.54

टिप्पणी: इसमें मूल्यह्रास प्रभार शामिल नहीं हैं। हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास और हर साल होने वाले पूंजी निवेश के साथ यहां वार्षिक घाटा इस प्रकार रहेगा।

वर्ष	मूल्यह्रास	घाटा (—)
1978-79 . . .	7.29	(—)18.16
1979-80 . . .	9.16	(—)23.00
1980-81 . . .	12.17	(—)31.94
1981-82 . . .	16.16	(—)41.49
1982-83 . . .	20.50	(—)50.04

अध्याय 9

विज्ञापन प्रसारण

9.1 भारत में व्यावसायिक या विज्ञापन प्रसारण का इतिहास 1927 में इंडियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी की कार्रवाई से शुरू होता है। यह कम्पनी लगभग सात वर्षो तक स्पाट और प्रायोजित कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित विज्ञापनों से अपना अर्थ-प्रवन्ध करती रही। किन्तु आकाशवाणी के संगठन के वाद इस व्यावसायिक राजस्व को त्याग दिया गया क्योंकि आकाशवाणी का विश्वास था कि प्रसारण प्रधानतः एक सामाजिक सेवा है, और विशेषकर किसी विकासशील देश में यह दृष्टिकोण स्वाधीनता-प्राप्ति के वाद भी, 1966 में रेडियो और दूरदर्शन की चंदा समिति की "जाल के प्रसार और कार्यक्रमों में सुधार के निमित्त अतिरिक्त साधनों के लिए" प्रस्तावित विविध भारती सरणि (चैनल) पर विज्ञापनों की स्वीकृति की सिफारिश तक वना रहा। समिति का मन्तव्य था कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में ह्रास के विषय में आकाशवाणी की आशंकाओं के कोई प्रवल आधार नहीं हैं।

9.2 चंदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1 नवम्वर, 1967 से वम्वई-पुणे-नागपुर वीम की विविध भारतीय मध्यम तरंग सरणि पर व्यावसायिक विज्ञापन चालू करने का निश्चय किया। प्रारम्भिक सफलता से प्रोत्साहित होकर आकाशवाणी ने तदनन्तर अपनी व्यावसायिक सेवा का विस्तार कुछ और वीमों पर भी कर दिया। व्यावसायिक प्रसारण केन्द्रों के वर्तमान जाल के अन्तर्गत 28 केन्द्र हैं, जिनमें से 15 मुख्य केन्द्र हैं और शेष सम्पर्क (लिंक) केन्द्र।

मुख्य केन्द्र		सम्पर्क केन्द्र
1. वम्वई	—	पुणे—नागपुर
2. कलकत्ता		
3. दिल्ली		
4. चण्डीगढ़	—	जालन्धर
5. कानपुर	—	लखनऊ—इलाहावाद
6. अहमदावाद	—	राजकोट
7. हैदरावाद	—	विजयवाड़ा
8. वंगलौर	—	धारवाड़
9. मद्रास	—	तिरुचि
10. भोपाल	—	इन्दौर
11. पटना	—	रांची
12. जयपुर	—	जोधपुर
13. त्रिवेन्द्रम	—	कालीकट
14. श्रीनगर		
15. कटक		

लक्ष्य और संहिताएं

9.3 कार्यदल को सूचित[1] किया गया था कि भारत में व्यावसायिक प्रसारण के लक्ष्य और उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

(क) अतिरिक्त राजस्व के लिए एक सरणि की व्यवस्था करना।

(ख) कृषि सम्वन्धी और औद्योगिक, दोनों प्रकार की, विशेषकर सामूहिक खपत की वस्तुओं का उत्पादन वढ़ाने में सहायता करना।

(ग) उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की उपलव्धता की सूचना देना।

(घ) उत्पादकों में स्वस्थ्य प्रतियोगिता को वढ़ावा देना।

9.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायिक सेवा द्वारा प्रसारित विज्ञापन राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप है, व्यावसायिक प्रसारण के लिए एक संहिता चालू की गई। इसमें विज्ञापन करने के लिए सामान्य नियम स्पष्ट किये गये हैं, संहिता लागू करने की प्रक्रिया का विवेचन किया गया है, भारतीय विज्ञापन परिषद् द्वारा प्रकाशित आचार-संहिता से उद्धरण दिये गये हैं और औषधों एवं उपचार के विज्ञापन के सम्वन्ध में मानक संहिता का समावेश किया गया है। इसमें रेडियो द्वारा विज्ञापन और साथ ही विज्ञापन-एजेंसियों के लिए कार्यप्रणाली के मानकों का विवेचन किया गया है। संहिता की कतिपय विशिष्टताएं इस प्रकार हैं :—

(क) विज्ञापन करने की रूपरेखा इस ढंग की हो कि वह देश के कानूनों से मेल खाये तथा उससे नैतिकता, शिष्टाचार एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

(ख) ऐसा कोई विज्ञापन न किया जाये :

(1) जो पूर्वाग्रहों का मुकावला करने में प्रभावी नाटकीकरण के विशिष्ट प्रयोजन को छोड़कर अन्यथा किसी वंश, जाति, वर्ण, पन्थ अथवा राष्ट्रीयता का उपहास करता हो;

(2) जो संविधान के किसी भी उद्देश्य, सिद्धान्त और उपवन्ध के विरुद्ध हो;

(3) जो लोगों को अपराध-कर्म की ओर उभारने अथवा अव्यवस्था, हिंसा को वढ़ावा देने, अथवा शान्ति-भंग की ओर प्रवृत्त करता हो;

---

[1] इस अध्याय में व्यावसायिक प्रसारण की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति के सम्वन्ध में उल्लिखित विवरण आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रदान किए गए थे।

(4) जो अपराधवृत्ति को वांछनीय के रूप में प्रस्तुत करता हो अथवा अपराध के विवरण प्रस्तुत करता हो या अपराध की प्रेरणा देता हो।

(5) जो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो;

(6) जो राष्ट्रीय प्रतीकों, संविधान, अथवा राष्ट्रीय नेताओं अथवा राज्यों के संभ्रांतजनों का अथवा उनके व्यक्तित्व का स्वार्थ साधन के लिए उपयोग करता हो;

(7) सिगरेट पर और तम्बाकू के उत्पादों पर, और

(8) कृत्रिम रत्नाभूषणों से इतर स्वर्ण एवं रत्नाभूषों पर।

संहिता का मूलपाठ परिशिष्ट 'ज' है।

समय की बिक्री

9.5 विविध भारती के कुल सम्प्रेषण-काल का दस प्रतिशत, अर्थात्, सप्ताह के अन्य दिनों को 12 घंटे और 45 मिनट तथा रविवारों को 13 घंटे और 20 मिनट आकाशवाणी पर विज्ञापनों के लिए नियत है। प्रारम्भ में, समस्त विक्रेय समय की बिक्री का केन्द्रीय विक्रय एकक, बम्बई का दायित्व था। बाद में, लघु स्थानीय विज्ञापनदाताओं की आवश्यकताओं और, साथ ही, सामयिक रुचि के विषयों का समावेश करने के उद्देश्य से कुल विक्रय समय का 20 प्रतिशत दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्थित व्यावसायिक प्रसारण केन्द्रों को दे देने का निश्चय किया गया। अन्य सभी केन्द्र निदेशक (व्यावसायिक) अपने विक्रेय समय के 10 प्रतिशत की बिक्री कर सकते हैं; केवल बम्बई को छोड़कर, जहां कुल विक्रेय समय की बिक्री केन्द्रीय विक्रय एकक द्वारा की जाती है।

9.6 कुल विक्रेय समय तीन वर्गों में विभक्त है—सुपर 'ए', 'ए' और 'सी'। वर्ग 'बी' को अगस्त, 1973 में समाप्त कर 'ए' में मिला दिया गया था। यह वर्गीकरण कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर आधारित है। जिन कार्यक्रमों का श्रोताक्रम निर्धारण 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है उन पर सुपर 'ए' के रूप में शुल्क बिठाया जाता है, अर्थात्, 'ए' की समय-दर से 50 प्रतिशत अधिक।

9.7 दर संरचना किसी सेवा-क्षेत्र विशेष में कार्यक्रमों में मिलाये गये सेटों की संख्या, ट्रांसमीटर की शक्ति, उसकी व्याप्ति के क्षेत्र, निर्धारित समय स्पाटों में बुकिंग के आधिक्य इत्यादि से संबद्ध है। स्पाटों के लिए दरें सबसे अधिक बम्बई-पुणे-नागपुर में हैं, और उनके बाद कलकत्ता और दिल्ली का स्थान है। अन्य सभी केन्द्रों में प्रसार के लिए दरें एक समान हैं। प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक दरें बम्बई में हैं और उसके बाद दिल्ली का स्थान है। अन्य केन्द्रों की दरें एक समान हैं। दरों में पिछला संशोधन जुलाई, 1975 में हुआ था।

9.8 छूट, बम्बई और मद्रास को छोड़कर, अन्यत्र केवल छोटे प्रामाणिक उद्योगों को दी जाती है। उन्हें 15 प्रतिशत छूट दी जाती है, बशर्ते वे सीधे सम्पर्क करें (एजेंसियों द्वारा नहीं) और पेशगी भुगतान करें, एकल सरणि आधार पर विज्ञापनों के लिए, जबकि समय उपलब्ध रहे। ये दरें संशोधन-पूर्व की हैं, अर्थात् जुलाई, 1975 के पहले की।

स्पाट और प्रायोजित कार्यक्रम

9.9 रेडियो द्वारा व्यावसायिक प्रसारण में स्पाट और प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं। स्पाट सात सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 60 सेकंड के होते हैं। सात सेकंड वाले स्पाट का प्रचलित नाम समय-रोध (टाइम-चेक) है और इसे साधारणतः ड्यूटीवाला उद्घोषक बोलता है। 'समय-रोध' में व्यावसायिक संदेश के प्रसारण के साथ सही समय की उद्घोषणा भी शामिल रहती है। अन्य स्पाट उच्चरित शब्द, संगीतमय झनकार और इसी ढंग के होते हैं। अधिकांश स्पाट 15 सेकंड के होते हैं। सभी स्पाटों और प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रसारण के लिए स्वीकार करने से पहले छानबीन करा ली जाती है। औषध स्पाटों के लिए पृथक् छानबीन समिति है। इस बात को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वे स्पाट गुणवत्ता की दृष्टि से प्रस्तुत करने योग्य हैं तथा व्यावसायिक प्रसारण की संहिता के अनुरूप हैं। स्पाट दो गीतों के बीच में अथवा कार्यक्रमों के बीच में उपयुक्त विराम-बिन्दुओं पर सन्निविष्ट किये जाते हैं। क्रम-भंग कभी नहीं किया जाता। प्रत्येक कैपस्यूल में अधिक से अधिक तीन स्पाट रहते हैं, किन्तु कैपस्यूल 75 सेकंड से अधिक का नहीं होने पाता।

9.10 प्रायोजित कार्यक्रम सबसे पहले मई, 1970 में शुरू किये गये थे। ये विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित रहते हैं और इनमें स्किट, वृत्त, कूटप्रश्न के कार्यक्रम, संगीत और खेलकूद भ्रमण सम्मिलित रहते हैं। अधिकांश प्रायोजित कार्यक्रम फिल्मी संगीत पर आधारित रहते हैं। विशुद्ध रूप से अथवा मुख्यतः भारतीय फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी 30 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेती है। श्रोता-अनुसंधान के परिणामों से पता चलता है कि कतिपय प्रायोजित कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे विज्ञापनदाता की निर्मित वस्तु अथवा सेवा से प्रत्यक्षतः संबंधित हों, बल्कि उनका उद्देश्य सद्भाव प्राप्त करना तथा सामाजिक प्रयोजन एवं उत्कृष्टता का संस्थागत रूप स्थापित करना होता है। व्यावसायिक सेवा ने भारत में और विदेश में खेले गये महत्वपूर्ण खेलों और क्रिकेट टेस्ट मैचों का व्यावसायिक प्रायोजन शुरू किया। इसने ओलम्पिक शृंखला के सभी खेलों तथा भारत एवं न्यूजीलैंड और भारत एवं एम०सी०सी० के बीच खेले गये टेस्ट मैचों के आंखों देखे हाल को बेचा है। प्रायोजित टेस्टों के विवरण ही एकमात्र व्यावसायिक विवरण हैं, जो आकाशवाणी की विविध भारती से इतर प्राथमिक सरणियों पर दिये जाते हैं।

करने दिया जाये और इसके लिए आवश्यक अधिकार एवं स्वतंत्रता दी जाये।

(ii) वर्तमान दर-सरचना किसी दूरदर्शन केन्द्र के सीमा-क्षेत्र के दूरदर्शन सेटो की संख्या से सम्बद्ध नहीं है। दर-सरचना को दर्शको की संख्या से संबद्ध करना चाहिए।

(iii) व्यावसायिक स्वतंत्रता और उचित सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर कार्यक्रमो के शैक्षिक एवं सामाजिक प्रयोजन में बिना कोई कमी किये ही उनकी गुणवत्ता और गठन विज्ञापनदाताओ के लिए अधिक आकर्षक बनाये जा सकते हैं।

(iv) सेवा मे पर्याप्त कर्मचारी नहीं है और उनके पास कोई उपयुक्त बिक्री-वर्धन सगठन नहीं है।

(v) कोई सामग्री-स्रोत यंत्र नहीं है।

(vi) विज्ञापन स्पाट और विशेषकर प्रायोजित कार्यक्रम तैयार करने और परखने के निमित्त विज्ञापन-दाताओं के लिए पर्याप्त स्टूडियो और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। यदि ये सुविधाएं उपलब्ध हों तो विशेष कर प्रायोजित कार्यक्रमों के द्वारा राजस्व मे काफी वृद्धि हो सकती है।

9.19 हमसे कहा गया था कि अगर इन बातों पर निश्चित कार्रवाई की गई तो समस्त उपलब्ध दूरदर्शन व्यावसायिक समय (कुल संप्रेषण का 10 प्रतिशत) की बिक्री मे बहुत सहायता पहुंचेगी और 6 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की आय होने लगेगी। देश मे दूरदर्शन सेवा का प्रसार होने पर इस स्रोत से राजस्व और भी बढ़ जायेगा।

विज्ञापनदाताओं के विचार

9.20 व्यावसायिक प्रसारण एक स्थायी तत्व हो गया है। प्रश्न अब मुख्यत: है संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने, वर्तमान दर-संरचना तथा अन्य शर्तो को युक्तिसंगत बनाने और भावी आशाओं एवं संभावनाओ का परीक्षण करने का।

9.21 विज्ञापन-प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई साक्षियों द्वारा और हमारी प्रश्नावली के कतिपय उत्तरों में हमें यह सुझाव दिया गया था कि विविध भारती सरणि के अतिरिक्त आकाशवाणी की प्राथमिक सरणियों पर व्यावसायिक प्रसारण की अनुमति मिलनी चाहिए और कि व्यावसायिक समय को संप्रेषणों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर और अधिक कर देना चाहिए।

9.22 व्यावसायिक सेवा चाहे आकाशवाणी की हो अथवा दूरदर्शन की, उसमें ग्रामीण कार्यक्रम डाल देने के बारे में आज भी विज्ञापनदाताओं में शिकायत करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किन्तु यह बात समझने लायक है क्योंकि आकाशवाणी की अधिकांश व्यावसायिक सेवा शहरी केन्द्रों के चारो ओर 1 कि०वा० मध्यम तरंग प्रेषित्रो पर होती है; उच्च शक्ति-सम्पन्न व्यावसायिक प्रेषित्र केवल बम्बई और कलकत्ता (20 कि०वा०), दिल्ली (10 कि०वा०) और मद्रास (2.5 कि०वा०) मे है। विविध भारती देश की केवल 10 प्रति आबादी तक, जो अधिकांशत: शहरी है, पहुंच पाती है। इन श्रोताओं मे से अधिकांश के लिए ग्रामीण सन्देशों का, वास्तविक रूप मे, कोई महत्व नहीं है। और फिर 80 प्रतिशत रेडियो सेट और 95 प्रतिशत दूरदर्शन सेट शहरो मे ही हैं।

9.23 जिन विभिन्न विज्ञापन संघों से हम मिले उन सबने समान रूप मे यह सुझाव दिया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की व्यावसायिक सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे-छोटे शहरी बाजारो तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि व्यावसायिक सेवा उन केन्द्रों तक बढ़ा दी जाये जिनका सीमा-क्षेत्र ग्रामीण बाजारो तक है; व्यावसायिक सेवा प्रेषित्रो को अधिक शक्तिसम्पन्न किया जाये ताकि उनका ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक प्रवेश हो सके; और छोटे-छोटे शहरी केन्द्रो मे व्यावसायिक सेवाएं स्थापित की जायें। उन्होंने वर्तमान 'युक्तिहीन' दर-संरचना की आलोचना की जो श्रोतागण के आकार और गुणवत्ता अथवा बाजार के स्वरूप का बिना विचार किये ही सभी केन्द्रों के लिए एक समान है। उनकी यह भी धारणा थी कि दवाओं जैसे कतिपय उत्पादों के सम्बन्ध में दरें अनुचित रूप से ऊंची और अविवेकपूर्ण हैं, और यथार्थता से दूर हैं क्योंकि बार-बार प्रत्येक रेडियो स्पाट में प्रत्येक उत्पाद के मूल्य का उल्लेख करने पर जोर दिया जाता है।

9.24 आकाशवाणी के व्यावसायिक समय का प्रतिशत उपयोग सीमित है और 1976-77 में कई क्षेत्रों में वस्तुत: उसमें ह्रास हुआ है।

व्यावसायिक रेडियो पर स्पाट का प्रतिशत उपयोग

केन्द्र	1975-76	1976-77
बम्बई	79	71
दिल्ली	89	94
मद्रास	69	57
हैदराबाद	70	57
बंगलौर	64	47
कानपुर	80	68
चण्डीगढ़	71	55
कलकत्ता	87	70
कटक	13	16
भोपाल	30	34
जयपुर	27	32
त्रिवेंद्रम	20	26
अहमदाबाद	77	59
पटना	31	35
श्रीनगर	5	15

9.25 बकाये के चुकते के लिए प्रमाणीकृत विज्ञापन एजेंसियों को दी गई प्रत्यय-अवधि (45 दिन) की सुविधा की भी आलोचना की गयी थी।

9.26 एक विज्ञापन-संघ ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रेडियो और दूरदर्शन के समय की विक्री उपभोक्ता (विज्ञापन-दाता) की आवश्यकताओं पर विना विचार किये, 'उत्पाद' के रूप में की जानी चाहिए, न कि 'वस्तु' के रूप में। इसके समाधान के लिए उन्होंने आकाशवाणी, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों की नियमित बैठक, बाजार-सर्वेक्षण, और प्रसारण के तुरन्त प्रमाण के सुझाव दिये।

9.27 कार्यदल को दिये गये अन्य सुझाव विशेषकर बम्बई एवं मद्रास के लिए एक लघु-तरंग व्यावसायिक प्रेषण तथा समस्त केन्द्रों के लिए थोक ठेके के रूप में एकमुश्त सौदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में थे।

माध्यमों में परस्पर तुलना

9.28 एक प्रमुख विज्ञापन एजेंसी ने यह सिद्ध करने के लिए कुछ रोचक आंकड़े प्रस्तुत किये कि दूरदर्शन "विकास की पर्याप्त संभावनाओं से युक्त एक प्रमुख विज्ञापन-माध्यम" के रूप में निकल पड़ा है। इस वात के अध्ययन से पता चलता है कि बम्बई में दूरदर्शन पर रविवार की संध्या का फिल्म कार्यक्रम लगभग 8,00,000 दर्शक देखते हैं जो संख्या देश के चार मुख्य महानगरीय समाचारपत्रों की सम्मिलित प्रसार-संख्या से अधिक है। फिर भी, दूरदर्शन के अधिकांश विज्ञापन बम्बई और दिल्ली के होते हैं तथा वे भी रविवार के सिनेमा कार्यक्रमों के आसपास रहते हैं, जिनमें स्पाटों का अत्यधिक कोलाहल रहता है। चोटी के 10 विज्ञापनदाताओं और छह खास श्रेणियों के मालों का सम्बन्ध दूरदर्शन के क्रमशः लगभग 50 प्रतिशत और 90 प्रतिशत व्यावसायिक प्रसारणों से रहता है। बाजार के अध्ययनों से पता चलता है कि "जीवन्त क्रिया" (लिव एक्शन) वाले व्यावसायिक प्रसारणों में बार-बार स्मरण दिलाने की अधिक संभावना रहती है, फिर भी स्लाइडों के व्यवहार की स्पष्ट प्रवृत्ति दीख पड़ती है क्योंकि वे जीवन्त क्रिया वाले व्यावसायिक प्रसारणों के खर्च के अंशमात्र पर ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनके लिए आधा शुल्क लिया जाता है। अन्तर्माध्यम-तुलना से पता चलता है कि बम्बई-पुणे के 500 रु० प्रतिमास से अधिक की आय वाले परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों तक पहुंचने के लिए बम्बई-पुणे-नागपुर विविध-भारती केन्द्रों पर एक सप्ताह के लिए 30 सेकंड के रेडियो स्पाट का प्रति हजार खर्च (सी०पी०एम०) 1.77 रु० है; 30 सेकंड के दूरदर्शन व्यावसायिक प्रसारण का 7.77 रु० है; बम्बई के प्रमुख अंग्रेजी समाचार-पत्र में एक चौथाई पृष्ठ के विज्ञापन का 13.20 रु० है और किसी उच्च कोटि के सिनेमा में 30 सेकंड की स्याह-सफेद फिल्म स्ट्रिप का 21.60 रु० है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सस्ते दूरदर्शन सेट हो जाने पर दूरदर्शन के व्यावसायिक राजस्व में बहुत वृद्धि हो जायेगी क्योंकि उससे दूरदर्शन की वर्तमान व्यावसायिक शुल्क-पद्धति के व्यापक विस्तार युक्ति संगतीकरण में वृद्धि होगी; तथा दूरदर्शन को पूर्ण सम्पादकीय नियंत्रण मिल जाने पर प्रायोजित कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण

9.29 उपभोक्ता पक्ष के प्रतिनिधियों की वातों में विज्ञापन एजेंसियों के विचारों के विपरीत, चेतावनी का स्वर था। उन्होंने हम से कहा कि इस समय व्यावसायिक प्रसारणों द्वारा विज्ञापित विषय ऊंची किस्म के हैं और कुछ समय में वे व्यर्थ की आवश्यकताएं और ऐसी आकांक्षाएं पैदा कर देंगे जो कभी पूरी नहीं होंगी। प्रसारण-माध्यम सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं और उन्हें अपना शैक्षणिक रूप छोड़ना नहीं चाहिए। उन लोगों ने व्यावसायिक प्रसारण का विरोध नहीं किया, परन्तु यह कहा कि व्यावसायिक समय का अनुपात प्राय: ठीक है और उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। फिर भी, विज्ञापन का रूप मात्र "खरीदने के लिए प्रलोभन" के बजाय अधिक शैक्षणिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को उपभोक्ताओं के अधिकारों की वातें वताने के लिए उपभोक्ता संघों को अपर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर कोई व्यावसायिक प्रसारण परामर्शदात्री परिषद् संगठित हो, तो उसमें उपभोक्ता-संस्थाओं का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए।

विज्ञापन कार्य की भूमिका

9.30 कार्यदल ने इन सभी समितियों पर विचार किया और वह व्यावसायिक प्रसारण पर नाक-भौं सिकोड़ने का कोई कारण नहीं देखता; बशर्ते वह सीमा के भीतर रहे और उस पर उपयुक्त संहिताओं का अंकुश रहे। रेडियो पर भी व्यावसायिक प्रसारण की पहुंच देश के 10 प्रतिशत से अधिक तक नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों अथवा छोटे छोटे शहरों और विकासोन्मुख केन्द्रों में कम ही प्रवेश है। रेडियो प्रसारण सुनने के लाइसेंसों की संख्या 1976 के अन्त में 1 करोड़ 73 लाख थी, जबकि अनुमान है कि आकाशवाणी की व्यावसायिक सेवा लगभग 71 लाख 40 हजार लाइसेंसदार सेटों से अधिक वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। रेडियो और दूरदर्शन, दोनों प्रणालियों की उन्नति अनिवार्य है और उनका ग्रामीण सीमा-क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा जिससे कृषि विषयक निवेश और सेवाओं तथा साथ ही ग्रामीण लोगों के काम की अन्य निर्मित वस्तुओं के विज्ञापन को प्रोत्साहन मिलेगा।

9.31 विज्ञापन विपणन-कार्य का एक अत्यावश्यक अंग है। यह ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद होने के साथ-साथ कभी-कभी प्रतियोगिता की प्रेरणा दे सकता है, स्थानीय एकाधिकारों अथवा एक ही मूल्य बनाये रखने की कोशिशों को बेकार कर सकता है तथा सेवा और गुणवत्ता के सुधार में सहायक हो सकता है। छोटे उत्पादकों और सहकारी समितियों के लिए

अपनी ही नीति पर अड़े रहने और एक संगठित स्वरूप अथवा कोई काम (ब्रांड) बना लेने में विज्ञापन उनका मित्र सिद्ध हो सकता है। अमुल सहकारी समिति की सफलता इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है।

दरें युक्तिसंगत हों

9.32 प्रसारण संगठनों के व्यावसायिक विक्रय एककों और विज्ञापन एजेंसियों में यह सामान्य मतैक्य है कि व्यावसायिक दरों को युक्तिसंगत बनाना, कार्यविधियों को सरल एवं सुगम करना तथा बिक्री का समय व्यावसायिक आधार पर निश्चित करना आवश्यक है। हम समझते हैं कि दरों को युक्तिसंगत करने के प्रश्न का सरकारी तौर पर पुनरीक्षण किया जा रहा है। फिर भी हमारी अनुशंसा है कि प्रसारण-समय की बिक्री को ठोस आधार प्रदान करने के लिए आकाश भारती को व्यावसायिक प्रसारण की दरों एवं कार्य-विधियों पर व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए।

राजस्व में भाग

9.33 आकाशवाणी और दूरदर्शन का व्यावसायिक प्रसारण-राजस्व 1976-77 में 8 करोड़ रु० के आसपास था, जबकि सभी माध्यमों पर सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का प्राक्कलित राष्ट्रीय विज्ञापन बजट 120-130 करोड़ रु० के लगभग था। इस आधार पर यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञापन परिव्यय का छह प्रतिशत से कुछ ही अधिक व्यावसायिक प्रसारण के हाथ लग सका है, जो बहुत कम है। ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि यह अनुपात 15 और 20 प्रतिशत के बीच न बढ़े। विज्ञापन पर समग्र परिव्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सोचते हैं कि व्यावसायिक प्रसारण की आय में सापेक्षिक वृद्धि और इस स्रोत से प्राप्त राजस्व में एकांत वृद्धि, दोनों होंगी। प्रसारण प्रणाली के व्याप्ति-क्षेत्र का विस्तार होने की संभावना है तथा प्रसारण प्रणाली के फैलाव, कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और सस्ते एवं विश्वसनीय प्रसार-ग्राही सेटों की आसानी से उपलब्धता के फलस्वरूप रेडियो और दूरदर्शन के लाइसेंसों में वृद्धि की आशा की जा सकती है।

9.34 कार्यदल की धारणा है कि आकाश भारती प्रसारण के लिए समग्र राष्ट्रीय विज्ञापन बजट का वैध और बड़ा हिस्सा प्राप्त करने का उपयुक्त प्रयास करेगा। जो अन्य सरणियां अभी प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए सीमित अंश तक उपलब्ध है उन्हें भी सुलभ कर देने के प्रश्न पर भी न्यास विचार कर सकता है। विज्ञापन विषय का बड़ी सावधानी से मानीटर करना अनिवार्य है और ऐसा कदापि न होने पाये कि व्यावसायिक प्रसारण का अभियान कार्यक्रम के महत्व मे कोई हस्तक्षेप करे अथवा उसे विद्रूप करे। रोजगार, परिवार-कल्याण, कर-भुगतान, परिवहन और इसी तरह की अन्य सेवाओं के विज्ञापन की काफी गुंजाइश हमे दीखती है। हमें आकाशवाणी और दूरदर्शन, दोनों के प्रायोजित प्रसारणों का भविष्य समानरूप से उज्ज्वल दीखता है, बशर्ते कि उपयुक्त मानक संहिताएं हों और संपादकीय नियंत्रण प्रसारण संगठन का ही रहे। प्रायोजन, कार्यक्रम-निर्धारण में प्रतियोगिता, नवीन प्रक्रिया, विविधता और उत्कृष्टता लाने का एक साधन हो सकता है तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के बाहर मौलिक एवं तकनीकी प्रतिभा के व्यापक समूह के रोजगार की व्यवस्था कर सकता है। इससे आकाश भारती की वित्तीय क्षमता भी बढ़ जायेगी।

9.35 तो भी हमारी अनुशंसा है कि प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों से, जिनके संचालन का लाइसेंस विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं दिया जा सकता है, कोई विज्ञापन न किया जाये।

व्यावसायिक विक्रय एकक

9.36 हमारी यह भी अनुशंसा है कि आकाश भारती के वित्त निदेशक के अधीन धीरे-धीरे एक व्यावसायिक विक्रय एकक विकसित किया जाये, जिसमें उपयुक्त कर्मचारी-वृंद हो और जिसका उपयुक्त आकार-प्रकार हो। यह व्यावसायिक संवर्ग व्यावसायिक केन्द्रों में भी रहना चाहिए। व्यावसायिक विक्रय एकक में श्रोता-अनुसंधान की भी उपयुक्त व्यवस्था रहनी चाहिए क्योंकि प्रसारण द्वारा विज्ञापन की उन्नति एक ओर तो विभिन्न श्रोताओं की संख्या, प्रकृति एवं अवस्थिति पर तथा दूसरी ओर किसी व्याप्ति क्षेत्र विशेष के बिक्री योग्य उत्पादों एवं सेवाओं पर निर्भर होगी।

9.37 हमारा सुझाव है कि आकाश भारती विज्ञापन संहिताओं और मानकों को पुनरीक्षित करने के लिए संबंधित संघों एवं व्यक्तियों की एक बैठक बुलाये। इस प्रकार के पुनरीक्षण-कार्य में उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना चाहिए और जिन व्यावसायिक प्रसारण परामर्शदात्री समितियो के बनाने की हम अनुशंसा कर रहे है उनमें वे भी रखे जाने चाहिए।

अध्याय 10

रेडियो लाइसेंस

10.1 रेडियो लाइसेंस अनेक प्रसारण संगठनों के लिए आय का मुख्य या प्राथमिक स्रोत होते है। उदाहरणार्थ, बी०बी०सी० और जापान के एन०एच०के० का एक मात्र वित्तीय साधन लाइसेंसों से होने वाली उनकी आय ही है। किन्तु अमेरिका, सोवियत रूस तथा चीन में रेडियो लाइसेंस प्रथा नहीं है। आस्ट्रेलिया में कुछ वर्ष पहले लाइसेंस-प्रणाली प्रचलित थी, परन्तु संग्रह संबंधी कठिनाइयों के कारण उसे समाप्त कर दिया गया लेकिन परिणामस्वरूप जो राजस्व की हानि हुई उसने आस्ट्रेलिया को आर्थिक उलझन में डाल दिया बताया जाता है।

10.2 भारत में प्रसारण के प्रारम्भ-काल से ही रेडियो लाइसेंस जारी किये जाते रहे है। लाइसेंस जारी करने तथा शुल्क-संग्रह का कार्य डाकघर करते है और राजस्व राष्ट्रीय कोष में जमा होता है। लाइसेंस शुल्क सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता रहा है और 1967 में उसे प्रति रेडियो सेट के लिए 15 रुपए कर दिया गया। 150 रुपए से कम कीमत वाले सेटों के लिए इसका आधा शुल्क लगता है। दूरदर्शन लाइसेंस 30 रुपए प्रति सेट था, पर उसे इस वर्ष बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। समुदाय-सेटों, वाणिज्यिक सेटों, विक्रेता सेटों तथा प्रदर्शन सेटों के लिए अलग-अलग लाइसेंस-शुल्क दरें है, जबकि ग्रामीण लाइसेंसों के लिए कुछ मामलों में रियायती दरें और समुदाय-उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क-दरें निर्धारित है।

10.3 चालू रेडियो लाइसेंसों की संख्या में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। 1947 में चालू रेडियो लाइसेंसों की संख्या 2,76,000, 1967 में 75.50 लाख, और दिसम्बर, 1976 के अन्त में 173.40 लाख थी। चालू दूरदर्शन लाइसेंसों की संख्या जो 1971 में 44,000 से कुछ ऊपर थी, बढ़कर 1976 में 4,80,000 के करीब हो गयी।

डाक विभाग का कमीशन

10.4 रेडियो लाइसेंस-शुल्कसंग्रह के लिए डाक विभाग को 15 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। संग्रह-व्यय में उत्तरोतर बढ़ोतरी और लाइसेंसों के नवीनीकरण से बचने के मामलों को रोकने के लिए ऐसे मामले पकड़ने में अधिक कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें यह कमीशन अपर्याप्त लगता है। डाक तार विभाग को उसका 15 प्रतिशत कमीशन देने के पश्चात् रेडियो तथा दूरदर्शन लाइसेसो से प्राप्त शुद्ध राजस्व 1971 में 17.39 करोड़ रुपए और 1976 मे 24.98 करोड़ रुपए था। डाक व तार विभाग के प्रत्येक डाक सर्किल में एक सहायक बेतार निदेशक है और विभाग में लगभग 1350 लाइसेंस इंस्पेक्टर और 69 बेतार अन्वेषक कार्यरत है।

10.5 1976 के अन्त में 23.60 लाख लाइसेंस नवीनीकरण न कराने के मामले विचाराधीन थे और गत वर्ष 3,66,000 लाइसेंस न लेने के मामले पकड़े गये।

शुल्क-चोरी की समस्या

10.6 रेडियो लाइसेंस संग्रह से संबंधित अनेक समस्याएं है, विशेषतः लघु तथा गृह उद्योगों या असंगठित क्षेत्र द्वारा बनाये जाने वाले सस्ते ट्रांजिस्टर सेटों के संबंध में। संगठित क्षेत्र के निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री पंजीकृत विक्रेताओ के माध्यम से करते हैं जिन्हें कानून के अनुसार किसी रेडियो या दूरदर्शन सेट की प्रथम बिक्री के समय ही रेडियो लाइसेंस जारी करना होता है। असंगठित क्षेत्र के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती।

10.7 मोटेतौर पर प्रतिवर्ष 30 लाख रेडियो सेट निर्मित होते है और यह उत्पादन लगभग आधा संगठित क्षेत्र द्वारा तथा आधा असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है। परन्तु रेडियो लाइसेंसों के वार्षिक आंकड़े दस लाख सेट से अधिक की वृद्धि नहीं दर्शाते—कभी इससे जरा अधिक लेकिन प्रायः कम। यदि यह मान लें कि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत लाइसेंस शुदा सेट बेकार हो जाते है, तो भी उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 15 लाख सेट प्रति वर्ष का हिसाब रह ही जाता है। स्पष्ट है कि लाइसेंस शुल्क की काफी चोरी और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है। वास्तव में फरवरी—अप्रैल 1977 के दौरान ऐसे मामलों को क्षमा कर देने की आम घोषणा के परिणामस्वरूप नवीनीकरण या नये लाइसेंसों से 8 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ अर्थात् 1976-77 में रेडियो लाइसेंसों से होने वाली कुल प्राक्कलित आय का लगभग एक तिहाई।

10.8 रेडियो निर्माता संघों का मत है कि जितने लाइसेंस शुदा रेडियो सेट हैं, उतने ही *या उनसे भी अधिक गैर*-लाइसेंस शुदा रेडियो सेट है। इस तथ्य से कि सिर्फ दिल्ली में ही 1975 में 11.5 लाख के लगभग सेट लाइसेंस शुदा थे, वहां 1976 में लगभग 6,31,000 सेट ही रह गये—अर्थात् 5 लाख से अधिक लाइसेंस कम हो गये, यह प्रमाणित होता है कि शुल्क-चोरी काफी हो रही है।

क्रिया-विधि सम्बन्धी कठिनाइयां

10.9 विक्रेता ऐसे कारखानों तथा अन्य संस्थाओं को थोक विक्री करने तथा लाइसेंस जारी करने में होने वाली क्रिया-विधि संबंधी कठिनाइयों की भी शिकायत करते हैं, जो अपने कर्मचारियों और अन्यों को उपहार, पुरस्कार या त्योहार-उपहार के रूप में देने के लिए एक ही बार में सैकड़ों सस्ते रेडियो-सेट, बिना उन व्यक्तियों के नाम-पतों की प्रामाणिक सूची प्रस्तुत किये, खरीदना चाहते हैं, विक्रेता संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित रेडियो सेटों की ग्रामीण क्षेत्र में फुटकर विक्री की व्यवस्था में होने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख करते हैं क्योंकि वहां ऐसे अधिकृत विक्रेताओं का अभाव है जो रेडियो लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी संभाल सकें। उनका ख्याल है कि यदि यह बंधन न रहे तो रेडियो सेटों की विक्री बढ़ सकती है। जिस डाकघर में पहले पहल रेडियो लाइसेंस बनवाया गया वहीं उसके नवीनीकरण किये जाने पर जोर देने के परिणामस्वरूप प्रायः लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो पाता क्योंकि लाइसेंस जारी करने वाले सीधे-सादे ग्रामीण नहीं समझ पाते। (अब इसमें संशोधन हो गया है।) अतः उनका सुझाव है कि या तो लाइसेंस शुल्क ही समाप्त कर दिया जाए या क्रियाविधि को काफी हद तक सरल बना दिया जाए—संभव हो तो खरीदते समय एक ही बार लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था कर दी जाए जिससे छोटे नगरों और गांवों के गृहोपयोगी वस्तु भण्डारों, पेट्रोल पंपों तथा अन्यों को ट्रांजिस्टर सेटों की फुटकर विक्री करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो।

एक-ही बार लाइसेंस प्रणाली

10.10 रेडियो सेटों के प्रचलन के विस्तार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है—विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों तथा अधिक पिछड़े क्षेत्रों में। इसके लिए अधिक व्यापक विक्रय-व्यवस्था आवश्यक है और यह तब तक संभव नहीं जब तक लाइसेंस-प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया जाता। राजस्व में ह्रास भी एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने का एक तरीका भी यही है कि लाइसेंस-प्रणाली को सरल बनाया जाए और संभव हो तो 150 रुपए से कम वाले मूल्य के सस्ते सेटों के लिए एक ही बार लाइसेंस देने की प्रणाली शुरू की जाए। यदि ऐसे सेटों की आयु तीन वर्ष मानली जाए तो तीन वर्ष के लिए एक ही बार लाइसेंस 10 या 12 रुपए में दिया जा सकता है। हम रेडियो लाइसेंस-प्रणाली को समाप्त कर देने का समर्थन नहीं करेंगे, न हम यही महसूस करते हैं कि वर्तमान से अधिक प्रभावशाली शुल्क-चोरी की रोकथाम के लिए डाक और तार विभाग को 15 प्रतिशत से अधिक कमीशन दिया जाए।

10.11. कुछ रेडियो विक्रेताओं ने हमें सुझाव दिया कि सरकार उपयुक्त मूल्य के रेडियो-लाइसेंस टिकट जारी करें जिन पर उनके जारी करने का वर्ष मुद्रित रहे। विक्रेता और रेडियो के मालिक विक्रय स्थल पर ही उसे रेडियो लाइसेंस पर चिपका सकें या बाद में नवीकरण शुल्क के रूप में उसका उपयोग कर सकें। एक अनुभवी प्रशासक ने भी ऐसे रेडियो लाइसेंस टिकटों के मुद्रण का सुझाव दिया है जोकि रेडियो विक्रेताओं, बैंकों, डाकघरों में, यहां तक कि पुस्तक विक्रेताओं के यहां विक्री के लिए उपलब्ध हों और उन्हें अलग कमीशन दिया जाए। स्टाम्प कागज पर उसकी वैधता का वर्ष मुद्रित रहे और रेडियो सेट संबंधी अपेक्षित विवरण उसमें भरने की जिम्मेदारी रेडियो-मालिक की रहे। जो भी व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस या नवीनीकरण शुल्क टिकट के बिना रेडियो सेट रखे उसे आजकल के ही समान दण्ड दिया जाए, परन्तु इस संबंध में इस समय डाकघरों में जो लिपिकीय कार्य तथा औपचारिकताएं सम्पन्न होती हैं उन्हें और वर्तमान लाइसेंसों की पीठ पर बारीक अक्षरों में छपी कठिन शर्तों को समाप्त कर दिया जाए।

10.12. हमारी अनुशंसा है कि आकाश भारती इस मामले पर उपयुक्त प्राधिकारियों के परामर्श से विचार करे जिससे रेडियो-लाइसेंस-प्रणाली में पर्याप्त सरलता लायी जा सके, उसे सुगम बनाया जा सके तथा उसका पुनर्गठन हो सके। लाइसेंस-प्रणाली को न तो रेडियो सेटों की विक्री में बाधक होना चाहिए, न आवश्यकतानुसार लाइसेंसों के वार्षिक नवीनीकरण में प्रतिरोधक बनना चाहिए, और न अपवंचन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

लाइसेंस-शुल्क

10.13. रेडियो और दूरदर्शन, दोनों के सेटों के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क बहुत कम है। रेडियो लाइसेंस-शुल्क का पिछला संशोधन एक दशक से पहले किया गया था। 15 रुपए का मानक रेडियो-लाइसेंस-शुल्क 75 अंतर्देशीय पत्रों से अधिक नहीं और 20 पैसे प्रति अंक के अल्प मूल्य वाले किसी दैनिक समाचारपत्र के वार्षिक चंदे के पांचवें हिस्से के लगभग है। दूरदर्शन सेटों का हाल ही में बढ़ाया हुआ लाइसेंस शुल्क 50 रुपए भी अपेक्षया कम ही है। यह दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में एक रेडियो के लिए 20 रुपए और एक से अधिक सेटों के लिए 30 रुपए, तथा टेलीविजन सेटों के लिए 150 रुपए लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।

10.14. ऐसी परिस्थितियों में हम अनुशंसा करते हैं कि रेडियो सेटों के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर 25 रुपए और दूरदर्शन सेटों के लिए 75 रुपए कर दिया जाए। 150 रुपए से कम कीमत के रेडियो और साथ ही सामुदायिक श्रवण-सेटों तथा शिक्षा संस्थाओं, छात्रावासों और कल्याण संस्थाओं के लिए 7.50 रुपए का जो वर्तमान रियायती शुल्क है उसकी यही दर बनी रहे। किन्तु एक बैंड वाले सेटों के लिए एक ही बार लाइसेंस शुल्क 10 या 12 रुपए निर्धारित किया जा सकता है और उसे विक्रय-बिन्दु पर ही वसूल किया जा सकता है। 7.50 रुपए का जो रियायती

अध्याय 11

प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्र

11.1. हमने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान काल में हमने भारत मे पूर्णरूपेण स्पर्धात्मक वाणिज्यिक प्रसारण संबंधी सुझावो को नामंजूर किया है। तथापि विविधता और स्पर्धा के हितो को दृष्टिगत रखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र के बाहर इस प्रणाली की स्वतंत्र कार्यक्रम की सीमित उपलब्धता की व्यवस्था के लिए हमने इसकी उपयोगिता और संभावना दोनों का ही साथ साथ उल्लेख किया है ।

11.2. उपरोक्त प्रणाली को लागू करने का एक उपाय यह है कि आकाश भारती विशेष गैर-सरकारी मान्यता-प्राप्त संस्थानो को स्थानीय कम शक्ति के केन्द्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करे। सर्वप्रथम हम ऐसे केन्द्रों को शिक्षा संस्थाओं तक ही सीमित रखने की सिफारिश करेंगे—चाहे ये विश्वविद्यालय और कालेज हों, आई० आई० टी०, कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र, मैडिकल कालेज या ऐसे अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान हों, जो शिक्षा, विस्तार अथवा संस्कृति प्रधान हों ।

11.3. यह बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत में आरम्भ मे प्रसारण के जो प्रयोग किये गये उनमें एक प्रयोग मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम० वी० गोपालस्वामी ने किया था और उन्होने वास्तव मे अपनी प्रणाली के लिए "आकाशवाणी" शब्द का प्रयोग किया था। जब 1976 में मैसूर विश्वविद्यालय की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपकुलपति ने परिसर में एक शैक्षणिक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी, तब तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने सूचित किया "यह हमारी नीति के पूर्णरूपेण विपरीत होगा।" उपकुलपति को अपनी आकांक्षा को बन्द सर्किट प्रणाली तक सीमित रखने का परामर्श दिया गया। कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, जो अपने परिसर में प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सहायता हेतु बन्द सर्किट दूरदर्शन प्रणाली का प्रयोग करता है, इसी प्रकार 10 वर्ष पहले अपने ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने और अपने परिसर के 10-15 किलोमीटर के इर्द-गिर्द शिक्षण संबंधी दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अनुमति मांगी थी। यह अनुरोध भी ठुकरा दिया गया ताकि आकाशवाणी का एकाधिकार अविच्छिन्न रहे ।

11.4. कुछ मैडिकल कालेज और अन्य संस्थान बन्द सर्किट दूरदर्शन प्रणाली का इस्तेमाल शिक्षण सहायता के रूप में करते थे। किन्तु यदि वे भी परिसर की चारदीवारी के परे प्रसारण की अनुमति मांगते तो उनको भी नकारात्मक उत्तर प्राप्त होता ।

विश्व भारती स्टूडियो

11.5. ध्वनि प्रसारण सम्बन्धी स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है । तथापि विश्व भारती विश्वविद्यालय ही एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद है जहां 25 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व आकाशवाणी ने एक छोटा स्टूडियो स्थापित किया था। विश्व भारती रेडियो समिति का सभापति उपकुलपति है और कुछ प्राध्यापक तथा अन्य इसके सदस्य है। आकाशवाणी के एक इंजीनियर सामयिक रूप से विश्वभारती में जाते हैं और प्रत्येक माह आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारण हेतु दो कार्यक्रम तैयार किये जाते है। इन कार्यक्रमों में प्रथम कार्यक्रम टैगोर और विश्व भारती पर केन्द्रित होता है और शान्तिनिकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा कार्यक्रम श्रीनिकेतन (जो विश्व भारती का ग्रामीण विस्तार है) के निकाय और विद्यार्थियो द्वारा तैयार किया जाता है । इस कार्यक्रम मे विशिष्ट कृषि संबंधी और लोक-मूलक सामग्री होती है और ग्राम-निवासियों के सहयोग से तैयार किया जाता है । ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय की रेडियो समिति द्वारा नियोजित और स्वीकृत होते है और प्रसारण के समय विश्वभारती से सम्बद्ध किये जाते हैं। हमें सूचित किया गया कि यह व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से चल रही है तथा कोई समस्या नहीं उठी है । तथापि, विश्व भारती के एक साक्षी ने यह विचार प्रकट किया कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारण हेतु उनके कार्यक्रमों के लिए अधिक समय प्रदान किया जाये ।

11.6. कार्य दल को सूचना मिली है कि पन्तनगर और जबलपुर और संभवतया कुछ अन्य संस्थानों के पास ऐसे स्टूडियो हैं जहां सादा रिकार्डिंग की और अन्य सुविधाएं हैं तथा जो कार्यक्रम तैयार करने की स्थिति में है। बहुत-सी कृषि एवं शिक्षा संस्थाएं 1975-76 में उपग्रह संचार दूरदर्शन प्रयोग (साइट) से सम्बद्ध थीं । इसने निःसन्देह प्रसारण माध्यमों और विस्तार मूलक संचार प्रणालियों में एक नई रुचि विकसित की है ।

पूना विश्वविद्यालय प्रस्ताव

11.7. अनेक साक्षियों और अन्य व्यक्तियों ने, जिन्होंने हमारी प्रश्नावली के उत्तर भेजे थे, इस विचार का समर्थन और स्वागत किया कि विश्वविद्यालयों को कम शक्ति वाली प्रसारण प्रणालियों को चालू करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए हमारे सामने दो विशिष्ट प्रस्ताव रखे गये, जिनका संक्षेप

में उल्लेख किया जायेगा । पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने हमें बताया कि विश्वविद्यालय ने विवरण सहित कम शक्ति वाले विश्वविद्यालय रेडियो केन्द्र को स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है । यह केन्द्र विश्वविद्यालय के छात्रों, वाह्य छात्रों और निकाय को अनौपचारिक अविच्छिन्न शिक्षा के विस्तृत कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा।

11.8. भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष द्वारा योजना का विवरण वताया गया । उन्होंने सूचित किया कि प्रस्ताव का आधार जहाज में लगा 900 वाट का ट्रान्समीटर है जो वम्बई में कुछ वर्ष पूर्व बहुत कम कीमत में खरीदा गया था। जहाज का ट्रान्समीटर पूना विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग में लगाया गया तथा इसे विभिन्न प्रयोगों के प्रयोजन के लिए छः प्रसारण फ्रीक्वेंसियों (केवल संकेत, भाषा नहीं) पर चालू रखने का लाइसेंस दिया गया है। पूना विश्वविद्यालय से सम्वद्ध कालेज पुणे, अहमदनगर, नासिक, धूलिया और जलगांव के जिलों में फैले हुए हैं। ये 340 किलोमीटर के वरामदे का-सा रूप धारण करते है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को कालेजों में विज्ञान के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया है । अतएव पुणे और भुसावल के बीच विश्वविद्यालय ने 25 कालेजों को इस कार्यक्रम के लिये चुना है । विश्वविद्यालय यह महसूस करता है कि प्रसारण की सुविधा मिलने पर केवल धरातल परिवहन सम्पर्कों (जो विलम्बकारी और खर्चीले हैं) की अपेक्षा वह ऐसे कार्यक्रम कहीं प्रभावी ढंग से तैयार कर सकता है।

11.9. प्राध्यापक ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय का अपना शैक्षणिक रेडियो केन्द्र हो तो वह प्रौढ़ों और रोजगार में लगे या बेरोजगार युवकों के लिए प्रभावी ग्रामीण पुट रखने वाले विविध अविच्छिन्न शिक्षा, अंश-कालिक और रोजगार संबंधी पाठ्यक्रमों के प्रसारण की स्थिति में हो जायेगा। यह खुली शिक्षा और दूर-शिक्षा की विविध प्रणालियों के विकास, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी पर उपयुक्त राष्ट्रीय संस्थाओं से घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करने और संसाधन केन्द्रों के राष्ट्रीय समूह के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, निकटवर्ती कालेजों, पौलिटैक्नीकों, चल-प्रयोगशालाओं और अनुसंधान निकायों से सहायता लेने के योग्य हो जायेगा ।

11.10. उन्होंने अनेक ग्राम-मूलक पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया जो खुली शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इन पाठ्यक्रमों में लेखाकार, प्रौढ़ शिक्षक, ग्रामीण बैंकर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, शैक्षणिक प्रशासक, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य तथा समाज सेवा प्रवंधक, खेल प्रशिक्षक, ग्रामीण तथा नगर नियोजक, युवक तथा सामुदायिक कार्यकर्ता, इत्यादि शामिल होंगे। इसी प्रकार वातावरण संबंधी अध्ययन, वायो-गैस प्लांट आपरेशन, अपव्यय नियंत्रण, पशु-चिकित्सा विज्ञान, गृह डिजाइन, कान्ट्रेक्ट कानून तथा भूमि रसायन सम्बन्धी पाठ्यक्रम भी शुरू किये जा सकते हैं । विश्वविद्यालय रेडियो केन्द्र राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता अभियान को सुदृढ़ करने की स्थिति में भी होगा ।

11.11. विश्वविद्यालय का अपने ट्रांसमीटर, दो स्टूडियो और एन्टेना सिस्टम के लिए 5 लाख रुपये की पूंजी लागत से 6 किलोवाट का बूस्टर बनाने का प्रस्ताव है । केन्द्र (6 किलोवाट की प्रभावी शक्ति सहित) का 60 किलोमीटर का रेंज होगा और आकाश लहर संचार द्वारा इससे भी अधिक होगा । चलाने की लागत का अनुमान लगभग एक लाख रुपये वार्षिक होगा ।

11.12. विश्वविद्यालय केन्द्रीय और राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद से वित्तीय सहायता मांगेगा क्योंकि यह स्कूल कार्यक्रमों का भी संचालन करेगा । प्राध्यापक का यह विचार नही है कि विश्वविद्यालय के लिए लागत की समस्या उठेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय 75 लाख रुपये की लागत का कम्प्यूटर लगवा रहा है और उसका वार्षिक बजट लगभग 2 करोड़ रुपये का है ।

11.13. उपकुलपति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय रेडियो केन्द्र को तीन साल के लिए नवीकरण-योग्य लाइसेंस दिया जा सकता है और वह आकाशवाणी के सभी कानूनी रूप से अनिवार्य कार्यक्रम स्वीकार करेगा। उन्होने राहूरी स्थित कृषि विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थाओं से परामर्श करके केन्द्र और शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को चलाने की संभावना को महसूस किया ।

मैसूर विश्वविद्यालय का आवेदन

11.14. दूसरा प्रस्ताव मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया । इसने अपनी 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो घंटों के लिए प्रतिदिन औपचारिक और गैर-औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को दूरदर्शन से प्रसारित करने के प्रयोजन से 400 वाट की शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए आवेदन भेजा था ।

11.15. मैसूर विश्वविद्यालय ने खुले विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मंगलौर तथा बंगलौर स्थित विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध कैसेट बजा कर विकसित करने का प्रयास किया है । 1976 में विश्वविद्यालय के अपने धन से प्रौढ़, अनौपचारिक और अविच्छिन्न शिक्षा के खर्च हेतु प्रयोगात्मक सुविधा के रूप में एक शैक्षणिक दूरदर्शन प्रसारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुमति मांगी गई ।

11.16. फिलहाल मैसूर विश्वविद्यालय की सुविधायें 5 लाख 50 हजार की जनसंख्या के शहर में 10 हजार से 15 हजार छात्रों को उपलब्ध है । यह उनसे जो औपचारिक रूप से इसके छात्र नही है, समन्वय स्थापित करने के लिए

शक्षणिक दूरदर्शन का प्रयोग करेगा । विश्वविद्यालय ने लगभग 3 वर्ष पूर्व कर्नाटक मे पत्राचार पाठ्यक्रम प्रसारित करने के प्रयोजन से आकाशवाणी को रेडियो केन्द्रो के प्रयोग के लिए आवेदन भेजा था। इसको अभी तक सकारात्मक उत्तर नही प्राप्त हुआ है ।

अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र

11.17 अहमदावाद स्थित अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में एक सुसज्जित दूरदर्शन स्टूडियो है (अब एक छोटा दूसरा स्टूडियो) जो इसने वडी उपग्रहप्रणाली के अध्ययन के अश के रूप मे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम—के द्वारा प्रदत्त सौफ्टवेयर विकास हेतु आई० टी० यू० अनुदान के अन्तर्गत कुछ वर्ष पूर्व बनवाया था । यह अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र एक सक्रिय साझीदार था। यह वम्बई में किराये पर लिए हुए स्टूडियो मे अंग्रेजी में 30 मिनट की अवधि के विज्ञान कार्यक्रम और अहमदावाद से गुजराती मे प्रति दिन आधे घंटे का विस्तार कार्यक्रम तैयार कर रहा था ।

11.18. खेड़ा जिले में जहां अमुल डेयरी स्थित है, अन्तरिक्ष संचार दूरदर्शन कार्यक्रमों को 350 विजली युक्त गांवो में प्रसारित करने के लिए अहमदावाद स्टूडियो को उसी समय नडियाद के निकट पिज के एक किलोवाट के ट्रांसमीटर से सम्वद्ध किया जायेगा ।

11.19. उपग्रह संचार दूरदर्शन उपयोग के कार्यक्रम की समाप्ति पर अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये । इसके अन्तर्गत पिज ट्रांसमीटर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन से दूरदर्शन को हस्तान्तरित कर दिया गया है जब कि अहमदावाद में अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र से सम्वद्ध दूरदर्शन स्टुडिओ दूरदर्शन को उधार दे दिया गया है जो अव अपने केन्द्र निदेशक के अधीन नियमित केन्द्र के रूप मे चल रहा है । तथापि, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में प्रतिदिन आधे घंटे का विस्तार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । दूसरे आधे घंटे के कार्यक्रम मे समाचार और सामयिक मामले और अन्य कार्यक्रम शामिल होते है । यह दूरदर्शन का एकमात्र उत्तरदायित्व है । अहमदावाद पिज ट्रांसमिशन में दिल्ली के कार्यक्रमो का 15 मिनट का अतिरिक्त समावेश होता है । ये कार्यक्रम प्रतिदिन सिमफोनी उपग्रह के माध्यम से पहले ही रिकार्ड कर लिये जाते है। और गुजराती कमेंटरी सहित पुन: प्रसारित किये जाते है यदि अवधि न वढ़ाई गयी तो यह व्यवस्था 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो जायेगी ।

11.20. यह खेद की वात होगी यदि अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र दूरदर्शन निर्माण सुविधा का उपयोग न किया गया । इस परिस्थिति में दूरदर्शन के लिए अपने वहुत छोटे निर्माण संसाधन से उधार ली गई सुविधाओं के आधार पर काम चलाये जाना औचित्य-रहित है । दूरदर्शन के लिए पिज मे अपना स्टूडियो स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता है । वहां ट्रान्समीटर भवन में एक कमरे को कुछ समय पश्चात स्टूडियो में परिवर्तित करने की सम्भावना पर विचार किया गया ।

11.21. अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की दूरदर्शन निर्माण में लिप्तता ने वहुमूल्य वैज्ञानिक आधार पर उपलब्ध किया है जिसने लिव हार्डवेयर विकास अथवा समतुल्यता को सौफ्टवेयर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वढ़ावा दिया है तथापि प्रत्यक्षत: इसकी मुख्य अभिरुचि दूरदर्शन सौफ्टवेयर निर्माण की वजाय अन्तरिक्ष उपयोग टैक्नोलोजी के क्षेत्र मे है। इसका उपाय यह है कि अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र स्थित दूरदर्शन दल को स्वतन्त्र निर्माण सुविधा प्रदान कर दी जाये अथवा समुचित तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी केन्द्र स्थापित कर दिया जाये । अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के स्टूडियो का संक्रमणकाल के दौरान प्रयोग किया जाये। इस विषय में आई० एस० आर० ओ० और अन्य सम्वन्धित संस्थानों को ही निर्णय देना अनिवार्य होना चाहिए ।

11.22. अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अन्य शैक्षणिक तथा विस्तार संस्थानों के साथ काम करने में सफल रहा है। इस सन्दर्भ में आणन्द स्थित अमुल डेरी का सवसे रोचक उदाहरण है, जिसके पशु-चिकित्सक अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र—दूरदर्शन कर्मचारियों द्वारा पशुविज्ञान कार्यक्रमों के निर्माता वनाये गये है और उठाऊ कैमरों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किये गये है। हमें यह सूचित किया गया कि इस प्रयोग के काफी लाभदायक परिणाम निकले हैं, जिन्होने राष्ट्रीय पशुपालन विकास वोर्ड को इस प्रकार के पशुविज्ञान विस्तार कार्यक्रमों को देश के अन्य केन्द्रों में कार्यरत डेरी कार्मिको द्वारा हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार करने को प्रोत्साहित दिया है ।

शैक्षणिक केन्द्रों की वांछनीयता

11.23. हमने शिक्षा तथा विस्तार के लिए प्रसारण माध्यमों के प्रयोग की अत्यधिक सम्भावनाओं पर विचार किया है तथा हम अनेक संस्थाओं के ऐसे शैक्षणिक केन्द्रों को समुचित उत्तरदायित्व की भावना से चलाने की अभिरुचि और योग्यता से सन्तुष्ट है । अत: हम यह सिफारिश करते हैं कि आकाश भारती को स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों को रेडियो अथवा दूरदर्शन के लिए प्रसारण अधिकार प्रदान करने को प्राधिकृत किया जाये । राष्ट्रीय प्रसारण न्यास द्वारा प्रसारण अधिकार की ऐसी सिफारिश संचार मन्त्रालय द्वारा प्रसारण लाइसेन्स में परिवर्तित की जानी चाहिए। मन्त्रालय के वायरलेस सलाहकार द्वारा विशिष्ट फ्रीक्वेंसियों को आवंटित और समन्वित किया जाना चाहिए।

11.24. राष्ट्रीय स्तर पर आकाश भारती द्वारा स्थापित लाइसेंसिंग वोर्ड द्वारा प्रसारण अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रारम्भिक वर्षो में वहुत से प्रसारण केन्द्रों के होने की सम्भावना नही है, हम यह सुझाव देंगे कि लाइसेंसिंग वोर्ड में अंशकालिक आयुक्त नियुक्त किये जायें।

लाइसेंस एक वार में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये जाने चाहिए और उस हालत में उनका नवीकरण किया जाये जब लाइसेन्सिंग वोर्ड समुचित काम तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन को लागू प्रसारण संहिता और निर्धारित शैक्षणिक और विस्तार उत्तरदायित्वों के विशेष सन्दर्भ से सम्वन्ध नियमों और शर्तो के पालन से सन्तुष्ट हो।

11.25. इसके अलावा हम यह सिफारिश करेंगे कि प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों को समाचार वुलेटिन प्रसारित करने का लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। जहां सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां उन्हें आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्र से इनको रिले करना अनिवार्य होना चाहिए। प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों को कुछ अन्य आकाशवाणी, दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करना कानूनी तौर पर अनिवार्य होना चाहिए। उन्हें क्रमशः आकाशवाणी और दूरदर्शन की देख रेख में होना चाहिए तथापि अपने कार्यक्षेत्र में वे स्वतन्त्र केन्द्रों के रूप में काम करेंगे। उनको आकाश भारती की श्रोता अनुसन्धान एजेन्सियों द्वारा 'मानीटर' किया जाये और वे शिकायत वोर्ड और न्यासियों के प्रति जिन्हें लिखित निदेश जारी करने का अधिकार होगा, उत्तरदायी होंगे।

11.26. उपरोक्त आधार पर प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों की एक प्रणाली को विकसित करने में हम कई लाभ देखते है। ये कार्यक्रम तैयार करने में केवल विविधता और नवीनता ही नही लायेंगे वल्कि शैक्षणिक तथा विस्तार प्रसारण को प्रभावी प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। वे कार्यक्रमों में भाग लेने और केन्द्रों में पहुंच को वढ़ायेंगे। वे युवा व्यक्तियों को प्रसारण हार्डवेयर और सौफ्टवेयर प्रणालियों और संचार नीति मे लिप्त कर देंगे। ये प्रसारण केन्द्र आन्तरिक शिक्षण सहायता के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए औषधि और इंजीनियरी, शिक्षा, संचार और पत्रकारिता के विभागों तथा भौतिकी और इलैक्ट्रोनिक्स निकायों द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है। विश्वविद्यालयो के सांस्कृतिक निकाय भी छात्र समुदाय की सृजानात्मक प्रतिभा को वढ़ाने के लिए प्रसारण की सुविधा का प्रयोग करेंगे।

11.27. ये कम शक्ति वाली शैक्षणिक प्रसारण प्रणालियां भावी प्रसारणकर्ताओं और प्रसारण इंजीनियरों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र होंगी और आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रणालियों से असम्बद्ध प्रसारणकर्ताओं को रोजगार का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करेंगी। इसके अलावा ये स्वतन्त्र कार्यक्रम निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेंगी। इनके वारे में हमें अगले अध्याय में और अधिक वताना होगा।

11.28. हम इन शैक्षणिक केन्द्रों पर वाणिज्यिक विज्ञापन की अनुमति नही देंगे किन्तु हम प्रसारण-अधिकार-प्राप्त केन्द्रों और आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच कार्यक्रम विनिमय की वहुत सम्भावनाएं देखते है।

11.29. स्वतन्त्र, शैक्षणिक और विस्तार प्रसारण हेतु प्रसारण-अधिकार-प्राप्त केन्द्रों की परिकल्पना जिसकी हम सिफारिश करते है, को ठोस रूप देना प्रस्तावित आकाश भारती का दायित्व होना चाहिए।

11.30. यदि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को इन केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें विस्तार शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय आवंटनों से धन प्राप्त करना चाहिए।

अध्याय 12

स्वतंत्र उत्पादन एजेंसियां

12.1. अभी तक आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निजी उत्पादन एककों का उपयोग बहुत सीमित रहा है। जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, उसने जुलाई, 1973 में निजी उत्पादन-प्रस्तावों के लिए विज्ञापन किया था, परन्तु महानिदेशालय के अनुसार इस सम्बन्ध में बहुत ही कम प्रस्ताव प्राप्त हुए और बात यहीं खत्म हो गयी। विज्ञापन इस प्रकार था :—"स्वतंत्र बाहरी कार्यक्रम-उत्पादकों से फीचरों तथा नाटकों आदि के टेप किए हुए कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के लिए स्वीकार किए जाएंगे। ये कार्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और उर्दू में होने चाहिए। ऐसे टेप किए हुए कार्यक्रमों के लिए देय अधिकतम शुल्क इस प्रकार होगा : 20 से 30 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए 1,000 रु० और 10 से 15 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए 500 रु०। जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं वे आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित किसी भी केन्द्र निदेशक को आवेदन कर सकते है।"

12.2. आश्चर्य नही कि इस विज्ञापन पर हुई प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। शर्तें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नही प्रतीत होती। इस के अतिरिक्त अन्य कारण है उत्पादन स्टूडियो तथा सम्बन्धित सुविधाओं का अभाव, असुविधाजनक कार्यविधि, कार्यक्रमो के पूर्ण होने पर उनकी स्वीकृति की अनिश्चितता और निरन्तरता के सम्बन्ध मे अनिश्चितता जिसके अभाव मे आवश्यक सुविधाओ तथा उपस्करो से सज्जित उत्पादन दल बन पाना संभव नही। फिर दोनों ही पक्षो ने इस विषय मे कोई उत्साह दिखाया प्रतीत नही होता।

वर्तमान उत्पादन एजेंसियां

12.3. जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, कुछ स्वतंत्र उत्पादन एजेन्सियां आजकल वास्तव मे कार्यक्रम तैयार कर रही है। अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद, साइट (उपग्रह शिक्षा दूरदर्शन प्रयोग) के दौरान विज्ञान तथा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने वाली एक स्वतंत्र कार्यक्रम एजेन्सी रही है।

12.4. टेलीविजन न्यूज फीचर्स एक निजी कम्पनी है, जो 1973 मे बनाई गयी और जो पिछले दो वर्षो से दूरदर्शन को तीस-तीस मिनट की एक विज्ञान फिल्म और एक विकास वृत्तचित्र अनुबंध के आधार पर बेचा करती है। टेलीविजन न्यूज फीचर्स के कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की परम्परा के अनुसार मूक बनाए जाते हैं और उनके संपादित प्रिंट दिये जाते हैं। प्रत्येक केन्द्र को अंग्रेजी में कमेण्टरी, पट कथा तथा टाइमिंग शीटें भी भेजी जाती है जिस से उत्पादन कार्यक्रमो को स्थानीय भाषाओं में प्रसारित कर सकें। साउण्ड एफेक्ट तथा म्यूजिकल ट्रैक अलग मैग्नेटिक टेप में दिए जाते है। टेलीविजन न्यूज फीचर्स का अपना स्टूडियो है जिसका निरीक्षण कार्यकारी दल के कुछ सदस्यों द्वारा किया गया।

12.5. एक दूरदर्शन उत्पादन सुविधा का मोटे तौर पर किया गया लागत-आकलन जो टेलीविजन न्यूज फीचर्स द्वारा हमें दिया गया है, परिशिष्ट 'ड०' में दिया जा रहा है।

12.6. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने भी अधिकतर "साइट" के दौरान कुछ कार्यक्रम दूरदर्शन के लिए प्रस्तुत किये है। उसके पास कुछ सुविधाएं हैं और एक स्टूडियो निर्माणाधीन है। यदि रा० शि० अ० प्र० प० की कुछ फिल्मों में परिष्कार की आवश्यकता है तो इसका कारण सम्भवतः यह है कि वे मूलतः दूरदर्शन उत्पादन में अपर्याप्त व्यावसयिक सुविधाओं के अभाव में तैयार की गयी हैं। यह कमी दूर की जा सकती है।

12.7. हमें सूचित किया गया है कि दृश्य-श्रव्य सुविधाओं से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य शिक्षा विभागों को प्रोत्साहित किया गया है। ये एकक दृश्य-श्रव्य शैक्षिक कार्यक्रमो के विकास में सहायता कर सकते हैं।

12.8. परन्तु उत्पादन-सुविधाएं तथा कौशल अन्यत्र सुलभ है, जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सिनेमा के लिए रेडियो तथा फिल्म-स्पाट बनाने वाली कुछ विज्ञापन संस्थाओं के पास। यद्यपि फिल्म उद्योग की सुविधाएं 35 मि० मी० में है, फिर भी स्पष्टतः वह भी इस क्षेत्र में एक प्रत्याशी हो सकता है।

12.9. फिल्म प्रभाग 35 मि० मी० में वृत्तचित्र बनाता है, जिनसे वह 16 मि० मी० के कुछ रिडक्शन-प्रिंट भी तैयार करता है। ये प्रिंट दूरदर्शन तथा चल फिल्म एककों को सुलभ रहते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों और केन्द्रीय विभागों के पास भी या तो 16 मि० मी० की सीमित सुविधाएं उपलब्ध है या उन्हें विकसित किया जा रहा है।

12.10. फिल्म तथा समाचार सम्बन्धी चलचित्र प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन कई निजी कैमरामैनों पर निर्भर रहता है। इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कैमरामैन इसे अपनी जीवन-वृत्ति बना सके इसके लिए अनुबन्ध-प्रणाली में निरन्तरता तथा आय में कुछ सुनिश्चितता लानी होगी।

16 मि० मी० प्रयोगशालाओं की आवश्यकता

12.17. अन्य बड़ी कठिनाई यह है कि 16 मि० मी० प्रयोगशाला सुविधाएं तथा सम्बन्धित उपस्कर अत्यंत सीमित परिमाण में उपलब्ध है। फिल्म प्रभाग के पास कुछ 16 मि० मी० उपस्कर और प्रयोगशालाएं हैं परन्तु उसकी क्षमता सीमित तथा उपस्कर पुराने हैं। फिल्म प्रभाग 35 मि० मि० फिल्म में काम करता है और जब जैसी आवश्यकता होती है, उसे 16 मि० मी० में रिड्यूस कर लिया जाता है। अब वह ग्रामीण कार्यक्रमों और रेलवे जैसे अन्य उपभोक्ताओं के लिए 16 मि० मी० की सुविधाएं स्थापित करना चाहता है, जिसमें कैमरों, मूवीओला (सम्पादन के लिए) तथा प्रयोगशालाओं से सज्जित चल फिल्म एककों का समावेश रहेगा। उपस्कर आयातित किये जाएंगे। हमें सूचित किया गया है कि ऐसे एकक एक वर्ष में बम्बई तथा दिल्ली में चालू किए जाने हैं और बाद में कलकत्ता तथा मद्रास में।

12.18. फिल्म प्रभाग ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में 23 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत से, पांच वर्ष में, एक-एक श्वेत-श्याम संसाधन प्रयोगशाला (बाद में रंगीन भी) स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। लागत का सत्तर प्रतिशत मोनोक्रोम के लिए और 30 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से रंगीन के लिए होगा। समग्र क्षमता 16 मि० मी० की 96 फिल्में प्रतिवर्ष संसाधित करने के लिए पर्याप्त होगी। ये 16 मि० मी० प्रयोगशालाएं तीन पारियों में काम करेंगी और बाहर का काम ले सकेंगी।

12.19. एक दूरदर्शन केन्द्र निदेशक ने यह मत व्यक्त किया कि 16 मि० मी० प्रयोगशाला सुविधाएं दी जाने पर निजी विज्ञापक, प्रयोजक तथा फिल्म निर्माता दूरदर्शन या निर्यात के लिए स्पाट, कार्यक्रम तथा दूरदर्शन फीचर फिल्में अधिक तत्परता से बनाएंगे। इस समय उन्हें 35 मि० मी० में फिल्म बनाकर 16 मि० मी० में रिड्यूस करना होता है जो बहुत व्ययसाध्य है। 16 मि० मी० प्रयोगशालाओं की सुविधा सुलभ होने से निश्चय ही भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान को तथा अन्य युवा उत्पादकों तथा फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्में और फीचर बनाने के लिए स्वतंत्र एकक स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी जिन्हें वे दूरदर्शन तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण केन्द्रों को बेच सकें।

आकाश भारती किराये की सुविधाएं

12.20. वैकल्पिक रूप से या अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि यदि उनके स्टूडियो तथा सुविधाओं का कोई खाली समय हो तो उन्हें उतने समय के लिए किन्हीं शर्तों पर मान्यता प्राप्त निर्माताओं को किराये पर दे दिया जाये। अन्यथा, हम सिफारिश करेंगे कि आकाश भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन से अलग ध्वनि तथा दूरदर्शन सुविधाओं की चुने हुए केन्द्रों में स्थापना करे जो किराये पर सुलभ रहे। शैक्षिक कार्यक्रम प्रसार केन्द्र भी अपनी सुविधाएं स्वतंत्र कार्यक्रम-निर्माता एजेन्सियों को किराये पर देने की स्थिति में होंगे।

गतिशीलता और प्रतियोगिता

12.21. हम सिफारिश करेंगे कि निजी रेडियो तथा दूरदर्शन उत्पादक एजेन्सियों को आवश्यक उत्पादन सुविधाएं प्राप्त करने या उन तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाए। इससे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति आकर्षित होंगे तथा विविधता, कार्यक्रम-नवोन्मेष, विशेषज्ञता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रतियोगिता की भावना भी जागृत होगी।

12.22. ध्वनि, फिल्म और विडियो के क्षेत्र में सक्रिय ऐसी स्वतंत्र कम्पनियां, शैक्षिक कार्यक्रम प्रसार केन्द्रों तथा विज्ञापन कम्पनियों के साथ मिलकर, सभी श्रेणियों के प्रसार कार्मिकों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करने में सहायक होंगी। इसमें हमें अनेक लाभ नजर आते हैं, विशेषतः अभी तक जो व्यापक एकाधिकार स्थिति रही है उसमें गतिशीलता आएगी और कार्यक्रम-निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आदान-प्रदान की सम्भावनाएं बढ़ेंगी।

12.23. शैक्षिक कार्यक्रम प्रसार केन्द्रों की तरह ही, हमारी सिफारिश है कि स्वतंत्र कार्यक्रम कम्पनियों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर भी वही श्रोता-अनुसन्धान, वर्गीकरण तथा शिकायत-कार्यविधि लागू हो जैसी आकाशवाणी और दूरदर्शन में है।

अध्याय 13

समाचार और सामयिक प्रसंग

13.1. आज रेडियो की व्याप्ति समाचार-पत्रों से अधिक है। उसके श्रोताओं की संख्या समाचार-पत्रों के पाठकों से ज्यादा है। अनुमान है कि देश में रेडियो सेटों की मौजूदा संख्या दो करोड़ है (इनमें गैर-लाइसेंसशुदा सेट भी हैं)। यह संख्या समस्त दैनिक समाचार-पत्रों की कुल प्रसार संख्या के दुगुने से भी अधिक है।

13.2. प्रकाशन माध्यम अपेक्षाकृत परिष्कृत लोगों के लिए हैं और अधिकांश में नगरोन्मुखी हैं, क्योंकि समाचार-पत्र व पत्र-पत्रिकाएं साक्षर लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। केरल को छोड़, ये सभी उन शहरी केन्द्रों की एक निश्चित परिधि में प्रसारित होते हैं, जहां से इनका प्रकाशन व वितरण होता है।

13.3. दूसरी ओर रेडियो और टेलीविजन इस साक्षरता अवरोध से ग्रस्त नहीं हैं और सुदूर सीमाओं और दुर्गम क्षेत्रों के बीच एक तात्कालिक संचार साधन की भूमिका अदा करते हैं। असंदिग्ध रूप से रेडियो से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन एकता की एक बड़ी शक्ति हैं। वे राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं और ध्यान दिलाते हैं। 'यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए' यह प्रतीक वाक्य सब भारत-वासियों को एक-दूसरे से जोड़ता है, चाहे उनका स्तर कुछ भी और कैसा भी हो।

13.4. आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन देश की अधिकांश जनता के लिए, खासकर पर्वतीय व सीमावर्ती क्षेत्रों, दूरदराज के भीतरी इलाकों व अलग-थलग क्षेत्रों में बसे लोगों के लिए सूचनाओं का प्रमुख स्रोत होते हैं। उनकी एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली भूमिका हो सकती है और प्रेस व अन्य माध्यमों के साथ-साथ वे एक सजग और सुविज्ञ जनमत को तैयार करने में, जो कि हर जनतांत्रिक समाज का आधार और आशा होता है, एक अनिवार्य तत्व हो सकते हैं। सही तथ्य परक और संगत सूचनाओं तक तुरन्त पहुंच ही लोगों को पूर्ण रूप से सार्वभौम बनाती है और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और सत्ता में बैठे दूसरे लोगों को सच्चे मानों में जवाबदार बनने पर विवश करती है। खबरों को छिपाना और उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश करना संविधान द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारन्टी तथा नागरिकों के जानने के अधिकार के विरुद्ध बैठता है।

13.5. खबरों के प्रति आकाशवाणी का रुख बचाव करते हुए चलने और बड़प्पन की भावना का रहा है। दुर्भाग्य से पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति पुष्ट होती गई है और आकाशवाणी को धीरे-धीरे सत्ताधारी सरकार का प्रचार समझा जाने लगा है और उसका वैसा उपयोग हुआ भी है। एक समय था जब इस सन्दर्भ में प्रतिबद्धता की भावना से काम होता था। फिर वह समय भी आया जबकि इस प्रसारण माध्यम पर खुल्लम-खुल्ला कब्जा करके इसे आपात-स्थिति के दौरान सरकारी भोंपू के रूप में प्रयोग किया गया। आकाशवाणी संहिता को 'पुरानी' कहकर त्याग दिया गया और उसे धीरे-धीरे समाप्त हो जाने दिया गया। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1975 को आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों के समक्ष भाषण देते हुए रेडियो की विश्वसनीयता को लेकर मचने वाले हो-हल्ले का औचित्य जानना चाहा। उन्होंने कहा—"सच बात तो यह है कि इसका क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आता। विश्वसनीयता किसकी है?" उन्होंने आगे कहा "मैंने सार्वजनिक मंचों से यह बात कही है कि यह (आकाशवाणी) एक सरकारी तन्त्र है। यह सरकारी विभाग ही रहेगा। हमें गर्व है कि यह एक सरकारी विभाग है।"

13.6. तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री ने उसी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की "जो दल बहुमत प्राप्त करता है, वही सरकार चलाता है। इसलिए सरकार चलाने वाले दल की नीतियों का सरकार द्वारा नियंत्रित माध्यम में प्रतिबिम्बन होना आवश्यम्भावी है। इस बात को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, और इस मूलभूत प्रश्न पर हरेक के मन-मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा—"हम सत्य में से चुनाव करते हैं...." और आगे कहा—"यह सरकार के पास एक सबसे सशक्त माध्यम है।" और तथ्यों के सन्तुलन में 'विश्वसनीयता' का प्रश्न नहीं होता।

13.7. खबरों को मनमाने रंग देने और सेंसरशिप ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की साख को इस सीमा तक नष्ट कर दिया कि अनेक श्रोता अपने देश के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रसारणों को सुनने पर मजबूर हो गए। इन अनपढ़ तरीकों के विरोध में आक्रोश की लहर उभरी और मार्च, 1977 में मतदाताओं ने जिन मुद्दों पर मतदान किया, उनमें से एक प्रेस और प्रसारण माध्यम की स्वाधीनता फिर से बहाल करना भी था।

13.8. आकाशवाणी और दूरदर्शन को कतिपय विशिष्ट राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। लेकिन इस सन्दर्भ में उनकी अपनी सम्पादकीय राय होना आवश्यक नहीं। उन्हें पक्षपात व सैद्धान्तिक झुकाव से बचना चाहिए और अपने देशी और विदेशी श्रोताओं के लिए सार्थक व संगत खबरों की सन्तुलित व सापेक्ष प्रस्तुति करनी चाहिए। घटनाओं को हर दृष्टिकोण व परिप्रेक्ष्य में जानने समझने की निरन्तर प्रक्रिया में उन्हे परस्पर विरोधी दृष्टिकोण व विश्लेषण प्रस्तुत करते रहना चाहिए। हर घटना वस्तुपरक दृष्टि से आंकी जाती है और उसमें उतना ही सत्य होता है जितना देखने वाले की आंखों में। विल्बर श्राम ने ठीक ही कहा है कि "खबरें तो लोगों के दिमाग में" होती हैं। घटना से नहीं बल्कि उसके घटित होने के बाद उसके चारों ओर के बड़े परिप्रेक्ष्य में ही वह स्थिति निहित होती है जिससे 'खबर' बनती है। इसी कारण यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति विशेष दल या विचारधारा द्वारा देखे गए और अनुभूत चेतन सत्य को अन्य व्यक्तियों द्वारा उसी सत्य के दर्शन या अनुभूति को विभिन्न स्थितियों के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाए ताकि हम वस्तुगत सत्य के निकट पहुंच सकें।

13.9. इसलिए प्रसारण माध्यम का कर्त्तव्य यह है कि वह वस्तुगत सूचना व विचार-विमर्श के मंच की भूमिका निबाहे और यह बात श्रोता या दर्शक पर छोड़ दें कि उन विचारों व तथ्यों की जानकारी पाने के बाद वे किस निर्णय पर पहुंचते हैं। जर्मन दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स की दृष्टि में रेडियो और टेलीविजन समेत समस्त जन-सम्पर्क माध्यम सत्यों के संघर्ष क्षेत्र हैं, जनता और सरकार के बीच एक तीसरी शक्ति की तरह। लेकिन इनका महत्व तभी है, जबकि वे सचमुच स्वतन्त्र हों।

13.10. 'निष्पक्षता', 'सन्तुलन', 'यथार्थ' और ठीक-ठीक 'वस्तुपरकता' के सिद्धान्त न केवल समाचारों पर बल्कि समस्त सामयिक प्रसंगों के कार्यक्रमों, समीक्षा, विचार-विमर्श, समाचार विश्लेषण, डाक्युमेन्टरी, समाचार दर्शन और पत्रिका कार्यक्रमों पर भी लागू होते हैं। लेकिन सन्तुलन का अर्थ हर कार्यक्रम में विचार का यांत्रिक सन्तुलन प्रस्तुत करना नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम शृंखलाओं में कुल मिलाकर एक सन्तुलित विचार-स्वरूप दिखाना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपने श्रोताओं व दर्शकों की यह देयता है और भारतीय जनता को उनसे इसी की आशा करनी चाहिए।

13.11. हमें खेद सहित यह बात कहनी पड़ती है कि समाचार बुलेटिनों में अनावश्यक सावधानी बरतने की प्रवृत्ति देखने में आई है और अनेक लोगों ने भी हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन को किसी विशेष ढर्रे का अनुसरण नहीं करना है और उन्हें न सिर्फ स्वाधीन, तथ्यपरक, सन्तुलित वह न्यायोचित होना चाहिए बल्कि इस सम्बन्ध में सभी को ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए।

समाचार बुलेटिन

13.12. हमने पहले भी यह बात कही है कि तालमेल व समान सेवाओं के हित में आकाशवाणी व दूरदर्शन को एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जाए। समाचार व सामयिक प्रसंग के कार्यक्रम उन सेवाओं में हैं जहां परस्पर पूरकता और प्रतिद्वन्दिता दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों संगठनों को कुछ समान सुविधाओं का मिलकर उपयोग करना चाहिए। रेडियो संवाददाताओं को टेलीविजन समाचार कैमरामैन की और टेलीविजन समाचार कैमरामैन को रेडियो संवाददाता की दुहरी भूमिकाएं निभानी चाहिए। अन्य देशों में भी ऐसा ही किया जाता है। इससे गुणवत्ता का बलिदान किए बिना खर्चों में बचत हो सकेगी, खासकर जिला संवाद-दाताओं, फुटकर संवाददाताओं और विदेश स्थित संवाददाताओं के मामले में। इसी तरह एक सीमा तक कार्मिकों के परस्पर स्थान-परिवर्तन की और लाईब्रेरी, सन्दर्भ व अनुसंधान सुविधाओं का मिलकर उपयोग की बात भी सम्भव है। प्रमुख और असाधारण मामलों में साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार करना रेडियो और टेलीविजन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से सबसे ऊपर के स्तर पर एक सीमा तक तालमेल रखना जरूरी लगता है।

13.13. इसके साथ ही यह भी सत्य है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अपनी-अपनी आवश्यकताएं हैं और संवाददाताओं को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वे अनेक क्षेत्रों में विविधता और स्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता के लिए अपनी पहल और विशिष्ट प्रतिभाओं का उपयोग कर सकें। अगर दोनों माध्यमों में कुछ समानताएं हैं तो अत्यन्त मुखर विभिन्नताएं या अन्तर भी मौजूद हैं। इन सबको पूरी तरह उभरने की छूट मिलनी चाहिए।

13.14. हमने सुझाव दिया है कि सी० ई० बी० में समाचार व सामयिक प्रसंग के एक निदेशक की नियुक्ति की जाए। वह आकाशभारती की सेवा के इस संवेदनशील व जीवन्त क्षेत्र को सब स्तरों राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय पर देखरेख करेगा। हमने मुख्यालय में जिस केन्द्रीय समाचार कक्ष की स्थापना की सिफारिश की है वह सी० ई० बी० के सीधे नियंत्रण में रहकर कार्यक्रम तैयार करने वाली कुछ थोड़ी सी सुविधाओं में से एक होगा। इससे आकाशवाणी व दूरदर्शन के मध्य आवश्यक तालमेल रखा जा सकेगा। केन्द्रीय समाचार कक्ष एक जनरल मैनेजर के अधीन कार्य करेगा जिसकी सहायता करेंगे सम्पादक आकाशवाणी, सम्पादक, दूरदर्शन, एक विदेश सम्पादक, जो समस्त विदेशी समाचारों की देख रेख करेगा और जो अपनी तरह का एक विशेषीकृत कार्य होगा, और सम्पादक अनुश्रवण एकांश। केन्द्रीय समाचार कक्ष विदेश प्रसारण सेवा के लिए भी समाचार बुलेटिन

तैयार कराएगा। इन सम्पादकों को असाधारण रेडियो व टेलीविजन पत्रकार होना चाहिए। दूरदर्शन समाचार सेवा का आकाशवाणी समाचार कक्ष से मौजूदा गठजोड़ असन्तोषजनक है और इसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए।

रेडियो समाचार

13.15. इस समय आकाशवाणी स्वदेश और समुद्रपारीय सेवाओं में हर दिन 37 भाषाओं और 34 जनजातीय बोलियों में 242 समाचार बुलेटिन समाचार प्रभाग के अन्तर्गत दिल्ली और 34 क्षेत्रीय समाचार एकांशों से प्रसारित करती है। यह हिन्दी और 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जन-रुचि की खबरों का एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही अंग्रेजी व हिन्दी में समाचार-पत्रों से दैनिक समीक्षा भी प्रसारित की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से न्यूजलैटर प्रतिदिन दिल्ली से समाचार प्रभाग द्वारा प्रसारित होते हैं। यह प्रतिदिन बारी-बारी से हिन्दी व अंग्रेजी समाचार दर्शन या रेडियो न्यूजरील भी प्रस्तुत करता है। खेल समीक्षा का एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के दौरान दोनों सदनों की कार्रवाई की अलग-अलग दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वैसे ये सभी प्रसारण सामयिक प्रसंगों पर दैनिक 'स्पाटलाइट' कमेन्टरी की तरह आमंत्रित प्रसारकों द्वारा, जो अधिकतर अखबारों से सम्बद्ध पत्रकार होते हैं किये जाते हैं।

13.16. आम समाचार कक्ष चार प्रमुख पालियों में एक प्रभारी सम्पादक के अधीन चौबीस घंटे काम करता है। वह समाचार चुनकर एक 'पूल कापी' तैयार करता है, जो बाद में हिन्दी अंग्रेजी अन्य भारतीय भाषाओं और विदेश प्रसारण सेवा समाचार बुलेटिनों को तैयार करने वाले सम्पादकों के बीच बांट दी जाती है। यही पूल कापी दूरदर्शन को भी उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि दूरदर्शन के पास किसी संवाद समिति से सीधे समाचार लेने का कोई स्वतन्त्र प्रबन्ध नहीं है।

13.17. काम की अधिकता को देखते हुए दिल्ली के आकाशवाणी केन्द्र में स्थित केन्द्रीय समाचार कक्ष में काम करने वालों की संख्या बहुत कम है और यही स्थिति उपकरणों की भी है। अगर इस सेवा की गुणवत्ता को उठाना है तो यहां की स्थिति में सुधार लाना होगा। यह ठीक नहीं है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के और एक सीमा तक हिन्दी के भी, समाचार बुलेटिन मुख्यत: अंग्रेजी की मूल कापी के अनुवाद पर आधारित हों।

13.18. अपने समाचार स्रोतों के लिए आकाशवाणी 'समाचार' पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त 94 पूर्णकालिक और 217 अंशकालिक संवाददाता भी हैं, जिन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। इनमें से चार पूर्णकालिक संवाददाता विदेश में हांगकांग, काहिरा तेहरान और ढाका में नियुक्त हैं। लन्दन, मास्को, वाशिंगटन, सिंगापुर, जुरूसलम, काठमांडू, नैरोबी और बर्लिन में आठ अंशकालिक संवाददाता काम करते हैं। मुख्यालय के कर्मचारियों में 15 संवाददाता हैं। इनमें से केवल तीन ही वरिष्ठ स्तर के हैं। आठ अंशकालिक युवा संवाददाता हैं, जो युववाणी कार्यक्रम के लिए सामग्री जुटाते हैं। मुख्यालय पर तैनात कर्मचारियों को राष्ट्रीय व शहरी समाचार, संसद व अदालतों के समाचारों के अतिरिक्त देश और विदेश में विशेष नियत कार्यों को भी पूरा करना पड़ता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन लोगों को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है और अक्सर ही लोग जितनी जिम्मेदारियां वहन कर रहे होते हैं उनके अनुरूप उनका स्तर व अनुभव नहीं होता।

13.19. आकाशवाणी व दूरदर्शन में केन्द्रीय सूचना सेवा के 219 पद हैं और 35 और होने जा रहे हैं। सी० आई० एस० संवर्ग का गठन 1960 में किया गया था और यह सूचना व प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं। ये हैं—पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय। ये सभी माध्यम प्रमुख रूप से मुद्रित माध्यम की ओर अधिक उन्मुख हैं और सरकारी प्रचार माध्यमों के रूप में कार्य करते हैं। एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय प्रसारण न्यास का सामान्य स्वरूप इससे एकदम अलग होना चाहिए। यह सरकार से एकदम स्वतन्त्र रहे और इसकी अभिमुखता एक सरकारी प्रचार माध्यम का कार्य करने की न हो। इस दृष्टि से सी० आई० एस० और समाचार सेवा प्रभाग के सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिए। हमने इस प्रश्न पर विचार किया है और हमारी राय में सी० आई० एस० के वर्तमान कर्मचारियों का जो विकल्प दिया जाय, वह 'कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था' में व्याख्यायित किया गया है।

13.20. आकाशवाणी की एक दूसरी परेशानी यह है कि यह उन लोगों की रेडियो पत्रकारिता पर आधारित है जो पेशे और प्रशिक्षण से प्रकाशन माध्यम के पत्रकार हैं। आकाशवाणी को इस दिक्कत को दूर करना होगा। रेडियो पत्रकारों का काम उच्चरित शब्दों के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है। 15 मिनट की अवधि के एक प्रमुख आकाशवाणी समाचार बुलेटिन में आम तौर पर 2500 शब्दों से अधिक नहीं होते। ये दैनिक समाचार पत्र के दो से तीन कालम के बराबर बैठेंगे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि रेडियो समाचार अत्यन्त सारगर्भित और चुनिंदा हों और उन्हें प्रसारित करते समय शब्दों और ध्वनि के समुचित संयोजन से मूल तत्व और भाव श्रोताओं तक पहुंचाया जाय।

13.21. आकाशवाणी को ऐसे संवाददाताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए जो अपने समाचारों को शब्दों में लिखकर भेजने के बजाए उन्हें स्वर प्रदान कर सकें। इससे समाचार दर्शन और कमेंटरी कार्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा उच्चरित

अंशों का अधिक उपयोग किया जा सकता है । यह एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए प्रसारण में तात्कालिकता, अंतरंगता और स्थानीय प्रभावों का प्रामाणिक समावेश हो सकता है ।

13.22 न्यूज़रीडरों के लिए यह जरुरी है कि वे सम्पादन व समाचार बुलेटिनों की तैयारी के काम में और ज्यादा संलग्न हों, ताकि ऐसा न लगे कि वे हर समय एक सा ही काम कर रहे हैं । उन्हें इस बात की आजादी रहनी चाहिए कि जो कुछ प्रसारित किया जाना है उसे वे मूल आशय को विकृत किए बिना अपनी भाषा में रूपान्तरित कर सकें । भेंट-वार्ताओं में और समाचार एकत्र करने के कामों में उनका अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक सक्षम पत्रकार बन सकें और सिर्फ न्यूज़रीडर हो कर न रह जाएं ।

13.23 यह जरुरी है कि आकाशवाणी देश के हर जिले और प्रमुख समाचार केन्द्रों में अपने संवाददाता नियुक्त करे, जिससे उसकी पहुंच और व्यापक क्षेत्र तक हो । इन संवाददाताओं को, चाहे वे पूर्णकालिक हों या अंशकालिक, समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें समाचार जुटाने के पोर्टेबिल इलैक्ट्रानिक उपकरण मिलने चाहिए, जैसे कैसेट टेप रिकार्डर और पोर्टेबिल वीडियो टेपरिकार्डर । उन्हें इन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। उन्हें निरन्तर भ्रमणशील होना चाहिए । वे समाचार प्राप्त करके क्षेत्रीय या केन्द्रीय समाचार कक्षों को या समाचार बुलेटिनों, समाचारदर्शन, कमेंट्री और पत्रिका कार्यक्रमों को देते रहें।

13.24 संवाददाताओं (और कैमरामैनों) की एक व्यावसायिक श्रृंखला संगठित करने से आकाशवाणी व दूरदर्शन की 'समाचार' पर निर्भरता कम हो सकेगी । हमें बताया गया है कि इस समय समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समस्त समाचारों का 63 प्रतिशत आकाशवाणी के अपने संवाददाताओं से मिलता है और बाकी, 'समाचार' व अन्य स्रोतों से। तकनीकी दृष्टि से यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आकाशवाणी इस समय पत्र सूचना कार्यालय, राज्य सूचना विभागों, राजनीतिक दलों के जन सम्पर्क कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, विदेशी दूतावासों और ऐसे ही स्रोतों से मिलने वाली समाचार सूचनाओं पर बहुत अधिक निर्भर है । इन समाचारों के अंशतः पुनर्लेखन या सम्पादन को हम समाचार जुटाने की समुचित या पर्याप्त प्रक्रिया की संज्ञा नहीं दे सकते ।

13.25 'समाचार' की एक मुख्य भूमिका प्रकाशन माध्यम की सेवा करना भी है और इस समय वह आकाशवाणी को प्रति घंटा समाचार प्रसारण के लिए समाचार जुटाने में समर्थ नहीं है ।

13.26 दूसरी ओर धीमी गति वाले समाचार बुलेटिन जो आकाशवाणी द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी में दिल्ली से और उर्दू में श्रीनगर से प्रसारित किए जाते हैं, एक ऐसी रेडियो समाचार सेवा है जो बहुत से छोटे और मझोले भी, समाचार पत्रों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है । इनमें से कुछ समाचार पत्र 'समाचार' से भी खबरें लेते है ।

13.27 दिल्ली के भारतीय जनसम्पर्क संस्थान ने धीमी गति के बुलेटिनों के उपयोग पर हमारे लिए जो सर्वेक्षण किया, उससे पता चला कि जिन 173 दैनिक पत्रों से पूछताछ की गई, उनमें से 79 दैनिक इन बुलेटिनों को उपयोग में ला रहे थे। उनमें से 24 "समाचार" से भी खबरें लेते थे । ये समाचार पत्र सभी क्षेत्रों और सभी भाषाओं के हैं । एक दिलचस्प बात यह मालूम हुई कि कुछ छोटे समाचार-पत्र समाचारों के लिए आकाशवाणी के नियमित समाचार बुलेटिनों को भी सुनते हैं और उन खबरों को अपने प्रकाशनों में छापते हैं । ऐसा लगता है कि धीमी गति के समाचार बुलेटिन एक ऐसी सेवा है, जिसे आकाश भारती विस्तार दे सकती है, और इस तरह दूरस्थ क्षेत्रों के सामुदायिक समाचार-पत्रों की प्रगति को प्रोत्साहित कर सकती है।

13.28 आकाशवाणी के केन्द्रीय समाचार कक्ष और समाचार एकत्रित करने के कार्य की कमियां प्रादेशिक स्तर पर भी दिखाई पड़ती है, हालांकि यह सही है कि हर भाषा में समस्त राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन दिल्ली में तैयार करने के अपने फायदे हैं । लेकिन इसके साथ ही आकाशवाणी के राज्यों की राजधानियों में मौजूद समाचार कक्षों और अन्य समाचार केन्द्रों को सम्पुष्ट करने की भी उतनी ही जरूरत है । राष्ट्रीय प्रादेशिक समाचारों में लोग काफी रुचि लेते हैं लेकिन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में लोगों की दिलचस्पी किसी तरह कम नहीं है । बल्कि कुछ मामलों में तो ये बुलेटिन जन-जीवन और लोगों की दैनन्दिन अभिरुचि के ज्यादा निकट ठहरते है । जिला व स्थानीय केन्द्रों पर संवाददाताओं की श्रृंखला के साथ सशक्त क्षेत्रीय समाचार कक्षों से आकाशवाणी के समाचार प्रसारण को काफी बल मिलेगा । कोई जरूरी नहीं कि प्रादेशिक न्यूज लेटर दिल्ली में तैयार किए जाएं । इस क्रियाकलाप का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है और इससे फायदा ही होगा । जिला व स्थानीय स्तर पर समाचार जुटाने और सामुदायिक समाचारों की जरूरत का महत्व और भी बढ़ जाएगा । स्थानीय समाचार केवल अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि देश के जनतान्त्रिक आधारों को पुष्ट करने के सबसे निचले स्तर पर एक सुविज्ञ और सजग जनमत तैयार करने में, जो कि सब स्तरों पर होने वाली घटनाओं व विकास क्रम के प्रति सदा संवेदनशील व प्रस्तुत रहता है, सार्थक माध्यम सिद्ध होते हैं ।

13.29 अगर आकाशवाणी व दूरदर्शन को ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना है और वंचित व विस्मृत जन की महत्वाकांक्षाओं को मुखर करना है तो इन दोनों माध्यमों को जनजातीय, पर्वतीय और अब तक

सुदूर या उपेक्षित व पिछड़े क्षेत्रों में प्रसारण की व्याप्ति की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

13.30 आकाशवाणी समस्त क्षेत्रीय भाषाओं और प्रमुख जनजातीय बोलियों में बुलेटिन प्रसारित करती है, जो कि इसे करना भी चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में देश के कुछ भागों में समस्याएं उभरी है, जैसे देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र व हिमाचल जहां की जनसंख्या अनेक छोटे-छोटे भाषाई गुटों में बिखरी हुई है कहीं-कही इन की संख्या कुछ हजारों में सीमित है।

13.31 यह राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि लोगों तक उनकी मातृभाषा के माध्यम से पहुंचा जाए। लेकिन जनजातीय बोलियों के मामले में कुछ दिक्कतें पेश आती हैं, क्योंकि वे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम नहीं हैं, जिनका अपना कोई साहित्य नहीं है और जिनके पास थोड़े अति साधारण शब्द भंडार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे मामलों में समस्या यह होती है कि इन अपेक्षाकृत कम विकसित भाषाओं में दैनिक समाचार बुलेटिनों में निहित परिष्कृत और संशिष्ट राजनीतिक व आर्थिक धारणाओं व विचारों को कैसे प्रस्तुत किया जाए। एक सीमित प्रसारण प्रेषण को विभिन्न बोलियों में बांटने से किसी भी एक समूह को एक निरंतर व संतोषजनक प्रसारण सेवा उपलब्ध करा पाना कठिन होता है।

13.32 स्थानीय रेडियो स्टेशनों और अधिक ट्रांसमीटरों की स्थापना से कुछ क्षेत्रों में इस समस्या के हल होने में मदद मिलेगी। अन्य स्थानों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिनकी देश उपेक्षा नही कर सकता, शायद यह करना पड़े कि अत्यन्त सरल शैली में विशेष समाचार बुलेटिन तैयार करने पड़े। यह अत्यन्त कठिन और संवेदनपूर्ण समस्या होगी। इस पर आकाश भारती को जल्दी से जल्दी ध्यान देना होगा।

13.33 प्रसारण का उद्देश्य सम्प्रेषण है और सम्प्रेषण के लिए चाहिए बोध या समझ। इसलिए आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा 'शुद्ध' व आडम्बरपूर्ण न होकर सरल होनी चाहिए साथ ही वह हिन्दी में एक स्तरीय राष्ट्र भाषा और सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी सुनिश्चित बनाती चले। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 351 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

13.34 ग्राम समाचार देने के साथ-साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन को इस बात के लिए विशेष प्रयास करने चाहिएं कि विकास कार्यो के समाचार प्राप्त किए जाएं और खेल-कूद, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कलाएं, श्रम, खेती जैसे विशेष क्षेत्रों और ऐसे ही अन्य विषयों पर रिपोर्टिंग की जाए। इसमें विशेष प्रतिभाओं को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी और विशेष योग्यता विकसित करने तथा भ्रमण के अवसर मिलेंगे। ये तत्व आकाशवाणी व दूरदर्शन दोनों की ही समाचार सेवाओं को जीवंत बनाएंगे और अधिक समृद्ध कर देंगे।

13.35 भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद के बढ़िया प्रसारण कार्यक्रमों का संयोजन, और यह सिर्फ बड़े शहरों से ही न हो, विशेषकर देश के युवा वर्ग के लिए विशेष रुचिकर हो सकता है और उससे अपेक्षाकृत छोटे स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों तथा शिक्षण संस्थानों में और गैर-पेशेवर लोगों के बीच खेलकूद की गतिविधियों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। 'खेलकूद' शब्द की अर्थ-परिधि का विस्तार करके मनोरंजन के लोकप्रिय साधनों व अन्य असंगठित खेलों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

13.36 आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विश्व समाचारों में भी सुधार अपेक्षित है। हमने इस बात की सिफारिश की है कि प्रस्तावित केन्द्रीय समाचार कक्ष में एक वरिष्ठ विदेश समाचार सम्पादक के अधीन तुरन्त एक विदेश डेस्क स्थापित किया जाना चाहिए। इससे विदेशी समाचारों की सही समझ और उस क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।

13.37 आकाशवाणी के चार पूर्णकालिक व आठ अंशकालिक विदेश संवाददाता हैं। लेकिन इनमें से कुछ समाचार पत्रों से लिए गए है और उनके लिए सच्चे अर्थो में आकाशवाणी के लिए काम करना संभव नही है। आकाशवाणी की नीति यह होनी चाहिए कि वह एशियाई व प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रों से अपने समाचार संकलन को अधिक सम्पुष्ट करे ताकि यह क्षेत्र ऐसा बन जाएं जहां आकाशवाणी त्वरित, पूर्ण और समझबूझ से संकलित किए गए समाचारों का दावा कर सके और फिर जैस-जैसे जहां जब संभव हो, यह कार्य अन्य सुदूर क्षेत्रों में फैलता जाए।

13.38 ऐसी नीति को आकाशवाणी के विदेश समाचार प्रसारण और इसके अनुश्रवण एकांश की गतिविधियों से संयुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इस समय आकाशवाणी अपनी विदेश सेवाओं में 24 भाषाओं में बुलेटिन प्रसारित करती है, इनमें से कुछ ये है—अरबी, बर्मी, कैंटोनीज और क्युयू (चीनी), दरी, फ्रेंच, इंडोनेशी, फारसी, पश्तो, बलूची, रूसी, सिंहली, स्वाहिली और तिब्बती। कुछ समय पहले थाई में भी प्रसारण किए जाते थे। लेकिन हम 14वें अध्याय—'विदेश सेवाएं'—में अधिक विस्तार से इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि इनमें से अनेक प्रसारण कम शक्ति के ट्रांसमीटरों पर प्रसारित होने के कारण ठीक-ठीक सुनाई नही देते और फिर इनमें से अनेक भाषाओं में प्रशिक्षित भारतीय प्रसारकों का अभाव है। साथ ही बोली जाने वाली भाषा में प्रवाह भी नही होता है।

13.39 दूसरी ओर समाचार सेवा प्रभाग का अनुश्रवण एकांश 27 केन्द्रों से 14 भाषाओं मे 184 प्रसारणों के अनुश्रवण का काम करता है। इनमें 6 भाषाएं विदेशी हैं। अनुश्रवण का समय प्रतिदिन 48 घंटे होता है।

13.40 इस समय अनुश्रवण एकांश शिमला में है, लेकिन एक वर्ष में यह दिल्ली के अपने नए भवन में आ जाएगा। इसमें कर्मचारियों की संख्या कम है और उपकरण भी पूरे नहीं हैं। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेना की एक गुप्त सूचना-शाखा के रूप में हुई थी। अनुश्रवण एकांश प्रतिप्रचार विभाग का एक भाग था। 1941 में इसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया। सामाचार सेवा प्रभाग को यह 1962 में सौंपा गया। यह टेलीप्रिंटरों व टेलेक्स लाइनों पर आकाशवाणी को एकदम ताजे विश्व समाचार उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही देश और विदेश सेवा के लिए वार्ताओं, कमेंट्री और अन्य कार्यक्रमों के लिए सामग्री भी जुटाता है। अनुश्रवण सेवा, विदेश, रक्षा, गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालयों और अन्य विभागों के वास्ते हर देश के बारे में विषय शीर्षों के अंतर्गत दैनिक 'गतिविधि रिपोर्ट' देती है। साथ ही साप्ताहिक विश्लेषण भी। इसके अतिरिक्त यह कभी-कभी भारत की रुचि के विशेष विषयों पर भी सामग्री जुटाती है। इसे अनेक बार सबसे पहले समाचार देने का श्रेय प्राप्त है। यह जिन कठिन स्थितियों में कार्यरत है, उन्हें देखते हुए इसका कार्य बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यह एक अत्यंत उपयोगी सेवा है और इसे सुदृढ़ बनाने, विस्तार करने और अधिक मजबूत आधार पर खड़ा करने की जरूरत है। कहना न होगा कि इसके लिए बेहतर प्रशिक्षित और अधिक वेतन पर काम करने वाले कार्मिकों की आवश्यकता होगी।

13.41 यह एक दिलचस्प संयोग है कि आकाशवाणी की विदेश सेवा और अनुश्रवण एकांश के श्रोत क्षेत्र व भाषाएं एक ही है। अनुश्रवणकर्ता क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा में पारंगत होते है चाहे वह फारसी हो या बर्मी या फिर दूसरी भाषाएं। इसी तरह स्वाभावत: वे ईरान और बर्मा की स्थितियों की ताजा जानकारी रखते हैं या हर उस देश के बारे में, जिसकी समाचार सेवाओं का अनुश्रवण वे रोज करते हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाचार सेवा प्रभाग, विदेश सेवा प्रभाग और अनुश्रवण एकांश के बीच भाषा और क्षेत्रीय विशेषज्ञता के बारे में बहुत सी समानताएं हैं।

13.42 इसलिए हमारा सुझाव है कि आकाशवाणी मे इन तीनों सेवाओं के विदेशी भाषा संवर्गों के बीच कार्मिकों का अंत:स्थानान्तरण किया जाता रहना चाहिए। अनुश्रवणकर्ताओ, संपादकों और विश्लेषकों को प्रशिक्षित पत्रकार होना चाहिए। वे एक भाषा और क्षेत्र-विशेषज्ञता विकसित कर लेंगे जो उन्हें किसी लक्ष्य क्षेत्र में विदेश संवाददाता के रूप में नियुक्त किए जाने की अर्हता प्रदान कर देगी। वहां की स्थितियों के बारे मे वे पूरी तरह जानकार होंगे, साथ ही वहां बोली जाने वाली भाषा में तो वे पटु होंगे ही। वहां से लौटने के बाद उन्हें या तो अनुश्रवण एकांश में फिर से रख दिया जाए जहां वे अनुश्रवण किए जाने वाले विदेशी प्रसारणों का विश्लेषण करेंगे, या फिर उन्हें विदेश सेवा प्रभाग में लगा दिया जाए जहां वे क्षेत्र डेस्कों का काम देखेंगे। इस काम से उनका परिचय रहेगा और वे पूरे आत्मविश्वास से उसे करेंगे। उन्हें केन्द्रीय समाचार कार्यालय में भी विदेश डेस्कमैन या कूटनीतिक संवाददाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या फिर से घरेलू सेवाओं में विदेश समाचार विश्लेषक और समीक्षक के रूप में। उनके पास ऐसी विशेषज्ञता रहेगी जो निरंतर नवीन होती रहेगी और इसका प्रतिबिम्बन होगा—विदेश सेवा प्रभाग, अनुश्रवण एकांश और केन्द्रीय समाचार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपनी घरेलू और विदेश प्रसारण शाखाओं के क्रियाकलापों में।

13.43 अनुश्रवण एकांश द्वारा तैयार की जाने वाली गतिविधि रिपोर्ट साप्ताहिक विश्लेषण, तथा उसके अन्य विशेष प्रकाशन मूल्य वाले प्रकाशनों के रूप में आम जनता को या चुनिंदा श्रोताओं को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उनका सरकारी क्षेत्र, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में व पत्रकार और कूटनीतिक समुदाय के बीच काफी सम्मान होगा।

13.44 इन दिशाओं में सुधार करने से आकाशवाणी व दूरदर्शन को तो काफी लाभ होगा ही, साथ ही देश को भी फायदा पहुंचेगा। इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। विदेश समाचार प्रसारण सम्बन्धी अन्य टिप्पणियां विदेश सेवा के अगले अध्याय मे हैं।

सामयिक प्रसंग

13.45 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सामयिक प्रसंग कार्यक्रमो में अनेक स्वरूपों के जीवन्त प्रयोग होने चाहिएं। सीधी वार्ता और घिसी-पिटी गोलमेज विचार विमर्श शैली का अपना मूल्य है, लेकिन इसी को प्रमुखता नहीं दी जानी चाहिए।

13.46 जब प्रसारण माध्यम सरकारी प्रचार तंत्र नहीं रहेंगे और अपनी पेशेवर प्रतिभाओं का विकास करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वे इन कार्यक्रमों को अधिक सूचना प्रद व वैविध्यपूर्ण कैसे बना सकते हैं।

13.47 आपात स्थिति के बाद से आकाशवाणी व दूरदर्शन में यह प्रवृत्ति उभरी है कि प्रशासन की आलोचना से बचा जाए और अपने को सुरक्षित रखकर काम किया जाए। यह एक अस्वस्थ प्रतिक्रिया है और उस विशेष प्रवृत्ति की द्योतक है जो वर्षों से चली आ रही है और इस माध्यम की विशिष्ट जानकारी की उस कमी की ओर संकेत करती है जिसे आकाशवाणी व दूरदर्शन दोनों को सजग रहकर दूर करना चाहिए।

13.48 समाचारों व सामयिक प्रसंग के कार्यक्रमो की अवधारणा को बदलना होगा। उसे मंत्रिमंडलीय, सरकारी और राजनीतिक होने के स्थान पर समाचार-परक, संगत

और दिलचस्प होना होगा। भारत की विकास कथा और सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया या उसके रास्ते के प्रतिरोध, समाचार है, बड़े समाचार है, वे बहुविध और जनरुचि की खबरें है। इलेक्ट्रानिक साज-सज्जा से युक्त पत्रकार माइक्रोफोन और कैमरे को जनता के पास ले जा कर खबरों को जन्म दे सकता है। शहरी श्रोताओं के लिए नागरिक हित के अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना अधिक रुचिकर और लाभदायक होगा।

13.49 विवाद से बचने और हमेशा ही अच्छी-भली बात कहने की प्रवृत्ति को भी अब समाप्त होना चाहिए। यह अकल्पनीय बात है कि विवाद को हतोत्साहित किया जाए और विरोधी मत को रेडियो पर आने का अवसर न दिया जाए। परस्पर विरोधी विचारों के टकराव से कार्यक्रम अधिक जीवंत होंगे, समझ पनपेगी और जन-सतर्कता बढ़ेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन को विवाद से दूर नही हटना चाहिए। उन्हें सामाजिक न्याय के प्रश्नों को प्रकाश में लाना चाहिए—जैसे कृषि सुधारों का स्तर, भूमिहीनों की स्थिति, शहरी गंदी बस्ती में रहने वालों की मुश्किलें, शहरों में फैला भ्रष्टाचार और इसी तरह की दूसरी बातें। अगर रेडियो व दूरदर्शन को अपनी प्रहरी बनने की, तथा शैक्षणिक व विकासगत भूमिकाएं निभानी हैं तो वे इन प्रश्नों की उपेक्षा कभी नही कर सकते क्योंकि ये प्रश्न गरीबी व असमानताओं से और अन्य बड़ी समस्याओं से जुड़े हुए हैं।

13.50 सामयिक प्रसंगों के प्रसारणों के लिए वक्ताओं और अन्य लोगों को दिल्ली व अन्य महानगरों के अतिरिक्त और बड़े क्षेत्रों से चुना जाना चाहिए और इसमें पत्रकारिता राजनीति और शैक्षणिक जगत के अलावा अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति भी आने चाहिएं। वर्षगांठ-रूपक अब एक अनगढ़ संस्कार व उबाऊ कार्यक्रम बनकर रह गए है। आवश्यकता यह है कि सावधानी पूर्वक विषयों का चुनाव करके उनकी योजना बनाई जाए। कल्पनाशीलता से उनका प्रस्तुतीकरण हो और ये प्रशस्ति गान की अपेक्षा एक सार्थक मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकें। सभी मामलों में आमन्त्रित प्रसारकों को नम्रता से यह समझा दिया जाना चाहिए कि वे किस तरह प्रसारित करें और उनसे उनकी विशेष आदतों का सहारा न लेने को कहा जाए। लम्बे व संश्लिष्ट वाक्य बुदबुदाहट या बहुत तेजी से बोला जाना आदि जैसी कमियो के प्रति उन्हें सावधान करना जरूरी है। शायद वे स्वयं ऐसे संकेतों या गलतियों को सुधारने का स्वागत करेंगे और इससे कार्यक्रम बेहतर बन सकेंगे।

13.51 यह दोहराने की आवश्यकता नही कि पर्याप्त संदर्भ, पुस्तकालय सुविधाओं, समाचार कतरनों और अनुसंधान सहायकों की कितनी अधिक आवश्यकता है। लेकिन इस दिशा में बहुत सी कमियां हैं। इन स्पष्ट दिखाई देने वाली कमियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।

दूरदर्शन पर सामयिक प्रसंग कार्यक्रम व समाचार

13.52 हमने आकाशवाणी के संदर्भ में सामयिक प्रसंग व समाचार कार्यक्रमों के बारे में जो विचार व्यक्त किए है वे दूरदर्शन पर भी लागू होते है। फिर भी दोनों माध्यमों में एक मूलभूत अंतर भी है।

13.53 सबसे पहली बात तो यह है कि टेलीविजन एक दृश्य माध्यम है। इसलिए स्क्रीन पर केवल एक रेडियो बुलेटिन प्रस्तुत कर देने का कोई अर्थ नही होता। आजकल अधिकांशतः ऐसा ही किया जाता है। समन्वय और यातायात की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में फिल्मों को प्रोसेस करके भेजने की समस्या रेडियो की तुलना में टेलीविजन के लिए कहीं अधिक गंभीर है। इसलिए दूरदर्शन के लिए यह आवश्ययक हो जाता है कि दृश्य सामग्री के लिए वह आकाशवाणी की तुलना में अधिक पहले की समय सीमा तय करे।

13.54 चारों महानगरों व कुछ अन्य केन्द्रों के बीच माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंग) और कोएक्सिल केबिल सम्पर्क स्थापित किए जा रहे है। उससे कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में सुविधा हो जाएगी। आज की स्थिति में तो यह तरीका है कि एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को फिल्में वायुमार्ग, रेल या सड़क के रास्ते भेजी जाए। 1981 मे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इंडियन नेशनल सेटैलाइट—इनसेट) के प्रक्षेपण के बाद से दूरदर्शन को अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय पैमाने पर सम्पर्क सुविधा मिल जाएगी।

13.55 इस समय दूरदर्शन के पास समाचार तैयार करने की कोई सुविधा नही है और इसी के कारण यह एक राष्ट्रीय समाचार टेलीकास्ट करने में सक्षम नही है। हर केन्द्र समाचार खुद इकट्ठे करता है और फिर अपने समाचार बुलेटिन खुद बनाता है। उसमे वह अन्य केन्द्रों, संवाददाताओं, निजी न्यूज कैमरामैनों से मिलने वाले समाचार तथा "विशन्यूज" द्वारा भेजी गई दिल्ली में तैयार समाचार सामग्री की प्रतिलिपि को भी सम्मिलित कर लेता है। "विशन्यूज" एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद समिति है और भारत में उसका कार्यालय है।

13.56 इन बाधाओं और कर्मचारियों की कमी के कारण दूरदर्शन अपने समाचार व सामयिक प्रसंग के कार्यक्रम बड़ी दिक्कत से तैयार कर पाता है। हमने आकाशवाणी के लिए समाचार सम्बन्धी जो मूल्य-मानक सुझाये है उनके साथ-साथ टेलीविजन समाचारों से सम्बद्ध दृश्य संदर्भ सामग्री प्रदर्शित करके रेडियो से आगे जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण सामग्री को एक पत्रिका के स्वरूप में काफी संख्या में रेखांकनों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि टेलीविजन बुलेटिनों में मुख्य समाचार प्रमुख शीर्षो मे उन दृश्य सामग्रियों के साथ दिखाए जाएंगे जो उपलब्ध होंगी और उसके बाद बाकी समय में दो-तीन चुनिंदा विषयों पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। यह जानकार

अध्याय 14

विदेश सेवा

14.1 आकाशवाणी की विदेश सेवा का दर्जा उसकी दूरी (रेंज) अवधि के हिसाब से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओं में है। उदाहरणार्थ इसके प्रसारण जापान और फ्रांस के विदेशी प्रसारणों से काफी बड़े होते हैं। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग 24 भाषाओं में 54 देशों के लिए प्रसारण करता है। इनमें से 16 विदेशी और 8 भारतीय भाषाएं हैं। ये प्रसारण प्रति दिन लगभग 52 घंटे की अवधि के लिए होते हैं।

14.2 आकाशवाणी द्वारा वैदेशिक सेवाओं के लिए विकीरित कुल ट्रांसमीटर शक्ति देश में विकीरित होने वाली 2980 किलोवाट के मुकाबले 3230 किलोवाट है। बम्बई और मद्रास स्थित 200 किलोवाट के शार्ट वेव ट्रांसमीटर जो मूलतः विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए लगाए गये हैं, विदेश सेवा के प्रसारणो के लिए भी सीमित रूप में काम में लाये जाते है। विदेश सेवा में काम आने वाले उच्च शक्ति शार्ट वेव ट्रांसमीटरों का उपयोग घरेलू (देशी) समाचार सेवाओं और स्वदेशी सेवा में अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है।

14.3 हालांकि आकाशवाणी द्वारा विदेश और स्वदेश सेवाओं में विकीरित ट्रांसमीटर शक्ति की तुलना करना भ्रामक हो सकता है। पर ये आंकड़े इस बात को बताते है कि विदेशी प्रसारणों को कितना महत्व दिया गया है। और इस में कितनी पूंजी लगाई गई है। अतः यह और भी आश्चर्य की बात है कि विदेश सेवा प्रभाग का शार्ट वेव या कार्यक्रम संयंत्र इतना कमजोर है। इसमें पर्याप्त और सुप्रशिक्षित कर्मचारी नही है, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों के लिए सुविधाएं बहुत सीमित है, कुछ मामलों में तो भाषा संबन्धी क्षमता नगण्य है, कुछ सेवाओं में भारतीय पर्यवेक्षकों द्वारा पर्याप्त राष्ट्रीय नियंत्रण नही है, स्टूडियो संबन्धी सुविधाओं की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है, संदर्भ सामग्री की कमी है, लक्ष्य क्षेत्रों में पहुंच सीमित है, सरकार के विभिन्न विभागों का विदेशी कूटनीतिक, वाणिज्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ बहुत कम नियमित सम्पर्क है और घटिया किस्म का फीडबैक है। यह भी एक तथ्य है कि भारत के वैदेशिक प्रसारण निर्धारित लक्ष्य क्षेत्रों में बहुत कमजोर सुनाई पड़ते है। अतः यह सब हमारे सामने एक गलत तरीके से तैयार की गयी सेवा, संसाधनों के दुरुपयोग, कुंठित कर्मचारी वर्ग, और असंतुष्ट भारतीय और विदेशी श्रोता वर्ग का चित्र उपस्थित करते हैं।

लक्ष्य क्षेत्र की परिभाषा

14.4 एक अनौपचारिक गवाह ने शार्ट वेव बैंड में 7.5 किलोवाट से 250 किलोवाट तक के हर ट्रांसमीटर की कम से कम मध्यम रेंज (दूरी) शक्ति को 'बहुत घटिया' बताया। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक प्रश्नावली का जिक्र किया जो विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुखों को भेजी गई थी। उसमें आकाशवाणी की ग्राह्यता, समय सीमा, लक्ष्य क्षेत्रों में श्रोता तकनीकी स्तर, फ्रीक्वेंसी प्राथमिकताएं, अवरोध की समस्यायें, भाषा जिसमे बोली और शैली शामिल हैं, से संबन्धित प्रश्न थे, उसने कहा कि उत्तरों से एक "घटिया चित्र" उपस्थित होता है। ग्राह्यता क्षीण है, सिगनल कमजोर है और स्तर तथा मात्रा में असमान है तथा इसका परिणाम यह होता है कि इन प्रसारणों के प्रति अधिक समय तक बहुत कम रुचि ली जाती है। जहां ये प्रसारण साफ सुनाई देते हैं वहां इनकी आलोचना की जाती है कि इनकी बोली और अभिव्यंजना कमजोर है।

14.5 रेडियो पत्रकारों और आलोचकों की भी जिन्होने विदेशों में भारतीय प्रसारणों के सुनाई देने के संबन्ध में सर्वेक्षण किया था, यही राय है। एक रेडियो आलोचक[1] के अनुसार आकाशवाणी की पश्चिम एशिया में रेडियो संबन्धी उपस्थिति नगण्य है और ये यूरोप तथा सोवियत संघ के अधिकांश भागों में वस्तुतः सुनाई नही पड़ते। आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों की घोषणा पर्याप्त रूप में नही करती और रेडियो पाकिस्तान, रेडियो पेकिंग और यहां तक कि रेडियो सिलोन इससे अधिक साफ सुने जाते है। इसमें प्रयुक्त भाषा समकालीन रूप में न होकर शास्त्रीय होती है। कुछ विदेशी श्रोताओं का कहना है कि यदि वे यह जानते कि आकाशवाणी में उन्हें किससे पत्र व्यवहार करना चाहिए तो इससे उन्हें सहायता मिलती।

14.6 चूंकि विदेशों में आकाशवाणी के कुछ पूर्णकालिक और कुछ अंशकालिक संवाददाता है यह पता नही है कि वे कार्यक्रमो के आगामी आदान-प्रदान के बारे में आकाशवाणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं।

14.7 व्यक्तिगत भारतीय राजनयिकों का भी यही विचार है। आकाशवाणी सुनाई नही देती और जब सुनाई देती है, तब इसका स्तर कमजोर होता है।

---

1. इण्डिया वाचिंग दि मीडिया गेम—लेखक—अमृत मलिक 'विकास प्रकाशन'

14.8 विदेश मंत्री के जो विचार हमने सुने वह भी ऐसे ही थे। अन्य लोगों की भांति वह भी सोचते हैं कि आकाशवाणी को विश्व भर में प्रसारण करने का आदर्श तो सामने रखना चाहिए, पर अपने सीमित संसाधनों द्वारा देश के पड़ोसी देशों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना ज्यादा जरूरी है। यह मोटे तौर पर हिन्द महासागर के देश, दक्षिण पूर्वी एशिया, आस्ट्रेलिया, खाड़ी के देश, पश्चिम एशिया और अफ्रीका का पूर्वी समुद्री तट और चीन की उत्तर एशियाई मध्य भूमि, अफगानिस्तान तथा सोवियत संघ हैं।

14.9 हम इस विचार से सहमत हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपना ध्यान ऐसे पड़ोसी देशों की ओर केन्द्रित करना चाहिए जो इस देश के हित के लिए जरूरी हों। हमें इस लक्ष्य क्षेत्र में उत्तमोत्तम सेवा विकसित करनी चाहिए। इसको पहले इस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। यह चाहे पूर्णकालिक हो या अंशकालिक संवाददाताओं के माध्यम से विदेशी समाचारों के कवरेज की बात हो या भाषा कौशल के विकास की। आकाशवाणी का, विशेषकर इसकी समाचार सेवा में, यह उद्देश्य होना चाहिए कि हिन्द महासागर क्षेत्र और उत्तर एशिया के बारे में जो भी व्यक्ति शीघ्र उपलब्ध, सही और सोद्देश्य सूचना तथा पृष्ठभूमि की सूचना प्राप्त करना चाहता है वह इसको सुनने के लिए लालायित रहे।

14.10 इस परिधि में जिन पड़ोसियों की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए वह हैं दक्षिण एशिया के आकाशवाणी के उर्दू कार्यक्रम और इनसे कुछ कम बंगला कार्यक्रम पाकिस्तान और बंगला देश में काफी लोकप्रिय है। इसका अन्दाजा, प्राप्त डाक और पूछताछ से लगाया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि इसी तरह अन्य देशों में भी विकास किया जा सकता है जिसके साथ भारत के दृढ़ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध हैं।

14.11 इसका यह अर्थ नहीं है कि आकाशवाणी को अपनी परिधि स्थायी रूप से सीमित कर लेनी चाहिए। एक बार इसे इस प्राथमिकता के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम सुदृढ़ हो जाते हों, उसके बाद इसका चयनात्मक रूप में दूर-दूर देशों में विस्तार किया जा सकता है।

वैदेशिक प्रसारण की लागत

14.12 बी०बी०सी०, रेडियो आस्ट्रेलिया और कुछ अन्य की प्रसारण पद्धतियों की तरह हम सुझाव देते हैं कि आकाशवाणी के विदेश सेवा तथा कुछ मानिटरिंग यूनिट के लिए पूंजी तथा राजस्व बजट का भार भारत सरकार को उठाना चाहिए। इसका कारण सीधा सादा है। ये कार्यक्रम देश के बाहर के श्रोताओं के लिए तैयार किये जाते हैं और इनका अधिकांश भाग उन विदेशी राष्ट्रिकों के लिए होता है जिनसे आकाशवाणी को वित्तीय रूप से न तो सहायता मिल सकती है और न इसकी आशा की जा सकती है।

14.13 आकाशवाणी की विदेश सेवा पर 1976-77 में 50.68 लाख रुपया लगाया गया। इसमें पूंजी खाते में लगाया गया एक लाख से कुछ अधिक रुपया भी शामिल है। मानिटरिंग एकक पर संगत अनुमानित व्यय 17.47 लाख रुपये था जिसमें 3.33 लाख रुपये का पूंजी व्यय भी शामिल है।

14.14 आकाशवाणी ने अपनी चौथी योजना प्रस्तावों में विदेश सेवा के लिए अनेक उच्च शक्ति समर्पित ट्रांसमीटरों की स्थापना की सिफारिश की थी। बताया जाता है कि दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए 340 लाख रुपये की एक योजना अपनाई गयी है, प्रथम चरण में 240 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। अब तक 250 किलोवाट के दो ट्रांसमीटर काम करने लगे हैं। ये अलीगढ़ में लगाये गये हैं।

14.15 विदेशी प्रसारण और चुने हुए विदेशी केन्द्रों का अनुश्रवण (मानिटरिंग) एक राष्ट्रीय काम है और देश के विदेशों से सम्बन्ध और सुरक्षा तथा उसके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों पर आधारित है। भारत की जानकारी, इसकी आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिक क्षमता का निकट सम्बन्ध देश के निर्यात प्रचलन और विदेशी आर्थिक नीति से है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रिक और विदेशों में रहने वाले भारतीय स्वभावत: भारत के विकास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वे अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाये रखने के इच्छुक होंगे। इस हालत में यह राष्ट्रीय प्रसारण न्यास का काम होगा कि वह सरकार के सहयोग से वैदेशिक प्रसारण और लक्ष्य क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

सम्पादकीय नियंत्रण और विश्वसनीयता

14.16 हम इस बात पर जोर देंगे कि समाचार और सामयिक प्रसारणों तथा सांस्कृति कार्यक्रमों का भी सम्पादकीय नियंत्रण आकाशवाणी और दूरदर्शन को करना चाहिये। प्रसारण संगठन और सरकार के सम्बन्धित विभागों विशेषकर विदेश मंत्रालय और इसके सीमान्त विभागों के साथ निकट सम्बन्ध जरूरी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार और सामयिक कार्यक्रमों की संपादकीय स्वतंत्रता और विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। एक संयुक्त समाचार सेवा अर्ध-नियंत्रित और अर्ध-स्वतंत्र नहीं रह सकती क्योंकि वही समाचार संगठन देश और विदेश दोनों ही के श्रोताओं और पर्यवेक्षकों की सेवा करता है।

14.17 इस बात से हमें काफी प्रोत्साहन मिला कि विदेश मंत्री के भी यही विचार हैं। उन्होंने बताया कि स्वायत्तता के अन्तर्गत वैदेशिक प्रसारण और आन्तरिक प्रसारण दोनों आने चाहिए और उनके बीच कोई 'अधूरापन' नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्वायत्त संगठन को अपनी वैदेशिक सेवाओं के सम्बन्ध में सरकारी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हालांकि वे यह आशा करते हैं कि इसमें सादृश्य की भावना रहेगी।

14.18 प्रसारण माध्यम की विश्वसनीयता का केवल संगठनात्मक मूल्य ही नहीं है, यह एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय धरोहर है। विश्वसनीयता को गृह और वैदेशिक सेवाओं में काम आने वाले अलग-अलग स्तरों में नहीं बांटा जा सकता। सरकार को यह आशा करने का पूर्ण अधिकार है कि आधिकारिक दृष्टिकोण और आधिकारिक घोषणाएं विदेशों में प्रचारित की जायेंगी। इसी के साथ आकाशवाणी को वैदेशिक समाचार और सामयिक मामलों की सेवाओं के लिए यह तर्कसंगत और उचित होगा कि विवादास्पद मामलों में असंगत दृष्टिकोणों और विरोधी विचारों के स्वरूप और स्रोत व्यक्त करें।

विशिष्ट संवर्ग की आवश्यकता

14.19 हमने "समाचार और सामयिक प्रसंग" के अध्याय 13 में सिफारिश की है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग, अनुश्रवण (मानिटरिंग) एकक और वैदेशिक सेवा प्रभाग में कर्मचारियों की अदला-बदली की जाये। इसी के साथ-साथ हम यह सुझाव देते है कि यह एक निष्ठावान वैदेशिक प्रसारण संवर्ग की आवश्यकता है जो विदेशी मामलों, विदेशी आर्थिक संबन्धों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र और विषय वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर सके।

14.20 अनुश्रवण (मानिटरिंग) एकक, समाचार सेवा प्रभाग और वदेशिक सेवा प्रभाग में भाषा विशेषज्ञों को जो वेतन दिये जाते हैं उन वेतनों को बुद्धिजीवियों को आकर्षित करने के लिए सुधारा जाना जरूरी है। हम भारतीय भाषाओं के मामले में किसी की अपनी मातृ भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा की जानकारी और अतिरिक्त विदेशी भाषा में सतत प्रवीणता के लिए भाषा पारितोषिक देने की सिफारिश करते हैं।

14.21 फिलहाल विदेश सेवा प्रभाग में कुछ विदेशी प्रसारण एककों में अनुवादक और विदेशी कर्मचारी काम करते हैं। गैर-राष्ट्रिकों को लेना आपत्तिजनक नहीं है किन्तु प्रत्येक मामले में एक भारतीय पर्यवेक्षक और एक प्रमुख होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप पर्याप्त कार्यक्रम-पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार का पर्यवेक्षण कमजोर है और अन्य में इसका अभाव है। इस कमी को तुरन्त दूर करने की आवश्यकता है।

14.22 आकाशवाणी और दूरदर्शन के कितने ही वैदेशिक श्रोता हैं, विशेषकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में। भारतीय संगीत और फिल्मों में अत्यधिक रुचि बढ़ रही है। इस दिलचस्पी का पूरा लाभ उठाना चाहिये। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवाओं को उन श्रोताओं की अभिरुचि को पूरा करना चाहिए।

श्रोता अनुसन्धान

14.23 श्रोता अनुसंधान वैदेशिक प्रसारणों के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना आन्तरिक कार्यक्रमों के लिए। इस समय, तकनीकी अनुश्रवण (मानिटरिंग) रिपोर्टें विभिन्न विदेशी प्रसारण संगठनों से प्राप्त होती है। तथापि विदेशों में कार्यक्रमों का अनुश्रवण (मानिटरिंग) पूरी तरह केवल भारतीय दूतावासों द्वारा ही किया जाता है अन्यथा, फीडबैक की व्यवस्था के लिए मुख्य माध्यम श्रोताओं के पत्र हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 2,00,000 तक होते हैं। इनमें से अधिकांश नेपाली, पश्तो, उर्दू, फारसी, पंजाबी, वर्मी और सामान्य विदेश सेवा के संबन्ध में होते हैं। उर्दू की वैदेशिक सेवा के बारे में भारतीय श्रोताओं से 1,50,000 से अधिक पत्र प्राप्त होते हैं। यह वांछनीय होगा कि नियमित श्रोता अनुसंधान का काम हाथ में लिया जाये ताकि विशिष्ट लक्ष्यों और कार्यक्रमों के बारे में लगातार मूल्यांकन और फीडबैक होता रहे। यह भी आवश्यक है कि श्रोताओं की रूप-रेखा के बारे में जानकारी मिल सके। इस काम में विदेशों में नियुक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता सहायक हो सकते हैं।

14.24 आकाशवाणी को कुछ वैदेशिक सेवा जैसे सिंहल और बलूची सेवायें प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय की नहीं होती। चीनी, इन्डोनेशियाई, तिब्बती, स्वाहिली और रूसी सेवायें प्रतिदिन केवल एक घंटे के लिए प्रसारित की जाती हैं। सीमित अवधि के इन प्रसारणों से ट्रांसमीटरों और कार्यक्रम कर्मचारियों जैसी कमियों का पता चलता है।

14.25 कार्यक्रम आदान-प्रदान एकक (वैदेशिक संभरण) प्रतिवर्ष 100 से अधिक विदेशी प्रसारण संगठनों को 2,000 से कुछ अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। इनमें संगीत कार्यक्रम, रूपक, नाटक, साप्ताहिक समाचार समीक्षाएं, न्यूज-रील और अन्य भाषित कार्यक्रम शामिल हैं। चौबीस देशों के साथ जिनसे भारत ने सांस्कृतिक करार किये है, त्रैमासिक कार्यक्रम संभरण की व्यवस्था की गयी है। वे देश हैं अल्जीरिया, अफगानिस्तान, जर्मन संघीय गणराज्य, रूमानिया, बंगलादेश, सेनेगल, फ्रांस, पोलैण्ड, मिस्र, यमन, मैक्सिको, हंगरी, तुर्की, ईरान, बुल्गारिया, सोवियत संघ, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, मारिशश, ईराक, बेल्जियम, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य और मंगोलिया। इसके अलावा, अनेक लैटिन अमेरिकी देशों को भी त्रैमासिक आधार पर कार्यक्रम भेजे जाते हैं।

14.26 कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा को रिकार्ड करने और 'डब' करने के यंत्रों, स्टुडियो संबन्धी सुविधाओं, टेप और कर्मचारियों की कमी के कारण अपने काम में बाधा पड़ती है।

कार्यक्रम पत्रिकायें

14.27 विदेशों में वैदेशिक सेवा के कार्यक्रम एक मासिक पत्रिका 'इण्डिया कालिंग' जो अंग्रेजी और अरबी, फारसी, पश्तो, बर्मी, इंडोनेशियाई, स्वाहिली, फ्रांसीसी, चीनी, नेपाली और तिब्बती भाषाओं में त्रैमासिक फोल्डरों के रूप में निकाली जाती है,। ये उन लगभग 20,000 लोगों को मुफ्त बांटी जाती हैं जिनके नाम डाक सूची (मेलिंग लिस्ट) में है। ये विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में मुफ्त बांटने के लिए उपलब्ध रहती है। "इंण्डिया कालिंग" का स्तर और आकार सुधारा जा सकता है और इसमें कुछ भारतीय विज्ञापन भी दिये जा सकते है।

14.28 वैदेशिक प्रसारण और कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सेवा है। यह तभी सार्थक हो सकती है, जब वितरण पद्धति और उच्च स्तर की पर्याप्त व्यवस्था हो। इन लक्ष्यों को चाहे कितनी कुशलता से प्राप्त किया जाये और नियोजन तथा कार्यक्रमों संबन्धी प्राथमिकताएं निर्धारित की जायें, यह आकाश भारती और विदेश मंत्रालय तथा सरकार के अन्य संबन्धित विभागो से संबन्धित विषय है।

अध्याय 15

प्रसार और रेडिओ शिक्षा

15.1 प्रसारण का सर्वाधिक शक्तिशाली उपयोग शिक्षा, विस्तार और विकास के लिये है। सभी प्रकार के विकास-प्रयत्नों में नये तरीकों तथा विकसित तकनीकों को अपनाने और लोगों को प्रेरित करने के लिये जागरुकता की आवश्यकता होती है। अपनी असाधारण पहुंच तथा बहुत कम लागत में तुरन्त अधिकाधिक लोगों तक सूचना पहुंचाने के कारण संचार में प्रसारण की भूमिका महत्वपूर्ण है।

15.2 आकाशवाणी और दूरदर्शन की शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों में पूरी आस्था है और सरकार इस उद्देश्य के प्रति कम वचनवद्ध नहीं है। तथापि उनके कार्यक्रम-विषयों और विशेषकर, कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों में लागत को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय प्रसारण में शिक्षा और प्रसार पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता रहा है। वर्ष 1976-77 में आकाशवाणी के 44.55 करोड़ रु० के कुल वजट में, शिक्षण-प्रसारण पर राजस्व और पूंजी—दोनों मदों पर लगभग 15 लाख रु० का प्रावधान था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रसार के हेतु 16.6 लाख रु० और कृषि प्रसार के लिये 38 लाख रु० से थोड़ी ज्यादा धनराशि निर्धारित की गई थी। फिर भी, लाभ हुए हैं, विशेषकर कृषि प्रसारण में।

15.3 क्षेत्रीय तथा ग्रामीण स्टेशनों की ओर भी स्थापना हो रही है, तथा जिलों में कम शक्ति वाले स्थानीय रेडियो स्टेशनों का जाल बिछाने की योजनायें बन रही हैं। इनके कारण भारतीय प्रसारण शैक्षणिक और प्रसार-प्रसारण के क्षेत्र में और भी व्यापक तथा सोद्देश्यपूर्ण रूप में अग्रसर होने को तैयार है। प्रसार-प्रसारण में विशेष रूप से, स्थान-विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है क्योंकि सीमित लक्ष्य दर्शकों/श्रोताओं को एक निश्चित समय में और एक निश्चित क्रम में कोई खास संदेश देना होता है। इसके लिये देश तथा विभिन्न राज्यों में तरह तरह के कृषि सम्बन्धी वातावरण तथा सामाजिक-आर्थिक दशाओं पर विचार करना पड़ता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शैक्षणिक और प्रसार कार्यक्रम एक विशेष प्रकार के दर्शकों/श्रोताओं के लिये तैयार किये जायें, जिनका सम्बन्ध किसी खास फसल, मौसम, स्थानीय दशाओं, भाषा, आयु-वर्ग, विकास की स्थिति इत्यादि से अलग-अलग या उनके मिले-जुले रूप से है। कुछ बड़े केन्द्रों से, जिनके साथ सहायक ट्रांसमीटर भी लगे हुए हैं, जब प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है तो उसे पांच से दस जिलों के 50 लाख से 2 करोड़ तक लोग देख सुन सकते हैं। परन्तु सीमित ट्रांसमिशन सुविधाओं वाले और केन्द्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में क्षेत्र-विशेष का निर्धारण कभी-कभी और सीमित हो पाता है।

संवर्द्धन और समर्थन

15.4 प्रसार-प्रसारण में और भी कई नाजुक तथ्य हैं। यह अध्यापक या प्रसार कार्यक्रम का विकल्प नहीं हो सकता और न ही उसका स्थान ले सकता है। रेडियो और टेलीविजन अध्यापक के विकल्प नही हैं, ये ज्ञानवृद्धि के सहायक उपकरण हैं। इनका इस्तेमाल अध्यापक या अध्यापकों द्वारा किया जाना है। एस० आई० टी० ई० (उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम) के मूल्यांकन से भी इस बात का पता चला है कि टेलीविजन का प्रसार कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता का स्थान नहीं ले सका—उसका मुकाबला भी नहीं कर सका—परन्तु जब इसका इस्तेमाल उन प्रयत्नों को मजबूत करने के लिये किया गया तो इससे लाभ हुआ। इसलिये प्रसारण प्रेरणा दे सकता है और संवर्द्धन कर सकता है। किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रचार करने से उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है।

15.5 शैक्षणिक रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना देना चाहिये। इसे ऐच्छिक संवर्द्धन नहीं माना जाना चाहिये। इसके लिये उचित योजना, समय और पाठ्यक्रम का समक्रमण और प्रसारण माध्यम तथा अध्यापक के बीच सतत परामर्श और सहयोग की आवश्यकता है। अध्यापक कोई भय या भार न महसूस करे अपितु उसका सहयोग लिया जाना चाहिये और उसे सम्मान देना चाहिये।

15.6 स्कूल और प्रसार-प्रसारण उत्पादन-कार्यक्रमों पर अधिक जोर देते रहे है, न कि संदेश पहुंचाने, उपयुक्त प्रतिक्रिया और अनुवर्ती कार्यक्रम पर। प्रसारण माध्यम को अन्य संचार कार्मिको, एजेंसियों या प्रणालियों से सामंजस्य रखना चाहिये। वे अकेले कार्य संचालन करके सफलता की आशा नहीं रख सकते। क्योंकि रेडियो और टेलीविजन एकतरफा माध्यम है। इसलिये किसी संवाद की स्वीकार्यता, विश्वसनीयता या समझ का माप करने के लिये प्रतिक्रिया माध्यमों का बहुत महत्व है। सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रणाली से लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। क्षेत्रों में

6 I&B/77—11

काम करने वाले कर्मचारियों के लिये संचार एक सहायक सेवा प्रस्तुत करता है और निचले स्तर तक के लक्ष्य दर्शकों/श्रोताओं से आमने सामने सम्पर्क स्थापित करता है ।

15.7 बहु-माध्यमों वाले दृष्टिकोण पर हमेशा जोर दिया जाना चाहिये। रेडियो-शिक्षा तथा शैक्षणिक टेलीविजन को छपी सामग्री इत्यादि का उचित सहयोग मिलना चाहिये; यह सहयोग पुस्तकों, फोल्डरों, तथ्य-पत्रों, चार्टों, डायग्रामों, फ्लिप चार्टों, स्लाइडों, चित्रों या अन्य प्रदर्शनों के रूप में हो सकता है। इस तरह की चीजें बहुत थोड़े ही खर्च में थोड़ी सी कल्पना का सहारा लेकर और मामूली सहूलियतों में ही तैयार की जा सकती हैं। रेडियो और टेलीविजन का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है।

रेडियो देहाती कार्यक्रम

15.8 प्रसार और सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का उस समय अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि श्रोता या दर्शक प्रस्तुत किये गये व्यक्तियों या स्थितियों से अपना तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। इसके लिये स्थानीय कार्यक्रम तैयार करने वालों को अपनी बात दूसरों के गले उतारने की जरूरत होती है ताकि दर्शक किसी कार्यक्रम के विषय को सहज रूप से हृदयंगम कर सकें। यह सब कार्यक्रम के पहले या बाद, बातचीत या कमेन्ट्री द्वारा किया जा सकता है। साधन चाहे जो भी हों, प्रमुख चीज है—साधारण विवरणों पर गौर करना जिनके द्वारा छोटी सी बात को भी विस्तार में प्रस्तुत किया जा सकता है। उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया गया कार्यक्रमों का आदान-प्रदान भी काफी सुविधाजनक होता है।

15.9. कम सुविधाप्राप्त और अशिक्षित या प्रारम्भिक श्रोताओं/दर्शकों पर प्रसारण-शिक्षा का प्रभाव व्यक्तिगत की अपेक्षा ग्रुपों में अधिक पड़ता है। समूह या समुदाय के रूप में सुनने या देखने से अपेक्षाकृत अधिक तादात्म्यता पैदा होती है। मिल-जुलकर विचार-विमर्श करने से समझने, जागरुकता, प्रेरणा और कार्य तत्परता में बड़ी सहायता मिलती है।

15.10. ग्रामीण प्रसारण पहले-पहल 1935 में इलाहाबाद में शुरू हुआ और 1950 के दौरान इस का नियमित रूप से प्रसारण शुरू हुआ। आज देश में यह कृषि सम्बन्धी नवीनतम ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। करोड़ों किसान और मछुआरे मौसम-सम्बन्धी भविष्यवाणी सुनने के लिए आकाशवाणी के बुलेटिनों को सुनते हैं क्योंकि उनकी जीविका मौसम पर निर्भर करती है। कीटाणुओं और महामारी के बारे में रेडियो से दी जाने वाली चेतावनियां भी जानी-मानी आपात् सेवा बन गई हैं।

15.11. महाराष्ट्र में 1956 में रेडियो ग्रामीण कार्यक्रम शुरू होने के साथ-साथ देहाती प्रसारण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। राज्य सरकार द्वारा कुछ चुने हुए गांवों में सामुदायिक रेडियो सेट दिये गए जिसके आसपास सुनने वाले समूह एकत्रित हो जाते थे, वे आकाशवाणी के पुणे केन्द्र से प्रसारित होने वाले कृषि-कार्यक्रमों को सुनते, विचार-विमर्श करते और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। यह कार्यक्रम सफल रहा हालांकि कुछ कामकाज की जटिलताएं उत्पन्न हुई जैसे—रेडियो ग्रामीण कार्यक्रम के 11 प्रपत्र प्रतिमाह अच्छी तरह भरकर और वापस भेजे जायें ताकि सुनने वालों की संख्या या उनके गुणात्मक पहलुओं आदि का मूल्यांकन किया जा सके। बाद में इस कार्यक्रम में विस्तार किया गया परन्तु इसके विवरण या सहयोग में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। परिणामतः इसके गुण-स्तर में गिरावट आई और इसमें गतिरोध आया। ट्रांजिस्टर के क्रांतिकारी आगमन के साथ सामुदायिक रेडियो सेटों के संरक्षण की समस्याएं बढ़ गई और व्यक्तिगत श्रवण ने जोर पकड़ा। तथापि 22,500 रेडियो ग्रामीण मंच स्थापित किये गए, इनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में कायम किए गए और शेष उड़ीसा तथा तमिलनाडु में। हालांकि कई राज्यों के आर० आर० एफ० सेटों के गायब हो जाने की खबरें मिलीं परन्तु इन राज्यों के सेट अभी भी सुरक्षित हैं।

कृषक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक साक्षरता

15.12. सघन कृषि विकास कार्यक्रम में वृद्धि के फलस्वरूप 1966 में कृषि-प्रसारण के विस्तार में एक नये अध्याय की शुरूआत हुई। आई० ए० डी० पी० की योजना के समर्थन में आकाशवाणी में खेती-बाड़ी तथा घरेलू कार्यक्रम के एकक खोले गए। कृषि, शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में एक कृषक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक साक्षरता का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और आकाशवाणी में स्थापित कृषि तथा घरेलू कार्यक्रम एककों का कार्यभार एक रेडियो अधिकारी को सौंपा गया। इसकी सहायता के लिए एक कृषि रेडियो रिपोर्टर और एक क्षेत्र सहायक नियुक्त किया गया। फार्म रेडियो अधिकारी कृषि स्नातक होते हैं और उनको दौड़धूप की सुविधा के लिए प्रत्येक एकक को एक वाहन दिया गया। वाहन की सुविधा, बाद में, हटा ली गई और क्षेत्र सहायक का पद समाप्त कर दिया गया। कृषक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम 30 मिनट का होता है, जिसमें प्रतिदिन शाम को खेती-बाड़ी सम्बन्धी मुख्य सूचनाएं दी जाती हैं और उसके साथ ही साथ मौसम सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जाती है। सवेरे 5 मिनट के प्रसारण में सामयिक कृषि संकेत दिये जाते हैं। व्यावसायिक साक्षरता की कक्षाओं का लक्ष्य 15-25 वर्ष के आयु वर्ग के देहाती युवकों को रखा गया है; जिसके लिए लगभग तीस-तीस छात्रों वाले प्रत्येक जिले में 100 केन्द्र स्थापित करना है।

15.13. रेडियो ग्रामीण मंच की ही तरह कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम की कल्पना

सुनियोजित पद्धति के सामूहिक श्रवण के रूप में की गई । एक चर्चा मण्डल में 10 से 20 (युवा) किसान भाग लेते हैं और उनमें एक व्यक्ति उस समूह का नेता होता है । इसकी औपचारिकताओं को सरल बना दिया गया था और कुल 146 जिलों में लगभग 48,000 चर्चा मण्डलों को स्थापित किया गया जहां कि समर्थ आयोजक सेट रख सकते हों। कई क्षेत्रों में इसका बहुत उत्साहवर्धक परिणाम रहा हालांकि इस मामले में गतिरोध की अनेक खबरें प्राप्त हुईं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे प्रयास किए जायें कि कृषि-प्रसारण को किसानो के प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता के साथ समन्वित कर दिया जाये तथा कृषि-उत्पादकता भावना को कार्यरूप दिया जाये । इस कार्यक्रम में कृषि मे वृद्धि और व्यावसायिक साक्षरता को एक साथ चलानें की विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रमो, कृषि विज्ञान केन्द्रों और कार्य संचालनात्मक अनुसन्धान को विभिन्न अंशों में सम्मिलित किया गया । कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम रेडियों पर निर्भर नही है बल्कि रेडियों द्वारा समर्थन प्राप्त है ।

15.14 शिक्षा मंत्रालय द्वारा कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता के सम्बन्ध में हाल में किए गए मूल्याकन से कई समस्याओं का पता चला हे, जैसे ग्रामीण गरीब लोगों के बारे में अपर्याप्त कार्यक्रम; निचले स्तर से योजना का अभाव, विरोधाभास, एक दूसरे अंश पर हावी हो जाना, अपर्याप्त साधन और अपूर्ण उपयोग, कृषक प्रशिक्षण की तुलना में व्यावसायिक साक्षरता के अंगों का क्षीण होना और समन्वयन की कमी। फिर भी, प्रशिक्षण और प्रसारण के बीच अंतराल को कम करने के लिए आकाशवाणी की प्रशंसा की गई है। प्रतिवेदन की समाप्ति इस संस्तुति से की गई है कि कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम का इस तरह विकास और विस्तार किया जाना चाहिए कि देश भर के किसानों के लिए यह 'खुले विश्व विद्यालय' का रूप ले ले और इसकी मुख्य विशेषताएं हों— गरीब लोगों के हेतु अवसर की समानता और यह कृषि विकास के एक अंग के रूप में उत्पादन और शिक्षा को साथ साथ चलाए जिसमें अध्यापक प्रभुत्व की अपेक्षा सहभागिता पर जोर दिया जाय। वर्तमान चर्चा मण्डलों का व्यावसायिक साक्षरता की कक्षाओं के साथ विलय करने की भी इसमें सिफारिश की गई है ।

'फार्म स्कूल आन दि एयर'

15.15 आजकल आकाशवाणी में 49 कृषि और घरेलू एकक हैं, ऐसे और भी एकक खोले जा रहे है। आकाशवाणी से त्रिचूर और विजयवाड़ा केन्द्रों में 1973 में शुरू किए गए और बाद में 8 अन्य केन्द्रों में चालू किए गए 'फार्म स्कूल आन दि एयर' कार्यक्रम के माध्यम से खुली शिक्षा देने की क्षमता की सफलता के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है। कुछ चुने हुए विषय जैसे, धान, नारियल या रबर, जुताई आदि के बारे में कृषि विभागों और फार्म विश्वविद्यालयों के प्रसार अभियान के सहयोग से प्रसारण में घोषणा की जाती है। आकाशवाणी द्वारा कृषकों का पंजीकरण कर लिया जाता है और फार्म रेडियो भाषणों से संबंधित सामग्री (जिनकी संख्या 20 से 35 पाठ होती है) छपी सामग्री के रूप में उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। त्रिचूर के फार्म स्कूल कार्यक्रम उसी समय त्रिवेन्द्रम और कालीकट के केन्द्रों से भी प्रसारित किए जाते है । अकेले त्रिचूर जिले में धान के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 1050 थी और श्रोताओं के बारे में किए गए अनुसंधान सर्वेक्षण में बताया गया है कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही संतोषजनक थी। प्रत्येक पाठ एक विशेषज्ञ तैयार करता है जिसकी सहायता प्रसार कर्मचारी करते है, जो उसके छात्र की तरह प्रश्न पूछते है। पुनः भाषण प्रश्नोत्तर शैली में चलता है जिससे श्रोताओं का कार्यक्रम में मन लगता है और उनके उसके समझने में सहायता मिलती है। श्रोताओं से प्रश्न भेजने को कहा जाता है, जिसका उत्तर अगले भाषणों में दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में रेडियो क्विज (प्रश्नमाला) दिया जाता है जिससे साधारण जांच हो जाती है और किसानों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी उत्तर पुस्तिका भर कर भेजें, पुनः उनका मूल्यांकन किया जाता है।

15.16 कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम की असमान सफलताओं के बावजूद यह प्रगति की दिशा में एक प्रमुख कदम है। विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से इस ओर और आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावनाएं है। प्रस्तावित नये स्थानीय रेडियो केन्द्रों को, जनता के साथ ज्यादा सहयोग के कारण, नये तरह के समुदाय कार्यक्रमों के क्षेत्र मे अनुपम संभावनाएं है। इसके लिए प्रशिक्षण और साधन तथा अन्य संस्थाओं और प्राधिकरणों के साथ सुदृढ़ सहयोग की आवश्यकता होगी ।

विस्तृत क्षेत्र और कृषक सहयोग

15.17 कृषि कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वे ध्यान आकृष्ट कर सकें और लगातार रूचि बनाये रख सकें। इस संबंध में परम्परागत लोक कला आदि का बहुत महत्व है । भाषा और शैली इतनी सरल होनी चाहिए कि समझ में आने में आसानी हो । किसी कार्यक्रम को अधिक जानकारी के बोझ से लाद नहीं देना चाहिए तथा जरूरी जरूरी बातों को दुहराना भी चाहिए । किसान महिलाएं भी दर्शकों का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भाग हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए । अनेक क्षेत्रो में 'पशुदर्शन' उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, जैसे कई क्षेत्रों में 'कृषि दर्शन' उसी तरह, बागवानी, जलजीवपालन और फार्मिंग के अन्य कई नये तरीके तथा सहायक कृषि व्यवसाय, जिन में कृषि सम्बन्धी प्रक्रियाएं, ग्रामीण शिल्प और उद्योग आदि सम्मिलित हैं, भी महत्वपूर्ण है । ऋणों और पूजी के बारे में सम्वाद प्रसारित करते समय प्रसारण के समय और स्थान

का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । प्रसारण माध्यम की विश्वसनीयता पर आघात न पहुंचे और प्रेरणा के स्थान पर कुंठा न पनपने पाये । महत्वपूर्ण कृषि और पशु मेलों तथा पर्वों के अवसर पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर रेडियो कृषि सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है । अन्य क्षेत्रों की तरह, कृषि-प्रसारण परामर्शदात्री समितियों जैसी सक्रिय संस्थाएं होनी चाहिए, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ तालमेल के साथ काम करें और कृषि कार्यक्रम के श्रोताओं के साथ सम्पर्क रखें । कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में अब साधारण रिकार्डिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, या अन्य कई में पंतनगर या जबलपुर की तरह अपने संचार विभागों में और विस्तृत स्टूडियो सुविधाएं कायम करने की दिशा में काम चल रहा है । कार्यक्रमों के तैयार करने में इन सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपनाया जाना चाहिए ।

अनौपचारिक प्रणालियां

15.18 इस समय देश में 8 करोड़ कृषि-परिवार हैं और 15,000 के कम ग्राम प्रसार कार्यकर्ता हैं । इससे दोनों के बीच खाई का अनुमान लग सकता है । जिसे विभिन्न माध्यमों से, जिसमें प्रसारण भी सम्मिलित है, पाटना है ताकि आधुनिक कृषि के बारे में संदेश सभी तक पहुंच सके । इस समय, देश में लगभग 10 करोड़ छात्र हैं और 7 लाख संस्थाओं में लगभग 30 लाख अध्यापक हैं, जो देश के सभी भागों में प्रारम्भिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं । इस पर लगभग 2500 करोड़ रु० खर्च होता है । ये छात्र और अध्यापक दूसरा श्यामपट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे रेडियो या कैसेट टेप रिकार्डर, फिल्म प्रोजेक्टर या टेलीविजन प्रस्तुत कर सकते हैं । विद्यालयों से बाहर, शिक्षा प्राप्त करने वालों की अभी बहुत भारी तादाद है, जिनमें विद्यालयों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले, ऐसे बहुत से लोग जो कई कारणों से कभी स्कूल गये ही नहीं, और अन्य पढ़ने वाले, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं । देश अब अनौपचारिक शिक्षा-प्रणाली का प्रसार, और विस्तार करने तथा उसे समृद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है ताकि लाखों भुलाय हुये और उपेक्षित लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके । इस अनौपचारिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसारण माध्यम, सम्भवतः सर्वाधिक अनुकूल हैं क्योंकि विभिन्न आयु वर्गों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप रेडियो-शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है तथा इसे घर, खेत, कारखानों और अनौपचारिक कक्षाओं तक पहुंचाया जा सकता है । इससे कार्य क्षमता के सुधारने में मदद मिल सकती है । इससे बैंकों आदि जैसे विभिन्न कार्यालयों के शिक्षित कर्मचारियों को भी अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा से लाभ हो सकता है ।

15.19 वर्तमान समय में, भारतीय जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत निरक्षर है, यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है, और उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 15-25 वर्ष के आयु-वर्ग में 10 प्रतिशत से अधिक लोगों ने नाम नहीं दर्ज कराये हैं । 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग में भी 80 प्रतिशत नाम-दाखिले की तादाद भ्रामक हो सकती है क्योंकि अनुमान है कि पहली पांच कक्षाओं के बाद लगभग आधे छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं और अन्य 20 से 30 प्रतिशत आठवीं के बाद । इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश भारतीय बच्चे और लगभग सारी प्रौढ़ जनसंख्या विद्यालय से बाहर है या रही है और यदि देश में अभीष्ट सामाजिक परिवर्तन लाना है तो इस वर्ग को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की सुविधा देने की आवश्यकता है ।

15.20 शिक्षा मंत्रालय शिक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी और 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 22 करोड़ निरक्षरों में से कम से कम आधे लोगों को शिक्षित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में अनौपचारिक शिक्षा का विशेष महत्व हो जाता है और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को, जिसमें साक्षरता और अंक-ज्ञान की जानकारी दी जाती है, इन पुरुषों और महिलाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने में प्रसारण माध्यम को विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

विद्यालय-प्रसारण

15.21 भारत में विद्यालय-प्रसारण कोई नई चीज नहीं है क्योंकि यह 1939 से ही शुरू हो गया था। विद्यालय कार्यक्रम सेवा अब आकाशवाणी के 35 केन्द्रों से उपलब्ध है और इन कार्यक्रमों को अन्य 20 सहायक केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है । ये प्रसारण 17 भाषाओं में किये जाते हैं और दिसम्बर 1977 के अंत तक 50,000 से कुछ अधिक विद्यालयों को यह सुविधा मिल रही थी, जिसमें से 29,000 विद्यालय तमिलनाडु में हैं, जिसने सभी प्रारम्भिक विद्यालयों को विद्यालय-प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया था । प्रसारण का माध्यम स्थानीय भाषा है यद्यपि अधिकांश केन्द्र अंग्रेजी भाषा पाठन कार्यक्रमों की भी सुविधा प्रस्तुत करते हैं । प्रत्येक सप्ताह में लगभग 200 विद्यालय कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । बहुत अंशों में ये विद्यालय के पाठ्यक्रमों जैसे ही होते हैं और इनका उद्देश्य पाठ्यक्रमों को समझने में सहायता करना है । इस कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले विषयों में, क्षेत्रीय भाषाएं, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ताजे समाचार सम्मिलित हैं । विद्यालय-प्रसारण अनेक वर्षों तक केवल माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ही प्रसारित किए जाते थे परन्तु 1972 से यह सुविधा प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए भी दी जाने लगी ।

15.22 विद्यालय प्रसारणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है । इनमें सेटों की अप्राप्यता या रख-रखाव की कमी; प्रसारण और कक्षाओं के समय में तुल्यकालन का अभाव; विद्यालयों की पारियों और प्रसारणों को दुहराने में

रेडियो केन्द्रों की असमर्थता, अपर्याप्त अध्यापक-तैयारी और सहायक सामग्रियों की कमी; और कुछ मामलों में विद्यालय प्रसारणों की सीमित अवधि आदि सम्मिलित हैं। रेडियो और टेलीविजन सम्प्रेषण के एकतरफा माध्यम हैं और जब तक कार्यक्रमों को काफी सोच-समझकर प्रेरणादायक अध्यापकों द्वारा नहीं तैयार किया जाता तो छात्र और अध्यापक के बीच आपसी सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं। कार्यदल को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद ने 1972-73 में दिल्ली में एक सर्वेक्षण किया, जिससे पता लगा कि प्रसारण सुविधा सम्पन्न नगर के 500 विद्यालयों में केवल 11 रेडियो सेटों का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में जलगांव और जयपुर में किए गए इसी प्रकार के सर्वेक्षणों से भी लगभग इसी तरह की जानकारी मिली है। कुछ क्षेत्रों में विद्यालयों में रेडियो सेट लगाने से पूर्व ही प्रारम्भिक विद्यालयों के हेतु प्रसारण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। इससे पिछले दिनों किए गए विद्यालय-प्रसारणों के बारे में कुछ अस्फुट जानकारी के लिए आवश्यक अनुमानित अध्ययन, रेडियो सेट तथा अन्य सहायक सामग्रियों, बैटरियों की प्राप्यता, (जहां आवश्यक है) और पर्याप्त रख-रखाव आदि समेत सभी तरह के आवश्यक निवेश, जिनका भविष्य में महत्वपूर्ण स्थान है, के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय प्रसारणों को पाठ्यक्रमों के साथ पूरी तरह समन्वित किया जाना चाहिए। सबसे प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि प्रोड्यूसरों और कार्यक्रम कक्षों के बीच पूर्ण रूप से समन्वय हो तथा सम्प्रेषक अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण मिले।

15.23 तमिलनाडु के जिन दो प्रधानाध्यापकों के साथ हमारी भेंट हुई, उन्होंने अपना अनुभव यह बताया कि विद्यालय प्रसारणों के विषय तथा उनकी शैली विद्यालय पाठ्यक्रमों से मेल नहीं खाती। अतः विद्यालयों और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक निकट सम्पर्क की आवश्यकता है। इस समय प्रतिक्रिया जानने की सुविधा केवल 10 प्रतिशत विद्यालयों में ही उपलब्ध है, जो उनकी राय में बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यापकों को बी० एड० पाठ्यक्रम में रेडियो-पाठन तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन किशोरों के लिए प्रसारित होने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन के 'सेक्स' शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की।

कसेट रिकार्डर और रेडियो दर्शन

15.24 तमिलनाडु के अधिकांश विद्यालयों और पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों के विद्यालयों ने टेप रिकार्डर प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। इससे वे विद्यालय प्रसारणों को टेप कर सकते हैं और जब चाहें, उसे फिर दुहरा सकते हैं। इससे अध्यापकों को यह सुविधा भी होती है कि वे पाठ के कठिन अंशों को समझाने के लिए प्रसारित पाठ को बीच में ही रोक सकते हैं, और प्रसारित पाठ आगे बढ़ाने से पूर्व के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी खास बात के सिलसिले में विचार-विमर्श को प्रोत्साहन दे सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् भी 'रेडियो दृश्य' के साधारण तकनीकों पर प्रयोग कर रहा है जैसे—फ्लैश कार्ड के इस्तेमाल, सुबोध चित्र, ग्राफ और चार्ट आदि जिनका प्रयोग किसी खास विद्यालय-प्रसारण के साथ किया जा सकता है और जो अध्यापकों या अन्य लोगों द्वारा समय से काफी पहले तैयार किए जा सकते हैं। कैसेटों और 'रेडियो दृश्य' का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम खर्चीला रहेगा तथा अध्यापक और शिष्य के निकट सम्बन्धों की प्रक्रिया में प्रभावकारी माध्यम बनेगा, क्योंकि इसमें अध्यापक रेडियो का इस्तेमाल एक अन्य श्यामपट्ट जैसे करता है और उसका अस्तित्व पृष्ठभूमि में विलीन नहीं होने पाता। जो कि पहले केवल अनासक्त द्रष्टा की तरह हो जाता था।

15.25 आकाशवाणी ने विद्यालयों में कैसेट-सेवा तैयार करना शुरू कर दिया है, इसके लिए वह अपने ग्रंथागार का उपयोग कर रहे हैं जिसमें 70 हजार शिक्षा सम्बन्धी टेप रखे हुए हैं। अब तक 70 कार्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं और उन्हें इस्तेमाल में लाया जा रहा है और भी अनेक तथा विविध प्रकार के टेप तैयार किए जा सकते हैं, जिनसे एक बहुमूल्य कैसेट टेप लाइब्रेरी बनाई जा सकती है, और विद्यालयों को, जब कभी आवश्यकता पड़े, यहां से टेप ले सकेंगे।

अध्यापक प्रशिक्षण

15.26 शैक्षणिक प्रसारणों का उपयोग अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए असम में 40 हजार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं, जिनमें से एक तिहाई अप्रशिक्षित हैं और 25,000 माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं। लगभग 500 विद्यालयों में रेडियो सेटों की सुविधा उपलब्ध है। राज्य शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 23 बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं, जिनमें प्रत्येक में 150 के ग्रुपों में उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा है। ये प्रशिक्षण केन्द्र रेडियो अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लगभग एक वर्ष से प्रमुख केन्द्र बन गए हैं और इनका प्रशासन एक सलाहकार समिति को दे दिया गया है। प्रसारण पाठों को छपा लिया गया है और उन्हें वितरित कर दिया गया है। खबर है कि उनकी भारी मांग है। राज्य के अधिकारियों के अनुसार, रेडियो की सहायता से चलाये जाने वाले ये अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी रहे हैं और इनका विस्तार किया जाना चाहिए।

15.27 सम्बद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से महाराष्ट्र (पुणे) में और केरल में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जो पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम चलाये गए हैं उनकी भी यही स्थिति है। केरल में और अच्छे पाठ्यक्रम के इस्तेमाल द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया जा रहा है। यहां 1,20,000 प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या थी, यह काम ऐसा था, जो रेडियो और

पत्राचार अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सकता था। इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन नवम्बर, 1975 में छठी कक्षाओं के अध्यापकों के लिये किया गया, जो साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुरू किया गया था। इस बहु-मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत अध्यापकों को चुने हुए पाठों पर छपे नोट पहले ही बांट दिए गए, वे पुनः प्रसारण पाठों को सुनते थे तथा रेडियो अध्यापक से प्रश्न पूछते थे। उत्तर बाद वाले प्रसारणों में दिए गए। भाग लेने वाले अध्यापकों को सहायक छपी सामग्री के साथ संलग्न उत्तर-पुस्तिका में उत्तर भरने के लिए दिए गए और उनका राज्य शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन किया गया और फिर अध्यापक को लौटा दिया गया। प्रयोगशाला के प्रयोगों के लिए तथा रेडियो कक्षाओं पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न प्रमुख केन्द्रों मे तीन तीन दिन की सम्पर्क कक्षाएं लगाई गई। अन्त में अध्यापकों के, उत्तरों और सम्पर्क पाठ्यक्रमों के अंक दिए गए और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए। पहला पाठ्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध छठी कक्षा के प्राथमिक अध्यापकों को भौतिकी, रसायनशास्त्र और जीव विज्ञान विषयों से संबंधित था। आकाशवाणी के श्रोता - अनुसंधान सर्वेक्षण से पता चला कि सभी सहयोगियों ने सहायक सामग्री को सूचनाप्रद पाया और बताया कि रेडियो-पाठ बहुत उपयोगी थे। सहायक सामग्री की भी उन्होंने सराहना की। पहले पाठ्यक्रम की सफलता से अधिकारियों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने प्राथमिक गणित अध्यापकों, सातवी कक्षा के विज्ञान अध्यापकों और पांचवी कक्षा के मलयालम अध्यापकों के लिए भी इसी तरह के प्रसारण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। 1977—78 मे तीन पाठ्यक्रमों में लगभग 8,500 अध्यापकों को पंजीकृत किया गया। खबर है कि अगले साल के लिए और भी व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जायगा।

15.28. गुजरात से भी इसी तरह के सफल अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सूचना मिली है। 1976 तक गुजरात के विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी लेकिन तबमें इसे छठी कक्षा से शुरु करने का फैसला किया गया। फलस्वरूप पूरे राज्य के लगभग 11,000 विद्यालयों में छठी और सातवी कक्षा के हेतु अंग्रेजी के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की तुरंत समस्या उठ खड़ी हुई। आणंद के एच० एम० पटेल इन्स्टीट्यूट आफ वल्लभ विद्यानगर यूनिवर्सिटी में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना तैयार की और जुलाई, 1977 से आकाशवाणी के अहमदाबाद वड़ोदा, राजकोट और भुज केन्द्रों मे हर शनिवार के आधे घंटे का 'टीच-इंगलिश' श्रृंखला-पाठ्यक्रम शुरु किया गया। इस मामले भी राज्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से छपी हुई सहायक सामग्री वितरित की गई। एक साल तक चलने वाले रेडियो पाठ कार्यक्रमों को सम्पर्क कार्यक्रमों से और भी मजबूत बनाया जाता है जो विभिन्न जिला मुख्यालयों में हर तीन महीने पर आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी और राज्य शिक्षा संस्थान दोनों के ही प्रतिनिधि सम्पर्क समूह बैठकों में भाग लेते हैं, जिसमें हर जिले के लगभग 100 अध्यापक भाग लेते है। 'टीच इंगलिश' रेडियो पाठ्यक्रम 1978 में 7वी कक्षा के अध्यापकों, 1979 में आठवी 1980 में 9वी और 1981 में 10वी कक्षा के अध्यापकों के लिए शुरु कर दिया जायेगा।

15.29. आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्रों से विज्ञान कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और इसके सात केन्द्रों में विज्ञान कक्ष भी खोले जा चुके है। महानिदेशालय में चीफ प्रोड्यूसर (विज्ञान प्रसारण) का पद धनराशि की कमी के कारण अभी भी रिक्त पड़ा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोकप्रिय विज्ञान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर हम विशेष जोर देते है।

15.30 कृषक प्रशिक्षण और व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम का एक भाग व्यावसायिक साक्षरता, जिसमें शिक्षा विभाग मुख्य भागीदार है, अब तक अनौपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख माध्यम रहा है। आकाशवाणी के नागपुर, जयपुर, शिमला, श्रीनगर और तिरुचि केन्द्रों से 15—25 वर्ष के आयु वर्ग युवा पाठकों को 1976 से रेडियो की सहायता दी जा रही है। इनमें कभी भी स्कूल नही जाने वाले या विद्यालयों को छोड़कर घर बैठ जाने वाले सम्मिलित है। यह कार्यक्रम काफी सम्भावनाओं से भरा हुआ लगता है और इसे अभी प्रारम्भिक चरण का कार्यक्रम ही माना जाना चाहिए।

पत्राचार पाठ्यक्रमों को समर्थन

15.31 इस समय 15 विश्वविद्यालयों मे पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इनमे से पांच विश्वविद्यालयों को रेडियो का समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये दिल्ली, पंजाब, पंजाबी (पटियाला), मदुरै और कश्मीर विश्वविद्यालय हैं और आकाशवाणी के दिल्ली, जालंधर मद्रास तिरूचि और श्रीनगर केन्द्रों से व्याख्यान प्रसारित किए जा रहे है। जहां तक इन प्रसारणो का सम्बन्ध है, निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बद्ध होने के कारण औपचारिक है। परन्तु इसके लिये सामूहिक श्रोतागण न होने के कारण अनौपचाकि भी हैं। इसे छात्रों पर छोड़ दिया जाता है और जो अपने रेडियो पर प्रसारण पाठ सुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आकाशवाणी दिल्ली तीन वर्षो मे 11 विषयों के 300 रेडियो व्याख्यान अर्थात् प्रत्येक विषय के 27 से 30 व्याख्यानों की व्यवस्था करता है। यह प्रति विषय प्रति वर्ष 9 प्रसारण व्याख्यान के करीब बैठते हैं। आकाशवाणी व्याख्याताओं को 50 रु० प्रति व्याख्यान से अधिक नही देती। इसमें से सम्भवतः 40 प्रतिशत टाइप और परिवहन पर खर्च हो जाता है। सभी व्याख्यान उच्च दर्जे के नहीं होते। टेपों की कमी के कारण सभी व्याख्यान सुरक्षित नही रखे जाते और कभी कभी तो पांडुलिपियां भी नही रखी जाती। जिसके कारण अगले वर्ष काफी खर्च पर सारे काम को दोहराना पड़ता है। यह प्रतिभा की काफी

बड़ी बरबादी प्रतीत होती है। हमारा विचार है कि अधिक पैसे देकर व्याख्याताओं को काम पर लगाना और देश भर के पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए उच्च किस्म के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित समृद्ध कैसेट पुस्तकालय तैयार करना तथा आवश्यकतानुसार सहायक पाठन सामग्री के रूप में आलेखों को छपवाना और प्रसारित करना भी सम्भव होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रसारण भी आनुपातिक रूप से कमजोर ट्रांसमीटरों से प्रसारित किए जाते हैं जो दिल्ली और अन्य केन्द्रों के इर्द-गिर्द 40 से 60 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं सुने जा सकते। इसका कारण ट्रान्समीटर पर काम का अधिक दवाव और आवृत्तियों की कमी है। प्रत्येक व्याख्यान की अवधि 20 मिनट होती है और आकाशवाणी दिल्ली से प्रातः 7.05 और 7.45 के बीच प्रतिदिन दो-दो व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों की यह शिकायत है कि उन्हें आगामी व्याख्यानों के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं मिलती और प्रातः कालीन समय विशेष रूप से सर्दी के मौसम में अनुकूल नहीं है। कामकाजी छात्र के लिए, सायंकालीन समय अधिकल अनुकूल होग। । समिति को यह भी बतया गया कि सायंकाल में पारस्परिक सम्पर्क अपर्याप्त है और विशेष वार्ताकारों और विषयों के चयन में निजी स्वार्थों के पनपने का भी खतरा है। प्राध्यापकों को बहुत कम उजरत मिलने के कारण समय से पहले अच्छी पांडुलिपियां देने का उत्साह नहीं है, जिस कारण उनका सुचारू रूप से संपादन नहीं हो पाता। और विशेष व्याख्यानों के बाद छात्रों के साथ सामूहिक वाद-विवाद का आयोजन करने की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

15.32. मदुरै पत्राचार में छात्रों की संख्या 30,000 है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 14,000 पंजीकृत पत्राचार छात्र हैं, इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में बाहरी छात्र हैं।

15.33 गुजरात विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने आकाशवाणी से अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में कोई 5,000 बाहरी छात्रों के लिए सप्ताह में 30 मिनट के एक प्रसारण व्याख्यान का अनुरोध किया है। उन्होंने अन्य विभिन्न विषयों में भी रेडियो का समर्थन देने के लिए कहा है। दुर्भाग्य से आकाशवाणी अहमदाबाद के पास ऐसे कार्यक्रमों के अनुरूप प्रेषण समय नहीं है।

सुदृढ़ तादात्म्य की आवश्यकता

15.34 कुछेक गवाहों ने राज्य स्कूल प्रसारण परिषद के गठन की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस परिषद में शिक्षा निदेशालय, शिक्षा-विद्, मुख्याध्यापक और अभिभावक-शिक्षक संघों के प्रतिनिधि होंगे जो स्कूल प्रसारण को नियोजित करने और उसे बढ़ावा देने में सहायता करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पश्चिम बंगाल ने ही ऐसी परिषद का गठन किया है और अन्य राज्यों को उसका अनुसरण करने के बारे में निर्णय करना है। यह स्पष्ट है कि शिक्षा और सभी स्तरों पर विस्तार अधिकारियों तथा प्रसारण प्रणाली के बीच सशक्त तादात्म्य स्थापित किया जाए। स्थानीय केन्द्रों और अधिक ट्रांसमीटरों की स्थापना हो जाने पर स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए तथा अनौपचारिक शिक्षा और विस्तार के लिए शैक्षिक प्रसारणों के लिए अधिक समय आरक्षित करना सम्भव होना चाहिए। यदि इस अवसर को नष्ट नहीं होने देना है तो वर्तमान की तुलना में बेहतर संगठन और अधिक सहयोग होना चाहिए। कुछ राज्यों न श्रव्य दृश्य शिक्षा में प्रयोग करने के लिए शैक्षिक-प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित किये हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन को उनके सहयोग में काम करना चाहिए।

15.35 यह पहला अवसर है कि छठी योजना के शिक्षा सम्बन्धी प्रारूप दस्तावेज में प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में शैक्षिक प्रसारण की सम्भावनाओं का जिक्र किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि अब यह अहसास होने लगा है कि रेडियो और दूरदर्शन को इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तामिलनाडु के अनुभव से भी पता चलता है कि स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठाने और शैक्षिक प्रसारण के प्रसार में सबका मिलजुल कर काम करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि देश के पांच लाख स्कूलों, जिनमें कई स्कूलों में तो एक ही अध्यापक है, में से केवल 50,000 स्कूलों में रेडियो हैं। पांचवी योजना में एक प्रस्ताव था कि 200 रु० प्रति रेडियो के हिसाब से देश के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए एक-एक रेडियो की व्यवस्था की जाए परन्तु धनाभाव के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। और फिर स्कूलों में रेडियो रख देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल की जानी चाहिए और संध्या के समय अनौपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों तथा लोगों के सुनने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यदि शैक्षिक प्रसारण को बढ़ावा देना है तो पांचवी योजना में आवंटित 60 लाख रु० की राशि की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय समर्थन प्रदान करना होगा। शैक्षिक और विस्तार प्रसारण के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना और अपने बजटों में से इस उद्देश्य के लिए पूंजी आवंटित करना राज्य सरकारों और शिक्षाविदों का काम है।

स्वास्थ्य विस्तार

15.36 स्वास्थ्य जानकारी और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रसारण माध्यम एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं। लोगों में छोटे परिवार के आदर्श को स्वीकार करने के लिए आकाशवाणी ने 22 केन्द्रों पर परिवार नियोजन एकक स्थापित किए हैं। प्रत्येक एकक में एक विस्तार अधिकारी, एक फील्ड रिपोर्टर और एक सहायक सम्पादक (स्क्रिप्ट्स) आलेख होंगे। चौदह अन्य केन्द्रों पर एक-एक फील्ड रिपोर्टर है जो परिवार कल्याण कार्यक्रमों क कार्यान्वियन का काम देखता है आकाशवाणी से प्रत्येक महीने परिवार कल्याण सम्बन्धी औसतन 2,500 से लेकर 4,000 कार्यक्रम

प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु अक्तूबर 1977 के दौरान इनमें से केवल 173 क्षेत्र (फील्ड) आधारित थे। आकाशवाणी के 36 केन्द्रों से सम्वद्ध सभी परिवार कल्याण एककों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूंजी देता है। देश में यही एक ऐसा विभाग या संस्था है जो आकाशवाणी को विशेष रुचि के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए पैसा देता है। सभी कर्मचारी पर्याप्त प्रशिक्षित नही है। केवल कुछ ही कर्मचारी विशेषज्ञता का दम भर सकते है।

15.37 एक विशेषज्ञ ने कार्य दल को वताया कि स्वास्थ्य प्रसारणों को कही अधिक सर्जनात्मक रूप से नियोजित करने की आवश्यकता है राष्ट्रीय विभिन्नताओं की दृष्टि से संदेश को अधिक असरदार वनाने के लिए प्रसारण स्थान-विशेष के अनुरूप होने चाहिए। उनके अनुसार माता को शिक्षित करने पर सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए। गैर-पेशेवर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बड़े संवर्गो को प्रशिक्षित करने में रेडियो वहुत सहायता कर सकता है। इस समय लगभग 90,000 कार्यकर्ता देश के विभिन्न भागों में नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अधीन प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे है। प्रशिक्षण के इन कार्यक्रमों के लिए और पुनश्चर्या पाठ्य-क्रमों के लिए रेडियो समर्थन के संगठन के लिए प्रशिक्षित प्रसारण कर्त्ताओं, पाठ्यक्रम सामग्री, व्यवस्थित श्रोतागण, सहायक प्रकाशन का पूर्णतः नया वुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। और इस के साथ-साथ प्रसारण माध्यम और स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा चिकित्सा संस्थाओं के वीच सशक्त तादात्म्य स्थापित करना होगा। 25 चिकित्सा कालेजों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ सम्वद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक कालेज के साथ तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ा जाएगा। एक गवाह ने कार्य दल को सुझाव दिया कि इन चिकित्सा कालेजों में से प्रत्येक को प्रसारण स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धी स्वीकृत अखिल भारतीय पद्धति के अनुरूप उपयुक्त शैक्षणिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

परिवार कल्याण अभिप्रेरणा

15.38 जैसा कि मालूम है कि आपातकाल के दौरान अपनाए गए जोर-जर्वदस्ती के तरीकों के परिणाम स्वरुप परिवार कल्याण कार्यत्रम को सव तरफ से धक्का पहुंचा है। हमें वताया गया कि इस कार्यक्रम में विश्वास वहाल करने और दम्पतियों को अपने परिवार सीमित करने के वास्ते प्रेरित करने में प्रसारण माध्यम का एक दायित्व है। वे ऐसा वातावरण तैयार करने में सहायता कर सकते है जिस में लोग विना अवरोध परिवार कल्याण नियोजन पर विचार विमर्श करने के लिए स्वतन्त्र महसूस कर सकें, उनकी गलत धारणाओं को दूर किया जा सके, इस कार्यत्रम के लिए सामाजिक समर्थन तैयार किया जा सके और छोटे परिवार के आदेश के पक्ष में सामाजिक मान्यताओं को प्रभावित किया जा सके।

15.39 लाल तिकोन के निशान को प्रचारित करने के लिए गत छठे दशक में चलाए गए परिवार नियोजन प्रचार सम्वन्धी विशाल अभियान से इस माध्यम की अभिप्रेरक भूमिका जाहिर है।

15.40 चूंकि चिकित्सा के मुकावले स्वास्थ्य का ज्यादा महत्व है और अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और न्यून शिशु मरणा-नुपात परिवार के आकार को नियंत्रित करने वाले सशक्त और प्राकृतिक घटक है, इसलिए प्रसारण माध्मम से स्वास्थ्य शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। निजी स्वच्छता पर्यावरण सफाई, स्वस्थ शिशु पालन व्यवहार, पोषण तत्व और सामान्य परिवार शिक्षण को स्वास्थ्य वार्ताओं में जो सम्भवतः अपने आप में दीर्घकालीन रुचि वनाये रखने में सक्षम नही है, में अलग रखने की वजाय अन्य कार्यक्रमों में गूंथा जा सकता है।

दूरदर्शन पर विस्तार सेवाएं

15.41 दूरदर्शन भी कई शैक्षिक, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य विस्तार प्रसारणों की व्यवस्था करता रहा है। यह 1961 में दिल्ली स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रम के साथ शुरु किया गया था और वाद में दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में 'साईट' पूर्व (Pre-Site) के प्रायोगिक कृषि दर्शन कार्यक्रम में इसे जारी रखा गया था। 'साईट' से न केवल दूरदर्शन व्यवस्था मे वल्कि कार्यक्रमों के शैक्षणिक विषय वस्तु में वहुत वड़ा विस्तार हुआ। यह इसलिए कि दूरदर्शन विकास के एक निवेश के रूप में अपनी प्रभावोत्पादकता को न्यायोचित ठहरा सके। परिणामस्वरूप छः राज्यों में 24,000 'साईट' समुदायों को जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वहुत पिछड़े हुए थे, उनको चुना गया और यह जानने की कोशिश की गई कि शैक्षणिक प्रसारण से क्या-क्या परिवर्तन लाये जा सकते हैं।

15.42 केवल दिल्ली और वम्वई में पर्याप्त संख्या मे टेलीविजन हैं। दिल्ली का जहां स्कूलों में 841 टेलीविजन सेट लगे है, सूची में संभवतः पहला स्थान है। यहां उच्चतर स्कूलो के लिए दो पारियों में प्रति सप्ताह 16 पाठ और प्राथमिक स्कूलों के लिए अधिक छोटे गैर-औपचारिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् ने 'साईट' कार्यक्रम के साथ स्कूल टेलीविजन अनुसंधान और कार्यक्रम के क्षेत्र में प्रवेश किया इसके इस क्षेत्र में आने से कई राज्यों में शिक्षा प्रौद्योगिकी एककों की स्थापना हुई।

15.43 टेलीविजन रेडियो से अधिक शक्तिशाली माध्यम है और अधिक सूचना दे सकता है। इसका कारण है कि टेलीविजन विषय वस्तु को मुखौटों और कठपुतलियों आदि की सहायता से नाटकीय और रुचिकर रूप में प्रस्तुत करता है। परन्तु प्रोग्राम तैयार करने के लिए सूझ बूझ की जरूरत है। उसको कक्षा कार्यक्रम के साथ घुलमिल जाना चाहिए। इसमें प्रोग्राम के दिखाये जाने से पूर्व की तैयारी और वाद के कार्य मे अध्यापक की वातचीत अनिवार्य

है। अन्यथा यह रेडियो से भी बढ़कर अध्यापक की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकता है। और फिर रेडियो के समान शिक्षण दूरदर्शन को ऐसी चीजे दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिसे अध्यापक स्वयं दिखा नही सकता। जैसे विज्ञान के प्रयोगों, जिसकी व्यवस्था स्कूलों में कम होती है। ध्यान रहे यह अध्यापक का विकल्प नही हो सकता।

15.44 स्कूल कार्यक्रमों को तैयार करने वाला, प्रस्तुत करने वाला और विषय पर्यवेक्षक को मिलजुल कर काम करना चाहिए। घटिया किस्म के होने के कारण कुछ स्कूली कार्यक्रम कई वर्षो तक दोहराये नही जा सकते। बेहतर किस्म के कार्यक्रमों मे कालांतर में धन की बचत हो सकेगी। जैसा कि दिल्ली मे किया गया है। नवीकरण पाठ्यक्रम क्लासरूम अध्यापक-प्रयोक्ता को दिये जाने चाहिए। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने भी एक पाठ्यक्रम तैयार किया है और प्रशिक्षण कालेजों के वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्यापक-शिक्षकों के लिए लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।

15.45 कृषि के क्षेत्र में भी कृषि दर्शन कार्यक्रमों के घिसे पिटे होने और उनमें नयेपन की समाप्ति पर श्रोताओं के अभाव का खतरा पैदा हो सकता है। जब तक कि क्षेत्र विशेष के अनुरूप और कल्पना प्रसूत कार्यक्रम प्रस्तुत नही किये जाते। टेलीविजन और 'साईट' कार्यक्रम ने निःसंदेह परम्परागत भारतीय गांवों में एक नया सामाजिक वातावरण तैयार किया है जिसमें पुरुष और महिलाएं तथा सभी जातियों के सदस्य एक संयुक्त श्रोतागण के रूप में इकट्ठे बैठते है। दूरदर्शन ने बच्चों में भी अधिक जिज्ञासा, रुचि और सामान्य ज्ञान पैदा किया है। उनका सम्भवतः भाषा विकास में भी ज्ञान वर्धन हुआ है। दूरदर्शन कार्यक्रम से कई सामाजिक आदतें जैसे रात के भोजन का समय, आदि पर भी असर पड़ा है।

'साईट' के कार्यक्रमों का मूल्यांकन

15.46 'साईट' को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख भी विशिष्ट क्षेत्र का निर्धारण न होना और सहायक सामग्री की अपर्याप्त रख रखाव, कुल मिलाकर आई० एस० आर० ओ० ने बहुत अच्छा किया। वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और बिजली की खराबी के कारण कुछ क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हुई। कुछ अन्य गांवों में पंचायती टेलीविजन सैटो का रख-रखाव ठीक नही था।

15.47 सम्भवतः यह पहली बार 'साईट' के कार्यक्रमो से पिछड़े हुए और निम्नवर्ग के लोगों को कुछ सामाजिक लाभ मिला और उनकोजानकारी प्राप्त करने में समानता का अवसर प्राप्त हुआ। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तो साईट की संभवतः सर्वाधिक सफल उपलब्धि थी।

15.48 'साईट' ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रुचि जागृत की और लोगों की आकांक्षाओं को बढावा दिया। इसका मूल्यांकन अभी भी जारी है। कुछ रिपोर्ट बड़ी प्रशंसा की है परन्तु आलोचनात्मक टिप्पणियों की भी उपेक्षा नही की जा सकती। इनमें संगठनात्मक कमियों, सम्बद्ध संस्थानों के बीच अपर्याप्त अन्तर-सम्बन्ध और ग्राम स्तर के श्रमिकों, विस्तार अधिकारियों, स्वास्थ्य सहायकों और अन्य विस्तार कार्मिकों को निराशाजनक भागीदारी शामिल है। और भी कितनी ही कमियां बताई गई हैं जैसे विभिन्न समुदायों के बीच समय बांटने की कठिनाइयां, स्थानीय बोली और दूरदर्शन कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषा के बीच असंगतियां विषमता, केन्द्रीकृत कार्यक्रमो में स्थानीय वातावरण और संस्कृति के साथ अपर्याप्त तादात्म्य, प्रतिक्रिया की सीमित जानकारी और आंशिक रूप से प्रमारण संदेश को बढावा देने के लिए समर्थन सामग्री की कमी। इनके कारण कृषि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि के अभाव की भी चर्चा की गई है। तथापि मूल्यांकन से संसक्तिशील साक्षर समूहों की ओर निर्दिष्ट कार्यक्रमों द्वारा अध्यापकों और विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में निश्चित उपलब्धि स्थापित हुई है।

15.49 दूरदर्शन की विस्तार संबंधी सम्भाव्यताओं पर विचार करते समय इन मूल्यांकनों पर ध्यानपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है। रेडियो की लागत की तुलना में टेलीविजन का मूल्य बहुत अधिक है। तथापि आधा इंच और तीन-चौथाई इंच के रेडियो टेप रिकार्डर और "पोर्टेपैक" ने कम लागत के कार्यक्रमों की संभाव्यता सिद्ध की है। अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ने इसका प्रयोग शुरू किया है।

विवेकशील कार्यक्रम

15.50 विस्तार और शैक्षणिक प्रसारण अकेले शैक्षिक, खेती, और स्वास्थ्य क्षेत्रों तक सीमित नही है। अन्य सभी क्षेत्रों को भी प्रसारण की परिधि में लाया जा सकता है। आकाशवाणी ने पहले ही औद्योगिक श्रमिकों, आदिवासी लोगों और अन्य विशिष्ट श्रोताओं जैसे महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाये हुए है। व्यावसायिक शिक्षा की ओर भारत के 50 लाख नेत्रहीनों को पढाने और सहायता करने को पर्याप्त संभावनाएं है। आकाशवाणी भोपाल से कई नागरिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे "नगर की बाते" प्रसारण आरम्भ किये गए है। अन्य स्थानों पर इनका लाभप्रद रुप से अनुकरण किया जा सकता है।

15.51 ज्ञान और उन्नति के क्षेत्र को प्रशस्त करने में प्रसारण निःसन्देह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टिकोण से रेडियो और दूरदर्शन महान अध्यापक है। कोई भी विकासशील देश रेडियो और दूरदर्शन को सचेत और जागरूक बनाने की शक्ति की उपेक्षा नही कर सकता। खेद यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन

कुछ अपवादों को छोड़कर निर्धनता, शोषण और सामाजिक न्याय पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कार्यक्रमों को टालने का प्रयास किया है। यहां तक कि निरक्षर और दलितों को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी कराने पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। प्रसारण माध्यम अधिकांश रूप से विवाद और ऐसे कार्यक्रमों से बच कर चलते रहे हैं, जिनके कारण सामाजिक तनाव अथवा अव्यवस्था पैदा होने की आशंका हो। प्रसारण माध्यम निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि निष्पक्ष होने का तात्पर्य यथापूर्व स्थिति के पक्ष में और सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध काम करना है। छूआछूत अथवा कृषि सम्बन्धी कई सामाजिक और आर्थिक विधान हैं जो बहुत काल से कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में जुलाई 1977 में टेलीविजन पर दलितों के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था। उसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था कि कानून की प्रभावोत्पादकता कानून की जानकारी, उसे प्रयोग में लाने की इच्छा, उसे जोर देकर कहने की शक्ति पर निर्भर करती है। यह माध्यम सोई हुई जनता को जगा सकता है, महसूस करने और विचार करने के लिए उन्मुख कर सकता है। इसलिए जन प्रचार माध्यम की तकनीक को चाहिए कि लोगों को कुछ बताये और उनकी बात भी सुने। इसलिए निर्णायकों और जनता के बीच एक दूसरे से परस्पर बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। साथ ही लोगों को आपस में भी विचार विमर्श करना चाहिए।

15.52 वर्कशाप अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रायोगिक स्वरूपों में तैयार किये गए सामाजिक न्याय के कई कार्यक्रमों का परिणाम थी। अहमदाबाद-पिज स्थित अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्रों के निर्माताओं ने कई साहसिक कार्य किये हैं। कुछ ने तो सामाजिक उद्देश्य के प्रति महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किये हैं। इनमें छुआछूत, भूमि विवाद और परिणामस्वरूप कत्ल, दहेज, जुआ और मद्यपान के बारे में शृंखलाएं शामिल हैं। 'शोषण' विषय पर अब निर्योजित एक लम्बी शृंखला के ये अग्रदूत हैं। आकाशवाणी के श्रीनगर केन्द्र ने भी कई वर्षों से "जूना दाब" नाम से अत्यधिक काल्पनिक और लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू किया हुआ है जिसमें स्थानीय शिकायतों पर विचार विमर्श किया जाता है।

महिलाओं की समानता

15.53 आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधे श्रोता महिलाएं हैं। परन्तु यह प्रच्छन्न श्रोता है क्योंकि देश में मराठवाड़ा जैसे कुछ ऐसे भाग हैं जहां महिलाएं को ट्रांसिस्टर नहीं मिल पाते या तो उनको पुरुष अपने पास रखते हैं या फिर पोर्टेबल होने के नाते वे उन्हें काम पर साथ ले जाते हैं। दूरदर्शन दर्शकों में भी महिलाओं की अनुपातिक रूप से कम संख्या होती है। इस कारण कुछ तो कार्यक्रमों के समय के अनुकूल न होना और कुछ पुराने समय से चले आ रहे सामाजिक अवरोध भी है। इस समस्या का आंशिक रूप से महिलाओं को श्रोता क्लबों के गठन द्वारा समाधान कर लिया गया है आकाशवाणी के खेत और गृह एककों के तत्वावधान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4860 के आस-पास क्लबें स्थापित की गई हैं। खेत और गृह एकक का "गृह" भाग कुछ कमजोर है और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

15.54 महिलाओं के कार्यक्रम के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को किसी प्रकार निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। और न ही उनके कार्यक्रमों को पोषाहार और शिशु देखभाल सहित घरेलू रुचि के मामलों तक सीमित करने का कोई प्रयास होना चाहिए। "गृह" शीर्षक ही उसके दृष्टिकोण को सीमित करता है। इसके विपरीत यह महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, लैंगिक असमानता जो सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष पहलू है, सहित सामाजिक दृष्टिकोणों को बदलने संबंधी प्रसारण के उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। यदि महिलाओं के कार्यक्रमों को किसी विशेष "महिलाओं का समय" या महिला श्रोताओं तक सीमित नहीं रखा जाता तो इस उद्देश्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। मात्र महिलाओं के कार्यक्रम की तुलना में लैंगिक समानता सहित समानता का संदेश और सामाजिक परिवर्तन सभी कार्यक्रमों में व्याप्त होने चाहिए और वे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से होने चाहिए। प्रोग्राम बनाने के अन्य पहलुओं की तरह जानकारी मात्र देना ही नहीं बल्कि महिलाओं को अन्य सामाजिक वर्गों के साथ सम्बद्ध करना आवश्यक है। माध्यम और श्रोताओं के बीच सजीव पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करेगा कि संदेश वास्तव में उन तक पहुंच पाता है।

आदिवासी प्रसारण

15.55 देश के चार करोड़ आदिवासी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये लोग नाम से ही बहुत पिछड़े हुए हैं और दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं तथा अनेको भाषाएं और बोलियां बोलते है। आदिवासी श्रोताओं की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उचित जानकारी होने से उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आकाशवाणी जगदलपुर ने आदिवासी लोगों की समृद्ध संस्कृति की जानकारी से उनके साथ उल्लेखनीय नाता स्थापित कर लिया है। इसके लिए एक युवा प्रोग्राम

एग्जीक्यूटिव को श्रेय जाता है जो कि उस क्षेत्र और वहां के लोगों के प्रति उतना ही निष्ठावान है जितना कि वहां के लोग उसके प्रति हैं। आदिवासियों के लिए प्रोग्राम तैयार करने में न केवल सहानुभूति ज्ञान और सूझबूझ की आवश्यकता है बल्कि कम से कम सुविधाओं जैसे जीपें, अलग थलग रहने की परेशानियों के लिए विशेष भत्ते, पोर्टेबल उपकरण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। आदिवासी केन्द्रों के लिए विशेष कर्मचारियों के भर्ती करने की आवश्यकता है। स्थानीय केन्द्रों को प्रस्तावित नई पीढ़ी में वास्तव में ऐसे युवा स्थानीय युवकों को चुनना चाहिए जिन्हें भाषा का ज्ञान हो और जिनमें आदिवासी जनता ओर उनकी संस्कृति के लिए गहरी सहानुभूति और आदर हो।

15.56. कुछ दूसरे क्षेत्रों के समान उत्तर-पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसारण को एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाओं की हैं। उदाहरण के तौर पर मणिपुर में 29 और नागालैण्ड में 18 प्रधान भाषाएं अथवा बोलियां हैं। इनमें से कई भाषाओं में प्रतिदिन 30 या 40 मिनट प्रसारण किये जाते हैं। परन्तु यह असंतोषजनक स्थिति है क्योंकि इतने थोड़े समय के प्रसारण लोगों का जीवन नहीं बदल सकते। इसके साथ साथ अन्य लोग भी निरन्तर यह मांग कर रहे हैं कि उनकी भाषा अथवा बोली में भी प्रसारण किये जाने चाहिए। इससे बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि कम-शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को भी एक विशेष सीमा के बाद बढ़ाना कठिन होता है। उपग्रह के माध्यम से प्रसारण और सीधे ग्रहण से भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसका संभावित समाधान एक-चलता फिरता कैसेट पुस्तकालय विकसित करना हो सकता है। एक भाषायी क्षेत्र में प्रत्येक गांव को एक सामुदायिक कैसेट टेप रिकार्डर दिया जाए और आकाशवाणी के स्टूडियो में उस भाषा में कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला रिकार्ड की जाए। तब कैसेट अथवा जीप अथवा "जोंगा" द्वारा गांवों में भेजे जाएगे और एक विशेष समय के पश्चात उन्हें बदला जाएगा। रिकार्डर को जिसका परिचालन काफी सरल होता है चलाने के लिए गांव के किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा और आकाशवाणी द्वारा उसकी मरम्मत आदि की जाएगी। इसका एक और लाभ यह होगा कि कार्यक्रमों को इच्छानुसार दोहराया भी जा सकेगा।

क्या उपभोक्ताओं को समय खरीदना चाहिये

15.57 कई गवाहों ने कार्य दल को सुझाव दिया कि प्रसारण के लिए स्वायत्तशासी संस्था के बन जाने के पश्चात के केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तथा कथित "उपभोक्ता विभाग" को शैक्षिक, खेती, स्वास्थ्य और अन्य विस्तार शैक्षणिक प्रसारण के लिए खर्च उठाना चाहिए। केवल केन्द्रीय स्वस्थ्य मंत्रालय तदर्थ आधार पर अब तक खर्चा वहन कर रहा है। कई मुख्य मंत्री इत्यादि जिनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया, का विचार था कि यह न्यायोचित हो सकता है। परन्तु कुछ का विचार था कि राज्य सरकारें साधनों की कमी के कारण पहले ही बुरी तरह लाचार है और शैक्षणिक तथा विस्तार प्रसारणों के लिए किसी प्रकार का अन्य खर्चा वहन नहीं कर सकेंगी बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार आयोजन आवंटन के अधीन इसके लिए प्रावधान करने के लिए राजी हो या वित्त आयोग वित्तीय सुपुर्दगी की अपनी योजना में विस्तार प्रसारण खर्चे को शामिल करे। यहां एक सिद्धांत है जिस पर भावी नीति की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल, जसे कि हमने अनुच्छेद आठ "वित्तीय आयाम" में सिफारिश की है, केन्द्रीय सरकार कम से कम पाच सालों के लिए राष्ट्रीय प्रसारण न्यास के राजस्व घाटे को पूरा करे। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा नहीं सकता कि न्यास केन्द्रीय और राज्य सरकारों को शिक्षा और विस्तार समय के साथ साथ बेचे। यद्यपि पांच साल की प्रस्तावित अवधि के पश्चात इसके गुणदोषों की समीक्षा की जा सकती है। सरकार के विभागों, जिनको शैक्षिक कार्यक्रम अथवा विस्तार संदेश भेजने होते हैं, द्वारा अदायगी से निश्चित रूप से बेहतर परिणाम निकलेंगे और पर्याप्त संगठनात्मक सम्पर्कों, फीडबैक लूपों और समर्थन सेवाओं की स्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी।

तादात्म्य स्थापित करना

15.58 हमारी सिफारिश है कि राष्ट्रीय प्रसारण न्यास को चाहिए कि वह केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ तादात्म्य के स्वरूप, जो प्रसारण संगठनों और सम्बद्ध विभागों अथवा विस्तार संस्थाओं के बीच विद्यमान है या विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करे। यदि इस प्रकार के विचार विनिमय से राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय प्रसारण शिक्षा और विस्तार परिषदों के पक्ष में बहुमत का पता चले तो ऐसी निकायों की स्थापना में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चूंकि राज्य सरकारों को हीं अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहल करने की बात उन्हीं पर ही छोड़ दी जाए।

सामुदायिक श्रवण योजनायें

15.59 रेडियो ट्रांजिस्टरों की सर्वव्यापकता के बावजूद हमारी यह जोरदार सिफारिश होगी कि विशेष रूप से कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों में, जहां प्रसारण विस्तार को तेज करने की स्पष्ट और वर्तमान आवश्यता है, सामुदायिक श्रवण की आवश्यकता पर फिर से विचार

किया जाए। विशिष्ट समूहों अथवा स्वीकृत व्यक्तियों, जो सामूहिक श्रवण की व्यवस्था करने का दायित्व अपने ऊपर लें, को रियायती दामों पर उपलब्ध कराने को विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

लिखित सामग्री की सहायता

15.60 रेडियो और टेलीविजन विस्तार को पत्र पत्रिकाओं सहित अन्य माध्यमों से सहायता ली जानी चाहिए। हमने अन्यत्र सुझाव दिया कि राष्ट्रीय प्रसारण न्यास के महाप्रबन्धक (सूचना) को प्रसारण शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त पत्र-पत्रिकाओं का समर्थन और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रसारण न्यास का सूचना विभाग प्रकाशन तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा, पर उन प्रकाशनों को पहुचाने और श्रवण समूहों के स्थान सम्पर्क स्थापित करने का दायित्व आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारण विस्तार कर्मचारियों का होगा। प्रकाशन समर्थन का काम एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको सरकारों और अन्य संस्थाओं को मिलजुल कर करना चाहिए।

15 61 रेडियो और टेलीविजन बहु-माध्यम प्रणालियों के भाग होने चाहिए और राष्ट्रीय प्रसारण न्यास का एक ऐसे प्रणाली दृष्टकोण के विकास को प्रोत्साहित करने और सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए जिसमें रेडियो-टेलिविजन, कैसेट टेप रिकार्डर और फिल्म टेप तथा रेडियो पुस्तकालय का प्रयोग शामिल हो। यही हमारी सिफारिश है।

15.62 हमारी यह भी सिफारिश है कि विना किसी विवाद के भय के सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए और महिलाओं, आदिवासी श्रोताओ और औद्योगिक श्रमिकों के लिए विशिष्ट सेवाओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को भर्ती किया जाना चाहिए। कार्यक्रम स्वरूपों की भी निरन्तर समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि वे ताजे बने रहे और रुचिकर हो सकें।

15.63 शैक्षिक और विस्तार कार्यक्रमों को इन्हीं तक सीमित रखना जरूरी नहीं है। उनके साथ खेती कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम और अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम को मनोरंजन के साथ जोड़ा जा सकता है। एक तरह के श्रोताओं अथवा मिले जुले श्रोताओ को उनकी रुचि को कुछ किये विना विविध संदेश दिये जा सकते हैं।

ग्रामीण-शहरी विभाजन का निवारण

15.64 हमारी सिफारिश है कि अध्यापको और कृषि तथा स्वास्थ्य विस्तार कार्यकर्ताओं को इस माध्यम के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे रेडियो और दूर दर्शन को सहयोगियों के रूप में, न कि प्रतिद्वन्द्वी के रुप मे ग्रहण करें और वे अपनी प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए इन माध्यमों का प्रयोग करें।

15.65 कुछ गवाहों ने पृथक ग्रामीण प्रसारण निगम अथवा पृथक शैक्षिक या खेती चैनिलों के लिए जोरदार बहस की थी। हम सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अधिक प्रेषण (ट्रांसमीशन) समय की आवश्यकता का समर्थन करते हैं। पर हम अलग अलग सीमित कार्यक्रमों के पक्ष नहीं लेते। प्रसारण सेवाओं को तभी भलीभांति ग्रहण किया जाता है जब उनमें मिले-जुले कार्यक्रम होते है। शैक्षणिक और विस्तार कार्यक्रमों के लिए भी मनोरंजन-कर्ताओं, नाटककारों, शोमेन और प्रस्तुतकर्ताओं की कलाओं की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि अन्य किसी कार्यक्रम के लिए होती है। मनोरंजन का शिक्षा के साथ न्यायसंगत मिश्रण, चाहे वह उसी कार्यक्रम में हो अथवा उसके बाद के कार्यक्रम में हो, वांछनीय है क्योंकि मनोरंजन ही है जो सर्वाधिक संख्या में श्रोताओं को आकृष्ट करता है।

15.66 अधिक ग्रामीण प्रसारणों की आवश्यकता पर बल देते हुए भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि शहरी और ग्रामीण तथा परम्परागत और आधुनिकता के बीच विभाजन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। प्रसारण माध्यमों का ग्रामीण और शहरी भारत के बीच मतभेद पैदा करने अथवा उनमें दो समाजों की भावना पैदा करना ठीक नहीं है वास्तव में दोनों का चोली दामन का साथ है। इसी प्रकार हर आधुनिक चीज वांछनीय नहीं है, और हर पारम्परिक वातों में बहुत कुछ सराहनीय है और जो जीवन को नया अर्थ प्रदान कर सकता है। प्रसारण माध्यमों को एक ही ढर्रे के कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने चाहिए।

अध्याय 16

प्रसारण—मनोरंजन के रूप में

16.1 प्रसारण का उद्देश्य मनोरंजन है । रेडियो और दूरदर्शन यदि आनन्द-वर्धक नहीं है तो वे व्यर्थ है । मनोरंजन केवल विश्रान्ति ही नही वल्कि उसमे प्रसन्नता, हंसी, रुचि जाग्रत होना और मन बहलाव भी शामिल है । यद्यपि प्रसारण का परम्परागत उद्देश्य सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन समझा जाता है, परन्तु इस सुपरिचित त्रयी के घटक, मनोरंजन को कार्यक्रम-निर्माण का साधन और साध्य—दोनों ही माना जाना चाहिए । मनोरंजन की प्रकृति संचारी है, और यदि प्रसारण, भावों का संचार नही करता तो उसकी कोई उपलब्धि ही नही है । लोग रेडियो और दूरदर्शन सेट मुख्यतः मनोरंजन के लिए खरीदते हैं और जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य गौण है । यह बात विकसित समाज के लिए विशेष रूप से लागू होती है, यद्यपि समाज के विकास के साथ ही सूचनात्मक प्रसारण सुनने वालो की संख्या बढ़ती जाती है ।

16.2 परन्तु मनोरंजन की गुणवत्ता में पर्याप्त विविधता लायी जा सकती है । उसे विभिन्न रुचियों तथा श्रोताओं का ध्यान रखने के अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षितिजो के विकास, रुचि के परिष्कार और सुनने तथा देखने को समृद्ध बनाने का भी सतत प्रयास करना चाहिए । प्रसार-माध्यम सर्वत्र संगीत और कला के प्रमुख संरक्षक होते हैं । आज आकाशवाणी निस्सन्देह संगीत का प्रमुख संरक्षक है । परिचय की भावना का नाटक द्वारा जितने सशक्त ढंग से संचार होता है उतना अन्य किसी माध्यम से नही, और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नाटक उत्तरोत्तर साहित्यिक एवं नाट्य प्रतिभा की अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम बनते जा रहे है । आकाशवाणी और दूरदर्शन एक प्रकार से देश के विशालतम संगीत-कार्यक्रम गृह, रंगमंच और थियेटर हैं । तदनुसार सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के संयोजकों तथा संरक्षको के रूप मे उन पर महान उत्तरदायित्व है । इसी प्रकार वे अन्य देशो की संस्कृति से भारत को परिचित कराते हैं और भारत के दाय को विश्व के लिए सुलभ बना सकते है।

16.3 भारत के विभिन्न समुदायों के मध्य चौड़ी बौद्धिक तथा सांस्कृतिक खाई होने के कारण आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमो के नियोजन एवं निर्माण मे असंख्य समस्याएं आड़े आती है । मानक प्रसार-उत्पादन जैसी परिकल्पना का कोई अस्तित्व नही है । परन्तु भारत मे विभिन्न भाषाएं तथा बोलिया बोलने वाले और इतने भिन्न जीवन-सन्दर्भो वाले व्यक्तियों का जो इतना विशाल जमघट है उसमें कार्यक्रम-नियोजक यदि स्वय को अंधेरे मे तीर चलाने जैसी असमंजस-भरी स्थिति मे पाते है तो उन्हे दोष नही दिया जा सकता । 'औसत श्रोता' या 'औसत दर्शक' की परिकल्पना असम्भव है ।

प्रशासन नहीं, सृजनात्मकता

16.4 प्रसारण कोई व्यवसाय या उत्पादन-क्षेत्र न होकर कला का एक रूप है । परन्तु विगत वर्षों के दौरान भारतीय प्रसारण की प्रकृति में परिवर्तन आया प्रतीत होता है । कार्यक्रमों के सृजन के बजाय वे प्रशासित किये जाते है । यह स्थिति 1940 के उस जमाने से कोसो दूर हैं जब विख्यात गायक पंकज मल्लिक आकाशवाणी-कलकत्ता पर रेडियो संगीत कक्षाएं चलाया करते थे जो बहुत लोकप्रिय थी । स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों में प्रसारण—भवन को व्यावसायिक दक्षता रखने वालो के स्थान में उत्तरोत्तर सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जाता रहा । तत्कालीन सूचना और प्रसारण मन्त्री डा० बी० वी० केसकर ने संगीत, साहित्य तथा नाटक की दुनिया के विशिष्ट पुरुषों तथा महिलाओं को प्रस्तोताओ के रूप मे आकाशवाणी की सेवा में आने के लिए निमन्त्रित कर स्थिति को नया मोड़ देने का प्रयास किया । परन्तु उनका कोई विशेष स्वागत नही हुआ और एक-एक कर वे वहा से हटने लगे । जो रह गये, उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त वांछित अवसर नही मिले । निस्सन्देह आकाशवाणी और दूरदर्शन में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव नही है, परन्तु उसे पर्याप्त अभिव्यक्ति नही मिल सकी और दस्तूरी के रूप मे, परम्परागत, प्रक्रिया-उन्मुख प्रणालियो के कारण, जो भारतीय प्रसारण की संस्कृति तथा परम्परा का अंग बन चुकी है, उसका विकास नही हुआ । आज आकाशवाणी तथा दूरदर्शन मे काम करने वाले जानते है कि वे सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के एक 'संलग्न कार्यालय' का एक अंग हैं और उनके संचालन सूत्र वही से नियन्त्रित होते है । इस प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही हे । एक अवकाश प्राप्त केन्द्र-निदेशक ने कार्य दल को बताया कि "मैने आकाशवाणी मे एक निर्भय व्यक्ति मे रूप मे प्रवेश किया था, परन्तु अवकाश लिया एक कायर व्यक्ति के रूप मे"—एक खेदजनक टिप्पणी, परन्तु एक दुर्भाग्यपूर्ण दिशा की संकेत-वाहक—विशेषतः इसलिए, कि कला का इतिहास बताता है अनन्त काल से परिवर्तन लाने और समाज को गति देने वाला गैरपरम्परावादी ही होता आ रहा है ।

व्यक्तिगत श्रोता

16.5 सिनेमा तक पहुंच जहां बहुसंख्यक जनता की है, वहां थियेटर या संगीत सभाओं से होनेवाले प्रसारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाते; वे केवल व्यक्तिश: कुछ लोगों अथवा छोटे परिवार-समूहों तक ही सीमित होते हैं। किसी भीड़-भरे थियेटर या सिनेमाहाल की तरह, रेडियो सेट के समक्ष अचेतन भाव से किसी को अपना व्यक्तित्व बोध समर्पित नहीं करना पड़ता। अतएव रेडियो तथा दूरदर्शन को अपने लक्ष्य-श्रोताओं के रूप में व्यक्तियों का ध्यान रखना ही चाहिए। यह एक ऐसा तथ्य है जो श्रोता या दर्शक को कार्यक्रम स्वीकार करने के मामले में अपनी पसन्द या नापसन्दगी का अधिक उपयोग करने की प्रेरणा देता है। उसे स्वतन्त्रता रहती है कि वह चाहे जिस चैनल या रेडियो-स्टेशन को अपने सेट पर लगा ले, या उसे बन्द कर दे। किसी थियेटर या संगीत-भवन के दर्शक-श्रोताओं की सजीव प्रतिक्रिया, चाहे प्रशंसात्मक हो या अन्यथा, निष्पादक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है जो दर्शक-श्रोताओं द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किये जाने को भाप सकता है और किसी मन:स्थिति को व्यक्त कर सकता है या उसका प्रत्युत्तर दे सकता है। आकाशवाणी प्रत्युत्तर की यह भावना हार्दिकता लाने में असमर्थ रही है जिसकी कलाकारों पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुआ करती है, और उसके स्टूडियो प्राय: कार्यक्रमों के यांत्रिक छापाखाने बने रह जाते हैं।

16.6 आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों की कार्यक्रम-अनुसूची पर शीघ्रता से एक नजर डालने पर ही यह आभास हो जाता है कि ये कार्यक्रम सम्भवत: मुख्यालय से जारी की गयी एक मुख्य प्रति के अनुवाद-मात्र हैं। उदाहरणार्थ, नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के नाम पर आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही नाटक प्रसारित किया जाता है; इनमें से प्रत्येक शीघ्रता में किया गया अनुवाद होता है जिसे यान्त्रिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता की यह गलत कल्पना है। बेहतर यह होगा कि प्रस्तोताओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर उन्हें ऐसे सांस्कृतिक विषयों को तलाशने का अवसर दिया जाए जो उनके अपने क्षेत्रों के श्रोताओं एवं दर्शकों का ज्ञान-वर्धन कर सकें और उन्हें रुचिकर लगें। उदाहरणार्थ, कलकत्ता का संगीत प्रस्तोता शिमला जाकर बंगाली श्रोताओं के लिए हिमाचली लोक-संगीत रिकार्ड करे। इस बात को आकाशवाणी ने शायद ही कभी प्रोत्साहित किया हो। न कभी किसी तमिल या उड़िया नाटक-प्रस्तोता को प्रोत्साहित किया गया कि वह मराठी अथवा हिन्दी रंगमंच की नयी प्रवृत्तियों की खोज में पुणे या उत्तर प्रदेश जाए। वास्तव में अनेक केन्द्र निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यक्रम कर्मचारी इस समय ऐसे क्षेत्रों में नियुक्त हैं जहां की स्थानीय भाषा अथवा संस्कृति से वह पूर्णत: अनभिज्ञ हैं। ऐसी परिस्थिति में वे निरे कार्यालय प्रबन्धक से अधिक और क्या हो सकते हैं? उनकी प्राथमिकता सूची में श्रोता का नम्बर तो सबसे अन्त में रहता है। आकाशवाणी ने कार्यक्रम-प्रस्तुति के महत्व पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और एक आलोचक के शब्दों में उसका सूत्र-वाक्य है—"बिना किसी खेद के और बिना किसी प्रसन्नता के"। अपने श्रोताओं को आनन्दित करने में समर्थ एक मनोरंजनकर्ता के रूप में आकाशवाणी का कार्य अत्यन्त महत्वहीन बन चुका है।

16.7. श्रोता-अनुसंधान सुविधाओं के अभाव में, कार्यक्रम बनाने वाले प्राय: अपने प्रयासों के परिणामों से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं। महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीण श्रोताओं के लिए वर्षों से विशेष श्रोता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनके विषय में यह वास्तविक ज्ञान या समझ किसी को नहीं है कि लक्ष्य-श्रोताओं में किसे गिना जाए; इसका परिणाम है ऐसा प्रसारण जिसमें श्रोताओं को दिलचस्पी न हो, और जिसे "माध्यम-विरोधी" प्रोग्रामन के रूप में वर्णित किया गया है।

कार्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण

16.8 विखंडित तथा विभाजित संवर्ग जैसे कि प्रोग्रामर और इंजीनियर, स्टाफ आर्टिस्ट तथा प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, राजपत्रित और गैर-राजपत्रित, प्रतिनियुक्ति पर आये हुए तथा अन्य कर्मचारियों की समस्याओं को हमने अध्याय 18, कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था के लिए छोड़ दिया है। यहां हम प्रशिक्षण, स्टूडियो-सुविधाओं तथा उपस्करों, पुस्तकालयों, संदर्भ-सामग्री और अनुसंधान सहायता, अग्रिम धनराशि, परिवहन, टेलीफोन, कैण्टीनों, आराम कक्षों इत्यादि की अपर्याप्तता की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। ये पंगु बना देने वाली बाधाएं हो सकती हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का किसी तरह का विस्तार, जो विचाराधीन है, यदि कार्य-प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन किये बिना ही किया गया तो उसका परिणाम होगा वर्तमान खेदजनक स्थितियों में कई गुनी वृद्धि। प्रोग्रामन तथा वित्तीय प्राधिकरण का केन्द्रीयकरण, सृजनात्मक कलाकारों के (जो स्वभावत: भावुक होते हैं) के नये सुझावों को तत्काल पोषित एवं विकसित करने में असमर्थता, विलंबकारी स्वीकृति-प्रक्रियाओं में से गुजरे बिना अथवा प्रशासनिक समर्थन के बिना प्रयोग करने में असहमति या असमर्थता और जब किसी को प्रोत्साहन तथा श्रेय दिया जाना चाहिए तब उसे न देने का परिणाम केवल असंलग्न, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के एक पूरे ऐसे वर्ग की सृष्टि करना है जो जीवंत प्रसारण के विरुद्ध है।

16.9 कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त, जिसकी चर्चा अन्यत्र की गयी है, अतिथि कलाकारों और वार्ताकारों को दिया जाने वाला शुल्क भी समाचारपत्रों या विज्ञापन क्षेत्र के भुगतानों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से अल्प है। इस पर

भी यदि प्रसारण के लिए लोग उपलब्ध हैं तो इसका कारण उन्हें प्राप्त होने वाले शुल्क का आकर्षण नहीं बल्कि उस प्रचार तथा नाम का आकर्षण है जो इस माध्यम से उन्हें मिलता है। रायल्टी और कापी राइट की शर्तों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। यदि प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को अपने रेडियो तथा दूरदर्शन व्यक्तित्व विकसित करने हैं (जिसका वर्तमान भारतीय प्रसारण में प्रायः अस्तित्व ही नहीं), तो "क्लोज बुकिंग्ज" और दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने या एक माह अथवा एक वर्ष में कलाकारों को प्राप्त होने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की प्रणाली को भी समाप्त किया जाना चाहिए। इसके सिवा, प्रसार-माध्यमों को विवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें बाध्यता या पसन्द से 'सरकारी' बने रहना चाहिए। किसी ने कहा है कि "सीमाएं लांघ कर ही प्रसारण निरन्तर मनोरंजन और उत्साहवर्धन करता है"। इस आधारभूत सिद्धांत का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को निरंतर ध्यान रखना चाहिए। प्रोग्राम निर्माताओं तथा प्रसार संगठन के लिए श्रोता वर्ग ही उनके दैनंदिन कार्य का लक्ष्य तथा निर्णायक है।

केन्द्र समुच्चय

16.10 केन्द्रों के लिए शायद यह आवश्यक नहीं कि वे सभी तरह के कार्यक्रम प्रसारित करें। छोटे नगरों तथा जिलों में नये-नये केन्द्र खुलने से शीघ्र ही कार्यक्रम बनाने वालों को प्रतिभा के अभाव की समस्या का सामना करना होगा। इसलिए अच्छा हो कि स्टेशनों के समुच्चय या "सांस्कृतिक जनपद" बना लिये जाएं—हमने अपनी प्रस्तावित प्रसार-संचार मे क्षेत्रीय स्तर की चर्चा करते हुए इस परिकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। किन्तु प्रत्येक केन्द्र को किसी कार्यक्रम विशेष में विशेषज्ञता का दावा कर सकने की स्थिति में होना चाहिए और केन्द्रों, प्रदेशों तथा क्षेत्रों के मध्य कार्यक्रम-विनिमय की सुसंगठित प्रणाली के जरिए उसे ऐसे कार्यक्रमों का "निर्यात" कर सकना चाहिए। साथ ही आकाशवाणी के विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में यह भी वांछनीय है कि सहायक केन्द्रों में जहां अभी मूल रूप में प्रोग्राम तैयार नहीं होते, स्टूडियो सुविधाएं विकसित की जाएं और सामान्य, विकेन्द्रीकृत रिकार्डिंग-बूथों की स्थापना की जाए तथा ऐसे सामुदायिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाए जिनमें श्रोता भाग ले सकें। यों भी, आकाशवाणी और दूरदर्शन को सारे देश को अपना स्टूडियो और जनता को अपना कलाकार समझना चाहिए।

विविधता के साथ एकता

16.11 आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय एकता और विविधता दोनों की आवश्यकता पूर्ति करनी होती है। दूरदर्शन के लिए व्यापक विस्तार-सुविधाएं न होना जहां 'एकता' सम्बन्धी उसके प्रयास में बाधक है, वहां ट्रांसमीटरों या प्रसारण समय, या एक चैनल केन्द्रों की सीमितता रेडियो में विविधता लाने में आड़े आती है। सहायक केन्द्र अभी भी प्रायः किसी "मातृ" केन्द्र से ज्यादातर अपने कार्यक्रम प्रसारित करते है। क्षेत्रीय केन्द्रों को यह भी शिकायत है कि दिल्ली से भेजे गये ऐसे अनिवार्यतः प्रसारणीय कार्यक्रमों का उन पर भारी बोझ रहता है जिन्हें प्रतिदिन प्रसारित करना पड़ता है—विशेषतः संध्या के उन घंटों में जब श्रोताओं की संख्या सबसे अधिक हुआ करती है। इन केन्द्रीकृत कार्यक्रमों में समाचार-बुलेटिनों, राष्ट्रीय वार्ताओं, नाटक तथा संगीत के कार्यक्रमों और अन्य विशेष प्रसारणों का समावेश रहता है जिनमें एकरस, आलोचनाहीन तथा शीघ्रता में जुटाए गये "वार्षिकोत्सव कार्यक्रम" भी सम्मिलित होते हैं। इन कार्यक्रमों में, अधिकांश मामलों में, श्रोताओं को कोई दिलचस्पी नहीं रहती। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल के प्रस्तावित विकास के साथ और स्थानीय केन्द्रों में वृद्धि होने पर, यह परिकल्पना संभव हो सकेगी कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तीनों ही चैनल सभी श्रोताओं की पहुंच के अंतर्गत आ जाएंगे। किन्तु प्रत्येक चैनल के प्रोग्रामन को उपयुक्त रूप से मिश्रित तथा विविधतापूर्ण बनाना होगा जिससे ऐसे व्यक्ति भी जो एक ही चैनल ट्यून किये रहते हैं, विविध तथा समेकित कार्यक्रम सुन सकें।

आन्तरिक स्वायत्तता

16.12 यदि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान की जाती है तो कार्यक्रम स्वायत्तता मुख्यालय से छनते हुए उन केन्द्रों तक पहुंचनी चाहिए जहां वास्तव में कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं और जहां कार्यक्रम निर्माता तथा कलाकार का अपने श्रोताओं से आमना-सामना होता है। अगर एक सुगठित तथा एकीकृत संवर्ग उपलब्ध हो तो वांछनीय यह होगा कि कार्यक्रम सम्बन्धी पहल अधिकांशतः प्रोड्यूसरों और विशेष उत्पादन दलों पर छोड़ दी जाए न कि केवल केन्द्र प्रबन्धकों पर और प्रत्येक उच्च स्तर से उन्हें पर्यवेक्षण समन्वय तथा सहायता उपलब्ध रहे। विचारों, तकनीकों और विविध रूपों से सम्बन्धित प्रयोगों के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए।

16.13 जब तक प्रोग्रामन तथा प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ वित्तीय तथा बजट सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तब तक उपरोक्त बातों में से कुछ भी संभव न हो सकेगा। आकाश भारती का बजट आंतरिक रूप से रेडियो, दूरदर्शन, विदेश सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, श्रोता-अनुसंधान आदि के लिए अलग-अलग बजटों में विभाजित रहेगा। इन्हें केन्द्रों तथा सेक्टरों के आधार पर और भी विभाजित किया जा सकता है जिससे प्रस्तोता-विशेष को ज्ञात रहे कि वह एक निश्चित बजट के अंतर्गत कार्य कर सकता है और तदनुसार नियोजन कर सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त राशि की जब जैसी आवश्यकता होगी तब वह केन्द्र, क्षेत्रीय या मंडल की सुरक्षित राशि में से या अंतर-सेक्टरीय स्थानांतरण द्वारा उपलब्ध हो सकेगी।

नियोजन उत्पादन एवं प्रस्तुतीकरण

16.14 आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वास्तविक उत्पादन को नियोजन, उत्पादन और प्रस्तुतीकरण इन तीन मुख्य शीर्षकों में विभाजित करना उपयुक्त होगा। नियोजन ग्रुप को कार्यक्रम सम्बन्धी घटनाओं और प्रक्रियाओं की परिकल्पना तथा उनको विकसित करना और एक बार में छः माह या अधिक समय के लिए कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना चाहिए। फिर इन कार्यक्रम अनुसूचियों को बच्चों के कार्यक्रम, संगीत आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाएगा। तब आकाशवाणी में प्रसारण के लिए परिपूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण उत्पादन दलों का दायित्व होगा जिनके लिए कलाकारों का चयन करने की प्रोड्यूसरों को स्वतंत्रता रहेगी। कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण अपने आप में एक प्रसारण कला है जिसकी इस समय अत्यन्त उपेक्षा हो रही है। उद्घोषक तथा कलाकार परिचायक यदि सावधानीपूर्वक चुने जाएं तो वे अपनी शैली और उत्साह द्वारा अधिकाधिक श्रोताओं तथा दर्शकों को आकर्षित करेंगे।

अधिकतम अन्तरण

16.15 आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अंतरिक संगठन में काफी परिवर्तन होना चाहिए। आन्तरिक स्वायत्तता तभी संभव है जब उद्देश्य तथा प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और उच्च स्तर पर उचित पर्यवेक्षण हो, परन्तु वह पृष्ठ-भूमि में रह कर हो, और शासन न होकर प्रोत्साहन का स्रोत हो। उत्पादन स्वायत्तता की वांछनीयता स्वीकार करने के साथ ही कार्यक्रम प्रोड्यूसरों को भी समझना चाहिए कि वे एक बृहत्तर संगठन के अंग हैं और उन्हें इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए जो उद्देश्यों तथा संगठन की विशिष्ट प्रकृति के प्रतिकूल हो। आकाशवाणी में 'प्रबन्ध समिति' की अवधारणा का सर्वथा अभाव है, यद्यपि महानिदेशक कार्यक्रम से संबद्ध कर्मचारियों की साप्ताहिक नियोजन तथा पुनरीक्षण बैठकें किया करते हैं। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के महानिदेशक के स्तर से वर्तमान कार्यक्रम-क्षेत्रों और उनसे भी नीचे के केन्द्रों को सौंपे न जाने का कारण यह है कि स्वयं महानिदेशक को ही बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ, स्थायी नान एक्सचेंज टेलीफोन लाइनों के संस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेन्सियों से भण्डार की सीधी खरीद, वायुयान द्वारा यात्रा की स्वीकृति और आकाशवाणी के अंतर्गत मातहत एजेंसियों को महानिदेशक द्वारा अपने अधिकार देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है। इस स्थिति में निदेशालय नई दिशाओं में नहीं सोच सकता। एक ओर जहां महानिदेशक उन अनिवार्य अधिकारों से भी वंचित है जो उसके लिए आवश्यक है, वहीं उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सं० 8/15/69-बी (ए) दिनांक 4-10-1969 के द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत द्विपति/द्विपत्नी विवाह की अनुमति देने का असामान्य विवेकाधिकार प्राप्त है।

अल्प लागत उत्पादन

16.16 कार्य दल ने स्टूडियो तथा उपस्करों की कमी के विषय में अनेक शिकायतें सुनी। कुछ मामलों में ये शिकायतें सही है, विशेषतः दूरदर्शन के सम्बन्ध में, क्योंकि उनके कुछ केन्द्रों पर अत्यधिक भार है। परन्तु साथ ही हमें यह सूचना भी मिली है कि कुछ स्टूडियो कुशलतापूर्वक उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और हमने यह भी देखा कि ऐसे कार्यक्रम तैयार करने का साहस दिखाने के बदले, जो कि साधारण उपकरणों और अल्प लागत बजटों से सम्पन्न किए जा सकते है, कार्यक्रम कर्मचारियों की प्रवृत्ति अत्याधुनिकतम उपस्करों और व्यापक सुविधाओं की मांग करने की है। अहमदाबाद के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ने अल्प लागत पोर्टेबिल या चल उपस्करों का उपयोग एवं विकास करने में, और स्टूडियो में वैतनिक कलाकारों से काम लेने के बदले बाहर तथा जनसाधारण के बीच कार्यक्रम तैयार करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

टीम-प्रणाली

16.17 विभिन्न कार्यक्रम संवर्गों और तकनीकी तथा कार्यक्रम कर्मचारियों के मध्य दुर्भाग्यवश जो दीर्घ काल से से प्रतिस्पर्धा चली आ रही है उसने भी कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर असर डाला है। अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ने एक बहुत भिन्न सक्रिय संवर्ग (निस्संदेह अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमानों पर) विकसित करने में सफलता प्राप्त की है जिसके अन्तर्गत एक प्रोड्यूसर, तकनीशियन, पटकथा लेखक और समाज विज्ञानी (बाल मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि उपयुक्त विषय का) मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं और प्राथमिक कार्यक्रम, जो नियमित शृंखला के अग्रदूत बनते हैं, तैयार करने से पहले ग्रामीण पात्रों की सहायता से क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों का पूर्व-परीक्षण करते है। हमने इस रिपोर्ट में सादे प्रोग्रामन तथा तकनीकी कार्यों के एकीकरण और इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा अभ्यास की सुविधा सुलभ करने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं।

आधार उत्पादन केन्द्र

16.18 सभी दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम प्रवर्तन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर और रायपुर केन्द्र दिल्ली में स्थित आधार-उत्पादन केन्द्र द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रम ही दूरदर्शन पर प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हैदराबाद में स्थित आधार-उत्पादन केन्द्र गुलबर्गा केन्द्र के लिए और कटक आधार-उत्पादन केन्द्र सम्बलपुर केन्द्र के लिए कार्यक्रम तैयार करते है। आधार-उत्पादन केन्द्र "साइट" सातत्य कार्य क्रम के अंग है। किन्तु वे जो कार्यक्रम तैयार करते है उनमें क्षेत्रीय विशेषता का अभाव रहता है और उन्हें विशेष सफल नहीं कहा जा सकता। यदि इन "साइट" सातत्य केन्द्रों के कार्यक्रमों को सोद्देश्य और वास्तव में रुचिकर बनाना है तो हम उनके लिए स्वतंत्र प्रोग्रामन सुविधाओं की अनुशंसा करेंगे।

16.19 प्रायः सभी दूरदर्शन केन्द्र कार्यभार से बुरी तरह द` हुए और कर्मचारियों के अभाव से ग्रस्त हैं, और उन्हें अस्थायी नैमित्तिक कर्मचारियों से काम चलाना पड़ता है जिनमें से कुछ एक तरह से स्थायी बन गए हैं। इन, और अन्य समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अभिलेखागारों का योगदान

16.20 प्रसारण माध्यमों से अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य किसी एक संस्था की अपेक्षा आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि का विकास करने और लोक संगीत नृत्य तथा नाटक की कुछ असाधारण विविधताओं और विशेषताओं को लोकप्रिय बनाने में कहीं अधिक योगदान किया है। दूरदर्शन ने दृश्य कलाओं को और भी खूबी से प्रस्तुत किया है ।

16.21 आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का स्थान संगीत और भाषित विधाओं के लिए वही है और होना भी चाहिए, जो भारतीय कला तथा शिल्प के लिए हथकरघा व हस्तकला बोर्डों का है। हर क्षेत्र तथा वर्ग के लोगों की अपनी विशिष्ट गाथाएं, जनगीत, कार्य-गति, भक्ति संगीत, मौसम के गीत, शिशुगीत और गली कूचों की पुकारें तक हुआ करती हैं, जिन्हें उनके दुर्लभ होने से पूर्व रिकार्ड कर सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में अपनी तरह के अद्वितीय वाद्ययंत्र होते हैं। उनको भी रिकार्ड किया जाना चाहिए। यह सब संगीत टेप-बद्ध करने के लिए आकाशवाणी केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में छान-बीन करनी चाहिए और उसे लिखित रूप में लोकगीतों का राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाकर उसमें सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे अभिलेखागार की स्थापना होने से वह विद्वानों और संगीतविदों के लिए बहुमूल्य निधि होगा। इस लोक-संगीत को नये रूपों में विकसित किया जा सकता है।

16.22 परन्तु आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास अपने अभिलेखागारों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिएं। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान हैं। उदाहरण के रूप में, आकाशवाणी के अभिलेखागार में गांधीजी, नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभभाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायडू, सी०वी० रामन और अन्य समकालीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूल्यवान रिकार्डिंग मौजूद हैं। सन् 1947 में भारत को शासनाधिकार सौंपे जाने, भगवान बुद्ध के 2500 वें महापरिनिर्वाण और 1947 के एशियाई सम्पर्क सम्मेलन जैसी महान घटनाओं के टेप-रिकार्डिंग भी वहां सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त उनके पास महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वार्ताओं/कार्यक्रमों और महान संगीतज्ञों के रिकार्डिंग भी हैं। लेकिन अभिलेखागार पुस्तकालय बहुत सकरे भवन में स्थित हैं; वातानुकूलन असंतोषजनक है और केवल सवेरे 6 बजे से रात के 11 बजे तक ही चालू रहता है। इसके परिणामस्वरूप रिकार्ड की हुई कुछ सामग्री के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। अभिलेखागारों में पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं जिसके कारण सामग्री का समुचित सूचीकरण तथा अनुक्रमणिका तैयार नहीं हो सकी है।

16.23 आकाशवाणी के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों का यदि कलाकारों या अन्यों द्वारा परिचय कराया जाए तो संभवतः श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी और उनके प्रति अधिक दिलचस्पी पैदा होने के साथ ही उन्हें समझने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि को एक प्रकार से विकसित करना होता है और उसके सौन्दर्य तथा गहराई से परिचित होने के लिए अभी भी भारी संख्या में श्रोतागण प्रतीक्षित हैं।

16.24 आकाशवाणी, यद्यपि प्रातःकालीन धार्मिक कार्यक्रम (वन्दना) से लेकर सुगम, शास्त्रीय तथा लोकसंगीत कार्यक्रमों तक, दिन भर सभी प्रकार का संगीत प्रसारित करती है, किन्तु उसका मुख्य संगीत एवं मनोरंजन-माध्यम विविध भारती है जिसे खासकर ग्राम श्रोताओं के लिए हल्का मनोरंजन कार्यक्रम सुलभ करने के उद्देश्य से 1957 में प्रारम्भ किया गया था। अनेक व्यक्ति और अनेक घर अपना दैनिक कार्य करते हुए पृष्ठ-संगीत सुनने के आदी हो गये हैं। इसे भवनों की 'ध्वनि-सज्जा' का नाम दिया गया है।

फिल्म की ओर झुकाव

16.25 आकाशवाणी की अपेक्षा दूरदर्शन कार्यक्रम बहुत सीमित है, परन्तु उसके कार्यक्रमों में मनोरंजन पर्याप्त मात्रा में रहा करता है। इनमें सबसे लोकप्रिय हैं रविवारीय सिनेमा फीचर फिल्में और 'छायागीत' तथा 'चित्रहार' जैसे फिल्मों पर आधारित संगीत कार्यक्रम। कार्यदल ने भारतीय सिनेमा पर निर्भरता होने, और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण सिनेमा फिल्में दिखाये जाने के लिए दूरदर्शन की काफी आलोचना सुनी। यह आलोचना उचित ही है और इससे इस स्पष्ट जरूरत का संकेत मिलता है कि दूरदर्शन को अपने ही लेखकों—कलाकारों की सहायता से मनोरंजक फिल्में तैयार करके मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को एक नयी दिशा देनी चाहिए।

16.26 ऐसी ही आलोचना आकाशवाणी की हो सकती है और इस तथ्य से सबक लिया जाना चाहिए कि रविशंकर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आकाशवाणी में आये, परन्तु ठहरे नही।

विविध भारती

16.27 आकाशवाणी के मनोरंजक कार्यक्रमों का सबसे बड़ा भाग विविध भारती के माध्यम से प्रसारित होता है। यह प्रसारण सप्ताह के दिनों में 12 घंटे और 45 मिनट

और रविवार तथा छुट्टियों के दिन आध घंटा और भी होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवा से सम्बद्ध हैं और उन्हें अधिकांशतः एक ही केन्द्र, बम्बई में तैयार किया जाता है; केवल कुछ सीमित अंश कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जोड़ दिये जाते हैं जिसमें ज्यादातर स्थानीय श्रोताओं की फर्माइश के प्रोग्राम रहते हैं। ये कार्यक्रम दिलचस्प होते हैं।

16.28 विविध भारती चैनल से दो बार पांच-पांच मिनट के समाचार प्रसारित किये जाते हैं। अन्य उच्चरित कार्यक्रम—सूचनाएं, वार्ताएं, नाटक, कहानी और कविता पाठ—कुल प्रसारण का दस प्रतिशत समय लेते हैं। शेष 90 प्रतिशत संगीत होता है जिसको इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है: शास्त्रीय तथा सुगम शास्त्रीय संगीत 16 प्रतिशत, लोक तथा क्षेत्रीय संगीत 10 प्रतिशत और भक्ति तथा देशभक्तिपूर्ण संगीत 4 प्रतिशत; इनका योग होता है कुल प्रसारण समय का 30 प्रतिशत। शेष 60 प्रतिशत प्रसारण समय फिल्म संगीत को दिया जाता है। फिल्म संगीत के ये आंकड़े इस तथ्य के संदर्भ मे अपनी कहानी आप कहते हैं कि आकाशवाणी से फिल्म संगीत के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगने के बाद रेडियो सीलोन से श्रोताओं का मन मोड़ने के लिए 1950 में विविध-भारती का उद्घाटन किया गया था।

अपर्याप्त पारिश्रमिक

16.29 आकाशवाणी केन्द्रों में जाकर और संगीत प्रोड्यूसरों से चर्चा करने पर ऐसे अनेक विरोधाभास नजर आये जिन्हें दूर करने का अभी तक किसी ने शायद प्रयास नहीं किया है। स्टाफ आर्टिस्ट प्रणाली के अन्तर्गत, केन्द्र केवल कुछ वादकों को संगतकारी के रूप में भर्ती करते है, जब कि कण्ठ तथा वाद्य संगीत से सम्बन्धित मुख्य कार्य बाहर के कलाकारों को सौंपे जाते हैं जिन्हें स्वर-परीक्षा तथा वर्गीकरण के पश्चात् अनुबन्ध के आधार पर रखा जाता है। लेकिन अनुबन्ध-शुल्क बहुत ही कम है। 'बी' श्रेणी के कलाकार को 15 से 20 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए 50 रु० से 70 रु० तक दिये जाते है; 'बी-उच्च' श्रेणी के कलाकार को 80 रु० और 120 रु० के बीच दिये जाते हैं; 'ए' श्रेणी के कलाकारों को 125 रु० और 190 रु० 90 मिनट के कार्यक्रम के लिए प्राप्त होते है, जबकि कुछ उच्च श्रेणी के संगीतज्ञों को 200 रु० और 240 रु० के मध्य प्राप्त होते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं को 90 मिनट के निष्पादन के लिए 250 रु० मिलते हैं। इस कार्यक्रम को दो या अधिक हिस्सों में बांट कर भिन्न-भिन्न समय पर प्रसारित किया जा सकता है। संगीतज्ञों तथा अन्यों के लिए एक 'क्लोज बुकिंग' प्रणाली भी है जिसके परिणामस्वरूप किसी कलाकार को सामान्यतः महीने में एक से अधिक बार अनुबंधित नहीं किया जा सकता, न वह शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष 1500 रु० से अधिक प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार, किसी संगीतज्ञ और उसके सहयोगियों को, या किसी नाटक अथवा समवेत गायन-दल को किसी एक अनुबन्ध-निष्पादन के लिए दिया गया शुल्क 500 रु० से अधिक नहीं हो सकता। किसी नाटककार या लेखक को प्रतिवर्ष 6,000 रु० से अधिक रायल्टी नहीं दी जा सकती। इन सीमाओं से अधिक राशि के लिए मुख्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। इसका नतीजा यह है कि आकाशवाणी सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने या इसे रख पाने में असमर्थ है।

16.30 हमें शिकायतें मिली हैं कि आवृत्ति-प्रसारणों के लिए लेखा-विधि तथा भुगतान की प्रणाली असंतोषजनक है। कलाकारों के कार्यक्रम कई बार प्रसारित होने के बाद भी उन्हें प्रायः उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। इस शिकायत पर गौर किये जाने की जरूरत है।

16.31 आर्थिक कारणों से आकाशवाणी कई सुगम संगीत एककों को जारी रखने में असमर्थ रही है। उदाहरणार्थ, इलाहाबाद के सुगम संगीत एकक को 1952 में विघटित कर दिया गया। आकाशवाणी के वाणिज्यिक विक्रय एकक का अनुभव है कि वाणिज्यिक समय को किसी भी उच्च दरों पर बिकने वाले सभी बढ़िया कार्यक्रम फिल्मी संगीत कार्यक्रम होते हैं। अपने वादकों तथा वाद्यवृन्द के अभाव के कारण प्रतियोगिता करने में अपनी असमर्थता के अतिरिक्त, आकाशवाणी के संगीत एककों के सम्मुख ऐसे वाद्ययंत्रों की सीमित विविधता की भी स्थिति है जिनका वे उपयोग करते हैं।

संगीत सेंसरशिप

16.32 कार्यदल ने पाया कि मई 1969 में जारी किये गये एक आदेश के अनुसार शास्त्रीय तथा सुगम शास्त्रीय संगीत में 'उपयोग के लिए स्वीकृत' 31 वाद्ययंत्रों की एक सूची आकाशवाणी ने बना रखी है। इस आदेश का उद्देश्य 'भारतीय संगीत परम्पराओं की आत्मा और मूल अवधारणाओं को बनाये रखना' और केवल ऐसे वाद्ययंत्रों के प्रयोग की अनुमति देना जान पड़ता है 'जो भारतीय संगीत की मूलभूत विशेषताओं की ठीक-ठीक पुनः प्रस्तुति की क्षमता रखते हों'। "उपयोग के लिए स्वीकृत" ऐसे वाद्ययंत्रों की सूची परिशिष्ट 'द' में दी गयी है। उसमें सुपरिचित भारतीय वाद्ययंत्रों के अतिरिक्त वायलिन, क्लैरियोनेट, वायोला, हवाईयन गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार भी सम्मिलित है। परन्तु पियानो, ओबो, ट्रम्पेट और ड्रम सहित और ऐसे अन्य वाद्ययंत्र, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, शामिल नही किए गए हैं। यहां तक कि हार्मोनियम के उपयोग की अनुमति भी केवल 'ए' और सर्वोच्च श्रेणी के कलाकारों को ही है, अन्यों के लिए नहीं।

16.33 यद्यपि आकाशवाणी द्वारा अभी तक 'स्थापित कार्यविधि' के माध्यम से संगीत पर सेंसर व्यवस्था लागू की जाती रही है, परन्तु जिन वाद्ययंत्रों के उपयोग को उसने

इतनी सख्ती के साथ प्रतिवन्धित कर रखा है उन्हीं का उपयोग विविध भारती के 60 प्रतिशत संगीत कार्यक्रमों में हुआ करता है। फिल्मी संगीत केवल इसीलिए लोकप्रिय है कि क्योंकि वह वाद्यवृन्द प्रधान तथा समस्वरित है और उसमें ऐसे निषिद्ध वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है जो व्यापक विविधता एवं संगीत अभिव्यक्ति में सहायक है। आकाशवाणी फिल्मी संगीत पर इसीलिए निर्भर है क्योंकि वह 'लोकप्रिय' है, निम्न रायल्टी दरो पर उपलब्ध है और आकाशवाणी को अपने ही स्टूडियो में व्यय तथा सृजनात्मक प्रयास करने से बचाता है। यह दयनीय स्थिति है और उन संगीत प्रोड्यूसरों को इससे काफी निराशा हुई है जो 1965 तक प्रतिवर्ष संगीत-सेमिनारों या वर्कशापों में भाग लिया करते थे।

वाद्यवृन्दकरण को प्रोत्साहन

16.34 आकाशवाणी ने वाद्यवृन्द के समारम्भ द्वारा इस विद्या को आगे लाकर एक अच्छा कदम उठाया था। प्रारम्भ में उसका निदेशन रविशंकर ने और बाद में पन्नालाल घोष ने किया। लगता है कि वाद्यवृन्द के प्रयोग ने नवीन कल्पना का अभाव सा हो गया है तथापि, उसे सर्वोत्तम संगीत निदेशक के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

16.35 भारतीय संगीत मूलतः मधुर होता है जब कि वाद्यवृन्दकरण वस्तुतः समस्वरता का बोधक है। अनेक वाद्ययन्त्रों द्वारा कोई राग बजाने या साधारण रागिनियों का सिलसिला ही समस्वरता या वाद्यवृन्दकरण हो, ऐसा नही है। आकाशवाणी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने संगीतकारों को वाद्यवृन्दकरण तथा समस्वरता में प्रशिक्षित करे और उन्हें पाश्चात्य तथा अन्य ऐसे संगीत के सम्पर्क में लाये जहां से ये अवधारणाएं उद्भूत हुई, जिससे कि वे भारतीय वाद्यवृन्दकरण का विकास करने मे अधिक सक्षम हो सके। इसका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और भारतीय संगीत के लिए नयी संभावनाएं पैदा हो सकती है। समस्वरता की अभिवृद्धि मे पियानों का प्रयोग भी काफी सहायक हो सकता है। इसका तात्पर्य यह नही कि भारतीय संगीत, विशेषतः शास्त्रीय भारतीय संगीत का परित्याग किया जाए, उसके स्तर को गिराया जाए या उसके प्राचीन आधार से हटाया जाए। उद्देश्य केवल यह है कि उसके लिए नये द्वार खुलें जैसा कि मिसाल के तौर पर, अपनी संगीत परम्पराओं को कायम रखते हुए, चीनियों तथा जापानियों ने किया है।

समवेत गान

16.36 इसी प्रकार, भारतीय समवेत संगीत को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। समवेत गान में भी समस्वरता निहित है और वह सामूहिक गान से भिन्न होता है। भारतीय समवेत परम्परा के विकास की सम्भावनाओं की खोज प्रारम्भ होने लगी है और मद्रास में एम० वी० श्रीनिवासन के अधीन आकाशवाणी समवेत गान दल की सफलता उस सम्भावना की द्योतक है जो इस क्षेत्र में हो सकती है। यह उल्लेखनीय कि आकाशवाणी, मद्रास ने समवेत गान को लोकप्रिय बनाने में मदद की है और स्कूलों में समवेत गान दलों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वयं श्रीनिवासन की इस समय बड़ी मांग है। आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में भी इसी तरह के समवेत गान दलो को विकसित किया जाना चाहिए, विशेषतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्रों में जो जन्मजात संगीतप्रिय है और उनमें ऐसे अनेक दल बनाये जा सकते है।

16.37 चाहे वाद्यवृन्दकरण के लिए हो, चाहे समवेत गान के लिए, आकाशवाणी को वाद्ययन्त्रों और प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। वाद्यवृन्दकरण तथा समवेत गान का कानों की सहायता से भलीभांति निर्वाह कठिन हे। इसके लिए स्वरलिपि, मुख्यतः स्टाफ-स्वर लिपि का और कम से कम सरगम (सा, रे, ग, म) के उच्चारण का ज्ञान आवश्यक है। आकाशवाणी को संगीत शिक्षक तथा संगीत परिचालक की भूमिका अदा करनी है। आकाशवाणी केन्द्रों की नयी पीढी में से प्रत्येक को उपयुक्त आकार के सभागृह से सुसज्जित रहना चाहिए जिसमें जीवन्त प्रदर्शन तथा संगीत कार्यक्रम श्रोता, दर्शकों को शामिल करते हुए आयोजित तथा प्रसारित किये जा सकें। यह जनसामान्य को रेडियो के निकट लाने में सहायक होगा।

बेहतर हल्का मनोरंजन

16.38 यह उल्लेखनीय है कि विविध भारती का यह नामकरण होने से पहले उसे "अखिल भारतीय रंगारंग कार्यक्रम" कहा जाता था और यह कार्यक्रम अब मूलतः एक फिल्मी रिकार्ड दोहराने का कार्यक्रम बन जाने के कारण वही नही रह गया जो उसके आदि नामकरण से ध्वनित होता था। आकाशवाणी केन्द्रों के संगीत प्रोड्यूसरो को यह संदेह है कि फिल्मी गानो की जो फरमाइशें उनके पास आया करती है उनमें से कुछ ऐसे व्यवसायियो द्वारा भेजी जाती है जो कुछ फिल्म संगीत निर्देशको और कलाकारों के दलाल का काम करते हैं जो अपना सगीत रेडियो द्वारा प्रसारित कराना चाहते है।

16.39 जो हो, हमारी अनुशंसा है कि नयी व्यवस्था के अंतर्गत आकाशवाणी को विविध भारती के स्वरूप और अंतर्वस्तु का पुनरीक्षण करना चाहिए जिसमें फिल्मी संगीत सहित एक वास्तविक रेडियो-मूलक हल्के मनोरंजक कार्यक्रम का विकास किया जा सके जो कि शैली, रूप रेखा, कलाकारों आदि के रूप में नये प्रयोगों तथा नवोन्मेष के लिए एक माध्यम बन सके।

रेडियो नाटक

16.40 यदि उत्तम आलेख, अभिनय तथा प्रस्तुतीकरण हो तो नाटक से अधिक मनोरंजक तथा प्रभावकारी कम हो विषय हो सकते हैं। यह ऐसा क्षेत्र हे जिसमें रेडियो तथा दूरदर्शन, सभी भाषाओं के भारतीय साहित्य और आधुनिक

तथा लोक नाट्य कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दे सकते हैं और संस्कृतियों का व्यापक आदान-प्रदान संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए असमिया के नवलेखन की जानकारी केरल और राजस्थान को हो सकती है और केरल और राजस्थान के नवलेखन का परिचय असम को मिल सकता है। अगर ऐसा होना है तो आकाशवाणी को नाट्य लेखकों, नाट्य दलों और नाटकों में भाग लेने वाले कलाकारों को अब के मुकाबले काफी अधिक पारिश्रमिक देना होगा। अभी जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसके सहारे कोई भी जीवन-यापन नहीं कर सकता और इसलिए रेडियो-लेखन या अभिनय को केवल एक पूरक कार्य ही समझा जाता है।

16.41 हास्य-विनोद और झलकियों के सभी तरह के और कार्यक्रमों के लिए भी गुंजाइश है। हंसना-हंसाना सभी को अच्छा लगता है।

स्वर परीक्षा पद्धति

16.42 श्रोताओं और दर्शकों को सर्वोत्तम प्रतिभाएं उपलब्ध कराने के लिए हम इस विचार की अनुशंसा करते हैं कि प्रतिभाशाली और विख्यात व्यक्तियों को रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के लेखन और उनको तैयार तथा प्रस्तुत करने की सुविधाएं दी जाएं जिस के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सभी संभव सहायता उनको सुलभ हो। लेकिन उन्हें समुचित पारिश्रमिक देना होगा। ऐसे प्रोग्रामों को वृत्त रूपक, नाटक और सामान्य विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सकता है।

16.43 एक महत्वाकांक्षी कलाकार स्वर परीक्षा के जरिए प्रसारण के क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। रेडियो और नाटक कार्यक्रमों में अधिकांश लोग शौकिया कलाकारों में से आते हैं क्योंकि पारिश्रमिक थोड़ा होने के कारण व्यावसायिक कलाकार इस ओर नहीं खिंचते। परन्तु नाट्य कलाकारों के चुनाव के लिए स्वर-परीक्षा बहुत सावधानी से नही की जाती और यह काम छोटे केन्द्रों की कमेटियां करती हैं। आमतौर से यह भ्रम फैला हुआ है कि रेडियो नाटकों में अभिनय के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण जरूरी नहीं है और जो कोई भी साक्षर ऐसा अभिनय कर सकता है। व्यावसायिक कलाकार भी यह नहीं सोचते हैं कि प्रसारण स्टूडियो की मांगें रंगमंच की अपेक्षाओं से भिन्न होती हैं। यह बात दूरदर्शन में नाटकों के संबंध में सच है। अभिनेता या तो बहुत तनाव की स्थिति में रहते हैं या अपने अभिनय में नितान्त कलाहीन सादगी का परिचय देते हैं। इसलिए उनके चुनाव के बाद उन्हें समुचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इस समय प्रोड्यूसरों को नाट्य-शिक्षकों का काम भी करना होता है। जो नवागन्तुक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने को उत्सुक हैं वे ही प्रसारण को गंभीरता से लेने वाले लोग होंगे। लेकिन पारिश्रमिक अब से बेहतर होना चाहिए।

16.44 संगीत के लिए कलाकारों की स्वर परीक्षा को वर्तमान पद्धति में भी परिवर्तन अपेक्षित है। एक समय था जब गायकों और वादकों के केन्द्रों के संगीत विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्वर परीक्षा ली जाती थी। 1952 में निर्णय किया गया कि संगीत के लिए कलाकारों की स्वर परीक्षा और उनका वर्गीकरण गायकों और गायन-कला विशारदों की समिति किया करे। समिति ने शीघ्र संगीत-परीक्षक का रूप ग्रहण कर लिया और गायकों को शान्त भाव से सुनने और उनकी गुणवत्ता पर राय देने की बजाय उनसे सवाल-जवाब करना शुरू किया। इससे असंतोष का जन्म हुआ और शीघ्र ही दुहरा प्रबंध स्थापित हुआ। संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति की स्वर-परीक्षा पहले स्थानीय स्वर-परीक्षा समिति ने करना शुरू किया, फिर उस समिति द्वारा स्वीकृत लोगों की और आगे परीक्षा संगीत स्वर-परीक्षा मंडल द्वारा दिल्ली में होने लगी। इन दोनों स्वर-परीक्षाओं के बीच कभी-कभी एक वर्ष या इससे भी अधिक का व्यवधान होता है। 'संगीत स्वर-परीक्षा मंडल' का औचित्य संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त वह रागों के निर्वचन के मामले में एकरूपता लाने के लिए प्रयास करता है, यह प्रवृत्ति कला के क्षेत्र में खतरे से खाली नहीं है। एक केन्द्रीय स्वर-परीक्षा मंडल अनावश्यक है। इसकी जगह क्षेत्रीय मंडल स्थापित किए जाने चाहिए और उनके कुछ सामान्य परिमाप सुनिश्चित होने चाहिए। केन्द्रों के संगीत प्रोड्यूसरों को कलाकारों के चुनाव के मामलों से संबद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि रुचि और मानदंडों में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं।

क्लासिकी धरोहर

16.45 कुछ वर्ष पूर्व दिन में दोबार संस्कृत में समाचार आरम्भ किए गए थे। इसका उद्देश्य देश में संस्कृत भाषा के ज्ञान को प्रोत्साहन देना था। उपलब्ध साक्ष्य से यह नहीं प्रतीत होता है कि इन प्रसारणों को काफी संख्या में दूर दूर तक लोग सुनते हैं। अगर संस्कृत का प्रचार करना है तो अधिक अच्छा होगा कि संस्कृत शिक्षा के कार्यक्रम और अन्य ऐसे कार्यक्रम आरम्भ किए जाएं जिनमें हमारी अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिबिंब हो। अगर ऐसे कार्यक्रम समुचित कल्पनाशीलता से तैयार किए जायं तो उनके लिए अधिसंख्य श्रोता वर्ग मिल सकता है और भारत के क्लासिकी अतीत के प्रति एक वातायन खुल सकता है। अगर फारसी में कार्यक्रम शुरू करना हो तो भी यही करना होगा।

बच्चों और युवा लोगों के लिये कार्यक्रम

16.46 भारत की आबादी में युवा लोगों की बहुत अधिक संख्या है और यह ऐसा श्रोता-वर्ग है जिसकी प्रसारण उपेक्षा नहीं कर सकता। आकाशवाणी से नन्हें-मुन्नों और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन भी नियमित रूप से बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम श्रोता क्लबों के इर्द-गिर्द तैयार होते हैं। हमारा मत है कि बच्चों के कार्यक्रम की ओर से सर्वाधिक ध्यान देने और उनके लिए सर्वोत्कृष्ट निर्माण-प्रतिभाओं को संयुक्त करने की आवश्यकता

है। यह वह क्षेत्र है जिसमें सांस्कृतिक रुचियों को प्रभावित किया जा सकता है और चतुर्दिक के संसार के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। कुछ अंशों में स्कूली शिक्षा गीतगायन के जरिए, जिसके प्रति बच्चे तुरन्त और प्रसन्नता से आकर्षित होते हैं, दी जा सकती है। संगीत के माध्यम से शिक्षा को स्कूल प्रसारण कार्यक्रमों में अधिक सचेतन ढंग से संलग्न करने की आवश्यकता है, विशेषतः छोटे बच्चों के लिए।

16.47 युववाणी सेवा 1969 में दिल्ली से एक पृथक् चैनल पर शुरू की गई थी और बाद में इस सेवा के लिए कलकत्ता, हैदराबाद, जम्मू और श्रीनगर में भी अलग चैनल निर्धारित किए गए। आकाशवाणी के अन्य केन्द्र या तो अपने मुख्य चैनल पर या कुछ मामलों में वाणिज्यिक चैनल पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। युववाणी सेवा का उद्देश्य युवा लोगों को आत्माभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना और यथेष्ट कार्यक्रम स्वातंत्र्य देकर उन्हें इस सेवा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करना है। ये उद्देश्य सराहनीय हैं लेकिन युवा वाणी कार्यक्रमों में मुख्यतः शहरी और विद्यार्थी युवा वर्ग की रुचि की ओर स्पष्टतः अधिक ध्यान दिया जाता है।

खेल-कूद के कार्यक्रम

16.48 खेल-कूद के प्रति लोगों की बहुत रुचि होती है। यह दिलचस्पी सिर्फ युवा लोगों में ही नहीं होती। कलकत्ता के उन फुटबाल मैचों में, जिनमें विख्यात ब्राजीलियन खिलाड़ी पेले ने भाग लिया, लोगों ने बेहद उत्साह दिखाया और लगभग 4,000 अतिरिक्त टेलीविजन सेटों की बिक्री कलकत्ता में हुई क्योंकि मैचों को दूरदर्शन पर दिखाया गया। इसी प्रकार आकाशवाणी द्वारा प्रसारित क्रिकेट कमेन्ट्रियों में भी लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है। भारतीय दर्शकों के लिए दूरदर्शन ने मांट्रियल ओलिम्पिक खेलों को भी प्रस्तुत किया। प्रादेशिक और स्थानीय केन्द्रों के विकास के साथ-साथ प्रादेशिक खेल-कूद कार्यक्रमों तथा नये पुराने खेलों के लिए और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए अधिक समय दे सकना संभव होगा। रेडियो और टेलीविजन से योग के प्रचार-प्रसार में भी बहुत सहायता मिल सकती है और संगीतमय तथा कवायद के प्रोग्रामों के जरिए शारीरिक-स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्यक्रम पत्रिकायें और पुरस्कार

16.49 आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक संख्या में और अच्छी कार्यक्रम-पत्रिकाएं निकालनी चाहिए। बेतार जगत (कलकत्ता से प्रकाशित कार्यक्रम पत्रिका) की सफलता से यह संभावना उजागर होती है कि ऐसी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है। अगर उन्हें अन्य पत्र-पत्रिकाओं की तरह विज्ञापन छापने का अधिकार दे दिया जाय तो वे कम से कम अपना खर्च पूरा कर सकेंगी और हो सकता है कि कुछ आमदनी भी कर लें। प्रसारित वार्ताएं और प्रसारकों के व्यक्तित्व के संबंध में परिचयात्मकलेख छापने से उनमें पाठकों की रुचि बढ़ेगी और श्रोताओं को उन वार्ताओं का स्थायी रिकार्ड रखने की सुविधा रहेगी जिन्हें उन्होंने बहुत पसंद किया हो।

16.50 आकाशवाणी अन्य प्रसारण संगठनों की तरह वाणिज्यिक आधार पर महान कलागुरुओं, राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों और लोक गायन के डिस्क और टेप भी तैयार कर सकता है।

16.51 प्रोग्राम तैयार करने वालों और अन्वेषी तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों में पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका प्रावधान आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही में मौजूद है हालांकि इनकी जानकारी सभी को नही है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बाहर तो लोगों को पता ही नहीं है।

राजनैतिक और चुनाव प्रसारण

16.52 राजनैतिक प्रसारण आकाशवाणी से पहली बार अप्रैल 1977 में हुआ जबकि प्रतिपक्ष के नेता को प्रधान मंत्री के राष्ट्र के नाम एक प्रसारण के प्रत्युत्तर में वार्ता प्रसारित करने का अवसर दिया गया। राजनीतिज्ञों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में आकाशवाणी और दूरदर्शन का भी योगदान है क्योंकि ये माध्यम संसद्, विधान मंडलों तथा अन्य निर्वाचित संस्थाओं के समाचारों और गतिविधियों के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, राजनेताओं को माइक्रोफोन और कमरे के सामने लाते हैं और दक्ष पत्रकारों, विशेषज्ञों तथा सामान्य नागरिक को मौका देते हैं कि वे दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर उन नेताओं से सवाल कर सकें। दलों के औपचारिक राजनैतिक प्रसारणों के अलावा, ऐसे कार्यक्रम बहुत ज्ञानप्रद हो सकते हैं और निर्णय कर सकने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। इन ठोस अर्थों में भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन निर्वाचित जन-नेताओं के साथ-साथ सामान्य श्रोताओं और दर्शकों को भी सत्ता में लोकतंत्रीय सहभागी बनाते हैं।

16.53 मई-जून 1977 में कई राज्य विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान पहली बार चुनाव प्रसारण आरम्भ किए गए। इन पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया लगातार अच्छी रही है और चुनाव प्रसारणों या प्रस्तुतीकरणों में बड़ी संख्या में श्रोताओं या दर्शकों ने रुचि ली। कार्य दल से कई गवाहों ने कहा कि चुनाव प्रसारण की प्रणाली को विधिवत् बना देना चाहिए लेकिन उन्हें संसदीय और राज्य विधान सभा चुनावों तक सीमित रहना चाहिए। गवाहों ने दलों द्वारा प्रसारणों के पक्ष में भी राय जाहिर की लेकिन उनका कहना था कि इनका नियमन जरूरी होगा। हम सिफारिश करेंगे कि चुनाव और दलगत राजनीति संबंधी प्रसारणों के बारे

में नियत्रंण का प्रश्न राजनैतिक दलों पर ही छोड़ दिया जाए जो यथावश्यक निर्वाचन आयोग और लोक सभाध्यक्ष से भी परामर्श करके निर्णय करें। लेकिन दलगत राजनैतिक और चुनाव प्रसारणों के लिए एक स्वीकृत प्रसारण संहिता अवश्य होनी चाहिए जिससे तर्क-वितर्क का समुचित स्तर बना रहे और व्यक्तिगत प्रहारों के लिए कोई स्थान न हो।

श्रोता अनुसन्धान

16.54 संतोषजनक और व्यापक श्रोता अनुसंधान के बिना प्रसारण के लिए कार्यक्रम बनाने की कोई भी पद्धति पूर्ण नही हो सकती। इस दिशा में अभी तक उपलब्ध सुविधाएं बिलकुल अपर्याप्त है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को यह सेवा आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान संगठन से प्राप्त होती है जिस के अतर्नात 16 रेडियो सेल हैं, जिनमें से 3 सेल 1977 के अत में दिये थे, और 6 टेलीविजन एकांश हैं (दो रिक्त)। सन् 1972 तक सामान्य कार्यक्रम स्टाफ के लोग ही श्रोता अनुसंधान एकांश के प्रमुख हुआ करते थे। 1972 में पहली बार एक व्यवहार-वैज्ञानिक को इस पद पर रखा गया। कई केन्द्र श्रोता अनुसंधान कार्य की सहायता से सर्वथा वंचित हैं। उदाहरण के लिए बिहार में कोई भी श्रोता अनुसंधान सेल नही है और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर अंचल के लिए केवल एक श्रोता अनुसंधान अधिकारी गोहाटी में है। श्रोता अनुनंधान एकांश के कर्मचारियों की संख्या और बजट भी बहुत सीमित है (1977–78 के लिए 25 लाख रुपये तथा केन्द्रीय बिक्री यूनिट द्वारा बाजार सर्वेक्षण के लिए 50 हजार रुपये और)। इस लिए कोई नियमित श्रोता सर्वेक्षण संभव नही होते और बहुत छोटे नमूने के सर्वेक्षण ही हो पाते हैं। श्रोता अनुसंधान पर आकाशवाणी और दूरदर्शन की नीति निर्धारण प्रक्रिया या कार्यक्रम निर्धारण के संदर्भ में विचार भी नहीं किया जाता। श्रोता अनुसंधान एकांश को प्रसारण व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत ऊंचा स्थान भी नहीं मिला हुआ है और उसे बोझिल कार्यविधियों का सामना करना पड़ता है। उसके प्रति आम रवैया सहानुभूतिहीनता का है और केन्द्र निदेशक श्रोता अनुसंधान रिपोर्टो के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते है। इन रिपोर्टो के निष्कर्षों के लिए "ध्यान से देख लिया", तो लिख दिया जाता है लेकिन उन्हें अनिवार्यतः लागू नहीं किया जाता।

16.55 हमने इस रिपोर्ट में अन्यत्र सिफारिश की है कि एक श्रोता अनुसंधान निदेशक की देखरेख में एक शक्तिशाली श्रोता अनुसंधान प्रभाग बनाया जाय और यह निदेशक आकाश भारती के केन्द्रीय कार्यकारी मंडल का सदस्य हो। हमने यह भी सिफारिश की है कि सभी श्रोता अनुसंधान रिपोर्टें साथ-साथ और सीधे न्यासी मंडल को उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि ये रिपोर्टें प्रसारण संगठन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एन्टेना या प्रतिक्रिया दिग्दर्शक होगी।

कार्यक्रम सलाहकार समितियां

16.56 यह भी महत्वपूर्ण है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रम सलाहकार समितियों के जरिये सभी स्तरों पर अपने श्रोताओं और दर्शकों को सहयोगी बनाएं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रादेशिक समितियों के अलावा प्रत्येक केन्द्र पर ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें जानकार और रुचि लेने वाले व्यक्ति हों और जो मूल्यवान विचार और प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। इसके अलावा कार्यात्मक प्रोग्राम समितियां भी होनी चाहिए जैसे संगीत और नाटक स्कूल प्रसारण , बच्चों के लिए प्रसारण आदि के लिए। इन समितियों की सहायता के लिए थोड़ी सी कार्यालय व्यवस्था भी होनी चाहिए और इनकी बैठकों में प्रसारण संगठन के जिम्मेवार सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। इन बैठकों के कार्य विवरण रखे जाएं और इनकी प्रतियां, कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ, प्रसारण संगठन के उच्चतर अंगों को भेजी जानी चाहिएं। अतीत में ये समितियां या तो सुप्त रही है या अप्रभावी। उन्हें फिर सजीव और सशक्त बनाया जाना चाहिए और इनके सदस्यों को बदलते रहना चाहिए जिससे ये किन्ही लोगों के निहित स्वार्थ न बन सकें।

16.57 आकाश भारती के लिए यह बहुत वांछनीय होगा कि एशियाई प्रसारण यूनियन से वर्तमान सम्पर्क को सुदृढ़ किया जाये और यूरोपीय प्रसारण यूनियन तथा अन्य ऐसे संगठनों से सम्पर्क कायम किए जाए जिससे कार्यक्रमों का आदान प्रदान और व्यावसायिक जानकारी सुलभ होती रहे।

16.58 आकाशवाणी और दूरर्शन की आन्तरिक और अंतर्राष्ट्रीय लिप्यंतरण सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और उन्हें कार्यक्रमों के विनिमय के लिए प्रोत्साहन और वृद्धि की सुविधाएं दी जानी चाहिए। ब्राडकास्टिंग हाउस के प्रवेश द्वार पर गांधी जी के निम्नलिखित शब्द अंकित हैं—

> "मैं नही चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे। न मैं अपनी खिड़कियों को ही कसकर बन्द रखना चाहता हूं। मैं तो सभी देशों की संस्कृति का अपने घर में बेरोकटोक संचार चाहता हूं। पर ऐसी संस्कृति के किसी झकोरे से मेरे पांव उखड़ जायें—यह मुझे मंजूर नही। मेरा घर बन्दी गृह का धर्म नहीं।"

ये बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्द सांस्कृतिक विनिमय के एक ऐसे जीवन दर्शन को मुखर करते हैं जिसे आकाश भारती को घर में और बाहर अपनाना चाहिए।

अध्याय 17

प्रशिक्षण कार्य

17.1 कोई भी संस्था उतनी अच्छी होती है जितने उसमें काम करने वाले लोग। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन के सामने कोई रुकावटें रही है तो उनमें कई स्तरों पर प्रशिक्षित संवर्गो की कमी और प्रशिक्षण की सामान्य उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से विश्वविद्यालयों अथवा अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण की विशिष्ट सुविधाओं की अनुपस्थिति में कार्यक्रम कर्मचारियों पर अधिक सार्थक है। परन्तु यह बात संभवतः उन तकनीकी संवर्गो पर भी समान रूप से लागू होती है, जिनकी डिग्रियां और डिप्लोमे उन्हें संचालन संबन्धी अपेक्षित जानकारी प्रदान नही करती। प्रशिक्षण की जरूरत के बारे में कई बार चर्चा की गई है और इस मामले पर विचार करने के लिए समितियां भी बनाई गई है, लेकिन उनका कोई खास नतीजा नही निकला। प्रसारण का अर्थ है संचार, और यह आवश्यक है कि सभी प्रसारणकर्ता प्रसारण प्रणालियों की पूरी जानकारी रखने के अतिरिक्त भारतीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप संचार की प्रक्रियाओं और नीतियों की भी कुछ जानकारी रखें।

रेडियो साफ्टवेयर (कार्यक्रम) कर्मचारी

17.2 आकाशवाणी में प्रशिक्षण सदा से और निरन्तर उपेक्षित रहा है। दिल्ली स्थित प्रोग्राम स्टाफ प्रशिक्षण स्कूल को देखकर और वहां उपलब्ध सुविधाओं की एक झलक से इनकी कमियोंका पता लगता है। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम सेवाओं में होनहार और सुयोग्य लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। जहां तक प्रशासनिक प्रशिक्षण का संबन्ध है, आकाशवाणी ने केवल 18 महीने पहले एक नई योजना शुरू की है।

17.3 और फिर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सभी संवर्गों के कर्मचारियों को आमतौर से प्रशिक्षण उनकी भर्ती के बहुत समय बाद दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले उनमें त्रुटिपूर्ण आदतें घर कर चुकी होती है, जिनको बदलना कठिन होता है।

17.4 ये पाठ्यक्रम केवल बुनियादी प्रशिक्षण ही प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रोग्राम स्टाफ के लिए पूर्णतः अपर्याप्त है। प्रशिक्षण का विषय और स्तर व्यावसायिक प्रशिक्षण कर्मचारी और शिक्षण सहायक सामग्री की कमी के कारण गिरा हुआ है। हाल ही में हैदराबाद और शिलांग में दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थानों की स्थापना हुई है। ये सही दिशा में चल रहे हैं, पर ऐसे प्रयास एक-एक कर हो रहे हैं, सुव्यवस्थित ढंग से नही।

17.5 जहां बुनियादी प्रशिक्षण अपर्याप्त है, वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण नगण्य है। रांची विश्वविद्यालय के सहयोग में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम और उदयपुर में राज्य विज्ञान संस्था के सहयोग में अन्य कार्यक्रम के साथ शुरूआत की गई है। यह सराहनीय प्रयास है; परन्तु अपेक्षित उत्तम व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा की अभी भी बहुत कमी है।

प्रशिक्षण काल में अतिरिक्त कर्मचारियों की कमी

17.6 अपर्याप्त प्रशिक्षण का एक मुख्य कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रम संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर चले जाने पर उनके स्थान पर काम करने वालों की कमी है। कई वर्षो तक भर्ती बंद रही और दीर्घावधि तक रिक्त स्थान प्रायः भरे नही गए। जब किसी नये व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसे तत्काल ही नियमित कार्य पर आना पड़ता है और उसे प्रशिक्षण के लिए नही भेजा जा सकता। जब वह प्रशिक्षण के लिए जाता है तब केन्द्र के लिए उसके पूरक के बिना अत्यधिक असुविधा होती है, इसलिए उसके प्रशिक्षण की अवधि को कम रखना पड़ता है। यहां तक कि कभी-कभी होने वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भी कर्मचारियों को छोड़ना केन्द्रों के लिए कठिन होता है। कर्मचारी पुनर्गठन समिति (1968-69) ने जो मसानी समिति कही जाती थी, विभिन्न कार्यो पर लगे व्यक्तियों की संख्या कम करके कुछ कर्मचारी सुरक्षित रखने का सुझाव दिया था, ताकि अन्य लोगों के प्रशिक्षण के लिए जाने पर उन्हें तैनात किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर भी कारगर रूप से कार्यान्वित नही किया गया है।

17.7 अभी हाल में ही आकाशवाणी का 13 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। नये भर्ती होने वाले सभी व्यक्तियों को इसमें अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए। कार्यक्रम आयोजित करने वालों, प्रोड्यूसरों और प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों को प्रसारण संबंधी जानकारी देने, स्टूडियो एवं उपकरणों की जानकारी कराने, रिकार्डिंग कराने, उनको फिर से सुनवाने, और आवाज

तथा रिकार्डिंग को एक साथ मिलाकर सुनवाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। आकाशवाणी में अधिकांश कार्यक्रम कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए विभिन्न नियत कार्यों पर जाते समय उन्हें इंजीनियरों और सहायकों को अपने साथ ले जाना पड़ता है। उन्हें उद्घोषणा करने, समाचार पढ़ने और प्रस्तुत करने तथा माइक्रोफोन से निकलने वाली आवाज की पूरी जानकारी देने में प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। अच्छी और बुरी आवाजों को सुनने के पश्चात् स्टूडियो में स्वयं अभ्यास करने से वार्ताएं और परिचर्चाएं तैयार करने के प्रशिक्षण में अत्यधिक सहायता मिलेगी। प्रारम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात् प्रत्येक भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति को विशिष्ट काम सौंपे जाने से पूर्व प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम अनुभाग में लगातार दो-दो महीने काम कराया जाना चाहिए।

प्रादेशिक केन्द्र

17.8 भाषाई समस्या के कारण इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रादेशिक केन्द्रों में बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। दिल्ली, हैदराबाद और शिलांग के तीन वर्तमान प्रशिक्षण स्कूलों के अतिरिक्त कम से कम दो और ऐसे स्कूल होने चाहिएं ताकि प्रत्येक जोन में एक-एक हो। प्रत्येक केन्द्र में पूरी साज-सज्जा और अपेक्षित भाषाओं में धाराप्रवाह बोलने वाले सुयोग्य प्रशिक्षक होने चाहिएं। इन अकादमियों की सुविधाओं में श्रव्य-दृश्य उपकरण, स्टूडियो, अच्छी फिल्म टेप और सामान्य संदर्भ पुस्तकालय और आवास की पर्याप्त सुविधायें शामिल होनी चाहिएं।

पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रम

17.9 तकनीकी और कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए वर्कशाप और संगोष्ठियों में मेल-मिलाप के अवसर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह खेद का विषय है कि ऐसे आदान-प्रदान को सीमित कर दिया गया है अथवा धनाभाव के कारण इन्हें कम कर दिया गया है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्स) की एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत सभी कर्मचारियों को उनकी जीवन-वृत्ति के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षण अकादमियों में भेजा जाना जरूरी है।

प्रसारण पत्रकारिता

17.10 समाचार और आजकल के हालात से सम्बद्ध कर्मचारियों को प्रसारण पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वे अपने संवादों को अच्छी बोलचाल की भाषा में भेजें और अखबारों के लिये प्रयोग में आने वाली छपी सामग्री के स्त्रोतों पर निर्भर न रहें। दूरदर्शन समाचार कैमरामैन को फोटोपत्रकार होना चाहिए और केवल पत्रकार अथवा कैमरामैन नहीं। वे अपने कैमरे के लैंस से समाचार सम्पादन करें और उठाऊ उपकरण को उसी तरह प्रयोग कर सकें जिस प्रकार एक पत्रकार अथवा फोटोग्राफर क्रमश अपना टाइपराइटर और स्टिल कैमरे का प्रयोग करते हैं।

सांस्कृतिक संगठन

17.11 अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संचार और प्रसारण प्रणालियों के सामान्य पाठ्यक्रम होने चाहिएं। ऐसे स्थानों पर जहां स्थानीय विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं में भाषा सीखने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन स्थानों पर इस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। अपरिचित और नाजुक क्षेत्रों, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में तैनात इंजीनियरी और प्रोग्राम करने वाले कर्मचारियों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रमों की सुविधाएं होनी चाहिएं। प्रसारणकर्ताओं को अपने श्रोताओं को समझाना चाहिए, चाहे वे ग्रामीण, आदिवासी, औद्योगिक, बच्चे अथवा जो कोई भी हों। प्रसारण प्रत्येक वर्ग के विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रख कर तैयार किया जाय।

17.12 नये भर्ती किये गये तथा अन्य कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा और विस्तार प्रसारण के बुनियादी सिद्धान्तों और आदर्शों की जानकारी कराई जानी चाहिए। उन्हें तकनीकी विकास और श्रोता अनुसंधान रिपोर्टों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और नये प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति सचेत किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण कर्मचारी

17.13 प्रशिक्षण कर्मचारियों की ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के कुछ सर्वोत्तम अधिकारियों को इस काम के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। अनुभव निःसन्देह एक निधि है तथापि नये विचारों वाले और कर्मठ युवा प्रशिक्षण और प्रोग्राम तकनीकों को सर्जनात्मक रुख प्रदान कर सकते हैं। प्रशिक्षण अकादमियों को धन का अभाव नहीं खटकना चाहिए और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए आनेवालों को प्रयोगात्मक कार्यक्रम करने की सुविधाएं होनी चाहिएं। यह वास्तव में आकाशवाणी के सर्वोत्तम कार्यक्रम बन सकते हैं।

प्रसारण कर्मचारी कालेज

17.14 एक उच्च स्तरीय प्रसारण कर्मचारी कालेज भी होना चाहिए जहां ऐसे चुने हुए अधिकारी कुछ समय व्यतीत कर सकें जिनसे उत्तमोत्तम कार्यक्रम सर्जन की आशा की जा सकती है। इससे कार्यक्रम अथवा तकनीकी स्तरों पर निर्णय लेने की मुख्य भूमिकाओं पर पहुंचने की संभावना हो सकती है। विशेषज्ञों द्वारा संचालित कर्मचारी कालेज ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों की कला को विकसित कर सके, उनके ज्ञान की सीमा का विस्तार कर सके और प्रसारण तथा सामाजिक नीतियों, जिनको पूरा करना इसका लक्ष्य है, की समग्रता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त

कर सके। उन्हें अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को करने अथवा शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्य इलेक्ट्रानिक संस्थाओं जैसे भारतीय विज्ञान अनुसन्धान संगठन, डाक-तार, उद्योग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्रशासकों, नियोजकों, प्रबन्धकों, शिक्षा-विदों, विद्वानों, पत्रकारों और तकनीकी कार्मिकों को प्रसारण सहयोगियों के साथ संगोष्ठियों, व्याख्यानों व अनुसन्धान कार्यक्रमों आदि में भाग लेने और विचारों के आदान-प्रदान के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

17.15 कर्मचारी कालेज से स्नातक की उपाधि दोनों इंजीनियरों और प्रोग्राम कर्मियों को इस योग्य बना सके कि यदि उनमें आवश्यक रुचि और रुझान हो तो वे 'स्टाफ' नियुक्तियों में उच्चतर दायित्व के पदों पर पहुंच सकें। इस प्रकार ऊपर उठने की प्रदर्शित संभावना उन्मुक्त प्रणाली की वास्तविकता को सुदृढ़ कर सकेगी।

अन्तः-अनुशासनिक सहयोग

17.16 कार्यक्रम तथा तकनीकी संवर्ग जिनसे सभी स्तरों पर सामंजस्य से काम करने की आशा की जाती है, दुर्भाग्य से इस समय विभाजित हैं। प्रसारण कर्मचारी कालेज में कार्यक्रम तथा तकनीकी दोनों संवर्गों की उपस्थिति इन अवरोधों को समाप्त करने में काफी सहायक होगी। प्रसारण में अन्तः-अनुशासनिक सहयोग अनिवार्य है। दोनों संवर्गों के सदस्यों को एक-दूसरे से पृथक अथवा प्रतिद्वन्द्वी नहीं समझना चाहिए। निम्नतम स्तरों पर और स्थानीय केन्द्रों पर हमने बहुद्देशीय 'प्रोटैक्स' अर्थात् प्रोग्राम-टेकनीशियनों की वांछनीयता की सिफारिश की है, जिन्हें अपने तकनीकी और साफ्टवेयर (प्रोग्राम) उपकरणों के साथ साधारण प्रोग्राम तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक कार्यक्रम कार्यकारी को रिकार्डिंग करने और मिक्सिंग करने के उपकरण को संभालने में सक्षम होना चाहिए और उपकरण का रखरखाव करने वाला टेक्नीशियन भी उसी प्रकार साधारण कार्यक्रम को तैयार करने और उसे संवारने योग्य होना चाहिए। कई शौकीन या अव्यवसायी लोग अधिक जटिल उपकरणों का प्रयोग भी सीख लेते हैं और उनसे अच्छे कार्यक्रम बनाते हैं। कार्यक्रम और तकनीकी दोनों संवर्गों के लिए एक बुनियादी पाठ्यक्रम एक नई परम्परा और विस्तृत सक्षमता की स्थापना में सहायक हो सकेगा।

पुणे संस्थान

17.17 आकाशवाणी के बारे में कही गई बातें दूरदर्शन पर भी समान रूप से लागू होती हैं। दूरदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रशिक्षण सुविधाएं जो शुरू में दिल्ली में 1971 में स्थापित की गई थी, 1974 में पुणे के फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान को अन्तरित कर दी गई। इस निर्णय के इतिहास अथवा इसके दुःखद परिणामों का पता लगाने की यहां आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण का गठबन्धन कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इससे प्रशिक्षण को क्षति पहुंची है, स्टाफ और छात्रों के बीच सम्बन्ध बिगड़े हैं और सब तरफ वैमनस्य पैदा हुआ है। फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा फिल्म के एक बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को, दूरदर्शन के सेवा उन्मुख दूरदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम यह सिफारिश करेंगे कि फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान को फिल्म और दूरदर्शन प्रशिक्षण की एक राष्ट्रीय संस्था का रूप दिया जाये, जो दोनों क्षेत्रों में डिप्लोमा प्रदान करे और तकनीकी जानकारी भी दे। संस्था में बेहतर टेलीविजन स्टूडियो और प्रोटोटाइप उत्पादन सुविधाएं मौजूद हैं, जो संस्थान के लिए एक निधि हैं और जो स्वतन्त्र कार्यक्रम कम्पनियों, विश्वविद्यालयों और अन्यों द्वारा कार्यक्रम तैयार करने के लिए किराये पर भी दी जा सकती हैं।

दूरदर्शन के लिये अलग स्कूल

17.18 इन परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण के लिए दूरदर्शन की उचित रूप से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए और एक अलग कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए उसकी सहायता की जानी चाहिए। अन्तर्वर्ती अवधि के दौरान उसे पुणे संस्थान की सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए। दोनों को अलग करने में कुछ कष्ट अवश्य होगा पर इससे राहत भी काफी मिलेगी। अपने ही नियन्त्रण में इस बड़ी सुविधा के होने से दूरदर्शन बेहतर स्थिति में हो जाएगा और वह सेवाकाल में प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रमों के लिए उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकेगा।

17.19 आकाशवाणी के लिए भी हमारी एक सिफारिश होगी कि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेषज्ञता-प्राप्त संस्थाओं में हो। आकाशवाणी को यथासमय केवल प्रवेश प्रशिक्षण तथा उच्च स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम मुहैया करना चाहिए।

17.20 दूरदर्शन को भी यथासमय एक से अधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की स्थापना की जरूरत पड़ेगी। यह इसलिए कि उसे उच्च प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी।

तकनीकी कर्मचारी

17.21 आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं को काफी सुदृढ़ और विस्तार करने की आवश्यकता है। तकनीशियों और इंजीनियरों को प्रवेश प्रशिक्षण, प्रसारण सम्बन्धी जानकारी और रखरखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण होना चाहिए। सोफ्टवेयर (प्रोग्राम) कर्मचारियों के

समान इनके लिए भी पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) और उच्च पाठ्यक्रम कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यद्यपि वर्तमान कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था (तकनीकी) 1947 में खोली गई थी, परन्तु इसका विस्तार प्रसारण प्रणाली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पाया है। कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था (तकनीकी) को उसके मुख्य कार्य के अतिरिक्त विभागीय परीक्षाएं लेने, विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। इसके वर्तमान साधन सीमित हैं और यदि इसको आकाशवाणी और दूरदर्शन की बढ़ती हुई तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो इनका उचित विस्तार किया जाना चाहिए। अधिक स्थान की भी आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण में लगाई गई पूंजी का अच्छा फल मिलेगा, सेवा का स्तर ऊंचा होगा तथा संचालन खर्च में कमी होगी। कार्यक्रम प्रशिक्षण के समान, सर्वोत्तम इंजीनियरों को प्रशिक्षण स्कूलों में नियुक्त किया जाना चाहिए। इन स्कूलों में नियुक्ति को एक सम्मान माना जाना चाहिए।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का आपसी सम्पर्क

17.22 तकनीकी और कार्यक्रम संवर्गों के लिए प्रसारण प्रशिक्षण की सम्पूर्ण प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस ओर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। पुनर्गठन की योजना में हमारी सिफारिश होगी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, तथा कार्यक्रम (सापटवेयर) एवं तकनीकी (हार्डवेयर) कर्मचारियों को बुनियादी अथवा प्रवेश पाठ्यक्रमों में निकट लाया जाए, विशेषकर विशिष्ट ऊंचे स्तरों पर और प्रसारण कर्मचारी कालेज में, ताकि ज्ञान और मान की अंतः-अनुशासनीय परम्पराएं स्थापित की जा सकें।

17.23 कार्य दल ने बम्बई और मद्रास में डिप्लोमा स्तर की विशिष्ट प्रसारण प्रशिक्षण संस्थाओं की शंकाओं के साक्ष्य सुने। हमें आशा है कि ऐसी संस्थाओं को विकास करने के अवसर प्रदान किये जाएंगे। भारतीय जन संचार संस्था, कृषि विश्वविद्यालय, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कई प्रशिक्षण अथवा उत्पादन अथवा प्रयोगात्मक सुविधाओं का या तो विकास कर लिया है या कर रही हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों की भूमिका

17.24 प्रसारण प्रणाली के अपेक्षित विस्तार की दृष्टि से हमारी यह भी सिफारिश है कि सरकार और विश्वविद्यालय संचार और व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा और डिग्री स्तरों के पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। विशेषाधिकार केन्द्र स्वयं प्रशिक्षण उपकरण तैयार करेंगे, जिन्हें औपचारिक प्रोग्राम तथा तकनीकी शिक्षण पाठ्यक्रमो के साथ संबद्ध किया जा सकेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन को चाहिए कि वे विश्वविद्यालय अथवा डिप्लोमा प्रशिक्षार्थियों की व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में सहायता करें। इसके लिए वे अल्पकालिक एप्रेंटिसशिप आदि सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

प्रबन्ध संवर्ग

17.25 राष्ट्रीय प्रसारण प्रशिक्षण संस्था को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित व्यवसायियों और तकनीकी कर्मचारियों के समान प्रशिक्षित प्रशासकों और प्रबंधकों की भी आवश्यकता होगी। इस अंग को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस मामले में देश के अन्दर प्रबन्ध संबंधी विभिन्न वर्तमान संस्थाओं से लाभ उठाना चाहिए और अपनी उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कुछ संस्थाओं को प्रसारण प्रबन्ध, वैयक्तिक संबंध, प्रायोजित समय की बिक्री, श्रोता अनुसंधान और प्रकाशनों की विशेषताओं पर पाठ्यक्रम अथवा संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

17.26 आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रशिक्षण पिछड़ापन बहुत अधिक है। इसके लिए विस्तार की गति को पर्याप्त तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारा सुझाव है कि प्रशिक्षण और पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन्हें शीघ्रता से तथा प्रचुर स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। इस दिशा में कोई भी प्रयास, प्रसारण का स्तर उठाने की दिशा में बहुत सहायक होगा।

अध्याय 18

कर्मचारियों के लिए नयी व्यवस्था

18.1 आकाशवाणी और दूरदर्शन बड़े और वर्धनशील संगठन हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं और इनमें काम करने वाले विभिन्न प्रकार के तकनीकी, कार्यक्रम, पत्रकार तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या लगभग 19,800 है। इस समय आकाशवाणी में लगभग 15,800 और दूरदर्शन में 4,000 कर्मचारी हैं। दोनों में मिलाकर 4,950 तकनीकी कर्मचारी हैं जिन में 1,150 इंजीनियर और 3,800 तकनीकविद एवं इंजीनियरी-सहायक अराजपत्रित संवर्गों के हैं। 6,100 कार्यक्रम कर्मचारी हैं, जिनमें 1,600 स्थायी संवर्ग के है और 4,500 स्टाफ आर्टिस्ट हैं। 219 केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारी हैं तथा 4,800 प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 650 सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों के हैं। लगभग 3,700 समूह 'घ' (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारी भी हैं।

18.2 किसी संगठन की श्रेष्ठता अन्तिम रूप से उन लोगों से निर्धारित होती है, जो उसमें काम करते हैं। प्रसारण-संगठन पर तो यह बात और भी अधिक लागू होती है; क्योंकि वहां कच्चा माल विचारों का होता है और स्टाक पूंजी रचनात्मक कौशल के विशाल पुंज की होती है, जिसमें सभी प्रकार के कोमल एवं कठोर तत्व सम्मिलित रहते हैं। आकाशवाणी या दूरदर्शन में प्रतिभा की कमी नहीं है; परन्तु दोनों संगठनों में काम करने वाले हर स्तर पर और हर विभाग में बुरी तरह विभाजित हैं और निराश हैं। कार्यकारी दल के सदस्यों ने आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों के दौरों तथा इन संगठनों के विभिन्न कर्मचारी संघों एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला कि मनोबल घटता जा रहा है और प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही है। एक सम्मानित प्रसारक ने इस अन्तर्द्वंन्द्व को 'आदिम जातीय युद्ध' की संज्ञा दी। गर्व, निष्ठा और सन्तोष की भावना कतई नहीं है।

कार्मिक आयोजन का अभाव

18.3 इस खेदजनक स्थिति का कारण अंशतः कार्मिक विभाग या कार्मिक आयोजन का अभाव है। न प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, न नौकरी सम्बन्धी पर्याप्त विश्लेषण किया गया है, न जीवनवृत्ति सम्बन्धी आयोजन किया गया है और न भर्ती की कोई सुनिश्चित नीति ही अपनायी गयी है। कार्मिक ढांचा अगणित संवर्गों में विभाजित है, जिनमें से कुछ बिल्कुल अलग-थलग हैं। पदोन्नति के द्वार कुछ ही संवर्गों में खुले है, अन्य में लगभग बन्द है। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और जहां यह है भी, वहां या तो सड़ रही है या बाह्य पदोन्नतियों से कम होती जा रही है। इंजीनियरी और कार्यक्रम संवर्ग एक दूसरे को प्रतिद्वन्द्वी समझते है। तकनीकी शाखा में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों में तनाव है; परन्तु वह इतना अधिक नहीं है, जितना स्थायी कार्यक्रम कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों के मध्य है। यहां 'स्थायी' शब्द का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब स्टाफ आर्टिस्ट भी स्थायी हैं और वस्तुतः कार्यक्रम कर्मचारियों से अधिक स्थायी हैं, क्योंकि वे 60 वर्ष की उम्र तक रह सकते है, जब कि अन्य स्थायी सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में ही सेवा निवृत्त हो जाते है। कुछ 'आकस्मिक' (केजुअल) आर्टिस्ट भी 'स्थायी' मालूम पड़ते है, क्योंकि इस बेतुकी और प्रायः उपेक्षित शर्त के बावजूद कि उन्हें केवल 14 दिन का नवीकरण-योग्य ठेका दिया जायेगा वे पांच से दस वर्ष तक लगातार सेवा में रह रहे है।

18.4 1974 से पहले 10 साल तक कार्यक्रम और प्रेषण-प्रवन्धकों की कोई भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण लगभग 350 तदर्थ एवं त्वरित नियुक्तियां की गईं, जिनका अब भी गलत बताया जा रहा है और आलोचना की जा रही है। हमें बताया गया कि कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, परन्तु अनेक स्टाफ आर्टिस्ट विभिन्न प्रकार के प्रभावों के फलस्वरूप ले लिये जाते है, योग्यता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत, हमें बताया गया कि कार्यक्रम कर्मचारी 'प्रशासक मात्र' हैं, जिनमें से अधिकांश उत्पादन से अनभिज्ञ और व्यावसायिकता से शून्य है। कुल मिलाकर, सुरक्षा और प्रतिष्ठा का भाव सेवाभाव पर हावी रहा प्रतीत होता है।

18.5 परन्तु कुछ साक्षियों ने कार्यकारी दल को बताया कि केवल तीन संवर्ग होने चाहिएं—तकनीकी, कार्यक्रम (समाचार सहित) और प्रशासनिक। एक में मिले कार्यक्रम संवर्ग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इससे स्टाफ आर्टिस्टों और अन्य कार्यक्रम कर्मचारियों के मध्य वर्तमान कृत्रिम भेद समाप्त हो जायेगा। यह भी जोर देकर कहा गया कि सभी श्रेणियों के मध्य समानता रहनी चाहिए, विशेषकर कार्यक्रम कर्मचारियो और इंजीनियरों के मध्य, जो यह महसूस करते हैं कि उन्हें सदा नीचा समझा जाता है।

सेवा की शर्तें

18.6 कुछ साक्षियों और कर्मचारी संघों ने मांग की कि समुचित जांच-पडताल के वाद और अतिरिक्त तथा अयोग्य कर्मचारियों को हटाकर नौकरियों का फिर से मूल्यांकन किया जाये और कर्मचारियों को यथास्थान नियुक्त किया जाये ।

18.7 एक और आम शिकायत प्रसारण कर्मचारियों को अन्य तत्सम सेवाओं और संवर्गों की तुलना में कम वेतन मिलने के सम्बन्ध में थी । कार्यकारी दल को बताया गया कि आकाशवाणी के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें और उनका भविष्य भारतीय प्रशासन सेवा तथा प्रथम श्रेणी की अन्य सेवाओं की शर्तों और भविष्य की तुलना में अत्यधिक निम्नकोटि के हैं । विश्वविद्यालयों का तो कहना ही क्या, विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के संशोधित हो जाने पर, इस समय एक प्राध्यापक का वेतन 700—1600 रु० है जब कि कार्यक्रम प्रबन्धक का 650—1200 रु० है। मुख्य सम्पादक (चीफ प्रोड्यूसर) के रूप में स्टाफ आर्टिस्ट का अधिकतम वेतन 2000 रु० तक है, जब कि एक संगीतज्ञ का अधिकतम वेतन 1200 रु० है। महानिदेशक का वेतन 3000 रु० है। जिस वात से अन्तरिक्ष उपयोग दूरदर्शन केन्द्र में स्वस्थ वातावरण बना है, वह भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अच्छे वेतनमान और पदोन्नति के अच्छे सोपान हैं, जो उपग्रह शिक्षा दूरदर्शन प्रयोग (साइट) के दौरान कर्मचारियों को उपलब्ध थे और जो चालू साइट सातत्य अवधि के लिए कम अनुकूल समेकित वेतन में बदल दिये गये हैं ।

18.8 सब स्तरों के प्रसारण कर्मचारियों को मिलने वाले निम्न वेतनमान उनके आम दर्जे में भी प्रतिबिम्बित होते हैं : मुख्यालय में स्टेशन-डाइरेक्टरों और स्टेशन इंजीनियरों को तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों को वैसे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं और न सरकारी क्षेत्रों या समाज में वैसी प्रतिष्ठा है जैसी अन्य सेवाओं या व्यवसायों में उनकी कोटि के अधिकारियों की होती है ।

संवर्गों में समानता

18.9 इंजीनियरी संवर्ग ने यह तर्क दिया कि सरकार के अधीन तथा किसी स्वायत्तशासी प्रसारण संगठन के बाहर उनकी एक पृथक प्रसारण इंजीनियरी सेवा बनाई जाये । वे समझते थे कि अपनी स्वतन्त्रता तथा अपने उस दर्जे और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही कदम है । उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन में इससे वंचित रखा गया था । हमने इस प्रतिवेदन में एक जगह बताया है कि यह पृथकता अवांछित और अनावश्यक है । फिर भी हम यह सिफारिश करते हैं कि आकाश भारती में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के मध्य समानता रहनी चाहिए और स्टाफ आर्टिस्टों समेत सभी कार्यक्रम कर्मचारियों को एक ही संवर्ग में रखना चाहिए । तीनों सेवा श्रेणियों—तकनीकी, कार्यक्रम (समाचार सहित) और प्रशासन—में से किसी एक में भर्ती हुए किसी नये कर्मचारी के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सके जैसे स्टेशन डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर, जोनल कन्ट्रोलर या प्रस्तावित आकाश भारती के केन्द्रीय प्रबन्धक मण्डल का निदेशक । इसी कारण हम इस सुझाव में अधिक तत्व नहीं समझते कि स्टेशन डाइरेक्टर—जो वस्तुतः स्टेशन-मैनेजर होते हैं—के पद तथा उनसे ऊपर के पद सबको समान लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वर्तमान तीनों कार्मिक संवर्गों के मध्य घुमाये जाते रहें । उत्तरदायित्व और नेतृत्व के पद अर्जित किये जाने चाहिए, यान्त्रिक रूप से बटवारा नहीं होना चाहिए । यदि अवसर की समानता हो, तो सबसे अच्छा व्यक्ति, चाहे उसका मूल संवर्ग कुछ भी हो, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा । वेतन और पदोन्नति के मामले में एक सेवा को दूसरी सेवा से अच्छा समझने की भावना के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

18.10 चूंकि ट्रांसमीटरों की संख्या कार्यक्रम उत्पादक केन्द्रों से अधिक है, इसलिए वरिष्ठ इंजीनियरी कर्मचारी वरिष्ठ कार्यक्रम कर्मचारियों से, विशेष रूप से आकाशवाणी में, अधिक हैं । स्टेशन इंजीनियर के पद को उस ट्रांसमीटर की शक्ति से, जिसका वह प्रभारी है, संबंधित करने की प्रथा का नतीजा यह हुआ है कि जब ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाई जाती है तो इंजीनियर का पद स्वयंमेव ऊंचा हो जाता है । सम्पूर्ण कार्मिक ढांचे में असन्तुलन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि जो कसौटी अपनायी जाये उसकी जांच-पड़ताल कर ली जाये ।

18.11 कोई भी ढांचा स्वयं तब तक सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, जब तक उसमें मानवीय तत्व का स्वस्थ समन्वय न हो । उस सेवा में, जहां कार्यक्रम तैयार करने वाले नित्य जनता के सम्पर्क में रहते हैं, यह आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें, जिनमें वे अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकें । यह तभी सम्भव है, जब भावी संगठन एक ऐसी नयी संस्कृति का पोषण करे, जिसमें कठोर प्रशासनिक नियन्त्रणजन्य रुकावटों एवं कठिनाइयों के बिना, रचनात्मकता को विकास का पूरा अवसर मिल सके।

मार्ग दर्शक सिद्धान्त

18.12 भावी कार्मिक ढांचे का व्यौरा आकाश भारती सबसे अच्छा तैयार कर सकती है । फिर भी, विचारणीय विषयों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कर्मचारियों को खपाने, यथास्थान नियुक्त करने और एक के स्थान पर दूसरा रखने की समस्याओं पर विचार करना भी शामिल है, हम निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करते हैं—

(i) आकाशभारती में लिये गये किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान वेतन और सेवा मुक्ति लाभों समेत अन्य लाभों में कमी नहीं होनी चाहिये । वर्तमान कर्मचारियों को यह छूट होनी चाहिए कि वे

चाहें तो अपनी सेवा की वर्तमान शर्तों को जारी रखने की इच्छा प्रकट करें अथवा अन्य जो भी नयी शर्तें निर्धारित हों उन्हें मंजूर करें।

(ii) भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे यह विश्वास हो कि निष्पक्षता और न्याय से काम लिया गया है। उसमें यह भी व्यवस्था रहनी चाहिए कि संगठन में उपयुक्त स्तरों पर बाहर से नयी प्रतिभा का समावेश किया जा सके ।

(iii) वेतनमानों और शुल्कों का संशोधन होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकाशवाणी और दूरदर्शन आवश्यक प्रतिभा को आकर्षित करते और रखते हैं, जब कि आज वे ऐसा नही कर पाते। घुटन और निराशा से बचाने के लिए, सब सेवाओं के लिए, समान आधार पर, पदोन्नति के अवसर भी बढ़ाये जाने चाहियें।

(iv) आकाश भारती को चाहिए कि वह अध्याय 17—"प्रशिक्षण कार्य"—में सुझाये गये तरीके से सेवान्तर्गत प्रशिक्षण और नवीकरण प्रशिक्षण देने की योजना बनाये। ऐसे प्रशिक्षण से तथा सुव्यवस्था एवं सामान्य प्रशासन के प्रशिक्षण से वर्तमान कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा।

(v) रचनात्मक संगठन में आयोजन एवं निर्णायन के लिए कालेज की भांति प्रशासन के अन्दर सामूहिक विचार-विमर्श के बाद निर्णय होने चाहिएं। वर्तमान सौपानिक प्रणाली में कुछ सम्बद्ध व्यक्तियों के विचार उपेक्षित रह जाते हैं, जिससे कभी-कभी गलत निर्णय हो जाते हैं।

(vi) प्रबन्धकों और कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों और पारस्परिक सद्‌भाव से किसी भी वर्धनशील संगठन की कार्य-दक्षता बढ़ सकती है और उसकी तसवीर निखर सकती है। अपने समस्त कर्मचारियों में सौहार्द और सद्‌भावना पैदा करने के लिए आकाश भारती के पास आवश्यक तन्त्र होना चाहिए, जो कर्मचारी परिषदों में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य समय-समय पर विचार-विनिमय की व्यवस्था करे और प्रतिनिधियों को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करे।

(vii) अलाभ न्यास और आवश्यक सेवा के रूप में आकाश भारती के आचार के अनुरूप, हम यह और सिफारिश करते है कि विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत-तन्त्र स्थापित किया जाये, जो किसी भी मतभेद या विवाद के मामले में स्वयं क्रियाशील हो जाये।

(viii) आकाश भारती को उन कर्मचारियों के लिए जो योग्य हों, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की योजना शुरू करने पर विचार करना चाहिये। विभिन्न केन्द्रों में कुछ काम ऐसे होते है जिनके लिए क्षेत्रीय भाषा में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जो कर्मचारी राष्ट्रभाषा या अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में प्रवीण हों, या हो जायें और उस प्रवीणता को कायम रखें उन्हे विशेष भत्ता दिया जाये। उन भाषाओं को छोड़कर जिनके लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, विदेशी भाषाओं के ज्ञान पर भी यह लागू होती है।

(ix) कर्मचारी कल्याण सेवाओं और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। अपने कर्मचारियों को गतिशील रखने, त्वरित संचार के लिए टेलीफोन की व्यवस्था करने, यात्रा और मनोरंजन के लिए अच्छा भत्ता देने, विश्राम गृहों और केन्टीनों की व्यवस्था करने तथा पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के जरिए उन्हें देश-विदेश में विकास कार्यो के सम्पर्क में रहने के योग्य बनाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत कुछ करना है।

(x) यदि कर्मचारी स्वीकृत अध्ययन, अनुसन्धान या प्रशिक्षण के लिए इच्छा व्यक्त करते है तो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अध्ययन अवकाश मिलना चाहिये।

(xi) हमने नौकरियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण की आवश्यकता बताई है। परन्तु हम यह कहेंगे कि अधिक श्रेणियां नही बनायी जानी चाहिएं तथा वरिष्ठता और पदवी (रेंक) संज्ञा-सोपान के बजाय दक्षता-रोध सहित समय मान (टाइम-स्केल) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। हम यह भी विश्वास करते है कि रचनात्मक विभागों में कर्मचारी वर्ग संबंधी आवश्यकताएं केवल समय और उन्नति के अध्ययन से निर्धारित नही की जा सकती।

(xii) आकाश भारती के कर्मचारी 58-60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, परन्तु कलाकारों अथवा रचनात्मक प्रतिभा वालों के लिए आयु की कोई खास सीमा नही है। हां, हम यह सुझाव देंगे कि जिन्हें सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु के बाद सेवा में रखा जाये, उन्हे डाक्टरी शारीरिक क्षमता प्रमाणपत्र के बाद अल्पावधिक नवीकरण योग्य अनुबन्धों पर पुनः नियुक्त किया जाये।

पांच संवर्ग

18.13 लगभग दो वर्ष पहले दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ था। इंजीनियरी और कार्यक्रम संवर्ग तो अब भी दोनों संगठनों के एक ही हैं। इसलिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों के एकीकरण में कोई खास कठिनाई न होगी।

18.14 स्टाफ आर्टिस्टों को छोड़कर, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सब नियमित कर्मचारी, उनके वर्तमान नियुक्तिपत्रों के अनुसार, किसी ऐसे स्वशासी प्रसारण संगठन में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, जो स्थापित किया जाने वाला हो। इसलिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आकाश भारती को स्थानान्तरित करने में कोई रुकावट नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्ट भी इसी प्रकार की लम्बी अवधि के समाप्त करने योग्य अनुबंधों पर हैं और यदि वे आकाश भारती में आना न चाहेंगे तो उन्हें तकनीकी रूप से केवल 6 महीने का नोटिस देने की आवश्यकता है।

18.15 इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों की तीन बड़ी श्रेणियां हैं। वे हैं:—

(क) कार्यक्रम: इस श्रेणी में वे अधिकारी और कर्मचारी आते हैं जो कार्यक्रम आयोजन, प्रस्तुतीकरण और उत्पादन का काम करते हैं। कार्यक्रम संवर्ग में बहुत से विशेषज्ञ हैं, जैसे प्रसारण पत्रकार, मानीटर, कृषि रेडियो तथा अन्य विस्तार अधिकारी, शिक्षा कार्यक्रम निर्माता आदि।

(ख) तकनीकी: इस श्रेणी में सिविल निर्माण खंड में काम करने वाले सिविल, यान्त्रिक, विद्युत इंजीनियर, प्रसारण इंजीनियर और स्टूडियो तकनीकविद शामिल हैं।

(ग) प्रशासन: इस श्रेणी में वे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो दोनों माध्यमों के कर्मचारी, वित्त और लेखा विभागों में काम करते हैं। श्रोता अनुसन्धान कर्मचारी, अभिलेखागार एवं पुस्तकालय कर्मचारी, सूचना कर्मचारी तथा अलग-अलग संवर्गों के अन्य कर्मचारी जैसे चौकीदार, स्वागती और सुरक्षा कर्मचारी भी इस समय प्रशासनिक संवर्ग में माने जाते हैं, यद्यपि उनमें से कुछ, जैसे श्रोता अनुसन्धान कर्मचारी, स्पष्ट रूप से अतिविशेषज्ञ लोग हैं।

18.16 इन बड़ी श्रेणियों के अलावा, ये माध्यम कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनुबंध पर स्टाफ आर्टिस्ट भी रखते हैं। उनकी पांच श्रेणियां हैं:—

(1) उत्पादकवर्ग: जिसमें उत्पादन सहायक, सहायक उत्पादक, उत्पादक, उपमुख्य उत्पादक और मुख्य उत्पादक आते हैं।

(2) संगीतज्ञ और वादक: जिनमें कंडक्टर, रचयिता, वादक, नाटक-स्वर आदि हैं।

(3) पत्रकार वर्ग: जिनमें लेखक, उपसम्पादक और अनुवादक हैं।

(4) उद्घोषक और समाचारपाठक: जिनमें समाचार-पाठक, उद्घोषक और समाचार प्रस्तुतिकर्ता शामिल हैं।

(5) विविधवर्ग: जिनमें सामान्य सहायक, प्रतिलिपिकर्ता, और टेप लाइब्रेरियन शामिल हैं।

18.17 हम जिस कर्मचारी ढांचे की सिफारिश करते हैं, उसमें पांच पृथक संवर्ग हैं—कार्यक्रम, इंजीनियरी, वित्त, कर्मचारी और सूचना/श्रोता-अनुसन्धान। परन्तु हम पिछली तीन श्रेणियों को 'प्रशासन' का नाम नहीं देंगे। हमने जिन संवर्गों का उल्लेख किया है वे सभी 'प्रशासनिक संवर्ग' हैं और वे सदा प्रशासनिक संवर्ग ही समझे जाने चाहिएं।

जांच पड़ताल, यथास्थान नियुक्ति, एकीकरण

18.18 आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले कार्यक्रम-कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले मानक सरकारी नियमों में यह व्यवस्था है कि कर्मचारियों की पहली जांच-पड़ताल 50 वर्ष की आयु में और दूसरी 55 वर्ष की आयु में की जाये और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाये। कर्मचारियों को एक सुनिश्चित यथास्थान नियुक्ति की समुचित प्रक्रिया के अनुसार एक एकीकृत संवर्ग में अन्तर्मुक्त करने के लिए अथवा हटाने के लिए, आकाश भारती को इन करारों और सेवा नियमों का सहारा लेना पड़ सकता है।

18.19 हमने स्टाफ आर्टिस्ट प्रणाली के औचित्य पर विचार किया है और हम यह महसूस करते हैं कि इसकी पहले चाहे कुछ भी उपयोगिता रही हो, अब नहीं है। अल्पावधि अनुबन्ध के आधार पर रचनात्मक प्रतिभा को लेने का मूल उद्देश्य नियमों और उपनियमों के जाल में फंस कर रह गया और अन्त में श्रोताओं को उसका कोई लाभ न मिला। हम स्टाफ आर्टिस्टों के व्यक्तिगत योगदान की सराहना करते हैं, परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी प्रयोजनों के लिए स्टाफ आर्टिस्ट अब सरकारी नौकर हैं और उन्हें वे सभी लाभ मिल रहे हैं, जो अन्यों को मिलते हैं। इस संवर्ग का कभी अनावश्यक मतभेद और कभी द्वैधता के कारण मौजूदा नियमित कार्यक्रम कर्मचारियों के साथ संघर्ष होता रहता है। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि वर्तमान स्टाफ आर्टिस्ट आकाश भारती के नियमित कर्मचारी हो जायें। कार्यक्रम कर्मचारियों का एकीकरण विशेष कार्यक्रम कर्मचारी एकीकरण समितियों को सौंप दिया जाये, जो स्वीकृत नियमों के अनुसार

कार्य करें। सभी कार्यक्रम सेवाओं के कर्मचारियों को एक ही एकीकृत कार्यक्रम संवर्ग में यथास्थान नियुक्त करने में अनुभव, सेवा के समय और प्रतिभा-मूल्यांकन का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए विस्तृत यथास्थान नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। यथास्थान नियुक्ति से किसी को हानि न होनी चाहिए। मौजूदा संवर्गो के एकीकरण से समान पदों के वेतनमानों में कुछ द्वैधता आ सकती है। परन्तु नये सिरे से भर्ती होने वालों को नये सशोधित वेतनमान स्वीकार करने होंगे। मौजूदा कर्मचारियों को भी उन्हें स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के भावी विस्तार को तथा मौजूदा रिक्तियों को भरने की आवश्यकता को देखते हुए फालतू कर्मचारियों की समस्या एक अस्थायी समस्या मात्र होगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा और प्रतिनियुक्त कर्मचारी

18.20 कार्यक्रम, तकनीकी और प्रशासन के कुछ पदों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी (डेप्युटेशनिस्ट) और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से बाहर के संवर्गो के व्यक्ति विराजमान हैं। इनमें एक उल्लेखनीय वर्ग केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारियों का है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक पदों पर आसीन हैं।

18.21 हमें सूचित किया गया हे कि केन्द्रीय सूचना सेवा संवर्ग में कुल लगभग 900 अधिकारी हैं, जिनमें से 219 इस समय आकाशवाणी मे सेवारत है। इनमें से 114 समाचार सेवा प्रभाग में, 99 क्षेत्रीय समाचार-एककों में और 6 अनुश्रवण (मानीटरिंग) एकक में है। ये आकाशवाणी में इस समय काम करने वाले समस्त 'समाचार' या 'पत्रकार' कर्मचारियों के 42 प्रतिशत से कुछ ही कम है। दूरदर्शन में केन्द्रीय सूचना सेवा संवर्ग का एक भी पद नही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आकाश भारती के समाचार संवर्गो में नेतृत्व सर्वोत्तम प्रतिभा में निहित है, हम सिफारिश करते है कि समाचार-सम्पादक के तथा उससे ऊंचे ग्रेड-एक के सभी पद खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जायें। के० सू० से० संवर्ग के सभी सदस्य, चाहे वे कही भी काम कर रहे हों और स्टाफ आर्टिस्ट एवं बाहरी लोग, जो आवश्यक योग्यता रखते हों, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। शेष के लिए हम सिफारिश करते है कि के० सू० से० संवर्ग के सभी सदस्यों को—केवल उन्हें ही नही, जो इस समय आकाशवाणी मे है—यह छूट दी जाये कि यदि वे चाहें तो आकाश भारती में आ सकते हैं।

18.22 के० सू० से० के जो कर्मचारी आ० भा० की सेवा में आना चाहें उनकी जांच-पड़ताल एक विशेष चयन समिति द्वारा होनी चाहिए और 219 का वर्तमान के० सू० से० कोटा उनसे भरा जाना चाहिए जो इस प्रकार छांटे जायें। उसके वाद उन्हें आ० भा० के स्थायी कर्मचारी मानना चाहिए और उन्हें के० सू० से० से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। अन्य कार्यक्रम कर्मचारी वृन्द पर यथास्थान नियुक्ति के सम्बन्ध मे जो प्रक्रियाएं लागू हों वे ही उन पर भी लागू होंगी परन्तु इस परिवर्तन से उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

18.23 आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन पदो के सम्बन्ध में भी चयन और यथास्थान नियुक्ति के लिए ऐसी ही प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में संवर्गित है, और जो सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के संवर्गों के है। हमें सूचित किया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन के अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन के वेतन एवं लेखा अनुभागो में जो पद है वे भी इसी प्रकार के है। अतः हम आ० भा० के वेतन एवं लेखा अनुभागों में पदों को भरने के लिए चयन एवं यथास्थान नियुक्ति की ऐसी ही प्रक्रियाओं की सिफारिश करते है। कुछ प्रतिनियुक्त (डैप्यूटेशनिस्ट) कर्मचारी भी है जो अन्य विभागों और सेवाओ से कुछ समय के लिए उधार लिये गये है। जिन पदो पर ऐसे कर्मचारी प्रतिनियुक्त है उनकी संख्या अधिक नही है। परन्तु यह उचित है कि उन्हें भी वही छूट दी जाये जो दूसरो को दी गई है और उन पर भी वही प्रक्रिया लागू हो जो दूसरों पर लागू होती है।

पदोन्नति

18.24 कार्यकारी दल को सूचित किया गया है कि अराजपत्रित इंजीनियरी कर्मचारियों की पदोन्नति इसलिए रुकी हुई है कि उनके पास इंजीनियरी की डिग्री नही है। तकनीकी सहायकों को जब भर्ती किया गया था तब उन के पास केवल डिप्लोमा या स्नातकीय योग्यता थी, डिग्री नही थी। यह सच है कि इनमें से बहुत से तकनीकी सहायक काम करते-करते काफी सीख जाते है और अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते है। परन्तु हमें बताया गया कि इंजीनियरों के रूप में उनकी तरक्की नही हो सकती और न वे तब तक अधिक उत्तरदायित्व के पदों पर पहुंच सकते है जब तक वे प्रसारण इंजीनियरी के सम्बन्ध मे न्यूनतम आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त न कर लें। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इसका उत्तर यह हो सकता है कि विभागीय परीक्षाएं ली जायें जिनमें प्रसारण इंजीनियरी के सम्बन्ध में कुछ आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र भी रहें। साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति के अनुभव और कार्य को भी ध्यान में रखा जाये। इसे हम व्यावहारिक और उचित समाधान समझते हैं और इसे अपनाने की सिफारिश करते हैं।

18.25 हम सिफारिश करते हैं कि नीचे की श्रेणियों में सीधी भर्ती की जाये। साथ ही विभिन्न स्तरों के मध्य समुचित पदोन्नति की व्यवस्था भी रहे। ये पदोन्नतियां विभागीय परीक्षाओं और चयन के आधार पर की जायें। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में योग्यता की कसौटी को शिथिल न किया जाये। परन्तु हम ऐसा कोई कारण नहीं समझते जिससे उन लोगों पर, जो संगठन के अन्दर है, किसी अवस्था में आयुसम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये।

18.26 भर्ती कम से कम दो (यदि तीन नहीं) स्तरों पर की जाये—स्थानीय—क्षेत्रीय और क्षेत्रीय-राष्ट्रीय। स्थानीय-क्षेत्रीय स्तर को भाषा तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय-प्रादेशिक और प्रादेशिक-क्षेत्रीय में तोड़ा जा सकता है।

योग्यता और अन्त: परिवर्तनीयता

18.27 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि पदोन्नति के सोपान परस्पर परिवर्तन और प्रशिक्षण के द्वारा तथा दक्षतारोध सहित समुचित समय-मानों द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए। इससे कुंठा तथा गतिरोध से बचा जा सकेगा। जो लोग विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहें उन्हें दफ्तरी या प्रबन्धकीय नौकरियों के चक्कर में न पड़कर विशेषज्ञता वाली "क्षेत्रीय" नौकरियों में जाना चाहिए। परन्तु उन्हें समुचित समयमानों के द्वारा उनकी पहली नौकरी में पदोन्नति दी जा सकती है।

18.28 हम यह आवश्यक नहीं समझते कि आ० भा० गैर-तकनीकी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्नातक या अन्य कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की मांग करे। रचनात्मक कक्षा के कमरों या उच्च शिक्षा का अनिवार्य परिणाम नहीं है, पर ये लाभदायक अवश्य हैं। आ० भा० के अन्तर अपने आप सीखने और प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने की सिफारिश करते है ताकि कर्मचारी अपने जीवन में उन्नति कर सकें।

18.29 हम इस बात की वांछनीयता पर जोर देते हैं कि तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में परिवर्तन की अवधारणा विकसित की जाये। इंजीनियरों, कार्यक्रम निर्माताओं, लेखकों और श्रोता अनुसन्धान-संवर्ग के समाजविज्ञानियों को मिश्रित दलों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे विचार मे ऐसा करने से अच्छे कार्यक्रम तैयार हो सकेंगे। इससे अन्दर रहकर सीखने की प्रक्रिया भी तेज होगी और प्रशिक्षित कर्मचारी नेतृत्व के ऊंचे पदों पर पहुंच सकेंगे जहां वे विभिन्न अनुशासनों और संवर्गो की देखभाल या प्रबन्ध कर सकेंगे। प्रस्तावित आ० भा० कर्मचारी (स्टाफ) कालेज में प्रवेश को एक समान समझना चाहिए तथा स्नातक बनने वाले सभी कर्मचारियों को इस योग्य समझना चाहिए कि वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं जैसे कि क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यकारी मण्डलों के पद। वास्तव में यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने से पहले विभिन्न कामों का कुछ अनुभव प्राप्त कर ले। इसी प्रकार छोटी नौकरियां बड़ी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण-स्थल तथा बड़ी नौकरियां ऊंचे प्रबन्धक पदों पर चयन के लिए प्रशिक्षण स्थल समझी जानी चाहिए उदाहरणार्थ यदि, इंजीनियरों को स्टेशन डायरेक्टर अथवा क्षेत्रीय या केन्द्रीय निदेशालयों के सम्मानित सदस्य बनाकर पदोन्नति की सम्भावना दर्शायी गई तो उससे खुली प्रणाली की वास्तविकता को बल मिलेगा।

बाह्य भर्ती

18.30 हम यह तो समझते हैं कि कर्मचारियों को छोटे से छोटे पदों से संगठन के ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। पर साथ ही हम ऊंचे स्तरों पर बाहर से आदमियों को भर्ती करने का भी सुझाव देते हैं ताकि संवेदनशील ऊंचे पदों के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा, नया खून और नये विचार प्राप्त हो सकें। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन में पर्याप्त अनुभव और नेतृत्व के गुणों वाले व्यक्ति उपलब्ध न हुए, विशेषरूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनेक वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति समीप ही है, तो यह सम्भव है कि केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल के और क्षेत्रीय स्तर पर भी ऊंचे पदों पर शुरू-शुरू में बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये।

18.31 परन्तु हम यह सिफारिश करेंगे सी० जी० बी०, डाइरेक्टरों और जनरल मैनेजरों का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक न हो। पुनर्नियुक्ति वर्जित नहीं है।

चयन और मूल्यांकन

18.32 जैसा कि अन्यत्र संकेत दिया गया है भर्ती, पदोन्नति और स्वर परीक्षा ऐसे आन्तरिक मण्डलों द्वारा चयन के आधार पर होगी जिनके अध्यक्ष ऐसे प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्ति होंगे जिनकी पहले सूची बना ली गई होगी। संगठन के अन्दर के लोग, विशेषरूप से प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक अध्यक्ष, ही किसी अभ्यर्थी की योग्यता की जांच भली प्रकार कर सकते है फिर भी निष्पक्षता और न्याय की भावना पैदा करने के लिए यह वांछनीय है कि एक या अधिक बाहरी लोगों को भी शामिल किया जाये, ताकि यदि कोई व्यक्तिगत पक्षपात या द्वेष की भावना हो तो उसका निवारण हो सके।

18.33 इसी कारण से हम यह सिफारिश करते हैं कि कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उनके ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों तथा उनके विभाग के व्यावसायिक प्रमुखों द्वारा

लिखी जानी चाहिए। इससे कुछ सन्तुलन बना रहेगा तथा संबंधित व्यक्ति का रिकार्ड अधिक सही बन सकेगा। बहुत ऊंचे अधिकारियों के मामले में यह वांछनीय है कि मूल्यांकन अधिकारी विशेष द्वारा न किया जाकर अधिकारियों के समूह द्वारा किया जाये।

18.34 जीवन वृत्ति आयोजन, चयन मण्डलों की स्थापना, प्रशिक्षण, कर्मचारी संबंध, कल्याण आदि सारे काम कार्मिक निदेशक की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग द्वारा किये जायेंगे। हम इसे एक नाजुक काम समझते हैं और यह दक्षता, सामंजस्य और गतिशीलता की वृद्धि में सहायक है। कार्मिक विभाग को प्रतिभा की खोज का काम भी अपने हाथ में लेना चाहिए। साथ ही विभागीय संवर्ग प्रबन्ध पर विभागीय और व्यावसायिक प्रमुखों का प्रभाव बना रहना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत निर्णय करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

नियुक्ति-पत्र

18.35 हम यह प्रस्ताव करते हैं कि आ० भा० के समस्त कर्मचारियों को, चाहे वे किसी श्रेणी के हों, नियुक्तिपत्र दिया जाना चाहिए, जो ऐसे अनुबन्ध के रूप में हों, जो नियुक्ति या पद के स्तर को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से एक, तीन या छः महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सके। बिल्कुल नये भर्ती किये गये लोगों को आरम्भ में एक या दो साल की परिवीक्षा पर लिया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सामान्य रूप से यह आशा रखनी चाहिए कि वे अपनी जीवन-वृत्ति में अन्त तक नौकरी में रहेंगे। परन्तु उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि उनका लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है और ऊंचे स्तरों पर यह पर्याप्त नहीं है कि वे योग्य या अच्छे हों, बल्कि आ० भा० यह महसूस करें कि वे सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें उस ऊंची प्रतिभा के लिए स्थान छोड़ना पड़ सकता है जो बाहर से लायी जायेगी। कर्मचारियों की सुरक्षा आवश्यक है, परन्तु उसके फलस्वरुप लापरवाही की आदतें पैदा हो सकती हैं और ताजगी नष्ट हो सकती है। अनेक साक्षियों ने बताया कि इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम कर्मचारियों को खुले बाजार में वैकल्पिक नौकरी इसलिए आसानी से नहीं मिल सकती क्योंकि प्रसारण एक विशेषाधिकार बन गया है। यह अंशतः सत्य है, परन्तु हमने प्रसारण-अधिकार प्राप्त केन्द्रों, स्वतन्त्र कार्यक्रम उत्पादन अभिकरणों तथा बाहरी लोगों द्वारा तैयार किये गये प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अधिक अवसरों के वास्ते सिफारिशें की हैं। इन से प्रसारण में एक वैकल्पिक और प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार का क्षेत्र तैयार होगा। हम इसे एक अत्यन्त स्वस्थ विकास मानते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं समझते कि सेवा की सुरक्षा को निरपेक्ष मूल्य के रूप में पवित्र माना जाये।

18.36 आ० भा० को भविष्यनिधि और ग्रेच्युटी देने की वैसी ही योजनाएं बनानी चाहिएं जैसी अन्य निगमों और सरकार द्वारा बनाई गई हैं।

एकीकृत कर्मचारी संघ

18.37 इस अध्याय में पहले प्रबधन्कों और कर्मचारियों के संबंधों के बारे में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के अनेक संघ हैं। यह एक कमजोरी है और इससे प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है या एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा हो जाता है। किसी वर्धनशील संगठन में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के मध्य मैत्रीपूर्ण विचार-विनिमय के लिए एक मंच का होना वांछनीय ही नही आवश्यक भी है। आ० भा० को चाहिये कि वह एक कर्मचारी संघ के निर्माण को प्रोत्साहन दे, जिसमें सभी कर्मचारियों के सेवा हितों का प्रतिनिधित्व हो और प्रबन्धकों के साथ प्रभावी बातचीत हो सके। ऐसे एकमात्र कर्मचारी संघ से कर्मचारियों के हितों को बल मिलेगा और आ० भा० कर्मचारियों के हितों को समस्त मामलों में एक ही प्रतिनिधि संघ से बातचीत कर सकेगा।

मौजूदा लाभ सुरक्षित रहेंगे

18.38 आ० भा० के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए यह आवश्यक है कि जिन कर्मचारियों को उसने लिया है उनके मौजूदा लाभों जैसे वेतन, आवास, चिकित्सा-सुविधाएं, पेंशन और ग्रेच्युटी, अवकाश, यात्रा-भत्ता, तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभों को सुरक्षा प्रदान की जाये। आ० भा० पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए न्यास के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह कर्मचारियों के आवास पर तुरन्त अधिक धन लगा सके। परन्तु मौजूदा कर्मचारी (स्टाफ आर्टिस्टों सहित) संक्रमण काल में सरकारी आवास प्राप्त करने के अधिकारी बने रहेंगे। आवास के लिए आ० भा० से सरकार को बाजार दर से किराया देने के लिए नहीं कहा जायेगा।

18.39 जब तक आ० भा० सेवा-शर्तों के बारे में अपने नियम और उप-नियम न बनाये तब तक वे सभी वर्तमान बुनियादी नियम, पूरक नियम, अवकाश, नियम, पेंशन और ग्रेच्युटी नियम, भविष्य निधि नियम और यात्रा भत्ता नियम जो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लागू होते हैं, आ० भा० के कर्मचारियों पर लागू होते रहेंगे।

18.40 संतुष्ट कर्मचारी वर्ग, जो एक टीम के रूप में काम करता है, रचनात्मकता आदर्श और नये विचारों के प्रकाशन के लिए समुचित अवसर पाता है, स्वायत्तता के लिए आवश्यक है और हर हालत में किसी भी प्रसारण-संगठन की सबसे बड़ी परिसम्पत्ति समझा जाना चाहिए।

इंजीनियरी और टैक्नालोजी

19.1 आकाश भारती का भविष्य निर्धारित करते समय यह आवश्यक है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में वर्तमान समस्याओं पर ध्यान दिया जाये और इस बारे में भी विचार किया जाये कि भविष्य में हम किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं और कौन-कौन सी तकनीकें अपना सकते हैं। उपकरणों में विभिन्न प्रकार के ट्रान्समीटर, स्टूडियो तथा इससे सम्बद्ध सुविधाएं शामिल हैं। इसके द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। कार्यक्रम प्रसारित करने का यह माध्यम इतना शक्तिशाली और साथ ही परिस्थिति के अनुकूल ढाला जा सकने वाला होना चाहिए जिसके द्वारा भारत के सभी भागों में कार्यक्रम सुने जा सकें और इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनता भाग ले सके। इस समय जो उपकरण लगे हुए हैं उनकी कुल लागत लगभग 75 करोड़ रुपये होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार की जिन योजनाओं पर काम किया जा रहा है उन पर (उपग्रह प्रसारण को छोड़कर) 500 करोड़ रु० से लेकर, 1,000 करोड़ रु० तक खर्च आयेगा। खर्च में यह कमी या वृद्धि अपनाई जाने वाली तकनीकों पर निर्भर होगी।

19.2 इसलिए आवश्यक है कि नये स्वायत्तशासी संगठन के ढांचे और उद्देश्यों को निर्धारित करते समय उपकरणों की वर्तमान स्थिति और भविष्य में प्राप्त हो सकने वाली इंजीनियरी की तकनीकों को भली भांति समझ लिया जाये।

आकाशवाणी का वर्तमान जाल

19.3 इस समय आकाशवाणी के पास मध्य तरंग के 124 ट्रान्समीटर हैं जिनकी शक्ति 1 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक की है। इन ट्रान्समीटरों का विवरण इस प्रकार है:—

शक्ति	संख्या
1 किलोवाट और इससे कम . .	40
1 से 10 किलोवाट तक . . .	27
20 किलोवाट . . .	30
50 किलोवाट . . .	12
100 किलोवाट . . .	13
1000 किलोवाट . . .	2

ये ट्रान्समीटर 74 स्टूडियो से सम्बद्ध हैं। ये स्टूडियो राज्यों की राजधानियों और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर हैं। अनुमान लगाया गया है कि मार्च 1978 तक देश की 90 प्रतिशत से कुछ कम जनता मध्य तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम दिन में सुन सकेगी।

19.4 मध्य तरंग पर प्रथम श्रेणी के प्रसारण के अतिरिक्त लघु तरंग के 15 ट्रान्समीटरों से द्वितीय श्रेणी के प्रसारण किये जाते हैं। ये प्रसारण गुजरात, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़ देश के सभी भागों में सुने जा सकते हैं।

19.5 आकाशवाणी ने जुलाई 1977 में मद्रास से तीन किलोवाट के ट्रान्समीटर से फ्रीक्वेन्सी माडुलेशन प्रसारण शुरू किया। इस ट्रान्समीटर का एण्टेना 175 मीटर ऊंची दूरदर्शन की मीनार पर लगाया गया है। इसके कारण ट्रान्समीटर की कार्यक्रम प्रसारित करने की क्षमता बढ़कर 15 किलोवाट की हो गई है और दृष्टि रेखा तक रेडियो कार्यक्रम निर्विघ्न सुने जा सकते हैं। 1978 के अन्त तक इसी प्रकार का प्रसारण बम्बई और कलकत्ता से शुरू करने का विचार है। बाद में यह पद्धति दिल्ली में भी अपनाई जायेगी। देश के 13 स्टूडियो के ट्रान्समीटरों को परस्पर सम्बद्ध करने के लिए भी फ्रीक्वेन्सी माडुलेशन पद्धति इस्तेमाल की जा रही है।

प्रसारण का ढांचा

19.6 आकाशवाणी से मध्य तरंग के 81 ट्रान्समीटरों और लघु तरंग के 15 प्रादेशिक ट्रान्समीटरों द्वारा सामान्य जनता के लिए समन्वित कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ समय के लिए विशेष प्रकार के श्रोताओं के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इन सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त विविध भारती से मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विविध भारती के कार्यक्रम मध्य तरंग के 29 ट्रान्समीटरों और लघु तरंग के दो शक्तिशाली ट्रान्समीटरों से प्रसारित किये जाते हैं। मध्य तरंग के इन 29 ट्रान्समीटरों में से 28 ट्रांसमीटरों द्वारा व्यापारिक विज्ञापन प्रसारित किये जाते है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में जहां कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अन्य चैनलों से अतिरिक्त कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं। अतिरिक्त चैनलों से ऐसे कार्यक्रम 8 केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं।

19.7 सामान्यतः स्टूडियो और ट्रान्समीटर एक ही शहर में है और ये रेडियो स्टेशन के अंग हैं। किन्तु कार्यक्रमों की परिधि बढ़ाने के लिए राज्यों के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त ट्रान्समीटर भी लगाये गये हैं। ये सहायक केन्द्र स्टूडियो के साथ टेलीफोन की लाइनों से जुड़े हैं। जहां टेलीफोन की लाइन नहीं हैं वहां कार्यक्रम टेप पर पहले रिकार्ड कर लिये जाते है और इन्हें प्रसारित करने के लिए ट्रान्समीटर केन्द्र पर भेज दिया जाता है।

19.8 विभिन्न रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किये जाने वाले अधिकांश कार्यक्रम वहीं तैयार किये जाते हैं और वहीं से प्रसारित किये जाते हैं किन्तु राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम और समाचार दिल्ली में तैयार किये जाते है तथा यहीं से प्रसारित किये जाते हैं। खेल जैसे जन सामान्य की रुचि के अन्य कार्यक्रम जो दूसरे शहरों में होते हैं उन्हें भी दिल्ली से प्रसारित किया जाता है और देश के अन्य रेडियो स्टेशन इन्हें उसी समय साथ ही साथ प्रसारित करते हैं।

कार्यक्रम एक साथ प्रसारित करने की वर्तमान सुविधायें

19.9 कार्यक्रम एक साथ प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी लघु तरंग ट्रांसमीटरों और टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करती है। इस काम के लिए 7.5 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक की शक्ति के 16 लघु तरंग ट्रांसमीटर प्रयुक्त किये जाते है। लघु तरंग के इन ट्रान्समीटरों में से कुछ ट्रान्समीटरों का उपयोग विदेश प्रसारण सेवा के लिए भी किया जाता है। इन ट्रान्समीटरों के बीच एरियलों द्वारा संसार के विशेष स्थानों के लिए प्रसारण किये जाते हैं। इनके अलावा आठ बहुत बढ़िया और 28 साधारण टेलीफोन सर्किट भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन कुछ सीमित ट्रान्समीटरों से प्रसारित करने होते हैं और किसी समय तीन विभिन्न बुलेटिन प्रसारित किये जा सकते हैं। ये बुलेटिन निश्चित समय पर प्रसारित होते हैं और कुछ मामलों में पूरे समय का उपयोग नहीं हो पाता।

विदेश सेवा

19.10 आकाशवाणी की विदेश सेवा के कार्यक्रम लघु तरंग के 13 ट्रान्समीटरों और मध्य तरंग के 3 ट्रान्समीटरों से प्रसारित किये जाते हैं। लघु तरंग के ट्रान्समीटर दिल्ली, अलीगढ़, बम्बई और मद्रास में है। मध्य तरंग के ट्रान्समीटर राजकोट कलकत्ता और जलन्धर में हैं। विदेश सेवा के अधिकांश कार्यक्रम दिल्ली में तैयार किये जाते हैं। लघु तरंग के ट्रान्समीटरों से दूर और पास के स्थानों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। मध्य तरंग में ट्रान्समीटर पास के स्थानों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते है।

मरम्मत और पुरानापन

19.11 आकाशवाणी पिछले 40 वर्षो से समय-समय पर अपने उपकरण बढ़ाकर विस्तार करती रही है। किन्तु जो उपकरण पुराने हो गये है उन्हें शायद ही बदला गया है। 1938 में 10 किलोवाट का जो ट्रान्समीटर लगाया गया था वह अब भी बम्बई में काम दे रहा है। आकाशवाणी के 157 ट्रान्समीटरों में से 57 को छोड़ बाकी सब 10 साल से भी अधिक पुराने हैं। स्टूडियो के उपकरणों के बारे में भी यही बात लागू होती है। पिछले कुछ वर्षो को छोड़ उपकरण विभिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ती है जो काफी पुराने पड़ चुके हैं।

19.12 रुपये की कमी के कारण अन्य कठिनाइयां भी है। नये रेडियो स्टेशन खोलने और वर्तमान रेडियो स्टशनों के उपकरण बदलने तथा बढ़ाने में से किसी एक को चुनते समय उपकरणों की मरम्मत और उनकी कार्यक्षमता की सदैव उपेक्षा की गई है। साथ ही अनिवार्य परिस्थितियों के कारण प्रसारण का क्षेत्र बढ़ाते जाना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान उपकरणों से उनकी क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है।

19.13 आकाशवाणी ने अनुमान लगाया है कि उसे अपने पुराने उपकरण बदलने पर 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। सरकार ने इसकी समीक्षा करने के लिए समिति नियुक्त कर दी है और इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जो उपकरण बदले जाने हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

ट्रान्समीटर 17.61 करोड़ रुपये, स्टूडियो उपकरण 5 लाख रुपये, रिकाडिंग उपकरण 2.07 करोड रुपये, इसके अतिरिक्त बिजली सप्लाई, वातानुकूलन तथा अन्य मिश्रित उपकरण। जो ट्रान्समीटर बदले जाने हैं उनमें लघु तरंग के ट्रान्समीटर, गोहाटी में लगा मध्य तरंग का 10 किलोमीटर का ट्रान्समीटर और पणजी में लगा 5 किलोवाट का मध्य तरंग ट्रान्समीटर भी है।

19.14 यदि देशीय प्रसारण की सम्भावनाएं धुंधली है तो विदेश सेवा प्रसारण की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अलीगढ़ में लगे लघु तरंग के दो ट्रान्समीटरों के अलावा अन्य ट्रान्समीटरों की कारगर ढंग से काम करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और उन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि विदेशी प्रसारण जारी रखना है तो इसके लिए नये सिरे से उपकरण जुटाने होंगे क्योंकि विदेशी प्रसारण के लिए आवश्यक उपकरण नही है।

19.15 संसार के अन्य भागों में सहधुरीय तारों और सूक्ष्म तरंगों के द्वारा संचार का जाल इतनी तेजी से फैला है कि इसके कारण दूर संचार की आवश्यकताएं पर्याप्त-रूप में पूरी हो गई हैं। किन्तु भारत में संचार साधन बहुत कम उपलब्ध हैं। यद्यपि भारत में सूक्ष्म तरंग और सहधुरीय पद्धतियां उपलब्ध हैं किन्तु डाकतार विभाग से आकाशवाणी को इनके जो सर्किट मिले हैं उनकी क्षमता और श्रेष्ठता तनिक भी सन्तोपजनक नहीं है। जिन लाइनों पर कार्यक्रम

भेजे जाते हैं उनमें बहुत रुकावट और बाधा आती है। इसका कारण शायद यही है कि संचार के सर्किट सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आकाशवाणी को लघु तरंग से काम चलाना पड़ रहा है।

बढ़ता हुआ हस्तक्षेप

19.16 मध्य तरंग के विम्ब (स्पैक्ट्रम) में हस्तक्षेप प्रति वर्ष बढ़ते जाने से स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और ऐसी आशंका है कि पिछले 40 वर्षों की मेहनत से जो ताना-बाना तैयार किया गया है वह बिलकुल व्यर्थ हो जायेगा। दिल्ली बी, दिल्ली-सी, बम्बई, राजकोट, सिलीगुड़ी, अलप्पी, गोहाटी, कोयम्बतूर, कलकत्ता, डिब्रूगढ़ और मद्रास के ट्रान्समीटरों से प्रसारित कार्यक्रम अब बहुत कम क्षेत्रों तक जा पाते हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण यही है कि पड़ौसी देशों ने अपने ट्रान्समीटरों की शक्ति अन्धाधुन्ध बढ़ा ली है। ट्रान्समीटरों के वर्तमान जाल से इस समय देश की 90 प्रतिशत जनता तक दिन में कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं किन्तु 1989 तक ये ट्रान्समीटर देश के 19 प्रतिशत भाग और 34 प्रतिशत आबादी तक ही सीमित रह जायेंगे क्योंकि आगामी लगभग दस वर्षों में रेडियो कार्यक्रमों में बाधा बहुत पड़ने लगेगी। इसका कारण यही है कि अन्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने जो रेडियो फ्रीक्वेन्सी दी है उसका वे 1989 तक उपयोग करने लगेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ योजना

19.17 आकाशवाणी को स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय इन तीन प्रकार के कार्यक्रमों के लिए टैक्निकल सुविधाएं जुटानी होती हैं। इसके लिए स्टूडियो, ट्रान्समीटर और विभिन्न स्टूडियो एवं ट्रान्समीटरों को परस्पर सम्बद्ध करना होता है। फिलहाल कुछ हद तक राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यक्रमों की जरूरतें पूरी की जा रही है किन्तु स्थानीय कार्यक्रमों की अब तक उपेक्षा की जाती रही है। स्थानीय कार्यक्रमों के महत्व की इस रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा भी की गई है।

19.18 इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने नवम्बर, 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के अन्तर्राष्ट्रीय फ्रीक्वेन्सी नियमन मण्डल से मध्य तरंग की कई फ्रीक्वेन्सी देने का अनुरोध किया था और हमें ये मिल भी गई। फ्रीक्वेन्सी की ये योजनाएं 23 नवम्बर, 1978 से लागू हो जायेंगी और अगले 11 वर्षों तक अर्थात् नवम्बर, 1989 तक वैध रहेंगी।

19.19 अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, आकाशवाणी को एक-एक किलोवाट तक की क्षमता के 352 ट्रान्समीटर लगाने देगा। इनमें से इन सब ट्रान्समीटरों को 3 सुरक्षित फ्रीक्वेन्सी मिलेंगी। इनके अतिरिक्त 428 मध्य और उच्च शक्ति के निम्नलिखित ट्रान्समीटर भी लगाये जा सकेंगे:—

(क) 2 मैगावाट का एक ट्रान्समीटर
(ख) 1-1 मैगावाट के पांच ट्रान्समीटर
(ग) 300-300 किलोवाट के 177 ट्रान्समीटर
(घ) 200-200 किलोवाट के 15 ट्रान्समीटर
(ङ) 150 किलोवाट का एक ट्रान्समीटर
(च) 100-100 किलोवाट के 15 ट्रान्समीटर
(छ) 50 किलोवाट के 2 ट्रान्समीटर
(ज) 20 किलोवाट के 211 ट्रान्समीटर
(झ) 10 किलोवाट का एक ट्रान्समीटर।

इन 780 ट्रान्समीटरों में से 280 ट्रान्समीटर केवल दिन के कार्यक्रमों के लिए और शेष 500 ट्रान्समीटर रात और दिन के कार्यक्रमों के लिए होंगे। किन्तु इनमें से उच्चतर क्षमता के कुछ ट्रान्समीटरों को रात में अपेक्षाकृत कम क्षमता पर चलाना होगा।

कम क्षमता के ट्रान्समीटर स्थानीय प्रसारण के लिए तथा मध्य और उच्च क्षमता के ट्रान्समीटर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रसारणों के लिए उपयोग किये जा सकेंगे। अत्युच्च क्षमता के ट्रान्समीटरों से राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे और इस प्रकार क्षेत्रीय ट्रान्समीटरों से उनके महत्वपूर्ण समय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण आवश्यक नहीं रहेगा।

19.20 आशा है कि दो से अधिक कार्यक्रम चैनलों पर दिन में शत-प्रतिशत जनता तक कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकेंगे किन्तु रात में यह स्थिति नहीं होगी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने पड़ौसी देशों को उच्च शक्ति में नये ट्रान्समीटर लगाने की अनुमति दे दी है। इनके कारण कार्यक्रमों में बहुत बाधा पड़ने लगेगी। अब कार्यक्रम दिन में लगभग 90 प्रतिशत जनता तक प्रसारित किये जाते हैं किन्तु आकाशवाणी का अनुमान है कि बढ़ती हुई बाधाओं के कारण रात में 50 प्रतिशत जनता ही कार्यक्रम सुन पायेगी चाहे अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा स्वीकृत मध्य तरंग के सारे ट्रान्समीटर चालू भी हो जायें। इसलिए जरूरी है कि गोधूलिवेला के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय में प्रसारण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाये।

महत्वपूर्ण समय अन्तराल

19.21 प्रादेशिक सेवा के लिए 422 उच्च-शक्ति ट्रान्समीटर दिये गये हैं। इनमें से 200 किलोवाट या इससे अधिक शक्ति के 192 ट्रान्समीटर हैं। इनमें से 142 ट्रान्समीटर रात और दिन चलाये जा सकेंगे तथा शेष केवल दिन में। 512 करोड़ रुपये की लागत से इन ट्रान्समीटरों को लगाने के बावजूद रात में देश की 50 प्रतिशत आबादी मध्य तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम सुन पाएगी और शेष जनता को अच्छे प्रसारण की सुविधा नहीं मिल सकेगी क्योंकि हमें यह मानना चाहिए कि अन्य देश भी अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना पर अमल करेंगे।

19.22 अत्यधिक राशि खर्च करने और आकाशवाणी की प्रसारण क्षमता में 20 गुनी वृद्धि होने के बावजूद शाम के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय में बहुत अधिक लोगों तक रेडियो कार्यक्रम न पहुंच पाने की समस्या से स्पष्ट है कि कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अन्य उपायों पर भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रादेशिक चैनल के फ्रीक्वेंसी मोडुलेशन का विकल्प

19.23 अत्युच्च फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी मोडुलेशन के प्रसारण दृष्टि रेखा तक सीमित होते हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी के पुनः उपयोग करने की समस्याएं अपेक्षाकृत सरल हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है। 87 से 108 मैगा हर्ट्ज के अत्युच्च फ्रीक्वेंसी बैण्ड पर लगभग 100 चैनल होते हैं (पास के चैनल 200 किलो हर्ट्ज दूर होते है)। भारतीय फ्रीक्वेंसी निर्धारण योजना के अधीन इनमें से 30 चैनल केवल भारत के लिए सुरक्षित हैं। यह आन्तरिक प्रबन्ध है और जरूरत पड़ने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। काफी ऊंची मीनार पर या पहाड़ियों आदि पर एण्टेना लगाने से मध्य शक्ति के ट्रान्समीटर से 30 किलोमीटर तक कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं। बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चशक्ति के मध्य तरंग ट्रान्समीटर से भी लगभग इतने ही क्षेत्र तक प्रसारण किये जा सकते हैं।

19.24 अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का प्रसारण बाधारहित होता है और इसमें दूसरे देशों द्वारा बाधा नहीं डाली जा सकती, अतः मध्य तरंग के प्रसारण की समस्याओं का इससे स्थायी समाधान हो जाता है। इसलिए प्रसारण का समुचित विकास किया जा सकता है। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का एक लाभ यह भी है कि इस फ्रीक्वेंसी के दो या तीन ट्रान्समीटर एक ही एरियल पद्धति का इस्तेमाल कर सकते है। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी में मुख्य खर्चा एरियल की मीनार बनाने का होता है और ट्रान्समीटर का खर्च अपेक्षाकृत कम। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का मध्यम शक्ति ट्रान्समीटर लगभग 4—5 लाख रुपये का होता है। एक बार अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का आधारभूत केन्द्र बन जाने पर अपेक्षाकृत कम खर्च पर अतिरिक्त चैनल बढ़ाए जा सकते हैं। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर कर्म खर्च में राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों ही प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रबन्ध किये जा सकते है। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के द्वारा देशभर में प्रादेशिक प्रसारण की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 केन्द्र बनाने पड़ेंगे जिन पर लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्रोता परक कार्यक्रम

19.25 यदि राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों ही चैनलों के लिये अत्युच्च फ्रीक्वेंसी अपना ली जाती है तो इन दोनों के बीच अन्तर बनाये रखना जरूरी नहीं रहेगा। कार्यक्रम का चैनल स्रोत-परक न होकर श्रोतापरक हो सकता है। कार्यक्रम के प्रकार और स्थानीय रुचि के आधार पर स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय चैनलों में कार्यक्रमों को विवेकपूर्ण ढंग से विभक्त भी किया जा सकेगा। ऐसी भी सम्भावना है कि राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों को अधिक लोग न सुनें और अपेक्षाकृत अधिक सन्तुलित कार्यक्रम ज्यादा आकर्षक हों। काफी संख्या में ट्रान्समीटर होने से कार्यक्रम तैयार करने के काम में विकेन्द्रीकरण होगा और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों की सहायता से स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार किये जा सकेंगे तथा इनमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। इस काम के लिये अपेक्षाकृत साधारण सुविधाओं से युक्त स्टूडियों बनाने होंगे।

19.26 अत्युच्च फ्रीक्वेंसी अपनाने से ए० एम० से जुड़ी पुरानी टैक्निकल समस्या भी सुलझ जाएगी। ए० एम० में व्यावहारिक दृष्टि से दो प्रतिमान अपनाए जा रहे है। एक कार्यक्रम भेजने के लिए और दूसरा कार्यक्रम ग्रहण करने के लिए। कार्यक्रम भेजने के लिए चैनल 9 किलो हर्ट्ज दूर रखा जाता है और स्टेशन ऐसे स्थान पर बनाये जाते हैं ताकि संगीत फिर सुनने के लिए आवश्यक पूर्ण ध्वनि बिम्ब प्राप्त हो सके। किन्तु रेडियो कार्यक्रम मे बाधाओं के कारण अनेक रेडियो सैट, प्रसारित कार्यक्रम की आधी से भी कम ध्वनि ग्रहण कर पाते है और इसलिए कार्यक्रम अच्छा सुनाई नही पड़ता।

19.27 टेलीविजन अत्युच्च फ्रीक्वेंसी बैण्ड पर चलता है इसलिए अत्युच्च फ्रीक्वेंसी रेडियो के और टेलीविजन के ट्रान्समीटर साथ-साथ हो सकते हैं और इससे काफी रुपया बचेगा। मद्रास मे आकाशवाणी का अत्युच्च फ्रीक्वेंसी ट्रान्स-मीटर वहां की दूरदर्शन मीनार पर लगा है।

अत्युच्च फ्रीक्वेंसी शुरू करने में समस्यायें

19.28 अत्युच्च फ्रीक्वेंसी पद्धति अपनाने के विरुद्ध दो बातें कही जा सकती है। पहली तो यह कि भारत में इस समय एक करोड़ 70 लाख से अधिक रेडियो सैट इस्तेमाल किये जा रहे है। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी अपनाने से ये रेडियो सैट बदलने पड़ेंगे और नये रेडियो रिसीवर (ए० एम०/एफ० एम०) जारी करने होंगे। किन्तु यह समस्या जैसी दीखती है उतनी गम्भीर नही है। ए० एम० रेडियो सैट मुख्यरूप से शहरों में इस्तेमाल किये जा रहे है और इन शहरों में ट्रान्समीटर भी लगे है। इस-लिए यदि मध्य तरंग के ट्रान्समीटरों का प्रसारण घटता भी है तो भी यदि मध्य तरंग के ट्रान्समीटर चालू रखे जायें, और यह करना भी होगा, तो वर्तमान रेडियो सैट इस्तेमाल किये जाते रहेंगे? ये रेडियो सैट लघु तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम भी ग्रहण कर सकते है क्योंकि कम से कम 70 प्रतिशत रेडियो सैटो मे लघु तरंग का बैण्ड है। जब वर्तमान रेडियो सैटों के काम करने की क्षमता खत्म हो जायेगी तब उनकी जगह ए० एम०/एफ० एम० पद्धति आसानी से शुरू की जा सकेगी। अन्य देशों में भी ऐसा ही

किया गया है। किन्तु देहाती इलाकों में ए० एम० रेडियो सैट बचे रहेंगे।

19.29 दूसरी बात यह है कि अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के रेडियो मध्यतरंग के रेडियो से ज्यादा महंगे है तथा ए० एम० रेडियो बनाने का काम जमा हुआ है। ए० एम० रेडियो तथा ए० एम०/एफ० एम० रेडियो के बीच मूल्य का अन्तर 20 से 30 प्रतिशत हो सकता है और सस्ता ए० एम०/एफ० एम० रेडियो सैट लगभग 165 रुपये मे बन सकता है। टैलीविजन सैट बनाने के कारण भारतीय निर्माता एफ० एम० टैकनालोजी से परिचित हो गये है। साथ ही 'इन्टीग्रेटिड सर्किट' मिलने शुरू होने से एफ० एम० रेडियो सैट बनाने का काम आसान हो जायेगा। निर्माताओ को परीक्षा करने के नये उपकरण खरीदने पड़ सकते है।

राष्ट्रीय चैनल

19.30 राष्ट्रीय चैनल की व्यवस्था करने के लिए तीन टैक्निकल विकल्प हैं:—मध्य तरंग, दीर्घतरंग और अत्युच्च फ्रीक्वेंसी। सरसरी तौर पर देखने से राष्ट्रीय चैनल के लिए मध्य तरंग का उपयोग आकर्षक लगता है क्योंकि केवल चार निम्न/मध्यम फ्रीक्वेंसी के ट्रान्समीटरों से देश भर में प्रसारण किया जा सकता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण समय में सभी प्रादेशिक केन्द्र अपने ट्रान्समीटरों का उपयोग अन्य कार्यक्रमों के लिए कर सकते हैं। अत्यधिक क्षमता के चार ट्रान्समीटर लगाने पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जनता के पास मध्य तरंग के रेडियो सैट भी इस्तेमाल होते रहेंगे। यह भी एक आकर्षण है।

19.31 दिन में अत्यधिक क्षमता के ट्रान्समीटरों से लगभग 100 से 300 किलोमीटर तक प्रसारण किया जा सकेगा। रात में ये ट्रांसमीटर देश के अधिकाश क्षेत्रों में द्वितीय श्रेणी की सेवा प्रदान कर सकेंगे। इसलिये इन ट्रान्समीटरों पर खर्च की गई राशि का पूरा उपयोग नही किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि अत्यधिक क्षमता के ट्रान्समीटर राष्ट्रीय चैनल से अलग कर दिये जाते है तो ये केवल चार प्रादेशिक या स्थानीय कार्यक्रमों को प्रसारित कर सकेंगे। किन्तु यदि अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के ट्रान्समीटरों को राष्ट्रीय चैनल से अलग किया जाता है तो अनेक ट्रान्समीटर स्थानीय या प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो जाते है।

एककालिक प्रेषण

19.32. विकल्प के रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि 200 से 300 किलोवाट तक की क्षमता के कई ट्रान्समीटर एक साथ काम करें। इनसे अत्यधिक क्षमता के ट्रान्समीटरों की अपेक्षा ज्यादा बड़े क्षेत्र में दिन के समय प्रसारण किया जा सकेगा। इसमें राष्ट्रीय प्रसारण के लिए 200 किलोवाट क्षमता के लगभग 100 ट्रान्समीटरों की जरूरत होगी जिनकी लागत 167 करोड़ रुपये होगी। किन्तु यदि रात में भी प्रसारण करना हो या द्वितीय श्रेणी की प्रसारण सेवा स्वीकार्य हो तो ट्रान्समीटरों की संख्या 10 या 15 भी रखी जा सकती है। एक साथ प्रयोग करने के लिए ये ट्रान्समीटर एक जैसे कार्यक्रम ही प्रसारित कर पायेंगे। इन ट्रान्समीटरों को एक साथ चलाने के लिए ट्रान्समीटर को फ्रीक्वेंसी में काफी स्थिरता की आवश्यकता होगी और इस कारण संचार व्यवस्था सम्बन्धी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

दीर्घ तरंग का उपयोग

19.33. निम्न फ्रीक्वेंसी का उपयोग इस कारण अच्छा बताया जाता है क्योंकि इससे अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत भूमि तरंग का लाभ मिलता है। बताया गया है कि निम्न फ्रीक्वेंसी वाले 500 किलोवाट क्षमता के एक ट्रान्समीटर की कीमत 4.7 करोड़ रुपये होगी और इससे 480 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रसारण किया जा सकेगा। इस प्रकार निम्न फ्रीक्वेंसी के चार ट्रान्समीटर 22.8 करोड़ रुपयों के खर्च से रात में और दिन में राष्ट्रीय प्रसारण कर सकेंगे। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने एशिया-प्रशान्त महासागर क्षेत्र के देशों के लिए निम्न फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने की आज्ञा नहीं दी है। इसलिये संघ से ये फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के वास्ते काफी प्रयत्न करना पड़ सकता है। मध्य तरंग के वर्तमान रेडियो सैटों की जगह एम० एफ०/एल० एफ० रेडियो सैट लेने होंगे। ऐसे कदम की तभी जरूरत पड़ सकती है जबकि नये बैण्ड को स्वीकार करने से निरन्तर विकास की सम्भावना हो। किन्तु ऐसा नहीं होगा क्योंकि निम्न फ्रीक्वेंसी बैंड में बहुत कम चैनल होते हैं और अन्य आवश्यकताओं के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता।

19.34 राष्ट्रीय चैनल के लिए अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के उपयोग पर विचार किया जा सकता है और इसके कई लाभ भी है। इसे रात या दिन के कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केवल रात में ही प्रसारित करना जरूरी नही रहेगा। स्कूल ब्राडकास्ट जैसे कार्यक्रमों के लिए भी इन ट्रान्समीटरों का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी प्रसारण के लिये अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के लगभग 150 ट्रान्समीटरों की आवश्यकता होगी। इसकी लागत प्रादेशिक अत्युच्च फ्रीक्वेंसी सेवा में वृद्धि करने से बढ़ेगी। अनुमान है कि इस पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अत्युच्च फ्रीक्वेंसी में भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

स्थानीय प्रसारण

19.35 कम शक्ति के मध्य तरंग वाले 352 ट्रान्समीटरों के उपयोग की अनुमति से हम स्थानीय प्रसारण सेवा शुरू कर सकते हैं ये स्थानीय रडियो स्टेशन जिलों के सदर मुकामों में बनाये जा सकते हैं। इस नई सेवा के लिए उन स्थानों पर नये स्टूडियो बनाने होंगें जहां रेडियो स्टेशन नही है और कुछ रेडियो स्टेशनों पर स्टूडियो की सुविधाएं बढ़ानी

पड़ेंगी। इस नई सेवा के लिए 150-160 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इन स्टेशनों के लिए अधिकृत तीन फ्रीक्वेंसी (1485 किलोहर्ट्ज, 1584 किलोहर्ट्ज और 1602 किलोहर्ट्ज) मध्य तरंग बैण्ड के ऊंचे छोर पर है और यहां प्रसारण की सीमा अपेक्षाकृत कम है। इस फ्रीक्वेंसी का औसत प्रसारण क्षेत्र 25 किलोमीटर होगा। इस प्रकार ये ट्रान्समीटर क्षेत्रवार देश के लगभग 25-30 प्रतिशत भाग में स्थानीय प्रसारण कर सकेंगे।

19.36 अत्युच्च फ्रीक्वेंसी के 150 प्रादेशिक केन्द्रों के साथ कम क्षमता का अत्युच्च फ्रीक्वेंसी ट्रान्समीटर लगाकर और स्टूडियो की सुविधाएं बढ़ाकर स्थानीय प्रसारण किया जा सकता है। देश के प्रायः सभी जिलों के लिए 200 नये केन्द्र और बनाने होंगे। इस स्थानीय सेवा के लिए वर्तमान केन्द्रों पर लगभग 11 करोड़ रुपये और नये केन्द्रों पर 82 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 93 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जाल की आवश्यकताएं

19.37 आकाशवाणी जैसे बड़े प्रसारण संगठन को दूर संचार सुविधाओं का जाल बिछाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया जा सके और काम करने के लिये विभिन्न विकल्प उपलब्ध रहे। यह सुविधा बहुत आवश्यक है चाहे हम प्रसारण के लिये मध्य तरंग का उपयोग करें या अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को देखते हुए दो प्रकार के दूरसंचार जाल की आवश्यकता है। एक तो राष्ट्रीय जाल जिसमें देश का कोई भी स्टूडियो केन्द्र अपना कार्यक्रम दे सके। दूसरा प्रादेशिक जाल जो प्रत्येक भाषा या राज्य के लिये हो। राष्ट्रीय जाल के द्वारा दिल्ली से नये कार्यक्रम भी प्रसारित किये जा सकेंगे। ट्रान्समीटरों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में स्थानीय कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यक्रम भी जोड़े जा सकेंगे। इस आधार पर लगभग 20 प्रादेशिक संचार जाल और 3 या 4 राष्ट्रीय संचार जाल आवश्यक होंगे। और अधिक संख्या में संचार सम्बन्ध मिलने से आकाशवाणी आज की अपेक्षा और अधिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित कर सकेगी।

19.38. इस समय दूरसंचार जाल का जो प्रबन्ध है वह डाक तार विभाग से लिये गये स्थानीय दूरसंचार सम्बन्ध तथा आकाशवाणी द्वारा संचालित लघु तरंग रेडियो हैं। ये बहुत सन्तोषजनक नहीं हैं क्योंकि अनेक बाधाओं और व्यवधानों के कारण कार्यक्रम खराब हो जाते हैं। 1981 में भारतीय राष्ट्रीय-भू-उपग्रह (इनसैट) चालू हो जाने के कारण दूरसंचार जाल का प्रबन्ध बढ़ाया और सुधारा जा सकना चाहिए। इनसैट योजना (फरवरी, 1977) के अनुसार आकाशवाणी "इनसैट" की क्षमता का विभिन्न रडियो स्टेशनों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये भी उपयोग करना चाहती है।

इनसैट विकल्प

19.39 भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह में दो टेलीविजन ट्रान्सपोण्डर (संकेत मिलते ही स्वयं तत्काल उत्तर भेजने वाले रेडियो रडार ट्रान्ससीवर) होंगे जो 'एस' बैण्ड (2.5 जी० हर्ट्ज) पर प्रायः देश भर में कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। इसके अतिरिक्त 4 जी० हर्ट्ज बैण्ड में दूरसंचार के लिये 12 ट्रान्सपोण्डर होंगे। दूरसंचार के लिये प्रयुक्त ट्रान्सपोण्डर कम शक्ति के होते हैं और इनके संकेत ग्रहण करने के लिए भूमि पर बड़े केन्द्र बनाने पर काफी खर्च आता है। किन्तु दो टेलीविजन ट्रान्सपोण्डर अपेक्षाकृत उच्च क्षमता के होंगे और इनसे प्राप्त संकेत नाममात्र की राशि खर्च कर साधारण उपकरणों से ग्रहण किये जा सकेंगे। इन ट्रान्सपोण्डरों में कुछ अतिरिक्त संदेशवाहक लगाने की भी व्यवस्था है जिनसे कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकेंगे। किन्तु ट्रान्सपोण्डर की कुल क्षमता सीमित होगी। अतः टेलीविजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त आकाशवाणी के दूरसंचार जाल की सम्पूर्ण आवश्यकताएं इनसे पूरी नहीं हो सकेंगी।

19.40 यह भी संभव है कि इन दो ट्रान्सपोण्डर्स में से एक को ध्वनि प्रसारण का और दूसरे को टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने का काम सौंप दिया जाय। यदि राष्ट्रीय जनसम्पर्क की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिये 25 स्वतंत्र लाइनें मिल जायेंगी। आवाज बढ़ाने वाला साधारण रिसीवर प्रसारण या स्टूडियो केन्द्रों पर कार्यक्रम ग्रहण करने के लिये लगाना होगा। भू-उपग्रह से सम्बन्ध स्थापित करने वाले भू-केन्द्रों का उपयोग टेलीविजन कार्यक्रमों के लिये तथा दूरसंचार की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिये किया जा सकेगा और इस प्रकार लागत कम आयेगी। डाकतार विभाग देश के 36 महत्वपूर्ण शहरों में भूकेन्द्र चलायेगा इसलिये अनेक स्टूडियो इन भूकेन्द्रों के द्वारा अपने कार्यक्रम राष्ट्रीय या प्रादेशिक श्रृंखला में दे सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में 25 स्टूडियों से भूकेन्द्र के लिये सूक्ष्म तरंग या अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि अधिकांश मामलों में अत्युच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करने वाले ट्रान्समीटर स्थलीय कड़ी के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते है।

19.41 दूरसंचार जाल की लागत में भू-उपग्रह से सम्बन्ध स्थापित करने, भू-उपग्रह चलाने और आकाशवाणी के स्टूडियो ट्रान्सटमीरों द्वारा प्रसारण ग्रहण करने का खर्च शामिल करना होगा। आकाशवाणी द्वारा अपने दूरसंचार जाल को चलाने के लिये भूकेन्द्र और भू-उपग्रह इस्तेमाल करने का खर्च आनुपातिक आधार पर निश्चित किया जाना चाहिये। डाकतार विभाग और वाह्य अन्तरिक्ष विभाग को जो किराया दिया जायगा वह राष्ट्रीय प्रसारण की आय में से दिया जाना चाहिये। कार्यक्रम ग्रहण करने का एक केन्द्र बनाने पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होंगे और यह पूंजीगत निवेश होगा।

घरेलू लघु तरंग प्रसारण

19.42 आकाशवाणी के पास लघु तरंग के ट्रान्समिटरों का जाल है, जिससे देश के काफी बड़े भाग में द्वितीय श्रेणी की प्रसारण सेवा दी जा रही है। देश के विभिन्न भागों में भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा अनुभव की जा रही रिक्तता को ये ट्रान्समीटर विभिन्न कार्यक्रमों से पूरा करते है। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के कारण इस प्रकार के भाषायी अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ेगी। इस अल्पसंख्यक आबादी के लिये प्रसारण सेवा आवश्यक है। बड़े-बड़े शहरों में विशेष ट्रान्समीटरों की व्यवस्था की जा सकती है जिनसे सभी भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये निर्धारित समय पर कार्यक्रम प्रसारित किये जायें। इसके बावजूद देश भर में जहां तहां अल्पसंख्यक वर्ग रहेंगे। इन लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये लघु तरंग की रेडियो सेवा सबसे कम खर्चीली है।

19.43 आकाशवाणी के पास जो प्रादेशिक ट्रांसमीटर है वे 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन्हें बदलना और जहां आवश्यक हो वहां इनकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है ताकि देश भर में लघु तरंग पर कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से सुने जा सकें। वर्तमान एरियल पद्धति में भी परिवर्तन करना जरूरी होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी की लागत

19.44 मध्य तरंग के चार चैनल देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना पर अमल करने के लिये 715 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

मध्य तरंग योजना की लागत

	शक्ति (किलोवाट में)	ट्रांसमीटरों की संख्या	लागत (करोड़ रुपयों में)
राष्ट्रीय चैनल	2000	1	40
	1000	3	
प्रादेशिक सामान्य चैनल	300	177	512
	200	15	
	150	1	
	100	15	
	50	2	
	20	211	
	10	1	
स्थानीय प्रसारण	1	352	163
		योग	715

19.45 पीछे सुझायी गई योजना के अनुसार अत्युच्च फ्रीक्वसी की पद्धति शुरू करने से श्रोता अपनी मर्जी से तीन कार्यक्रम सुन सकेंगे और इस पर 167 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी योजना की लागत

	शक्ति (किलोवाट में)	ट्रांसमीटरों की संख्या	एक ट्रांसमीटर की लागत (लाख रुपयों में)	कुल लागत (करोड़ रुपयों में)
1. प्रादेशिक चैनल				
(क) मध्य तरंग के वर्तमान 80 में से 60 केन्द्रों को इस्तेमाल करके 1 एण्टेना सुविधाएं	10	60	12	7.2
(ख) वर्तमान मध्य तरंग केन्द्रों पर अतिरिक्त 20 नये प्रेषण केन्द्र नई शक्ति के साथ	10	20	32	6.4
(ग) स्टूडियो के केन्द्रों के साथ अतिरिक्त 70 केन्द्र .	10	70	60	42.0
प्रादेशिक चैनल का कुल खर्च				55.6
			अर्थात् 56 करोड़ रुपये	
2. राष्ट्रीय चैनल ट्रांसमीटर और स्टूडियो की अतिरिक्त सुविधाएं . .	10	150	12	18.0
3. स्थानीय चैनल				
(क) ट्रांसमीटर और स्टूडियो की अतिरिक्त सुविधाएं	1	150	7	10.5 (अर्थात् 11.0 करोड़)
(ख) नई जगहों पर अतिरिक्त जिला ट्रांसमीटर और स्टूडियो केन्द्र .	1	200	41	82.0
जिला ट्रांसमीटरों का कुल खर्च				93.0

कुल खर्च 167.0 करोड़ रुपये

19.46 अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी पद्धति पूंजीगत निवेश और आवर्ती खर्च इन दोनों ही दृष्टियों से कम खर्चीली होगी। केवल विजली के खर्च में ही प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ रुपये की बचत होगी। प्रसारण सेवा पर विदेशी एजेंसियों की कार्यवाहियों का कोई असर नहीं पड़ेगा और कार्यक्रम अच्छे सुनाई देंगे।

19.47 आकाशवाणी के दूर संचार जाल के अच्छे प्रबन्ध करने के लिये यदि 'इनसैट' का एक टेलीविजन ट्रांसपोण्डर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे केन्द्रों की लागत लगभग 1.5 लाख रुपये बढ़ जायेगी।

विदेश सेवा

19.48 किसी भी विदेश प्रसारण सेवा को अपना प्रभाव बनाने के लिये लक्ष्य क्षेत्र में उस समय कार्यक्रम प्रसारित करने चाहियें जब कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके। ये कार्यक्रम काफी देर तक प्रसारित किये जाने चाहियें लघु तरंग के बैण्ड में बहुत भीड़ होने के कारण यह बहुत जरूरी है कि अनेक फ्रीक्वेंसियो पर पाई जाने वाली बाधाओं को पार करने के लिये पर्याप्त क्षमता का उपयोग किया जाय। इन आवश्यकताओं को तथा लघु तरंग के प्रयोग में उपस्थित बन्धनो को ध्यान में रख कर आकाशवाणी की विदेश सेवा के काम की समीक्षा के लिये नियुक्त समिति ने सिफारिश की थी कि निम्नलिखित व्यवस्थाएं करके प्रसारण की सुविधाएं बढ़ायी जानी चाहियें :—

(1) लघु तरंग के 10 उच्च शक्तिवाले ट्रांसमीटर (250 से 500 किलोवाट क्षमता के) वर्तमान 100/50 किलोवाट क्षमता के लघु तरंग ट्रांसमीटरों के स्थान पर लगाये जायें।

(2) वर्तमान कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने के लिये और कुछ नये कार्यक्रम शुरू करने के लिये लघु तरंग के छह ट्रांसमीटर (250 से 500 किलोवाट के) और उच्च शक्ति का मध्य तरंग वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जाय।

19.49 कुछ पड़ौसी देशों द्वारा खर्च की गई राशि को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिशें बहुत खर्चीली नही हैं। अनुमान है कि इन सिफारिशों पर अमल करने से लगभग 35 करोड रुपये खर्च होंगे। यह राशि विदेश मंत्रालय को देनी चाहिये।

दूर दर्शन व्यवस्था

19.50 दूरदर्शन व्यवस्था में स्टूडियो की सुविधाओं सहित आठ दूरदर्शन केन्द्र तथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर, अहमदाबाद-पिज, लखनऊ और हैदराबाद में एक-एक ट्रांसमीटर हैं। अमृतसर में एक ट्रांसमीटर है किन्तु कार्यक्रम दिल्ली में तयार किये जाते हैं। पुणे और मसूरी में रिले-स्टेशन है जो क्रमश: बम्बई और दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम रिले करते हैं।

19.51 इसके अतिरिक्त जयपुर, रायपुर और गुलबर्गा में नये केन्द्र स्थापित किये गये है। इनके लिये दिल्ली, हैदराबाद और कटक में कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाएं है। ये केन्द्र 'साइट' कार्यक्रम जारी रखने के लिये खोले गये थे। 'साइट' कार्यक्रम जारी रखने की योजना के अधीन मुजफ्फरपुर और सम्बलपुर से भी जल्दी ही कार्यक्रम प्रसारित किये जाने लगेंगे। जलन्धर में नया कार्यक्रम केन्द्र बनाया जा रहा है तथा कानपुर मे एक अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगाने की योजना है। अप्रैल, 1978 के अन्त तक आशा है कि लगभग दस करोड़ देशवासी दूरदर्शन कार्यक्रम देखने लगेंगे। ये लोग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते है और इस प्रकार 16.5% आबादी को दूरदर्शन की सुविधा मिल जायेगी।

भू-उपग्रह और स्थलीय विकल्प

19.52 अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी/अत्यन्त उच्च फ्रीक्वेन्सी के स्थलीय ट्रान्समीटरो से अथवा भू-उपग्रहों से दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते है। भू-उपग्रह में रखा ट्रान्सपोण्डर भू-केन्द्र से एक फ्रीक्वेन्सी पर कार्यक्रम ग्रहण करता है और इस कार्यक्रम को चुने हुए क्षेत्रों में दूसरी फ्रीक्वेन्सी से फिर भेजता है।

19.53 जब जमीन पर लगे ट्रान्समीटर इस्तेमाल किये जाते है तब मीनार की ऊंचाई के अनुसार दूरदर्शन के कार्यक्रम ज्यादा दूर तक या कम दूर तक देखे जा सकते है। क्योंकि बहुत ऊंची मीनार नही बनाई जा सकती, इसलिये दूरदर्शन के कार्यक्रम आमतौर पर लगभग 100 किलोमीटर तक देखे जा सकते है। इस प्रकार सारे देश में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये लगभग 150 ट्रान्समीटर चाहिये।

19.54 दूरदर्शन कार्यक्रम एक ही साथ ग्रहण करने और फिर प्रसारित करने वाले भू-उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किये जाते है। इसलिये इनमे रखे ट्रान्सपोण्डर काफी बड़े क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित कर सकते है। अनेक दूरदर्शन ट्रान्समीटरों के बीच कार्यक्रम जोड़ने के अलावा विशेष रिसीवरों के द्वारा कार्यक्रम सीधे भी ग्रहण किया जा सकता है। सीधे कार्यक्रम देने वाले ऐसे विशेष रिसीवरो की लागत 9,000 से 15,000 रु० के बीच होगी।

19.55 आशा हे कि भारतीय राष्ट्रीय भू-उपग्रह (इनसैट) 1981 तक काम करने लगेगा। इससे दक्षिण भारत के सिरे, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सो को छोड़ सारे देश में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे। इस भू-उपग्रह में दो दूरदर्शन ट्रान्सपोण्डर होंगे जो 'एस' बैण्ड पर कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। इन ट्रान्सपोण्डरो में चित्रो के दो और ध्वनि के छह चैनल होंगे।

19.56 हमे स्थलीय ट्रान्समीटर इस्तेमाल करने चाहिये या भू-उपग्रह प्रसारण, इसका निश्चय करते समय लागत और प्रसारण कार्य विधि सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिये।

अनुमान है कि एक स्थलीय ट्रान्समीटर की लागत स्टूडियो सुविधाओं के बिना लगभग 1.2 करोड़ रुपये आती है। भू-उपग्रह से सीधे कार्यक्रम ग्रहण करने वाले 1350 रिसीवरों की लागत 9,000 रु० प्रति रिसीवर के हिसाब से 1.2 करोड़ रुपये बैठेगी। 10 किलोवाट का एक ट्रान्समीटर लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में काम दे सकता है। इसमें क्षेत्र में औसत आबादी 55 लाख होती है। यदि हम मान लें कि सौ परिवारों में से एक परिवार टैलीविजन खरीद सकता है तो इतने इलाके में लगभग 11,000 टैलीविजन सैट इस्तेमाल किये जायेंगे। इन पर लगभग 3.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार एक स्थलीय ट्रान्समीटर सहित सम्पूर्ण दूरदर्शन पद्धति पर लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भू-उपग्रह से सीधे प्रसारण में 11,000 टैलीविजन सैटों के लिये लगभग 9.90 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे और इसके अलावा उपग्रह इस्तेमाल करने का खर्च भी देना होगा। लागत में इतने अन्तर के अलावा स्थलीय केन्द्र को अधिक सुविधापूर्वक और इच्छानुसार चलाया जा सकेगा।

19.57 किन्तु देश में ऐसे इलाके भी हैं, जहां पर आबादी बहुत कम है। अतः उन क्षेत्रों में टेलीविजन सैट भी थोड़े से ही होंगे। ऐसे मामलों में सीधे प्रसारण के लिये भू-उपग्रह प्रयुक्त किया जा सकता है। गणना की गई है कि जब जनसंख्या की घनता 33 प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम हो जाती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कोई हानि या लाभ न हो।

19.58 भू-उपग्रह में रखे ट्रान्सपोण्डर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित करने के अवसर पर स्थलीय ट्रान्समीटरों को परस्पर-सम्बद्ध कर सकते हैं। शेष समय में स्थलीय ट्रान्समीटरों से प्रदेश की आवश्यकताओं और भाषा के अनुसार स्थानीय जरूरतें पूरी करने के लिये कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं।

19.59 राष्ट्रव्यापी प्रसारण के लिये कुल मिलाकर 138 और स्थलीय ट्रान्समीटर चाहियें। इन पर 166 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि आकाशवाणी अत्युच्च फ्रीक्वेन्सी अपनाती है तो लगभग 34 करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है क्योंकि रेडियो और दूरदर्शन के एण्टीना और मीनार एक ही होंगे।

19.60 इन दिनों दूरदर्शन के आठ केन्द्रों पर स्टूडियो की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी प्रदेशों और भाषाओं की जरूरतें पूरी करने के लिये कम से कम 12 और स्टूडियो बनाने होंगे। इनके बनाने पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये स्टूडियो तो बनाने ही होंगे चाहे हम स्थलीय या भू-उपग्रहीय प्रसारण अपनायें।

19.61 स्थलीय पद्धति पर कुल मिलाकर लगभग 166 करोड़ रुपये खर्च करने से देश भर में दूरदर्शन प्रसारण की व्यवस्था हो जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर भू-उपग्रह के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकेंगे।

विशेषज्ञ समीक्षा की आवश्यकता

19.62 कार्यकारी दल से इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया था। अतः हम इनके बारे में कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन का भविष्य में विस्तार करने के लिए कौनसी प्राथमिकताएं बनाई जानी चाहिए इस बारे में हमारे अपने विचार पहले अध्याय में व्यक्त किये गये हैं। फिर भी हम यह सिफारिश करते हैं कि मानकताओं, अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ की योजना, सम्पूर्ण फ्रीक्वेन्सी का विकल्प और सिंगल-फ्रीक्वेन्सी प्रसारण शुरू करने की संभावनाओं (इसके लिए 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में भारतीय दल ने प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत कर इसे स्वीकार करवा लिया) पर उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को विचार करना चाहिए और आकाशवाणी को ऐसी समिति यथासम्भव जल्दी ही नियुक्त कर देनी चाहिए। टैक्नालोजी के ये विकल्प केवल खर्च और अच्छे प्रसारण के ही मामले नहीं हैं, बल्कि कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था से भी इनका सम्बन्ध है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं और निर्णय करने से पूर्व लागत और लाभ के बारे में वस्तुपरक और निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाये।

प्रसारण अनुसन्धान

19.63 प्रसारण की टैक्नालोजी एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जो इलैक्ट्रानिक्स, विद्युत् और प्रसारण इंजीनियरी, ध्वनि-शास्त्र, दृष्टिविज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों पर निर्भर है। संचार की अन्य पद्धतियों की तुलना में प्रसारण की एक विशेषता यह है कि इसमें एक व्यक्ति अनेक से एक साथ सम्पर्क स्थापित करता है। इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है तथा उपभोक्ताओं की लगातार मांग के कारण यह विकास जारी है। इस कारण प्रसारण की टैक्नोलोजी बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। बी० बी० सी० और एन० एच० के० जैसे प्रमुख और अधिकांश प्रसारण संगठनों के अपने अनुसन्धान और विकास दल हैं। इसलिए आकाशभारती द्वारा समर्थ अनुसन्धान और विकास यूनिट बनाने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

19.64 यह तथ्य आज से 40 वर्ष पूर्व भी स्वीकार किया गया था और 1937 में ही आकाशवाणी में अनुसन्धान विभाग बनाया गया था। 1948 में इस विभाग का पुनर्गठन कर इसे मजबूत बनाया गया ताकि यह स्टूडियो, ध्वनिशास्त्र, प्रसारण और उच्च फ्रीक्वेंसी की समस्याएं सुलझा सके। प्रसारण जाल की योजना बनाने और इसे कार्यान्वित करने के लिए आकाशवाणी मुख्यालय में आयोजन और विकास एकक अलग से स्थापित किया गया। तब से आकाशवाणी का कई गुना विस्तार हो चुका है और दूरदर्शन के कार्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुके हैं किन्तु अनुसन्धान-विभाग को नहीं बढ़ाया गया है जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की ही आवश्यकताएं

पूरी करता है। इस विभाग के काम का पुनर्गठन करने के बारे में समय-समय पर अनेक प्रस्ताव रखे गये हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की टैक्नीकल सलाहकार समिति ने इस विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता स्वीकार की है और योजनाओं पर भी विचार किया है, किन्तु किया कुछ नहीं गया।

वर्तमान स्थिति

19.65 अनुसन्धान विभाग आकाशवाणी के अधीनस्थ अलग विभाग के रूप में बनाया गया है और यह अपने भवन में स्थापित है। इसमें 32 इंजीनियर और उनके सहायक कर्मचारी है। इस विभाग का अध्यक्ष अपेक्षाकृत अवर अधिकारी है। इस विभाग के लिए 1977-78 का गैर-योजना बजट 24 लाख रुपये का है। विज्ञान और टैक्नालोजी योजना से इसे काफी राशि मिलती है।

19.66 अनुसन्धान और विकास दल को निश्चित ढर्रे का काफी काम सौंपा हुआ है जैसे देशी और विदेशी प्रसारण कार्यक्रमों के लिए लघु तरंग की फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाना, प्रसारणों को सुनना तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए सम्मेलनों और समितियों का काम। इस प्रकार वस्तुत. महत्वपूर्ण अनुसन्धान का काम करने के लिए बहुत कम कर्मचारी बचते है। इसके बावजूद इस विभाग ने अनुसन्धान में जो योग दिया है उसकी सराहना की गई है।

19.67 सामान्यतया अनुसन्धान और विकास साथ-साथ चलते हैं। अनुसन्धान के द्वारा विकास के लिए टैक्नीकल आधार तैयार किया जाता है। यह आधार बनाने के लिए अनुसन्धान कार्यकर्त्ता किसी पद्धति का अध्ययन और अन्वेषण करते हैं, वर्तमान क्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं, कार्य-संचालन के लिए निर्धारित स्तरों का मूल्यांकन करते हैं, तथा उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर नई टैक्नालोजी अपनाकर सम्बद्ध उपकरणों का निर्माण करते हैं तथा उनकी क्षमता की जांच करते हैं। काम के उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन पर और कहीं प्रभावशाली ढंग से काम नही किया जा सकता। उदाहरण के लिए विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि उपकरणों के विकास को।

19.68 आकाशवाणी में आयोजन और विकास का अनुसन्धान के क्रियाकलापों से घनिष्ठ समन्वय नही है। इसलिए अनुसन्धान विभाग ने वैसा समर्थन प्रदान नहीं किया जिसकी उससे आशा की जा सकती है। उल्टे यह विभाग मुख्य धारा से अलग-थलग कर दिया गया है।

अनुसन्धान और विकास का पुनर्गठन

19.69 इसलिए आवश्यक है कि अनुसन्धान विभाग के क्रिया-कलापों का पुनर्गठन किया जाये और विकास तथा संचालन स्कन्धों को ध्यान में रखकर इस विभाग की भूमिका फिर से निश्चित की जाये जिससे यह विभाग अपनी जिम्मेदारियां प्रभावशील ढंग से पूरी कर सके। संगठन के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से इसे बहुत अधिक सम्बद्ध कर देने से कर्मचारियों में अग्रिम चिन्तन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगने की आशंका है और संगठन के अन्य स्कन्धों से इसका बहुत कम सम्बन्ध बनाये रखने से बौद्धिक अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है।

19.70 अनुसन्धान विभाग का अध्यक्ष बहुत वरिष्ठ इंजीनियर होना चाहिए जो दीर्घकालीन आयोजन में सहायता दे सके और सर्वोच्च अधिकारियों को सूचित कर बढ़िया काम की व्यवस्था कर सके। इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ानी होगी, आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी, और स्टुडियो-ध्वनि शास्त्र, दूरदर्शन, स्टूडियो और कार्यक्रम प्रेषण की टैक्नालोजी, रिकार्डिंग और इसे फिर से प्रसारित करने, फ्रीक्वेन्सी बिम्ब के प्रयोग आदि से सम्बद्ध कार्य विशेषज्ञ दलों को सौंप कर अनुसंधान की गतिविधियों को बढ़ाना तथा पुनर्गठित करना होगा। बड़े राष्ट्रीय संगठनों के अनुसन्धान और विकास विभागों की एक समस्या कर्मचारियों की नियुक्ति है। यदि ये कर्मचारी नियमित संवर्ग से नियुक्त किये जाते हैं तो इन्हें सामान्य प्रशासनिक कारणों से अथवा पदोन्नति होने पर प्राय: स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इससे उनका कार्य बीच में ही छूट जाता है। अनुसन्धान और विकास विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यह तब तक नही किया जा सकता जब तक कि अनुसन्धान और विकास विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के बारे में परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करने की गुंजाइश नही रखी जातीं। इन कर्मचारियों को आवश्यक होने पर अपने ही काम में आगे बढ़ने के अवसर दिये जाने चाहिए।

19.71 प्रसारण अनुसंधान के लिए नियमित रुप से धन की व्यवस्था करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक तरीका यह भी हो सकता है कि टैक्नीकल कामों के लिए कुल मिलाकर जितनी राशि व्यय की जाती है उसका तीन प्रतिशत अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित कर दिया जाये। ऐसा अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान करते हैं।

प्रसारण उपकरणों का निर्माण

19.72 लगभग दस वर्ष पहले तक आकाशवाणी अपने काम के लिए आवश्यक पूंजीगत इलैक्ट्रोनिक उपकरण विदेश से मंगा रही थी। अब बंगलौर की भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कम्पनी आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही के लिए ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण बना रही है। इस कम्पनी से खरीदे गये उपकरणों और पुर्जो का मूल्य प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपयों के बीच बैठता है। इसके अलावा आकाशवाणी, इस कम्पनी से औसतन 40-45 लाख रुपयों की ट्रांसमीटिंग ट्यूब भी खरीदती है। खरीद की इस प्रवृत्ति में कोई विशिष्ट

परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि खरीद में घट बढ़ शायद योजना में निर्धारित राशि और यह राशि खर्च करने का अधिकार देने पर निर्भर करती है।

19.73 यदि प्रसारण में विस्तार की योजनाओं पर अमल किया जाता है तो इस मद में दूरदर्शन अत्युच्च फ्रीक्वेंसी ध्वनि योजना के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरणों पर कुल खर्च लगभग 165 करोड़ रुपये अथवा दूरदर्शन ध्वनि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की योजना के लिए 305 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि मान लें कि विस्तार कार्यक्रम लगभग दस वर्षों में पूरा होगा तो प्रतिवर्ष क्रमशः 16 करोड़ या 30 करोड़ रुपयों के उपकरणों की आवश्यकता होगी। यदि यह माने कि कोई उपकरण 15 वर्ष तक काम देगा तो प्रारम्भिक निर्माण का चरण पूरा होने पर भी प्रतिवर्ष 12 से 20 करोड़ रुपयों तक के उपकरण बनाने आवश्यक होंगे। इस प्रकार प्रसारण के लिए आवश्यक उपकरणों की मांग लगभग 15 करोड़ रुपये वार्षिक बनी रहेगी। प्रसारण सुविधाओं के विस्तार के लिए जो उपकरण आवश्यक होंगे उनकी मांग इससे अलग होगी। इतनी बड़ी राशि के उपकरण बनाने के लिए यह उचित ही होगा कि प्रसारण उपकरण बनाने का कारखाना अलग से स्थापित किया जाये। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से ऐसा नया कारखाना लगाने को कहा जा सकता है अथवा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारण इलेक्ट्रोनिक्स निगम बना सकती है। इस कार्य के लिए कोई कारखाना बनाने पर 12 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपये तक लगाने होंगे और कारखाना कम से कम तीन या चार साल में उत्पादन शुरू करने लगेगा।

19.74 हमने इंजीनियरी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार व्यक्त किये हैं जो आगामी 10 से 15 वर्षों के लिए आकाश भारती को उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही इसी अवधि में टैक्नालोजी में ऐसे अनेक विकास हो सकते हैं जिन्हें व्यावसायिक और टैक्नीकल दृष्टियों से अपनाया जा सके और जो भारत के लिए उपयोगी भी हों।

19.75 इनमें से पहली सम्भावना धीमा चित्र विभेदन (स्लो-स्कैन) दूरदर्शन है। इस टैक्नीक के अनुसार संकुचित बैण्डविड्थ का उपयोग कर स्लाइड, चार्ट और खाके रेडियो ट्रांसमीटर से दूरदर्शन के लिए प्रसारित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के "इलैक्ट्रोनिक्स श्याम पट्ट" का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में कई ढंग से किया जा सकता है और इस पर खर्च भी अधिक नहीं आयेगा। दूसरी संभावना बैंड-विड्थ घटाने की अन्य प्रक्रिया से सम्बद्ध है। इसके द्वारा साधारण दूरदर्शन प्रसारण में क्षैतिज और लम्बाकार रिक्त स्थानों का साथ ही साथ दूसरा इकका चित्र देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यहां भी लागत में काफी कमी करने की संभावनाएं हैं। ऐसी भी सम्भावना है कि कुछ परिस्थितियों में आकाशीय प्रेषण के लिए बंधे हुए गुब्बारों का इस्तेमाल किया जाये। देश में कम शक्ति के चलते फिरते ऐसे ट्रांसमीटर प्रयुक्त किये गये हैं, जिनका एरियल समेटा जा सकता है। इसी प्रकार भू-उपग्रहों में इस्तेमाल करने के बाद बचे सौर सैलों से रेडियो रिसीवरों को चलाना और बिना बिजली वाले गांवों में सस्ते कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों को चलाना भी संभव हो सकता है।

19.76 हमें आशा है कि आकाश भारती के इंजीनियर और कार्यक्रम कर्मचारी विकास की इन तथा अन्य प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहेंगे क्योंकि भविष्य में प्रसारण के विस्तार, कार्यक्रमों के ढांचे और लागत आदि पर विकास की इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा। इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी तत्परता से किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आकाश भारती को इसके लिए धन का प्रबंध करना चाहिए। इन विचारों को रोमांटिक बताकर ठुकरा नहीं दिया जाना चाहिए और यदि आकाश भारती समस्याएं सुलझाने के लिए न केवल कम खर्च के अपितु कम से कम खर्च के उपाय अपनाना चाहता है तो इन विचारों की परीक्षा भी की जानी चाहिए। भारतीय प्रसारण की समस्याएं भारत में ही सुलझानी होंगी। भारत में ही इस क्षेत्र में किये गये कुछ परीक्षणों की जानकारी परिशिष्ट 'छ' में दी गई है।

अध्याय 20

भावी विस्तार

20.1 हमने भारत में प्रसारण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है और प्रस्तावित आकाश भारती या राष्ट्रीय प्रसारण न्यास के रूप में एक नये और स्वशासी ढांचे का सुझाव दिया है। हमने तकनीकी विकल्पों और टेक्नोलोजी की संभावनाओं की रूप-रेखा भी प्रस्तुत की है और विस्तार के कुछ ऐसे प्रस्तावों का उल्लेख किया है जिन पर विचार किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि यह प्रणाली किस प्रकार विकसित हो।

रेडियो को प्राथमिकता

20.2 कार्य दल का विचार है कि यद्यपि टेलीविजन एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि कम से कम अगले 10 या 15 वर्षों तक भारत को रेडियो के विकास और मजबूती को प्राथमिकता देनी चाहिए। रेडियो अपेक्षाकृत एक बहुत सस्ता साधन है और कम दाम के ट्रांसमीटरों की सुलभता के कारण उसका प्रसार सभी जगह हो गया है। लेकिन रेडियो की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए अभी देश को बहुत कुछ करना है।

20.3 अध्याय 19 में जो इंजीनियरी और टैक्नोलोजी के विभिन्न पक्षों के बारे में है, आकाशवाणी द्वारा टेक्नोलोजी के चुनाव के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है। हमारा सुझाव है कि आकाश भारती को शीघ्र से शीघ्र एक विशेषज्ञ दल नियक्त करना चाहिए जो सम्बद्ध लागत समेत प्रणाली संबंधी समग्र अध्ययन करे और सुदृढ़ निर्णय के लिए अपनी सिफारिशें न्यासियों को प्रस्तुत करे।

20.4 टैक्नोलोजी का जो भी चुनाव या सम्मिश्रण हो, हम जोरदार सिफारिश करते हैं कि आकाशवाणी को एक सुदृढ़ ग्राम विस्तार प्रेरणा विकसित करनी चाहिए जो कम शक्तिवाले स्थानीय केन्द्रों या ग्राम विकास वाणी केन्द्रों के तेजी से फैलाव द्वारा हो सकता है। ऐसे केन्द्र अपेक्षाकृत कम लागत में चल सकते है और इन्हें उस वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बड़े केन्द्रों को, जिनकी लागत बहुत अधिक होती है, करना पड़ता है। इन छोटे केन्द्रों का एक और बड़ा लाभ यह होगा कि और अधिक संख्या में सामुदायिक योगदान के कारण कार्यक्रम अधिक प्रामाणिक बनेंगे। अतः हम न केवल केन्द्रों और कार्यक्रमों की एक नयी कोटि की, बल्कि प्रसारण की एक नई संस्कृति की भी परिकल्पना करते हैं।

20.5 हम यह भी सिफारिश करते है कि प्रस्तावित नये केन्द्रों को खोलने के स्थानों के मामले में पिछड़े जिलों को, जिनमें सूखे की आशंका वाले, जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं, तरजीह दी जाये, बशर्ते कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं यथा आवागमन और सस्ती बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हों। राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाना चाहिए।

सामुदायिक श्रवण और क्षेत्रीय सघनता

20.6 अगर रेडियो और टेलीविजन को ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जो अत्यधिक असुविधा की स्थिति में है और उनका विस्तार देश के कम से कम विकसित भागों तक करना है तो यह स्पष्ट है कि कस्बों और गांवों में सामुदायिक श्रवण और दर्शन के कार्यक्रम नये सिरे से शुरू करने होंगे। साथ ही, अधिक अच्छे ढंग से काम करने वाले चर्चा मंडलों के आधार पर संगठित सामुदायिक श्रवण और दर्शन का प्रबंध करना होगा।

20.7 यदि सामुदायिक और सामूहिक श्रवण के जरिए संगठित रूप से रेडियो को अधिक से अधिक क्षेत्रीय सघनता देने की दिशा में प्रयोग सफल बनाना है तो रखरखाव या अनुरक्षण संगठनों को और अच्छे ढंग से विकसित करना होगा। आकाश भारती को रेडियो क्षेत्रीय सघनता वाले, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में अनुरक्षण की विशेष सेवाओं को आरंभ करना होगा। उसे यह काम, जहां कहीं संभव हो, स्वीकृत गुणवत्ता के सेटों की खरीद बिक्री के साथ-साथ करना चाहिए। निर्माताओं को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे बिक्री के बाद की सेवाएं देने के लिए और रखरखाव की व्यवस्था के लिए देहाती क्षेत्रों में संयुक्त केन्द्र स्थापित करें। केन्द्र और राज्य सरकारों को इन प्रयासों में समुचित सहायता करनी चाहिए।

20.8 ब्राडकास्ट रिसीवर लाइसेंसिंग प्रणाली को भी उपयुक्त रूप से सरल बनाना होगा। राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए कि वे कुछ वर्षों तक कुछ क्षेत्रों और स्वीकृत रेडियो क्षेत्रीय सघनता अंचलों में लाइसेंस का व्यय वहन करें।

20.9 यह भी संभव होना चाहिए कि औद्योगिक घरानों, दातव्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को प्रेरित किया जाय कि वे चुने हुए क्षेत्रों में समुदायों के लिए रेडियो रिसीवरों का प्रबंध

करें, जिससे एक 'मदर स्टेशन' या मूल केन्द्र से सम्बद्ध रेडियो श्रवणकर्ता समूहों का निर्माण हो सके। तब मूल केन्द्र से कहा जा सकता है कि वह 'साइट' के नमूने पर विशेष शैक्षिक, विस्तार तथा अन्य कार्यक्रम निर्मित करे।

20.10 यह भी विचारणीय है कि निर्धारित पिछड़े अंचलों में और निर्धारित सामाजिक तथा आर्थिक समूहों के लिए रेडियो और टेलीविजन सेट की खरीद के लिए किराया-खरीद आधार पर बैंकों से रियायती ब्याज पर ऋणों की व्यवस्था की जाये। अगर आवश्यक हो तो इन रियायतों को इस शर्त से जोड़ दिया जाए कि सगठित श्रवण और दर्शन समूह बनाए जायेंगे।

कस्बों के लिये प्रसारण

20.11 कुछ क्षेत्रों में तार द्वारा प्रसारण लाभदायक हो सकता है। यह कुछ शहरी क्षेत्रों में, जहां इसे परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था, सफल नहीं रहा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह यथेष्ट सफल प्रतीत होता है, जहां समाचारों और अन्य रेडियो कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक घोषणा व्यवस्था की तरह स्थानीय घोषणाओं के लिए 'रज्जु प्रसारण' प्रणालियां प्रत्येक जिले के सदरमुकाम में स्थापित की गई है। यह अन्य जनजाति क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है, जहां, अनेक भाषायी समूह और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक रहते है। इसकी वित्तीय व्यवस्था पर अवश्य ही विचार करना होगा।

20.12 हम रेडियो को प्राथमिकता देना चाहेंगे। रेडियो के एक घंटे के कार्यक्रम की लागत से टेलीविजन के इतनी ही अवधि के कार्यक्रम पर 8 से 10 गुना व्यय होता है। साथ ही, सस्ता ट्रांजिस्टर 150 रुपए में मिल जाता है, जबकि टेलीविजन सेट के लिए कम से कम लगभग 2500 रुपए खर्च करने होते है। टेलीविजन पर पूंजीगत व्यय भी अधिक होता है। परन्तु यह सब होते हुए भी टेलीविजन की शक्ति और प्रभाव से इंकार नही किया जा सकता। वर्तमान शृंखला और आरम्भ की गई योजनाओं से लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए टेलीविजन के कार्यक्रम देख पाना संभव होगा। अतः स्पष्ट है कि टेलीविजन के मामले मे प्राथमिकता उन क्षेत्रों मे सामूहिक दर्शन कार्यक्रमों को देनी होगी जहा टेलीविजन कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

ग्राम विकास दूरदर्शन

20.13 साथ ही प्रस्तावित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों (ग्राम विकास वाणी) के ढंग पर ऐसे स्थानीय दूरदर्शन केन्द्रों या दूर विकास केन्द्रों को खोलने का भी औचित्य है जो कम शक्ति के ट्रांसमीटरों द्वारा काम करें। आधा-इंची वीडियो टेक्नोलाजी साइट कार्यक्रम की देन थी, जिसका पूरा पूरा लाभ अहमदाबाद पिज टेलीविजन केन्द्र ने उठाया है। उसमें खर्च कम आता है, उसका उपयोग वाले कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है और उससे ग्रामीण समुदायिक सहभागिता संभव हो सकती है। इससे टेलीविजन की व्यावसायिकता दूर हुई है और उसमें तकनीकी गुणवत्ता की दृष्टि से जो शिथिलता है उसके मुकाबले कहीं अधिक लाभदायक स्थिति यह है कि यहां के कर्मी, परिवेश से सुपरिचित और ग्रामीणों के योगदान से कार्यक्रमों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है। डिजिटल टाइम बेस करेक्टर के विकास से आधा-इंची वीडियो ट्रांसमिशन संभव हो गया है। इस टैक्नोलाजी के आगमन से प्रमुख के पद निश्चितों का सफलतापूर्वक उठाए जाने से यह संभावना उजागर हो गई है कि समुदाय और सम्पर्क स्वयं अपने कार्यक्रम तैयार करेंगे और ग्राम विकास दूरदर्शन केन्द्र केवल कार्यक्रमों की तैयारी के लिए लोगों को जुटाने तथा कार्यक्रमों के सम्पादन और तकनीकी सहायता का काम करेंगे। ऐसे केन्द्रों के लिए स्थानों का निर्धारण पिछड़े प्रदेशों में नये श्रव्य-दर्शक-वर्ग को ध्यान में रख कर किया जायेगा, अथवा वे ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां की कुछ विशेष समस्याएं हैं, या जो उदाहरणार्थ कृषि सुधार, सिंचाई उद्योग जैसे कार्यक्रमों को लागू किए जाने में तेजी के साथ विकास के पथ पर हैं। ऐसे ही स्थानों में समुचित प्रेरणा और सामाजिक शिक्षा के द्वारा परिवर्तन-जन्य तनावों और कष्टों को दूर किया जा सकता है।

20.14 कम खर्च वाली ऐसी टेलीविजन तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त लगती है। यदि स्वयं आकाश भारती कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाकर ऐसी तकनीक की मितव्ययिता को प्रदर्शित कर सके तो इस प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रम के तेजी से विस्तार की संभावना अच्छी होगी। अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र द्वारा तैयार किए गए ऐसे एक अन्तर्ग्रथित मितव्ययी कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण का ब्योरा परिशिष्ट 'ज' में दिया गया है।

20.15 सन् 1981 मे इनसेट (INSAT) के कार्यान्वयन के साथ दूरदर्शन कार्यक्रमों की राष्ट्रव्यापी शृंखला शुरू हो सकेगी। यह एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उससे कार्यक्रमों मे सुधार किया जा सकेगा। उससे अलग-अलग दूरदर्शन केन्द्रों को कतिपय दिन-प्रतिदिन के आगामी दबावों से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे अपने साधन अधिक अच्छे ढंग से लगा सकेंगे।

इनसेट (INSAT) से सीधा संग्रहण

20.16 यद्यपि यह सरकार और आकाश भारती को निर्णय करना है कि टेलीविजन के कार्यक्रमों को विस्तृत क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए इनसेट का किस प्रकार प्रयोग करना है, कार्यदल यह सिफारिश करना चाहेगा कि आरम्भ मे इनसेट का प्रयोग मुख्यतः उत्तर-पूर्व भारत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप मे सीधे संग्रहण के लिए किया जाये। उत्तर-पूर्वी अंचल और उत्तर-

पश्चिमी पहाड़ी भागों में अधिक खर्चीले सीधे संग्रहण का औचित्य यह है कि ये क्षेत्र भौगोलिक-राजनैतिक दृष्टि से अलग-थलग हैं । वहां के ऊंचे-नीचे भू-भाग और दूर-दूर बिखरी आबादी के कारण भी स्थलीय टेलीविजन बहुत खर्चीला बैठेगा । इसके अलावा उत्तरपूर्वी अंचल में शक्तिशाली विदेशी प्रसारण सुने जा सकते हैं और उसके कुछ भाग बंगला-देश के प्रसारणों के दायरे में हैं ।

20.17 लेकिन इनसेट के स्थलीय भाग के बारे में सरकार ने अभी निर्णय नही किया है । इस संबंध में अभी भी बहुत देरी हो चुकी है । इस अनिर्णय से बहुत हानि हो सकती है । इनसेट में तकनीकी प्राचल इतने संश्लिष्ट हैं कि यंत्रों और यंत्रेतर तत्वों को पूरी तरह समन्वय के साथ काम करना होगा । एक खतरा यह है कि यांत्रिक कारणों पर अधिक निर्भर रहकर कार्यक्रम-नीतियां बनायी जायें जो अंत में खर्चीली और अनुत्पादक सिद्ध हो सकती हैं । साथ ही, यांत्रिक विकास से ऐसे चुनाव के मौके मिलते हैं जिनकी पूरी चेतना कार्यक्रम नीति निर्धारकों को होनी चाहिए । 'साइट' आरंभ से ही यांत्रिकतामूलक निर्णय था और यंत्रों के श्रेष्ठ निष्पादन तथा यंत्रेतर तत्वो के पिछड़ेपन का नमूना था क्योकि, उनके सामने उद्देश्य अनिश्चित थे और कार्यक्रमो की तैयारी में विलम्ब किया गया, हालांकि कार्यक्रम-नियोजन से ऐसे तजुरबे अवश्य हुए जिनसे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन अपरिचित थे । लेकिन यह स्थिति फिर नही आनी चाहिए । विख्यात संचार-विशेषज्ञ एडवर्ड प्लाउमैन ने उचित ही सलाह दी है कि नीति को हमेशा तकनीक से पहले तैयार हो जाना चाहिए । पहले 'क्या' फिर 'कैसे' ?

रंगीन टेलीविजन

20.18 कुछ गवाहो ने रंगीन टेलीविजन की वकालत की । उन्होंने कहा कि विकसित देशो में श्वेत और श्याम टेलीविजन अपनी सामयिकता खो रहा है और चीन, पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे अनेक विकासशील देश भी रंगीन टेलीविजन अपना चुके हैं । इसके विरुद्ध यह विचार है कि श्वेत और श्याम के मुकाबले रंगीन टेलीविजन कम से कम तीन गुना अधिक खर्चीला है और उनके लिए टेलिविजन सेट सामान्य सेटों से दुगुनी कीमत के हैं ।

20.19 दूरदर्शन के सामने तात्कालिक कार्य है अपने वर्तमान काम को सुदृढ बनाना । लेकिन कार्यदल का विचार है कि रंगीन टेलीविजन संबंधी अनुसंधान और विकास के प्रयोग होने चाहिए जिनमे दूरदर्शन के इंजीनियर और कार्यक्रम-निर्माता इस कला की प्रगति से अवगत रहे । यह भी ध्यान देने योग्य है कि रंगीन टेलीविजन की व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमो का आदान-प्रदान आसान हो जायेगा । भारतीय फिल्म उद्योग और फिल्म प्रभाग रंगीन फिल्मों को अपना चुके हैं । इन परिस्थितियो में हमारी यह सिफारिश है कि रंगीन चित्रों से सम्बद्ध उपकरणों के आयात की सुविधा दी जाए । आकाश भारती कालान्तर मे किसी एक बड़े नगर के केन्द्र से सीमित और मूल रंगीन प्रसारण आरंभ करने पर विचार कर सकता है ।

20.20 आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को ग्रामीण रंग देने पर जोर देते हुए हम देश के शहरी श्रोताओं और दर्शको की जरूरतो को नजर अन्दाज नही कर रहे हैं । हमे अहसास है कि वे गुण और संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोग है । लेकिन हमारी सिफारिश है कि शहरी कार्यक्रमो के अन्तर्गत शहरों में रहने वाले कमजोर श्रेणी के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाय और उन्हें सामुदायिक और सामूहिक श्रवण तथा दूरदर्शन की सुविधाएं मिले ।

बहु-माध्यमीय प्रयास

20.21 हम आकाश भारती से जोर देकर यह भी कहना चाहेगे कि वह बहु-माध्यमीय प्रयास की दिशा में अनुसंधान और प्रयोग करे और इसके लिए रेडियो और टेलीविजन का संयुक्त प्रयोग हो । रेडियो-विजन की सभावनाएं अच्छी प्रतीत होती हैं जिसके अंतर्गत चित्रो, चार्टों और स्लाइडों का प्रयोग रेडियो के साथ, कैसेट टेप-रिकार्डरों का प्रयोग शैक्षणिक रेडियो के साथ और मंद क्रमवीक्षण टेलीविजन आते हैं ।

लागत में कमी

20.22 अगर रेडियो और टेलीविजन संबंधी सामूहिक श्रवण-दर्शन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ना है तो टेलीविजन और रेडियो सेटों तथा ट्रांजिस्टरों की कीमत कम करनी होगी । अगर हिस्से-पुर्जे आज की अपेक्षा अधिक मात्रा मे तैयार किए जा सकें तो इससे भी दाम घटाने मे सहायता मिल सकती है । इसलिए हिस्से-पुर्जे जोड़कर रेडियो और टेलीविजन सेट बनाने वाले अल्प-साधन लोगों को विपणन सहकारी समितिया या संकाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समान ग्रेड नामों से मानक उपस्कर बेचने चाहिए । शायद यही उपाय है जिससे छोटे निर्माताओ की निर्माण लागत मे कमी हो सकती है और साथ ही गुणवत्ता और मानक भी सुनिश्चित बने रह सकते है तथा बिक्री के बाद की सेवा अधिक अच्छी बन सकती है । असंगठित क्षेत्र को इस प्रकार संगठनबद्ध करके लाइसेंस शुल्क की चोरी को रोकने मे भी सहायता मिल सकती है ।

20.23 अगले दशक में क्या विविध गतिविधियां होंगी, यह कह सकना मुश्किल है । इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । नयी पद्धति के कार्यान्वयन और देश की प्रगति और विकास से अनेक प्रश्न उठ खड़े हो सकते हैं जिनका मध्यवर्गीय समाधान भी खोजना होगा और नयी प्राथमिकताएं भी निर्दिष्ट करनी होंगी । प्रसारण समीक्षा आयोग की

उन गतिविधियों का जायजा लेना होगा और समुचित सिफारिशें करनी होंगी ।

20.24 आकाश भारती का नाजुक कार्य ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो हमारे द्वारा वर्णित या नव-निर्मित पद्धतियों को संचालित करेंगे । इस क्रम में जो परम्पराएं विकसित होंगी, उनसे सिद्ध हो सकेगा कि "आकाश भारती" वास्तविक रूप में ऐसी स्वायत्त-शासी संस्था है जिसके सदस्यों की सोच की स्वतन्त्रता है, सर्जनात्मता है, नमनीयता है, जो लोकतंत्र के प्रति सजग और उसके द्वारा प्रदत्त अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम है, और जो उस भारतीय जनता के प्रति संवेदनशील है जिसके लिए मनोरंजन, सूचना और शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका ध्येय है।

अध्याय 21

संक्रमण कालीन व्यवस्थाएं

21.1. कार्य दल के लिए निर्धारित विचारणीय विषयों को देखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी संस्तुतियों के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए एक कार्य-योजना का निर्धारण करें। इस अध्याय में हम इसी विषय पर अपना मत व्यक्त करते है ।

21.2. हम समझते है कि सरकार का इरादा इस प्रतिवेदन को यथाशीघ्र प्रकाशित कराने और व्यापक स्तर पर प्रसार करने के लिए इसे उपलब्ध कराने का है । इसे हम पूर्णरूप से स्वीकार करते है। हमारी रिपोर्ट में, हमारे द्वारा की गई विशेष संस्तुतियों के सम्बन्ध में केवल सूचनाप्रद विचार-विमर्श का आधार ही नहीं प्रस्तुत किया गया है, अपितु प्रसारण क्या होना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमने मत स्पष्ट कर दिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने इस प्रतिवेदन के अंत में परिशिष्टों में कुछ पूरक सामग्री सम्मिलित कर दी है ।

21.3. संसद् द्वारा आकाश भारती विधेयक, 1978 पारित होने से पूर्व इस प्रतिवेदन की प्रस्तावना के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । विधि-निर्माण में सहायता देने के लिए हमने एक प्रारूप-विधेयक सम्मिलित कर दिया है । इसमें एक साधारण कानून, की व्यवस्था है, जिसमें केवल आकाश भारती कायम करने और उसके उद्देश्यों, कार्य-क्षेत्र, अधिकारों और आधार भूत ढांचे के बारे में जानकारी दी गई है । हम सिफारिश करते है कि कार्य-संचालन सम्बन्धी विवरण आकाश भारती पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण वह अपनी कानून-विधायिनी शक्तियों से करेगा। हम आशा करते है कि इस विधेयक को संसद् के वर्तमान सत्र में विधिवत पेश किए जाने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिल जायेगी ताकि ग्रीष्म अधिवेशन में इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके और सितम्बर या अक्तूबर तक इसे लागू किया जा सके ।

21.4. आकाशवाणी और दूरदर्शन को पूरी स्वायत्तता देने के फैसले को गम्भीरतापूर्वक ध्यान में रखते हुए हम संस्तुति करते है कि सरकार इन दोनों एजेंसियों को 'कानूनी ढांचा' नामक अध्याय 5 में वर्णित नियमों का अनुसरण करने के लिए निर्देश दे सकती थी। इससे इन दोनों प्रसारण संगठनों की विशेषता और दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाया जा सकता है और उन्हें हमारी संस्तुतियों की भावना के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हमने जो संस्तुति की है, उस के आधार पर, यथाशीघ्र एक केन्द्रीय समाचार कक्ष (सेण्ट्रल न्यूज रूम) स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि समाचार और ताजे मामलों के ही क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव डाला जा सकता है ।

21.5. हम संस्तुति करते है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्रतिवेदन का आकलन करने के लिए तुरन्त एक प्रसारण स्वायत्तशासी कक्ष स्थापित करेगा और प्रारम्भिक कार्रवाई तथा मंत्रिमंडल के फैसले के लिए काम चलाऊ दस्तावेज तैयार करेगा ।

21.6. अध्याय 18 'कर्मचारियों के लिए नयी व्यवस्था' में की गई हमारी संस्तुतियों के अनुसार, कार्मिक संरचना को युक्तिसंगत बनाने और एकीकरण के लिए विस्तृत काम करना पड़ेगा । यह कार्य भारतीय प्रबन्ध संस्थान जैसी परामर्शदाताओं की एक विशेषज्ञ संस्था को सौंपा जाए । सरकार को चाहिए कि इस काम को ठेके पर दे दे ताकि ज्योंही आकाश भारती का गठन हो, नियुक्त परामर्शदाता संगठन या ग्रुप की रिपोर्ट उसे प्राप्त हो सके ।

21.7. आकाश भारतीय विधेयक को ज्योंही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, आकाशवाणी और दूरदर्शन को संक्रमण कालीन विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और प्रसारण स्वायत्तकक्ष द्वारा सेवा उपलब्ध की जानी चाहिए।

21.8. आकाश भारती अधिनियम एक जनवरी 1979 से लागू कर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही उसकी कुछ संक्रमणकालीन धारायें लागू की जा सकती हैं ।

21.9. संक्रमणकालीन अवधि में, जैसे 15 अक्तूबर 1978 से, आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक विशेष-कार्य-अधिकारी के अधीन रखा जा सकता है, जो संक्रमणकालीन प्रबन्ध मंडल का अध्यक्ष भी होगा।

कर्मचारियों को नीचे लिखी बातों के लिए काफी काम करना पड़ सकता है —

(अ) आकाशवाणी और दूरदर्शन की आस्तियों और देयताओं को आकाश भारती को हस्तांतरित करना और सरकार से अलग होने पर इसके वित्तीय विवरणों को तैयार करना; तथा

(च) ऐसी प्रक्रिया तैयार करना, जिसके अन्तर्गत कुछ केन्द्रीय सूचना सेवा जैसे संवर्ग और प्रशासनिक कर्मचारियों से, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रतिनियुक्ति पर होंगे ऐच्छिक स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी कि वे प्रस्तावित, आकाश भारती में शामिल होंगे या अपनी पहले वाली सेवा में जाना पसन्द करेंगे।

21.10. यह मान लेने पर कि आकाश भारती विधेयक को अक्तूबर तक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जायेगी, सरकार के लिए यह सम्भव होगा कि वह नवम्बर से अध्यक्ष और अन्य न्यासियों का चयन करने के लिए एक पेनल मनोनीत करने हेतु पद्धतियां निर्धारित करने का काम शुरू कर देगी। यदि दिसम्बर तक न्यासी मण्डल (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) का गठन कर लिया जाता है तो 1 जनवरी, 1979 तक राष्ट्रीय प्रसारण न्यास "आकाश भारती" विधिवत् अस्तित्व में आ सकता है।

21.11. तब तक संक्रमणकालीन प्रबन्ध मण्डल को चाहिए कि वह आकाश भारती के लिए वर्ष 1979-80 के हेतु के अलग बजट सूचना और प्रसारण तथा वित्त मंत्रालयों और योजना आयोग से परामर्श करके बना ले। इसमें 'वित्तीय आयाम', अध्याय 8 में हमने जो संस्तुतियां की हैं, और जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है या जो इस समय लागू की जा सकती हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। न्यासियों को इस बजट को विधिवत् स्वीकृति देनी चाहिए और इसे सरकार के पास अग्रसारित कर देना चाहिए।

21.12. 1 जनवरी, 1979 के बाद आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के "सम्बद्ध कार्यालय" नहीं रह जायेंगे और उसे फिर से नया नाम 'सूचना मंत्रालय' दिया जा सकता है।

21.13. प्रसारण जैसे जन-मन, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सूचना के नाजुक अंग को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना सरकार की ओर से 'आत्म-त्याग' का एक अनुपम कार्य है, और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आकाश भारती को 'सत्ता का हस्तान्तरण' एक जटिल और नाजुक प्रक्रिया होगी। स्वायत्तता प्रदान करना सम्भवतः बहुत आसान भी है। स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व न्यासियों पर और उन पुरुषों और महिलाओं पर होगा, जो आकाश भारती के अंग होंगे। वे ही ऐसी परम्पराओं और प्रथाओं को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता को वास्तविक अर्थ प्रदान करती है। इस नये संगठन को सुव्यवस्थित होने और अपने ढंग से विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह भारतीय प्रसारण के आदर्श वाक्य—"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय"—को चरितार्थ करने में समर्थ हो सके।

हस्ताक्षरित :—

मालकोम एस० आदिसेशिया	सी० जी० राजाध्यक्ष
ईश्वर दास (सदस्य सचिव)	नयनतारा सहगल
पी० एल० देशपाण्डे	चंचल सरकार
पी० जी० फर्नान्डीज	जे० डी० सेठी
उमाशंकर जोशी	सी० आर० सुब्रमण्यन
ए० जी० नूरानी	बी० जी० वर्गीज (अध्यक्ष)

नई दिल्ली-110001

दिनांक फरवरी 24, 1978.

आकाश भारती विधेयक, 1978

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

भारत में सभी प्रकार के प्रसारण का संचालन, संगठन, विनियमन अनुज्ञापन और विकास करने के लिए स्वशासी और स्वतन्त्र लोक सेवा के रूप में आकाश भारती नामक राष्ट्रीय प्रसारण न्यास की स्थापना तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आकाश भारती अधिनियम, 1978 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियमित करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "नियत तारीख" से धारा 3 के अधीन नियत तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "मण्डल" से न्यासी मण्डल अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रसारण" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत हर्टजेव द्वारा जनता के लिए कोई प्रसारित किया गया ध्वनि प्रसारण तथा दूरदर्शन है जिसके अन्तर्गत तार, केबिल या अन्य कृत्रिम साधनों द्वारा प्रसारण भी है ;

(घ) "अध्यक्ष" से न्यासी मण्डल का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "शिकायत बोर्ड" से शिकायतें सुनने के लिए धारा 25 के अधीन न्यास द्वारा स्थापित एक निकाय अभिप्रेत है ;

(च) "प्रसारण महानियंत्रक" से धारा 12 के अधीन न्यास का मुख्य कार्यकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "निदेशक" से केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "प्रसारण अधिकार" से न्यास द्वारा संचालित स्टेशन/केन्द्र से भिन्न स्टेशन/केन्द्र को, न्यास द्वारा धारा 27 के अधीन दिया गया प्रसारण अधिकार अभिप्रेत है ;

(झ) "केन्द्र" से उसके स्टूडियो और/या ट्रांसमीटर सहित दूर संचार केन्द्र अभिप्रेत है ;

(ञ) "लाइसेंस बोर्ड" से न्यास द्वारा संचालित स्टेशनों/केन्द्रों से भिन्न उन स्टेशनों/केन्द्रों को प्रसारण अधिकार देने के लिए न्यास द्वारा धारा 26 के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है ;

(ट) "नाम निर्देशन समिति" से धारा 7 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है जो अध्यक्ष और न्यासी नियुक्त करने के लिए प्रधान मंत्री को सिफारिश करेगी ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "प्रदेश" से किसी जोन के भीतर कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ढ) "स्टेशन" से कोई प्रसारण स्टेशन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत स्टूडियो और ट्रांसमीटर भी है ;

(ण) "न्यास" से धारा 3 के अधीन स्थापित आकाश भारती नामक राष्ट्रीय प्रसारण न्यास अभिप्रेत है ;

(त) "न्यासी" से न्यासी मण्डल का कोई सदस्य अभिप्रेत है।

अध्याय 2

न्यास का निगमन

3. (1) उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे आकाश भारती नाम से राष्ट्रीय प्रसारण न्यास की स्थापना की जाएगी।

(2) न्यास शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे सम्पत्ति का अर्जन,

व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और अपने निगमित नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) न्यास भारत का नागरिक होगा और वह लाभ न कमाने वाला संगठन और एक आवश्यक सेवा होगी।

(4) आकाश भारती का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

न्यास के उद्देश्य, कृत्य और शक्तियां

4. (1) न्यास रेडियो और दूरदर्शन के लिए लोकहित का न्यासी होगा और वह भारतीय जनता के प्रसारण तंत्र के माध्यम से वाक्स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति और संचार के सामूहिक अधिकार को बनाए रखेगा।

(2) न्यास—

(क) लोक प्रसारण सेवा का संचालन और संगठन करेगा और इन सेवाओं का लोकहित में विकास, प्रसारण और सुधार करेगा।

(ख) प्रसारण संबंधी सब मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा ; और

(ग) प्रसारण के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) न्यास की ऐसी शक्तियां, अधिकार और प्राधिकार होंगे जो उसके कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक, साधक या समीचीन हों।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) प्रसारण स्टूडियो, ट्रांसमीटर, रिले स्टेशन, सूक्ष्म-तरंग तथा अन्य सुविधाएं जो आवश्यक या उपयुक्त होंगी, स्थापित करेगा, संस्थापित करेगा, बनाएगा, प्रवर्तित करेगा, पुनर्निर्मित करेगा, संचालित करेगा, मरम्मत करेगा और उनको बनाए रखेगा ;

(ख) किसी स्टेशन/केन्द्र को अपने लाइसेंस बोर्ड के माध्यम से इस अधिनियम में यथाकथित रीति से एक प्रसारण अधिकार लाइसेंस देगा।

न्यास का चार्टर

5. न्यास अपने कृत्यों के पालन में—

(क) देश की एकता बनाए रखेगा और संविधान में स्थापित प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेगा ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रत्याभूत वाक्स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार को बनाए रखेगा ;

(ग) लोकहित, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सभी मामलों के बारे में स्वतन्त्र रूप से, सही रूप से और निष्पक्ष रूप से सूचित किए जाने के नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करेगा ;

(घ) देश में प्रसारण की निष्पक्षता, अखंडता और स्वायतत्ता को बनाए रखेगा ;

(ङ) भारतीय प्रकृति की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की व्यवस्था करेगा ;

(च) देश के भीतर सामंजस्य और एकमतता को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों और उद्देश्यों की वृद्धि करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाता है जिनसे कि भारत की मिली-जुली सांस्कृति बनती है ;

(छ) विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण और प्रसारण जनता के सभी वर्गों को जागृत करने, सूचना देने, ज्ञान वृद्धि, शिक्षा, मनोरंजन और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करेगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रीय प्रसारण श्रोतागण में जनता के सभी वर्ग सम्मिलित हैं ;

(ज) किशोर, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्प जातियों, जनजातियों और सीमांत प्रदेशों में रहने वालों, पिछले और दूरतर क्षेत्रों के लोगों की विशेष आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण निरक्षर और जनता के ऐसे वर्ग जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, सेवा करना ;

(झ) स्त्रियों की प्रास्थिति और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करना और सूचना देना ;

(ञ) सामाजिक न्याय का संवर्द्धन और शोषण, असमानता और अस्पृश्यता और संकुचित आसक्तियों जैसी बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना ;

(ट) धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को बनाए रखना और देश की जनता के सभी वर्गों के बीच सच्चाई की भावना और अनुसंधान का संवर्द्धन करना ;

(ठ) राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित से संबंधित साफ-सुथरा और संतुलित प्रवाह जिसमें अपनी आदर्शवादिता की पैरवी न करते हुए प्रतिकूल दृष्टिकोण प्रस्तुत करना ;

(ड) औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रमों की सहायता द्वारा शैक्षणिक स्तर की वृद्धि में मदद करना और अध्ययन प्रणालियों और शिक्षा को जारी रखना;

(ङ) राष्ट्रीय विकास और सामाजिक तबदीली के सहायक के रूप में नए ज्ञान के प्रसार और प्रथा तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण की वृद्धि करना ;

(ण) जनता के सभी वर्गों के लिए मनोरंजनो और आमोद की व्यवस्था करना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति—परम्परागत, शास्त्रीय, आधुनिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार की सभी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना ;

(त) बच्चों, अंधों, वृद्धों और जनता के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यवाही करना;

(थ) प्रसारण द्वारा और राष्ट्रीय अखण्डता की इस रीति से वृद्धि करना जो भारत की सभी भाषाओं में संचार सुकर बनाए ;

(द) उचित प्रौद्योगिकी और उपलब्ध प्रसारण फ्रीकवेन्सी के सर्वाधिक उपयोग द्वारा व्यापक रूप से प्रसारण की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना और उच्च स्तरीय ग्रहण शक्ति सुनिश्चित करना।

न्यास का गठन, चयन की रीति और पदावधि

6.(1) न्यास साधारणतया 12 न्यासियों से मिलकर बनेगा और किसी भी दशा में उसमें 21 से अधिक न्यासी नही होंगे जो तीन के गुणज में होंगे और जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पुरुष और स्त्रियां होंगी, जिनमें से एक तिहाई हर दो वर्ष बाद निवृत्त हो जाएंगे।

(2) उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अन्यों में से :

(क) तीन पूर्णकालिक न्यासी होंगे जो क्रमश: समाचारों और सामयिक मामलों, शिक्षा और विस्तार, और संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में अपने आप को लगाएंगे; और

(ख) अन्य 8 से अन्यून अंशकालिक न्यासी होंगे जिनमे से एक प्रसारण प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के कारण चयनित किया जाएगा और दूसरा वित्त और प्रबन्ध के क्षेत्र में चयनित किया जाएगा।

न्यासियों की नियुक्ति

7.(1) अध्यक्ष और अन्य न्यासियो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित समिति द्वारा भेजी गई नामावलि में से प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति, लोकपाल और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिल कर बनेगी और जो विज्ञान, संस्कृति और कला के क्षेत्र मे दो अन्य विशेषता प्राप्त व्यक्तियो को इस प्रयोजन के लिए सहयोजित करेगी और ऐसे व्यक्तियों या संगमों से परामर्श करेगी जिन्हें वह ठीक समझे।

(2) अध्यक्ष चाहे वह प्रथम बार में नया नियुक्त किया हो या पदधारी हो या निवृत्त हो रहा हो दूसरे न्यासियों के नाम प्रस्तावित करने में नामनिर्देशन समिति से सहयोजित किया जाएगा।

(3) नामनिर्देशन समिति भरी जाने वाली रिक्तियों से पचास प्रतिशत अधिक नाम देगी सिवाय अध्यक्ष के पद की रिक्ति के जब दो या अधिक से अधिक तीन नाम प्रस्तावित किए जाएंगे।

परन्तु किसी कृत्यकारी न्यासी के चयन न होने की दशा में नाम निर्देशन समिति उस विशेष प्रवर्ग के न्यासियों के वैकल्पिक नामों का सुझाव देगी।

(4) प्रारम्भिक रूप से नियुक्त न्यासियों के निवृत्त का क्रम लाट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परन्तु अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक कृत्यकारी न्यासियो की अवधि छः वर्ष होगी।

न्यासियों की पदावधि

8.(1) धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यासी के रूप में रहते हुए कोई व्यक्ति उस तारीख से जिस को वह अपना पद ग्रहण करता है छः वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु—

(क) कोई न्यासी अपने द्वारा लिखित और अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) कोई न्यासी अपने पद.मे धारा 9 में उपबन्धित रीति से पद से हटाया जा सकेगा।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक न्यासी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन प्राप्त करेंगे और अन्य न्यासी न्यास की बैठकों में हाजिर होने के लिए और अपने अन्य कर्तव्यो के लिए, ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा 1 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सदस्यो की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत परिलब्धियां हैं ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

न्यासियों को हटाया जाना

9. कोई न्यासी पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है।

न्यासी मण्डल की बैठकें

10. न्यासी मण्डल अपनी प्रक्रिया का नियमन करेगा और या तो मुख्यालय पर या अन्यत्र जैसा वह सुविधाजनक समझे अपनी बैठकें करेगा।

परन्तु यह कि :

(क) प्रत्येक वर्ष में 6 से कम बैठकें नहीं होंगी और उन बैठकों में 90 दिन से अधिक अन्तराल नहीं होगा;

(ख) बैठक में गणपूर्ति न्यासियों की कुल संख्या का आधा धन एक की होगी;

(ग) अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा सिवाय तब जब उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपस्थित न्यासी या इस प्रकार चयनित कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करेगा;

(घ) बैठक के अध्यक्ष का मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत होगा ।

केन्द्रीय कार्यकारी मंडल

11. एक केन्द्रीय कार्यकारी मंडल होगा जिसमें प्रसारण महानियंत्रक और बारह अन्य निदेशक होंगे जिनमें से प्रत्येक आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंजीनियरी, वित्त, कार्मिक, समाचार एवं सामयिक प्रसंग, श्रोता अनुसंधान और प्रत्येक जोन के लिए उत्तरदायी होगा ।

न्यास के अधिकारी

12. न्यास प्रसारण महानियंत्रक, निदेशकों, महाप्रबन्धकों और जोन नियंत्रकों और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो वह ठीक समझे ।

प्रसारण महानियंत्रक

13. प्रसारण महानियंत्रक ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और न्यासी मंडल का पदेन सचिव होगा और केन्द्रीय कार्यकारी मंडल को ट्रस्ट न्यास के विनिश्चय संसूचित और प्रेषित करेगा ।

न्यास के अधिकारियों की पदावधि

14.(1) प्रसारण महानियंत्रक और निदेशक उपधारा 2 के निबंधों के अधीन रहते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और उस अवधि की समाप्ति पर पुर्नानियोजित किए जा सकेंगे जैसी न्यासी मंडल अवधारित करे ।

(2) प्रसारण महानियंत्रक और निदेशक:

(क) ····वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद से निवृत्त हो जाएंगे;

(ख) न्यासी मंडल द्वारा किसी भी समय पद से हटाए जा सकेंगे ।

आस्तियों का अन्तरण

15.(1) नियत तारीख से आकाशवाणी और दूरदर्शन के सबंध कार्यालयों के बारे में या संबंधित सब जंगम और स्थावर आस्ति जो नियत तारीख के ठीक पूर्व भारत सरकार द्वारा या उसमें निहित आस्ति है न्यास को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगी ।

(2) भारत सरकार के आकाशवाणी और दूरदर्शन की बावत या उससे संबंधित सभी ऋण, दायित्व, बाध्यताएं या संविदाएं जो नियत तारीख परादेय और विद्यमान थीं नियत तारीख को न्यास के ऋण, तारीख, बाध्यताएं और संविदाएं हो जाएंगी ।

(3) नियत तारीख को या ऐसी अन्य तारीख को जो विहित की जाए व्यपगत न होने वाली निधि के खाते में बकाया रकमें और उनके नवीकरण और आरक्षित निधि उक्त तारीख से न्यास में निहित हो जाएगी ।

वित्तीय उपबन्ध

16. न्यास की पूंजी निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसको अन्तरित आस्तियां जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, संस्थापन और उपस्कर भी है; और

(ख) 1 अप्रैल, 1979 या ऐसी अन्य तारीख को जो नियत की जाए, व्यपगत न होने वाली निधि के खाते में बकाया रखने और उनका नवीकरण और आरक्षित निधि जो सीधे अनुदान के रूप में न्यास को सौंप दी जाएगी ।

न्यास की आय

17.(1) न्यास को निम्नलिखित आय प्रतिभूत होगी :—

(क) रेडियो लाइसेंस फीस जिस में से डाक तार विभाग संग्रहण प्रभार घटा दिए जाएंगे;

(ख) वाणिज्यिक प्रसारण से आमदनी;

(ग) प्रायोजित कार्यक्रमों से आमदनी;

(घ) पत्रिकाओं के विक्रय और उनमें दिए गए विज्ञापनों से प्राप्तियां;

(ङ) डिस्क, टेप और फिल्मों के प्रस्तुतीकरण और विक्रय से प्राप्तियां;

(च) स्टूडियो, उपस्कर और अन्य सुविधाओं के भाड़े से प्राप्तियां;

(छ) न्यास द्वारा दी गई सेवाओं के लिए तकनीकी फीस; और

(ज) किसी अन्य स्रोत से प्राप्तियां ।

(2) न्यास का वार्षिक पूंजी बजट इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा सामयिक विनियोग के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली के विकास के लिए तय की गई दीर्घकालिक योजना के आधार पर अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा ।

(3) न्यास का राजस्व व्यय उपधारा (1) में दी गई आमदनी और प्राप्तियों से चुकाया जाएगा परन्तु राजस्व कमी की पूर्ति न्यास के स्थापित किए जाने के पश्चात् पहले पूर्व वित्तीय वर्ष से 5 साल से अन्यून कालावधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

न्यास निधि

18.(1) न्यास की अपनी निधि होगी; और ऐसी सब राशियां जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको दी जाएं और सभी अनुदान और उधार जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा उसे दिया जाए और न्यास की सब प्राप्तियां और आय एक निधि में जमा की जाएगी और न्यास के सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(2) निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या इस रीति से निवेशित किया जाएगा जैसे न्यास द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(3) न्यास इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां न्यास की निधि से देय व्यय समझी जाएंगी।

लेखा परीक्षा

19.(1) न्यास के लेखाओं की परीक्षा ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो कम्पनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कम्पनियों के लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह हैं, जो केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से न्यास द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक लेखापरीक्षक को अपने कर्त्तव्यों के पालन में सभी उचित समयों पर न्यास की वहियों और अन्य दस्तावेजों पर पहुंच होगी।

(3) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट न्यास को देंगे जो ऐसी रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार को परेषित करेगा, जो उसकी प्रतियां धारा 21 में अधिकथित रीति से संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

आयकर

20. न्यास आय-कर देने से मुक्त होगा और अपने अधिशेष अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने में उपयोग करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और बजट

21. न्यास प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पूर्व वर्ष के दौरान अपने कार्य की एक साधारण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके अन्तर्गत लाइसेंस बोर्ड का कार्य और शिकायत बोर्ड की रिपोर्ट भी है और साधारण रिपोर्ट के साथ न्यास की आय और व्यय का लेखा या लेखे और तुलनपत्र संलग्न होगा जो लेखा या लेखे और तुलनपत्र न्यास के पूर्वोक्त लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

उधार लेने की शक्ति

22. न्यास को इस रीति से, जैसी वह ठीक समझे और विशेष रूप से बंधक द्वारा धन उधार लेने या धन की व्यवस्था करने या उसका संदाय प्रतिभूत करने की शक्ति होगी या न्यास की सब सम्पत्ति या उसके किसी भाग के, या न्यास के हितों को भारित करने या डिबेन्चरों या डिबेन्चर स्टाक के पुरोधरण द्वारा न्यास की सब सम्पत्ति और हितों को (वर्तमान और भविष्यवर्ती दोनों) भारित करने और ऐसी किसी प्रतिभूति का क्रय करने, मोचन करने या संदाय करने की शक्ति होगी परन्तु यह कि अस्थायी बैंककारी सौकर्य या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उधार लिया गया या व्यवस्थित और प्रतिभूत और एक समय में परादेय धन······रुपए से अधिक नहीं होगा और पूंजी व्यय चुकाने के प्रयोजन से इस प्रकार उधार लिए गए, व्यवस्थित और प्रतिभूत (जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार उधार लिया गया, व्यवस्थित या प्रतिभूत धन है) और एक समय में परादेय धन की रकम···· रुपये से अधिक न होगी।

आरक्षिति

23.(1) न्यास द्वारा अपनी सब सम्पत्ति या उसके किसी भाग की या अधिकारों की, जिनपर इस अधिकार का विस्तार है, प्रतिभूति पर या भारित करने की इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट शक्ति का प्रयोग (अस्थायी बैंककारी सौकर्य और सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्यथा) करने की दशा में वह अपनी आमदनी में से ऐसी राशियां अलग रख सकेगा जो ऐसी अवधि के दौरान प्रत्येक वार में इस प्रकार उधार लिए गए या व्यवस्थित धन के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त हो, जो न्यास अवधारित करे।

(2) न्यास अपनी किसी सम्पत्ति के अवक्षयण की पूर्ति के लिए या नवीकरण के लिए उचित उपबन्ध करेगा।

(3) न्यास अपनी आमदनी में से आरक्षिति के रूप में ऐसी राशियां अलग रख सकेगा या अग्रणीत कर सकेगा जैसी वह समीचीन समझे और ऐसी राशियों का ऐसी रीति से विनिधान, व्ययन का उपयोग कर सकेगा जैसा वह अपने उद्देश्यों के लिए हितकर समझे।

अध्याय 4

सरकार के साथ सम्बन्ध

सरकारी प्रसारण

24 (1) भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के मामले या अत्यधिक लोक महत्व के किसी अन्य मामले के नाते में प्रसारण करने से प्रविरत रहने की न्यास से लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगी।

(2) परन्तु यह कि न्यास यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसा आदेश भारत सरकार द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय आपात की दशा में न्यास, यदि सरकार द्वारा ऐसे निदेशित किया जाए और उसके निदेशों के अनुसार किसी घोषणा का प्रसारण कर सकेगा कि इसका प्रसारण अपेक्षित है :

परन्तु यह कि घोषणा का प्रसारण करने में न्यास यह भी घोषित करेगा कि ऐसा निदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया है।

(3) राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्रीय प्रसारण करने की पहुंच होगी।

(4) राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों को राज्य महत्व के मामलों पर राज्य में स्टेशनों/केन्द्रों से प्रसारण करने के लिए पहुंच होगी।

अध्याय 5

शिकायत बोर्ड

25. (1) जनता के किसी सदस्य या संगठन द्वारा अन्यायपूर्ण या अनुचित बर्ताव के बारे में जिसके अन्तर्गत एकान्तता का अतिलंघन और दुर्व्यपदेश भी है के आरोपों के बारे में शिकायतों की सुनवाई के लिए न्यास द्वारा शिकायत बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

(2) शिकायत बोर्ड अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनकी नियुक्ति उच्च लोक प्रतिष्ठित पुरुषों और स्त्रियों में से भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

(4) उपधारा (1) में वर्णित मामलों का अभिकथन करने वाली कोई शिकायत प्रसारण से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

(5) शिकायत में वाद हेतुक गठित करने वाली सामग्री/तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा।

(6) कोई शिकायत तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायत करने वाले ने न्यास के विरुद्ध किसी न्यायालय में वाद हेतुक वाले ऐसे अपने सभी अधिकारों का लिखित रूप में अधित्यजन नहीं कर दिया है।

(7) शिकायत बोर्ड शिकायत प्रथम बार में केन्द्रीय कार्यकारी मंडल को उसकी टीका टिप्पणी के लिए निर्दिष्ट करेगा। उक्त टीका टिप्पणी प्राप्त होने पर शिकायत बोर्ड उस शिकायत की सुनवाई कर सकेगा और अपना अधिनिर्णय स्पष्ट प्रकाशित करेगा।

लाईसेंस बोर्ड

26. (1) न्यास अपने द्वारा संचालित स्टेशनों/केन्द्रों से भिन्न स्टेशनों/केन्द्रों को प्रसारण अधिकार देने के लिए लाइसेंस बोर्ड का गठन करेगा जिसमें अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

(2) लाइसेंस बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य न्यास द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे और वे अंशकालिक सेवा करेंगे।

(3) लाइसेंस बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

(4) लाइसेंस बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद में रिक्ति पद रिक्ति करने वाले सदस्य की अनवसित अवधि के लिए न्यास द्वारा भरी जाएगी।

लाईसेंस बोर्ड के कृत्य

27. (1) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं से अधिकृत प्रसारण स्टेशन मन्द शक्ति रेडियो या दूरदर्शन ट्रान्समीटर और सम्बद्ध स्टूडियों सुविधाएं स्थापित करने के अधिकार के लिए आवेदनों पर विचार करेगी।

(2) आवेदक उन उद्देश्यों को परिमाणित करेंगे जिनके लिए प्रसारण स्टेशन की वांछा की जाती है और लाइसेंस बोर्ड का इस दिशा में अपनी वित्तीय और तकनीकी क्षमता के बारे में समाधान करेंगे।

(3) कोई अधिकृत प्रसारण स्टेशन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं कर देता है कि :—

(क) अधिकृत प्रसारण स्टेशन शिक्षा और विस्तारी प्रसारण ही करेंगे;

(ख) अधिकृत प्रसारण स्टेशन स्वयमेव समाचार बुलेटिनों का प्रसारण नहीं करेंगे और आकाशवाणी या दूरदर्शन केन्द्र से यदि तकनीकी दृष्टि से साध्य हों यथास्थिति समाचार बुलेटिन या समाचार प्रसारण रिले करेंगे;

(ग) अधिकृत प्रसारण स्टेशन किसी से धन लेकर उसे प्रसारण नहीं करने देंगे या किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रसारण नहीं करेंगे;

(घ) ऐसी अन्य शर्तें जो न्यास द्वारा विहित की जाएं।

(4) अधिकृत प्रसारण स्टेशन इस अधिनियम से अधिकथित शर्तों की स्टेशन द्वारा पूर्ति के बारे में लाइसेंस बोर्ड के समाधान पर नवीकरण के और ऐसी अन्य शर्तों के जो

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत तारीख के पश्चात् न्यास ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और अन्य विनियमन बना सकेगा जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) विनिष्टतया और उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास :—

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के वर्तमान कर्मचारियों की एकीकृत काडर बनाने के लिए छानबीन कर सकेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारियों या अनुसचिवीय काडरों या प्रतिनियुक्तियों को न्यास में स्थायी सेवा करने या अपने मूल काडर या विभागों में ले जाने का विकल्प देगा ।

(ग) आस्तियों और दायित्वों का अनुमान लगाने और उनके अन्तरण की व्यवस्था करने के लिए नियम बनायेगा और समितियां गठित करेगा ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

36. (1) कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, न्यास या उसके किसी न्यासी या न्यास के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

न्यासियों आदि का लोकसेवक होना

37. न्यास द्वारा नियुक्त प्रत्येक न्यासी और प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

व्यावृत्ति

38. भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 के उपबन्ध और उसके अधीन बनाए गए नियम किसी बेतार-तार यांत्रिकी उपस्कर को जैसे वह उक्त अधिनियम में प्रभाषित है और न्यास या किसी व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में है जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में न्यास द्वारा प्रसारण अधिकार दिया गया है, लागू नहीं होंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में प्रयोगात्मक प्रसारण 1923 से प्रारम्भ हुआ और प्रसारण का संचालन 4 वर्ष बाद हुआ । 1930 में आकाशवाणी के पूर्ववर्ती इंडियन स्टेट ब्रोडकास्टिंग सर्विस का गठन किया गया । प्रसारणतंत्र में पिछले 30 साल में बहुत विस्तार हुआ है और अब आकाशवाणी के 84 केन्द्र हैं और दूरदर्शन के 13 केन्द्र हैं ।

स्वतन्त्रता के बाद सिद्धान्त रूप से यह माना गया कि आकाशवाणी सरकार के एक विभाग के रूप में स्थायी रूप से नहीं रहनी चाहिए बल्कि एक स्वशासी निगम के रूप में इसका अन्ततोगत्वा गठन किया जाना चाहिए । परन्तु प्रसारण और सूचनातंत्र पर चन्दा समिति की 1966 में की गई एक स्पष्ट सिफारिश के बावजूद भी विभागीय स्थिति में कोई तबदीली नहीं हुई । 1976 में जब दूरदर्शन सेवाओं को आकाशवाणी से अलग किया गया, दूरदर्शन भी सरकार के विभाग के रूप में स्थापित किया गया । रेडियो, दूरदर्शन और अन्य तंत्र पर सेंसर की शर्तों के अधीन किए गए नियंत्रण से आकाशवाणी और दूरदर्शन की विश्वस्तता निकट भूतकाल में पूर्णरूप से समाप्त हो गई । विभागीय नियंत्रण किसी रचनात्मक संगठन के लिए साधक नहीं है । इस पर भिन्न रूप से विचार किया जाना चाहिए । यदि प्रसारण के उद्देश्य अर्थात् जनता को सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करने की संपूर्ण रूप से प्राप्ति की जानी है जिसमें देश की अखंडता और विभिन्नता पर जोर दिया जाना चाहिए । आकाश भारती विधेयक सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में संस्थापित वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति को बनाए रखने, जिसका विस्तार प्रसारण पर भी है, के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है । विधेयक का उद्देश्य एक स्वशासी राष्ट्रीय प्रसारण न्यास की स्थापना करना है ताकि रेडियो और दूरदर्शन को पुनर्गठित तंत्र के माध्यम से विश्वस्तता और उत्पादकता पुनः प्राप्त हो जाए जिससे विकेन्द्रीकरण, सहभागिता और ग्रामीण दखल को बढ़ावा मिले ।

यह प्रस्ताव है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को आकाश भारती में लाया जाए और स्थानीय प्रसारण तंत्र के भाग के रूप में स्वतन्त्र उत्पादन कम्पनियों और मंद शक्ति प्रसारण केन्द्रों जिनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, के लिए उपबन्ध किया जाए ।

आकाश भारती के उद्देश्य विधेयक के खण्ड 5 में दिए गए हैं जिनको उसका चार्टर समझा जाना चाहिए । विधेयक का यह भी उद्देश्य है कि अनौचित्य, दुर्व्यपदेशन और एकांतता के अतिलंघन की जनता की शिकायतों को अधिनिर्णीत करने के लिए लाइसेंस बोर्ड और शिकायत बोर्ड की स्थापना की जाए ।

न्यासियों की नियुक्ति इस विधेयक में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्देशन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नामावली में से प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी ।

के अधीन होना चाहिए जो जनहित में एक न्यासी के रूप में निष्पक्षता से कार्य करे, जिसका उल्लेख इस विधान में आकाश भारती के रूप में किया गया है।

(2) आकाश भारती का एक अध्यक्ष और न्यासी होंगे और अध्यक्ष तथा न्यासियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर उस नामावली में से की जाएगी जो कानून द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अधीन गठित नामांकन पेनल द्वारा प्रधानमंत्री को पेश की जाएगी।

(3) संविधान की धारा (1) और (2) के प्रावधानों और अन्य प्रावधानों के अधीन आकाश भारती का गठन ऐसा ही होगा जैसा कि संसदीय अधिनियम के जरिए निर्दिष्ट होगा । (5.11)

13. ऊपर बताए गए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्मित कानून इस निगम को स्पष्ट रूप से "देश का एक निगमित नागरिक" घोषित करे। ऐसी किसी कानूनी घोषणा के अभाव में आकाश भारती उन मूल अधिकारों, जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(क)], का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। (6.12)

14. हम सिफारिश करते हैं कि संसद के कानून में कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए जिनको आकाश भारती का घोषणा-पत्र माना जाए ।

यह न्यास :

(क) देश की एकता और संविधान में निहित प्रजातांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखेगा।

(ख) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के मूल अधिकार को बनाये रखेगा जिसकी गारन्टी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में दी गई है।

(ग) नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करेगा कि उनको जनहित के सभी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त रूप से सच्चाई के साथ और यथार्थ रूप से जानकारी दी जाये।

(घ) देश में प्रसारण की निष्पक्षता, निष्ठा और स्वायत्तता को बनाये रखेगा।

(ङ) ऐसी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुहैया करेगा जो विषयवस्तु और स्वरूप की दृष्टि से मुख्यतः भारतीय हो।

(च) देश में समरसता और सौहार्द की जरूरत के प्रति सजग रहते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यक्रमों में उन विविध तत्वों को परिलक्षित किया जा रहा है, जो भारत की मिली-जुली संस्कृति की रचना करते है, वह समस्त राष्ट्र के हितों तथा भावनाओं को प्रोत्साहन देगा।

(छ) इस तथ्य का यथोचित ध्यान रखते हुए, कि राष्ट्रीय प्रसारण श्रोताओं/दर्शकों में अनेक प्रकार के समुदाय विद्यमान हैं, वह ऐसे विविध कार्यक्रम तैयार और प्रेषित करेगा जो सभी वर्गों को जाग्रत, सूचित, प्रबुद्ध, शिक्षित, आनंदित और समृद्ध करेंगे।

(ज) ग्रामीण, निरक्षर और दलित वर्गों की सेवा करते हुए युवाओं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, आदिवासियों सीमावर्ती क्षेत्रों और पिछड़े तथा दूरस्थ इलाकों में रहने वालों की विशेष जरूरतों तथा रुचियों को ध्यान में रखेगा।

(झ) महिलाओं के दर्जे तथा उनकी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय चिन्तन को प्रेरित करेगा और उनके बारे में जानकारी देगा।

(ञ) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और शोषण, असमानता तथा ऐसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ेगा जैसे छूआछूत और संकीर्ण स्थानीय भावनायें।

(ट) धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को बनाये रखेगा और देश में सभी वर्गों के बीच सत्य और जिज्ञासा की भावना का संवर्धन करेगा।

(ठ) किसी मत या अपनी निजी विचार धारा का प्रतिपादन किये बिना परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों समेत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय रुचि की सूचनाओं का एक न्यायोचित तथा सन्तुलित प्रवाह प्रस्तुत करेगा।

(ड) औपचारिक, अनौपचारिक, और अनुवर्ती शिक्षा और मुक्त अध्ययन प्रणालियों के समर्थन के कार्यक्रमों द्वारा शैक्षणिक स्तरों को उठाने में सहायता करेगा।

(ढ) नए ज्ञान और प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में टैक्नालाजी के अन्तरण को बढ़ावा देगा।

(ण) सभी वर्गों के लिये विनोद और मनोरंजन उपलब्ध करेगा और सभी प्रकार की पारम्परिक, शास्त्रीय, आधुनिक, अन्तर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहन देगा।

(त) बच्चों, नेत्रहीनों, वृद्धों और जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये विशेष कदम उठायेगा ।

(थ) सहनशीलता तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने हेतु इस तरह के प्रसारण करेगा जिनसे भारत की सभी भाषाओं में और उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान सुविधानजनक हो।

(द) उपयुक्त टैक्नालोजी का चयन करके और उपलब्ध प्रसारण फ्रीक्वेंसियों का सर्वोत्तम उपयोग करके प्रसारण में व्यापक समावेश करने और उच्च स्तर का संग्रहण सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। (5.13)

15. सरकार को इस सम्बन्ध में सीमित शक्ति देना न्यायोचित होगा कि वह आकाश भारती को किसी भी ऐसी सामग्री का प्रसारण करने से रोक सके जिसका सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की रक्षा और गम्भीर सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से हो। सरकार को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह आपातस्थिति में अपेक्षित प्रसारण करा सके। ऐसी घोषणायें प्रसारित करते हुए निगम यह घोषणा करेगा कि इस प्रकार की अपेक्षा की गई है। (5.14)

16. राष्ट्रीय प्रसारणों के लिये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सुलभ होने चाहिये। इसी प्रकार का अधिकार, प्रादेशिक प्रसारण शृंखला पर राज्य के प्रसारणों के लिये राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों को मिलना चाहिये। (5.15)

17. सरकारी नीतियों की व्याख्या करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों को प्रसारण माध्यम समुचित रूप से सुलभ होना चाहिये। मंत्रिस्तर के ऐसे प्रसारणों की व्यवस्था आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयुक्त अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करके तय की जानी चाहिये। (5.17)

18. लोक सभा मे प्रतिपक्ष के नेता को भी राष्ट्रीय प्रसारणों की सुविधा दी जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में भी यदि कोई मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षीय नेता है तो उसके सम्बन्ध में भी हम ऐसी ही प्रक्रिया की सिफारिश करेंगे। (5.18)

19. एक बार आकाश भारती अस्तित्व में आ जाती है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रसारण के सम्बन्ध में अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी त्याग देनी चाहिए और तत्पश्चात् इसका नाम यथोचित परिवर्तन करके 'सूचना मंत्रालय' रखना चाहिए। (5.21)

20. प्रसारण संगठनों और संसद् के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के दावों के बीच सर्वोत्तम समझौता यही हो सकता है कि न्यास का यह कर्त्तव्य बना दिया जाए कि वह अपने बजट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ अपना लेखा और उस पर लेखा परीक्षक की टिप्पणियां आदि संसद् के समक्ष प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट में, शिकायत बोर्ड (न्याय मंडल) की रिपोर्ट और लाइसेंस बोर्ड और प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों के कार्यकलापों की समीक्षा भी शामिल होनी चाहिए। संसद् के सदस्यों को प्रश्न पूछने का सहज अधिकार प्राप्त है। लेकिन उनसे यह आशा की जाती है कि वे रोजमर्रा के मामलो के बारे में ऐसा नही करेंगे। (5.22)

21. नए केन्द्र या ट्रांसमीटर स्थापित करने में आकाश भारती को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विचार पहले से जान लेने चाहिए। (5.23)

22. वित्तीय उत्तरदायित्व को, स्वतन्त्र वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रसारण प्रणाली के निराले स्वरूप को देखते हुए हम यह सिफारिश करते है कि इसके हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा वाणिज्यिक आधार पर लेखा परीक्षकों की किसी भी अनुमोदित और प्रतिष्ठित फर्म द्वारा की जाए और इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। (5.24)

23. आकाश भारती देश में चाहे अब या भविष्य में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के लिए सर्वजनिक न्यासी होगी जिसमें तार से प्रसारण या केबिल टेलीविजन जैसी सम्बद्ध टेक्नालोजी भी शामिल है। (5.27)

अध्याय 6—न्यासी मंडल

24. आकाश भारती के शीर्ष पर हम एक न्यासी मंडल की सिफारिश करते है जिसमें 12 व्यक्ति होंगे किन्तु अतिरिक्त सदस्यों को रखने की जरूरत पड़ने पर भी 21 से अधिक सदस्य नही होंगे। कानून द्वारा आकाश भारती को दिए जाने वाले घोषणा पत्र के संरक्षक न्यासी होंगे। (6.1)

25. केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के प्रमुख प्रसारण महानियंत्रक, न्यासी मंडल के पदेन सचिव होंगे जिससे वे इन दो घटको के बीच एक अन्तर्वर्ती कड़ी का काम कर सकें। (6.14, 19)

26. हम 12 सदस्यों के एक न्यासी मंडल की नियुक्ति की सिफारिश करते है जिसमें एक अध्यक्ष और तीन अन्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो क्रमशः सामयिक प्रसंग, विस्तार और संस्कृति से सम्बद्ध क्षेत्रों में अपना पूरा योगदान करेंगे। वे प्रसारण महानियंत्रक के माध्यम से कार्य करेंगे। (6.15)

27. अध्यक्ष और तीन अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त हम यह सिफारिश करते हैं कि अन्य आठ अंशकालिक सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य वित्त तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त अनुभवी होना चाहिए और एक अन्य सदस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक या इंजीनियर होना चाहिए जो प्रसारण टैक्नालोजी से परिचित हो। (6.16)

28. हम यह मानकर चलते है और सिफारिश करते है कि इस मंडल में पुरुष और महिलाएं दोनों ही होंगे। (6.17)

29. पर्यवेक्षण और नियंत्रण की अंतिम जिम्मेदारी न्यासी मंडल की ही होगी, लेकिन उन्हें इस संगठन के उद्देश्यों को बनाए रखने और उन्हें पूरा करने में ही सामान्यतः

और मुख्यतः अपनी भूमिका निभानी चाहिए: कार्यपालन का दायित्व केन्द्रीय कार्यकारी मंडल और न्यास के अधीन अन्य अभिकरणों पर छोड़ दिया जाए। (6.18)

30. श्रोता/दर्शक अनुसंधान निदेशक से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी सभी अनुसंधान रिपोर्टें न्यासी मंडल के साथ-साथ केन्द्रीय कार्यकारी मंडल को भी प्रस्तुत करें। (6.20)

31. न्यासियों की नियुक्ति छः वर्ष की अवधि के लिए होगी और एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आरंभ मे 12 सदस्यों में से सेवा निवृत्ति का क्रम लाटरी से तय किया जाए जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक कार्यात्मक न्यासी छः साल की पूरी अवधि के लिए मान लिए जायें। (6.21)

32. न्यासियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा प्रसारण महानियंत्रक, निदेशकों और नियंत्रकों के समतुल्य अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों अर्थात् प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यकारी मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति करना। वे प्रस्तावित लाइसेंस बोर्ड के सदस्यों को भी नामजद करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होगा, वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना और संसद् को प्रस्तुत करना जिसमें प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों की कार्य प्रणाली के साथ-साथ आकाश भारती का बजट और परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना भी शामिल है। प्रसारण प्रणाली के विस्तार सम्बन्धी निवेश तथा नीति के सभी मुख्य निर्णयों, टेक्नालोजी के चयन, सेवा के गुण स्तर, कार्यक्रमों में प्रमुख रद्दोबदल, और न्यास की वित्तीय सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले वेतन और मजदूरी बढ़ाने समेत सभी मामलों में न्यासी मंडल की स्वीकृति अनिवार्य होगी। (6.22)

33. न्यासियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा प्रेषित नामावली में से करेगा जो एक नामांकन पैनल द्वारा उनके पास भेजी जाएगी। इस पेनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल (यह पद शीघ्र ही बनने वाला है) और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। हम सिफारिश करते हैं कि उनकी इस कठिन जिम्मेदारी में उनकी सहायता करने के लिए नामांकन पैनल को विज्ञान, संस्कृति और कला जगत के लब्धप्रतिष्ठ किन्हीं दो सदस्यों को सहयोजित कर लेना चाहिए। अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का काम हम इस पैनल पर छोड़ते हैं और पहले वह अध्यक्ष की नियुक्ति कर ले जिससे वह अन्य न्यासियों के चयन में सलाहकार के रूप में सहायता कर सकें। (6.24)

34. यदि अध्यक्ष और न्यासियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष के नेता से भी परामर्श कर लें तो इससे एक स्वस्थ परम्परा स्थापित होगी। (6.25)

35. न्यासी मंडल के अध्यक्ष के मामले में नामांकन पैनल दो या अधिक से अधिक तीन नामों की सिफारिश कर सकता है जिसमें से प्रधानमंत्री द्वारा एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा : किन्तु, अन्य सभी रिक्तियों के मामले में, नामांकन पैनल द्वारा भेजे गये नामों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों से 50 प्रतिशत अधिक होनी चाहिये। यदि कोई कार्यात्मक न्यासी नहीं चुना जाता है तो नामांकन पैनल उस विशेष श्रेणी के लिये कोई दूसरा नाम सुझा सकता है। (6.26)

36. हम सिफारिश करते हैं कि न्यासियों की हैसियत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिये और उनको हटाने के लिये वैसी ही अनर्हताएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिएं। किन्तु आयु की सीमा लागू करने की जरूरत नहीं है। (6.27)

अध्याय 7—प्रबन्ध और कार्यक्रम ढांचा

37. कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य निश्चय ही विकेन्द्रित होना चाहिए और प्रोड्यूसरों को कार्यक्रमों के बारे में काफी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। फिर भी, उच्च स्तर पर देखरेख और समन्वय की जरूरत तो रहेगी ही। (7.4)

38. राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के प्रबन्ध और समन्वय के प्रयोजन से चार परिचालन सोपान होंगे—राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और केन्द्र-संबंधी। (7.9)

39. हम सिफारिश करते हैं कि पांच क्षेत्र बनाए जायें, अर्थात् दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी तथा उत्तरी। (7.10 और परिशिष्ट 1)

40. ये क्षेत्र एक ऐसे सोपान के रूप में होंगे जिन्हें आकाशवाणी श्रृंखला के विस्तार के साथ जोड़ने जाने की जरूरत होगी। (7.11)

41. केन्द्रीय कार्यकारी मंडल, एक नीति नियोजन तथा निदेशन अभिकरण होगा जिसका परिचालन दायित्व केन्द्रीय समाचार कक्ष, अनुश्रवण एकांश, विदेश सेवा प्रभाग, कार्यक्रम विनिमय के लिये लिप्यंतरण सेवा तक सीमित होगा। परिचालन प्रबन्ध का कार्य अधिकतर क्षेत्रीय कार्यकारी मंडलों के ऊपर होगा, जबकि कार्यक्रम संबंधी काम प्रधानतः केन्द्रों का होगा। (7.4,5,6,12)

42. क्षेत्रीय शीर्ष से नीचे रेडियो और टेलीविजन अलग-अलग धाराओं के रूप में काम करेंगे, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर दो भिन्न कार्यात्मक प्रमुख होंगे जो इन दो अलग-अलग माध्यमों के यथोचित विकास के लिये अपेक्षित विशिष्ट दक्षताएं उपलब्ध करायेंगे। (7.14)

43. न्यासी मंडल की नीतियों और निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यकारी मंडल उत्तरदायी होगा जिसमें प्रसारण महानियंत्रक के अतिरिक्त 12 अन्य निदेशक होंगे। ये निदेशक क्रमशः आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामयिक प्रसंग, इंजीनियरी, वित्त, कार्मिक और श्रोता अनुसंधान के लिये जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त पांच क्षेत्रीय निदेशक होंगे जो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल के प्रमुख होंगे । (7.15)

44 आकाशवाणी और दूरदर्शन के निदेशक प्रधान माध्यम प्रमुख होंगे । अन्य कार्य जैसे इंजीनियरी, वित्त, कार्मिक और श्रोता अनुसंधान के लिये उनको, इनमें से प्रत्येक विभाग के प्रभारी निदेशकों पर निर्भर रहना पड़ेगा। विस्तार-नीति का निर्धारण राष्ट्रीय प्रसारण संगठन द्वारा नहीं किया जायेगा लेकिन सम्पादकीय नियंत्रण इसके हाथ में होगा । (7.19)

45. समाचार और सामयिक प्रसंग का निदेशक केन्द्रीय समाचार कक्ष का मार्गदर्शन करेगा जिसका प्रमुख महाप्रबन्धक होगा जो सम्पादक आकाशवाणी, सम्पादक दूरदर्शन, विदेश सम्पादक और अनुश्रवण एकांश के सम्पादक के कामों का समन्वय करेगा । (7.20)

46. आकाशवाणी और दूरदर्शन में तकनीकी कर्मचारियों की अदला-बदली की व्यवस्था होनी चाहिये । इसी कारण से कार्यक्रम के क्षेत्र में भी, जहां माध्यम-विशेषज्ञता का स्तर निश्चय ही ऊंचा होना चाहिये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी में इधर से उधर आ जा सकें, जिससे बहुमुखी प्रतिभा और विशेष योग्यता वाले प्रसारकों की उन्नति का मार्ग अनावश्यक रूप से अवरुद्ध न होने पाये । (7.23)

47. हम यह सिफारिश करते हैं कि विभिन्न चयन बोर्डों में स्थायी पैनल से बाहर का कोई व्यक्ति स्वतन्त्र बाह्य विशेषज्ञ के रूप में होना चाहिये जो उसका अध्यक्ष होगा और जिसकी सहमति अनिवार्य होनी चाहिये। (7.24)

48. स्वर-परीक्षा बोर्डों की स्थापना क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय निदेशक के अधीन होनी चाहिये, जिसकी सहायता प्रोड्यूसरों और विख्यात कलाकारों तथा कला समालोचकों द्वारा चयन तथा वर्गीकरण के लिये की जानी चाहिये । (7.27)

49. आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के अधीन एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में होनी चाहिये जो प्रसारण महा-नियंत्रक के प्रति जवाबदेह होगा । (7.30)

50. एक श्रोता अनुसंधान निदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ-साथ प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों की भी सेवा करेगा । सभी श्रोता अनुसंधान रिपोर्ट न्यासी मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिये । (7.31, 32)

51. हम तीन महा-प्रबन्धकों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं जिसमें से एक-एक कानूनी सेवाओं, आयोजन और सूचना सेवाओं का कार्यभार संभालेंगे । (7.33)

52. प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम एक क्षेत्रीय कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश करते हैं, जो क्षेत्रीय निदेशक के अधीन होगा । (7.42)

53. क्षेत्रीय नियंत्रक का कार्यालय छोटा होना चाहिए और उसे विशेषतः स्थानीय केन्द्रों के सम्बन्ध में एक समर्थक तथा समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए। (7.45)

54. स्थानीय स्टेशन का प्रमुख अधिकारी स्टेशन प्रबन्धक होना चाहिए और उसके पास अत्यावश्यक कर्मचारी भी होने चाहिए जो स्थानीय और सामुदायिक रूप से भाग लेने वालों से सहायता ले सकते है । (7.46)

55. अपने ट्रांसमीटरों के प्रसार क्षेत्र के भीतर श्रोता या दर्शक समूहों का आयोजन करने की जिम्मेदारी स्टेशन प्रबन्धक को होनी चाहिए। (7.47)

56. विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक सलाहकार समिति होनी चाहिए और उसका अपना एक छोटा सा सचिवालय होना चाहिए । (7.50)

57. हम एक न्याय मंडल की स्थापना की सिफारिश करते हैं जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए चार व्यक्ति हों और उसका दर्जा अर्ध-न्यायिक हो । (7.51)

58. यह अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवहार के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों पर गौर करेगा जिसमें किसी की प्राइवेसी पर अनुचित आक्रमण और गलत बयानी की शिकायतें भी शामिल हैं बशर्ते कि अदालत की शरण में जाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया हो । उसके निष्कर्षों को आकाश भारती द्वारा अपनी कार्यक्रम पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाए और विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनको प्रसारित किया जाए । (7, 52, 53)

59. आकाश भारती को चाहिए कि वह आकाशवाणी संहिता 1970 के स्थान पर एक उपयुक्त प्रसारण संहिता तैयार करे, क्योंकि उसमें काफी प्रतिबन्ध है । (7.55)

60. सात साल की प्रत्येक अवधि के बाद एक प्रसारण समीक्षा आयोग बैठना चाहिए। (7.56)

अध्याय 8
वित्तीय आयाम

61. आकाशवाणी और दूरदर्शन की लगभग 75 करोड़ रु० को विद्यमान परिसम्पत्तियों को संसद् के एक अधिनियम के जरिए पूर्ण अनुदान के रूप में आकाश भारती को दे देना सर्वोत्तम होगा। (8.15)

62. आकाश भारती पर कम्पनी कर लागू नहीं होंगे। यदि कोई लाभ होता है तो उसे कार्यक्रम सुधार और प्रणाली विस्तार पर संसद् द्वारा अनुमोदित रूप लेखा के अनुसार खर्च किया जाएगा, संसद् उसकी वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की जांच करेगी। (8.17)

63. सरकार को चाहिए कि वह आरम्भ में पांच वर्षों तक आकाश भारती के घाटे को पूरा करे। उसके बाद इससे आशा की जानी चाहिए कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी अथवा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों समेत विभिन्न उपयोक्ताओं को यह जो प्रसारण समय उपलब्ध कराती है उसके लिए प्रभार लेकर वह अपने अतिरिक्त स्रोतों में वृद्धि कर लेगी। (8.20)

64. हम सिफारिश करते हैं कि अपनी पूंजी परिसम्पत्तियों के एवज में कम व्याज दरों पर बाजार से या सरकार से भी उधार लेने के लिए आकाश भारती को अधिकार दिया जाए। (8.21)

65. अपने पूंजी बजट के लिए, आकाश भारती को अव्ययनीय कोष के साथ-साथ आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में प्रतिस्थापन तथा नवीकरण हेतु 1982 तक वार्षिक अनुदान के रूप में स्वीकृत सभी धनराशियां आकाश भारती को एक पूर्ण अनुदान के रूप में मिलनी चाहिए। आकाश भारती को एक दीर्घकालीन पूंजी बजट तैयार करना चाहिए, जिसकी पहले पांच वर्षों की अवधि के बारे में योजना आयोग और सरकार से विचार विमर्श करना चाहिए, जिसके आधार पर सरकार एक चरणवद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष बजटित धनराशियों में पूर्ण अनुदान देने का वचन दे। (8.26, 31, 33, 34)

अध्याय 9
विज्ञापन प्रसारण

66. हम सिफारिश करते हैं कि आकाश भारती को विज्ञापन प्रसारण दरों और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए जिससे प्रसारण समय की बिक्री को एक सुदृढ़ आधार दिया जा सके। (9.32)

67. विज्ञापन प्रसारण से, अब तक, समस्त राष्ट्रीय विज्ञापन परिव्यय में 6 प्रतिशत से कुछ अधिक राशि हांसिल की जा सकी है जो बहुत ही कम है। कोई कारण नहीं कि यह अंश 15 से 20 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। (9.33)

68. आकाश भारती विज्ञापन प्रसारणों के लिए अन्य चैनल खोलने के बारे में जांच कर सकती है जो प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु एक सीमित समय के लिए पहले से उपलब्ध है। विज्ञापन विषयों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। विज्ञापन बढ़ाने के अभियान में कार्यक्रमों में अनुचित घुसपैठ या उनका रूप विकृत करना क्षम्य नहीं होना चाहिए। (9.34)

69. प्रस्तावित प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों पर हम विज्ञापन प्रसारण के विरुद्ध सिफारिश करते हैं जिनके संचालन के लिए विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को लाइसेंस दिए जा सकते हैं। (9.35)

70. हम आकाश भारती के वित्त निदेशक के अधीन यथोचित कर्मचारियों और उपयुक्त ढांचे वाली बिक्री यूनिट का विकास करने की सिफारिश करते हैं। व्यावसायिक संबंधों का विस्तार विज्ञापन स्टेशनों तक किया जाए। विज्ञापन बिक्री यूनिट को श्रोता/दर्शक अनुसंधान से पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। (9.36)

71. हम यह सुझाव देते हैं कि विज्ञापन संहिताओं तथा मानकों की समीक्षा करने हेतु आकाश भारती सभी सम्बद्ध संघों तथा व्यक्तियों की एक बैठक बुलाए। उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधि भी इस प्रकार की समीक्षा से सम्बद्ध होने चाहिए और उनको विज्ञापन प्रसारण सलाहकार समितियों में शामिल किया जाए, जिनकी स्थापना की हमने सिफारिश की है। (9.37)

अध्याय 10
रेडियो लाइसेंस

72. आकाश भारती को वर्तमान पद्धति के विकल्प के रूप में रेडियो/टी०वी० सैट लाइसेंस टिकटें जारी करने के प्रश्न पर उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। रेडियो/टी० वी० सैटों को लाइसेंस देने से न तो सैटों की बिक्री कम होगी और न लाइसेंसों का वार्षिक नवीकरण घटेगा और न शुल्क अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। (10.11, 12)

73. रेडियो सैटों का लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर 25 रु० और टी० वी० सैटों का 75 रु० कर दिया जाए। 150 रु० से कम कीमत के रेडियो सैट पर 7.50 रु० का वर्तमान रियायती शुल्क और सामुदायिक सैटों, और शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों तथा कल्याण संस्थाओं के लिए वर्तमान दरें बनी रहनी चाहिए। फिर भी, एक बैंड के सैटों के लिए एक बार में 10 या 12 रु० लाइसेंस शुल्क निश्चित किया जा सकता है जो बिक्री स्थल पर ही वसूल कर लिया जाए, जिसमें नेत्रहीनों को विशेष रियायत हो। गैर-रियायती श्रेणी में अतिरिक्त सैटों के लिए मूल लाइसेंस शुल्क का एक तिहाई शुल्क होना चाहिए। (10.14)

अध्याय—11—प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्र

74. आकाश भारती को यह प्राधिकार दिया जाना चाहिए कि वह मान्य शैक्षिक संस्थाओं को रेडियो या दूरदर्शन के लिए प्रसारण का अधिकार दे सके। आकाश भारती द्वारा ऐसे प्रसारण अधिकार की सिफारिश, संचार मंत्रालय द्वारा प्रसारण लाइसेंस के रूप में स्वतः ही परिवर्तित कर देनी चाहिए और मंत्रालय के वायरलैस सलाहकार द्वारा निश्चित फ्रीक्वेंसियां आवंटित एवं समन्वित की जानी चाहिए। (11. 23)

75. यह अधिकार आकाश भारती के लाइसेंस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें अंशकालिक कमिश्नर होने चाहिए। ये लाइसेंस एक बार में 3 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाएं और निष्पादन सन्तोषजनक होने पर पुनः नवीकरण किया जाए। प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों को समाचार बुलेटिन प्रसारित नही करने चाहिए, किन्तु उनको आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित समाचार बुलेटिनों को ही रिले करना चाहिए। वे आकाश भारती की सामान्य देख-रेख में रहने चाहिए और न्याय मण्डल के साथ-साथ न्यासियों के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए जिन्हें लिखित निदेश देने का अधिकार होगा। (11. 24, 25)

76. इन शैक्षिक स्टेशनों पर हम वाणिज्यिक विज्ञापनों की अनुमति नहीं देंगे, किन्तु हमारे ख्याल से प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों के बीच परस्पर और उनके तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन के बीच कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की हमें बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई पड़ती है। (11.28)

अध्याय—12—स्वतंत्र उत्पादन एजेंसियां

77. हम सिफारिश करते हैं कि रेडियो तथा टी० वी० कार्यक्रम तैयार करनेवाली स्वतंत्र एजेंसियों को बढावा दिया जाए और उनको आवश्यक निर्माण सुविधाएं देने या प्राप्त कराने में सहायता की जाए। इसके फलस्वरूप, एक विस्तृत क्षेत्र से प्रतिभा प्राप्त हो सकेगी, विविधता को बढ़ावा मिलेगा, कार्यक्रमों में नवीनता आयेगी तथा विशेषज्ञता और उत्कृष्ठता को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रतियोगिता की प्रेरणा मिलेगी। (12.21)

78. स्वतंत्र कार्यक्रमों की पहुंच के लिए 20 प्रतिशत 'आरक्षण' का सिद्धांत, सरकारी स्वामित्व के फिल्म प्रभाग में कुछ वर्षो से अपनाया जा रहा है जो एक उदाहरण बन गया है। इसे आकाश भारती पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्र, विश्वविद्यालय, और अन्य लोग अपने स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार कर सकते है, जिनको आकाशवाणी और दूरदर्शन की श्रंखला में अपनी गुणवत्ता के आधार पर स्थान मिलना चाहिए। (12.12, 14)

79. औद्योगिक फर्मो या अन्य निजी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 'आरक्षित' से बाहर होने चाहिए, हालांकि वे निजी एजेंसियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं। (12.15)

80. 16 मि० मी० प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कर देने पर युवा प्रोड्यूसरों तथा फिल्म निर्माताओं को स्वतंत्र यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जहां वे फिल्में तथा वृत्त चित्र बना सकते है और उन्हें दूरदर्शन तथा प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों को बेच सकते है। (12.19)

81. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, अपने स्टूडियो तथा अन्य सुविधाएं, जब कभी खाली हों, मान्यता प्राप्त स्वतंत्र निर्माता समूहों को कुछ शर्तो के साथ किराये पर दे सकते है। आकाश भारती को चाहिए ,कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से बाहर चुने हुए केन्द्रों में ध्वनि तथा दूरदर्शन सुविधाएं स्थापित करने पर सोचें जो किराए पर उपलब्ध हों। (12.20)

82. प्रसारण अधिकार प्राप्त केन्द्रों तथा विज्ञापन कंपनियों के साथ ध्वनि, फिल्म तथा विडियो के क्षेत्र में काम करने वाली स्वतंत्र कार्यक्रम उत्पादन कंपनियों के अस्तित्व के कारण प्रसारण कार्मिकों की सभी श्रेणियों को रोजगार का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध होगा। हमें इसमें बड़े लाभ दिखाई पड़ते है। अब तक जो एकाधिकार की स्थिति बनी हुई थी उसमें गतिशीलता बढेगी और कार्यक्रम निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विनिमय की सम्भावनाएं भी काफी बढ सकती है (12.22)

अध्याय—13—समाचार और सामयिक प्रसंग

83. आकाशवाणी और दूरदर्शन को कुछ राष्ट्रीय मूल्यों से प्रतिबद्ध होना चाहिए लेकिन उनका अपना संपादकीय मत नही होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा सैद्धांतिक झुकाव से बचना चाहिए तथा इसके स्थान पर उन्हें भारतीय अथवा विदेशी दर्शकों/श्रोताओं के उपयोग के सभी समाचारों को संतुलित तथा वस्तुपरक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि पक्ष-विपक्ष के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया जाए और घटना-क्रमों का सभी दृष्टियों तथा सभी संदर्भो में विश्लेषण प्रस्तुत करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। (13.8)

84. 'औचित्य', 'सन्तुलन', 'शुद्धता' और 'वस्तुपरकता' के सिद्धान्त न केवल समाचारों पर लागू होते है, वरन् सभी सामयिक प्रसंग कार्यक्रमों पर भी लागू होते है। किन्तु यहां संतुलन का अर्थ केवल यांत्रिक संतुलन नही है, वरन् कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में समग्र रूपेण संतुलन अपेक्षित है। (13.10, 11)

85. यदि समाचार सेवा को उत्कृष्ट बनाना है तो केन्द्रीय समाचार कक्ष में कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी ही जानी चाहिए। विभिन्न भारतीय भाषाओं और यहां तक कि हिन्दी के समाचार बुलेटिनों को प्रमुख रूप से अंग्रेजी समाचारों की प्रति से अनूदित करना सर्वथा अपर्याप्त है। (13.17)

86. केन्द्रीय सूचना सेवा और समाचार सेवा प्रभाग के बीच संवर्ग सम्बन्धों को, हमारे सुझावों के आधार पर, पृथक् कर दिया जाना चाहिए और आकाशवाणी को अपने समाचार कर्मी प्रशिक्षित करने चाहिए जो समाचार लिखने की अपेक्षा बहतर ढंग से बोलकर प्रस्तुत कर सकें। (13.16,21)

87. धीमी (इम्ला बोलने की) गति वाले समाचार बुलेटिनों की सेवा ऐसी सेवा है, जिसका विस्तार एवं विकास किया जा सकता है जिससे वे दूरदराज के इलाकों में ग्रामीण पत्रों के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। (13.26,27)

88. राज्यों की राजधानियों के समाचार कक्षों तथा आकाशवाणी के अन्य प्रादेशिक समाचार केन्द्रो में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। (13.28)

89. यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन को देहात के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी है तथा साधनहीनों एवं विस्मृत लोगों की आकांक्षाओं को वाणी देनी है तो जनजातीय, पहाड़ी, और दूर-दराज इलाकों तथा उपेक्षित और पिछड़े इलाकों के समाचारों को पर्याप्त विस्तार से देना—आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की विशेष जिम्मेवारी होगी। (13.29)

90. विशिष्ट अंचलों विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सरल सहज भाषा में विशेष समाचार बुलेटिन तैयार किये जाने चाहिए। (13.32)

91. आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन को विशेष प्रयास करने चाहिए जिससे विकास कार्यों के समाचार प्रसारण को प्रोत्साहन मिले और खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कला, श्रमिक, कृषि आदि विशिष्ट क्षेत्रों के समाचार भी प्रसारित हों। (13.34)

92. प्रस्तावित केन्द्रीय समाचार कार्यालय में एक विदेश-डेस्क की तुरन्त स्थापना की जाए जो एक वरिष्ठ विदेश संपादक के अधीन हो। (13.36)

93. आकाशवाणी की यह नीति होनी चाहिए कि एशिया तथा हिन्द महासागर क्षेत्र के समाचारों को अधिकाधिक संख्या में लिया जाए जिससे यह क्षेत्र, कम से कम आरम्भ में, ऐसा हो जाए जिसके तुरन्त, पूर्ण तथा सुविचारित समाचार देने के विषय में हम गर्व कर सकें और जब भी संभव हो, इसके समाचार हम अन्य बाहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों को प्रेषित कर सकें। (13.37)

94. अनुश्रवण एकांश को सुदृढ़ किया जाए, उसका विस्तार किया जाए और उसे बेहतर स्वरूप दिया जाए।

95. हमारी सिफारिश है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग, अनुश्रवण एकांश और विदेश-सेवा के विदेशी भाषा संवर्ग के कर्मचारियों की आपस में अदला-बदली होती रहनी चाहिए। (13.42)

96. घटनाक्रम की प्रवृत्ति और साप्ताहिक विश्लेषण तथा अनुश्रवण एकांश के अन्य विशेष प्रकाशन समूल्य प्रकाशनो के रूप में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। (13.43)

97. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को विवादास्पद विषयो से घबराना नही चाहिए। उन्हें सामाजिक न्याय की समस्याओ को भी प्रस्तुत करना चाहिए। (13.49)

98. सामयिक विषयों के वार्ताकारों तथा पैनल के वक्ताओं को दिल्ली या अन्य महानगरों के बाहर के क्षेत्रों से तथा पत्रकारिता, राजनीति अथवा विषय के विद्वानों के अलावा अन्य वर्गो के विद्वानों में से भी लिया जाना चाहिए। (13.50)

99. जयन्तियों विषयक फीचरों को विशेषरूप से चयन करके, सावधानीपूर्वक योजना बनाकर कल्पनाशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रशंसा के स्थान पर मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। (13.50)

100. संदर्भ सेवा, पुस्तकालय सुविधाओं, समाचार-कतरन सेवा और शोध की व्यवस्था जहां नहीं है, वहां प्राथमिकता देकर प्रदान की जानी चाहिए। (13.51)

101. प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में एक समाचार कक्ष होना चाहिए जिसका एक समाचार संपादक हो और जिसमें संपादन तथा समाचार-संकलन के लिए अच्छे व्यावसायिक ज्ञानवाले व्यक्ति हों। (13.51)

102. दूरदर्शन के अपने संवाददाताओं तथा समाचार-प्रेषकों का एक जाल होना चाहिए। इनमें से कुछ कैमरामैन रेडियो संवाददाता भी हो जो पोर्टेबिल वीडियोटेप रिकार्डरो का प्रयोग कर सकें ताकि शीघ्रता एवं सुविधा के साथ इलैक्ट्रोनिकी समाचार-संकलन संभव हो सके। (13.60)

103. टेलीविजन समाचार एजेन्सी की स्थापना की दिशा में प्रत्येक कदम का स्वागत होगा और उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (13.62)

104. दूरदर्शन के पास डब करने और उपशीर्षक देने के उपकरण होने चाहिए जिससे देश के अंदर तथा विदेशों के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान होने में सुविधा हो सके। (13.64)

जैसे पोषण और शिशुओं की देखभाल तक ही सीमित रखने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। 'गृह' शीर्षक से सीमित क्षेत्र का बोध होता है। समानता, जिसमें लैंगिक समानता भी सम्मिलित है, और सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी संदेशों में सभी कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए न कि सिर्फ 'महिलाओं के कार्यक्रम' और इन कार्यक्रमों को पुरुषों तथा महिलाओं को समान रूप से ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (15.54)

122. जनजातीय कार्यक्रमों के लिए न केवल वास्तविक सहानुभूति, ज्ञान तथा संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है बल्कि जीपों, दुर्गमता तथा कठोरता के लिए विशेष भत्ते सुवाह्य उपकरण और पर्याप्त शिष्ट मंडल जैसी कम से कम सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जनजातीय भागों में काम करने के लिए विशेष कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए और प्रस्तावित नये स्थानीय केन्द्रों में स्थानीय युवा लोगों का एक विशेष तौर पर चुना गया संवर्ग होना चाहिए, जिसके मन में जनजातीय लोगों और उनकी संस्कृति के प्रति गहरी सहानुभूति हो। (15.55)

123. उत्तर-पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसे कुछ अन्य भागों की ही तरह, एक विशेष तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है, वहां के लोगों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं। एक सचल कैसेट लाइब्रेरी के विकास से इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक भाषाई क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक कैसेट टेप रिकार्डर और आकाशवाणी के स्टूडियो में रिकार्ड किये गये टेपों की पूरी 'श्रृंखला' दी जायेगी। ये कैसेट जीप द्वारा पहुंचाये जायेंगे तथा उपयुक्त समय के बाद उनके स्थान पर दूसरे कैसेट दिए जाएंगे। (15.56)

124. कुछ वर्षों बाद, आकाशभारती उन सरकारी विभागों को समय की बिक्री करने के मामले पर विचार कर सकती है, जिसके पास शैक्षिक कार्यक्रम हैं या सम्प्रेषण के लिए कुछ प्रसार संदेश हैं। इससे और वास्तविक लागत-लाभ विश्लेषण प्राप्त हो सकेगा तथा पर्याप्त संगठनात्मक सम्पर्क प्रतिक्रिया जानने के सह-माध्यम और निवेशों के उपयुक्त सहायक सेवाएं आदि स्थापित करने की सुनिश्चितता हो सकती है। (15.57)

125. आकाश भारती को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ प्रसार संगठनों तथा सम्बद्ध विभागों या प्रसार संगठनों के बीच वर्तमान सम्बन्धों को मजबूत बनाने या उन्हें विकसित करने के सिलसिले में कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। (15.58)

126. हम सामूहिक श्रवण के बारे में एक नये दृष्टिकोण की सिफारिश करते हैं, हालांकि रेडियों ट्रांजिस्टरों की अपर्याप्तता है, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों में और पिछड़े इलाकों में, जहां कि स्पष्ट रूप में प्रसारण का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। चुने हुए समूहों या स्वीकृत व्यक्तियों को, जो सामूहिक श्रवण के लिए समूह का संयोजन करने का दायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हैं, रियायती दरों पर रेडियो सेट उपलब्ध कराने की विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। (15.59)

127. रेडियो और टेलीविजन के प्रसार कार्यक्रमों को समाचार पत्रों समेत अन्य माध्यमों का भी सहयोग मिलना चाहिए। छपी हुई सामग्री के सहयोग की जिम्मेदारी आकाश भारती के साथ-साथ सरकारी और अन्य संस्थाओं को भी लेनी चाहिए। (15.60)

128. रेडियो और टेलीविजन को बहुमाध्यमों वाली प्रणालियों का एक अंग होना चाहिए तथा आकाश भारती का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह प्रणालियों के ऐसे विकास को प्रोत्साहन और सुनिश्चितता प्रदान करे, जिसमें रेडियो दर्शन, कैसेट टेप रिकार्डर, फिल्म टेप और वीडियो लाइब्रेरियां आदि सम्मिलित हैं। (15.61)

129. हम सिफारिश करते हैं कि अध्यापकों तथा कृषि और स्वास्थ्य प्रसार कार्यकर्ताओं को इस माध्यम का उस ढंग से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे रेडियो और टेलीविजन को एक दूसरे का सहयोगी समझें, न कि एक दूसरे का प्रतिद्वन्द्वी और माध्यम का इस ढंग से इस्तेमाल करें कि उसकी प्रभावकारिता और भी बढ़े। (15.64)

अध्याय 16

मनोरंजन के रूप में प्रसारण का उपयोग

130. रेडियो और टेलीविजन के लक्ष्य श्रोता/दर्शक ऐसे होते हैं, जो किसी कार्यक्रम की आलोचना के मामले में अधिक उग्र हो सकते हैं, और जिनके समाने हमेशा यह सुविधा होती है कि वे एक मीटर से दूसरा मीटर या एक केन्द्र से दूसरा केन्द्र सुन सकते हैं। (16.5)

131. रायल्टी और कापीराइट की शर्तों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है और अपनी व्यवस्था करनी है तो क्लोज बुकिंग की प्रणाली और रेडियो या दूरदर्शन पर कार्यक्रम पेश करने की सीमा या एक महीने या एक साल में प्राप्त शुल्क आदि की निश्चित सीमा भी हटा दी जानी चाहिए (16. 9, 29)

132. अपेक्षाकृत छोटे कस्बों और जिलों में नये-नये केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप कार्यक्रम तैयार करने वालों को तुरन्त ही प्रतिभा की खोज की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्टेशनों के समूहों को सुविधा के लिए

'सांस्कृतिक जनपद' बना लेने चाहिए । कुछ स्टेशन कुछ विशेष कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं, जिसे वे कार्यक्रम की सुव्यवस्थित प्रणाली के आदान-प्रदान माध्यम से अन्य केन्द्रों, क्षेत्रों और प्रदेशों को भी भेज सकते है । (16.10)

133. आकाशवाणी के विकास के फलस्वरूप सभी श्रोताओं को तीन मीटरों—राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय—की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी । हर चैनल के कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से मिलाना तथा उसमें विविधता लाना होगा ।

134. कार्यक्रमों में पहल करने का बहुत कुछ काम प्रोड्यूसरों और प्रोडक्शन टीमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए न कि केवल स्टेशन मैनेजरों पर । विचारों, तकनीकों तथा उसके स्वरूप के बारे में प्रयोग की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए । (16.12)

135. कार्यक्रम और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ वित्तीय और बजट सम्बन्धी अधिकारों की समवर्ती सुपुर्दगी होनी चाहिए । (16.13)

136. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों में वास्तविक रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों को तीन मुख्य शीर्षों—आयोजन, उत्पादन तथा प्रस्तुतीकरण में बांटा जाना चाहिए । (16.14)

137. एक उत्पादन दल का विकास किया जाना चाहिए जिसमें एक प्रोड्यूसर, तकनीशियन, स्क्रिप्ट-राइटर और सामाजिक-वैज्ञानिक एक दल के रूप में कार्य करें, कार्यक्रमों का 'प्रोटो टाइप' तैयार करने से पहले उन्हें क्षेत्र में प्रदर्शित करने की 'प्री-टेस्टिंग भी करनी चाहिए जो कि एक नियमित शृंखला का पूर्वगामी होना चाहिए। (16.17)

138. उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग के अंतर्गत जयपुर, रायपुर, गुलबर्गा और अन्य स्थानों में भी, अगर वहाँ के कार्यक्रम वास्तव में उपयुक्त और दिलचस्प हैं, हम उन्हें स्वतंत्र कार्यक्रम की सुविधाएं दिए जाने की सिफारिश करते हैं। (16.18)

139. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के पास अपना अभिलेखागार रखने की पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक होता है । (16.22)

140. आकाशवाणी को चाहिए कि वह अपने संगीतकारों को आरकेस्ट्रा या वृन्दगान कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित करें और उन्हें पश्चिमी तथा अन्य क्षेत्रों से, जहां से कि ये संगीत विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं, अवगत कराने की सुविधा उपलब्ध कराये ताकि वे भारतीय आरकेस्ट्रा और वृन्दगान को और विकसित कर सकें, जिसका कि आगे चलकर भविष्य और विकसित हो तथा भारतीय संगीत के नये क्षितिज का विस्तार हो सके। (16.37)

141. नये स्थापित होने वाले आकाशवाणी केन्द्रों में उपयुक्त आकार के आडिटोरियम बनाये जाने चाहिए, जहां प्रसारण के लिए प्रदर्शनों और 'कन्सर्टों' के आयोजन किए जाने चाहिए, जिस में दर्शक भी भाग ले सकें ।

142. आकाशवाणी को विविध भारती के कार्यक्रम की रूपरेखा और विषयों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि रेडियो पर वास्तव में फिल्म संगीत सहित सुगम संगीत कार्यक्रम तैयार हो सके, जो शैली, रूप-रेखा तथा कलाकारों आदि की दृष्टि से प्रयोग और नवीनता का उच्चतम माध्यम हो सके । (16.39)

143. हम आकाशवाणी और दूरदर्शन की उत्पादन और अन्य सुविधाओं की सहायता से प्रतिभाशाली और सुप्रसिद्ध लोगों को लिखने, प्रस्तुत करने तथा रेडियो और टलीविजन पर कार्यक्रमों को पेश करने की भावना को प्रोत्साहन देने के विचार की सिफारिश करते हैं । (16.42)

144. संगीत कलाकारों के ध्वनि परीक्षण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए । एक केन्द्रीय ध्वनि परीक्षण मण्डल अनावश्यक है । इसके बजाय क्षेत्रीय मण्डलों का गठन किया जाना चाहिए तथा कुछ निश्चित नियम बनाये जाने चाहिएं । केन्द्रों के संगीत प्रोड्यूसरों को कलाकारों के चयन का अधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के कलाकारो के स्तर और रूचि में भिन्नता होती हैं। (16.44)

145. बाल कार्यक्रमों को तयार करने में बहुत अधिक ध्यान देने तथा सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । यही ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें सांस्कृतिक रुचि को प्रभावित किया जा सकता है तथा अपने चारों ओर की दुनिया की रुचि जगाई जा सकती है । गाने और संगीत के माध्यम से छात्रों को कुछ स्कूली शिक्षा भी दी जा सकती है, क्योंकि बच्चे इनकी ओर बड़ी जल्दी तथा खुशी से आकृष्ट होते हैं।

146. युव वाणी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से शहरी तथा छात्र युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को ठीक किया जाना जाना चाहिये । (16.47)

147. प्रादेशिक तथा स्थायीय केन्द्रों के विकास के लिये फलस्वरूप क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यक्रमों तथा पारम्परिक या नये खेल-कूद या मनोरंजन कार्यक्रमों की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । शारीरिक सौष्ठव को प्रोत्साहन देने की दिशा में रेडियो तथा टैलीविजन बहुत कुछ सहयोग दे सकेंगे । (16.48)

148. आकाशवाणी और दूरदर्शन पत्रिकाओं की अपेक्षा कहीं बेहतर सेवा कर सकते हैं । अन्य पत्रिकाओं की तरह विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार दिये जाने पर ये अच्छा राजस्व अर्जित कर सकते हैं । (16.49)

149. आकाशवाणी महान कलाकारों, राष्ट्रीय कन्सर्टो और लोक-संगीत आदि के 'डिस्क' तथा 'टेप' व्यापारिक स्तर पर तैयार कर सकती है । (16.50)

150. राजनीतिक दलों और चुनाव संबंधी प्रसारण स्वीकृत संहिता के आधार पर होने चाहिये । (16.53))

151. हम एक मजबूत श्रोता/दर्शक अनुसंधान प्रभाग की सिफारिश करते हैं । (16.54)

152. आकाशवाणी और दूरदर्शन को चाहिये कि व्यावसायिक कार्यक्रम सलाहकार समितियों के माध्यम से वह हर स्तर के श्रोताओं और दर्शकों को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करें । (16.56)

153. आकाश भारती को एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन के वर्तमान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना चाहिये और कार्यक्रमों के आदान-प्रदान तथा व्यावसायिक सम्पर्कों के उद्देश्य से यूरोपीय ब्राडकास्टिंग यूनियन तथा इस तरह के अन्य संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने चाहिये । (16.59)

154. आकाशवाणी और दूरदर्शन की आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय लिप्यंतरण सेवा को उपयुक्त ढंग से मजबूत किया जाना चाहिये तथा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान को मजबूत करने तथा प्रोत्साहन देने के लिये सुसज्जित किया जाना चाहिये । (16.58)

अध्याय—17

प्रशिक्षण कार्य

155. सभी प्रसारकों को संचार व्यवस्था की पूरी जानकारी रखने के अतिरिक्त भारतीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप संचार कार्यविधियों और नीतियों की भी कुछ जानकारी होनी चाहिये । (17.1)

156. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी संवर्गों में प्रशिक्षण के लिये जाने वाले कर्मचारियों के स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करना आवश्यक है। (17.6)

157. दिल्ली, हैदराबाद और शिलांग के वर्तमान तीन प्रशिक्षण स्कूलों के अतिरिक्त कम-से-कम दो स्कूल और होने चाहिएं ताकि प्रत्येक जोन में एक-एक स्कूल हो । (17.8)

158. प्रशिक्षण अकादमियों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये । वहां सभी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में नियमित अन्तरालों पर लाया जाये ।(17.9)

159. समाचार और सामयिक प्रसंग कर्मचारियों को प्रसारण पत्रकारिता में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । (17.10)

160. उत्तरपूर्व भारत जैसे अपरिचित और नाजुक क्षेत्रों में भेजे जाने वाले इंजीनियरी और प्रोग्राम कर्मचारियों के लिये भाषा सीखने और नवीकरण पाठ्यक्रमों की सुविधाएं होनी चाहियें । (17.1)

161. प्रसारण कर्मचारियों के लिए एक कालेज होना चाहिए जहां प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कार्यक्रम अथवा तकनीकी स्तरों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी कुछ समय व्यतीत कर सकें । (17.14)

162. कर्मचारी कालेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले दोनों इंजीनियरी और कार्यक्रम कर्मचारी ऐसे होने चाहिये जो आवश्यक रुचि और रुझान दिखाने पर उच्चतर पदों पर पहुंच सकें । (17.15)

163. दोनों, कार्यक्रम और तकनीकी संवर्गों के लिये बुनियादी प्रारम्भिक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो नई परम्परा और विस्तृत प्रतियोगिता स्थापित करने में सहायक हो सके । (17.16)

164. हमारी सिफारिश है कि फिल्म एंड टैलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फिल्म और दूरदर्शन प्रशिक्षण की एक राष्ट्रीय संस्था बनाया जाए, जहां दोनों विद्याओं में डिप्लोमा दिये जायें । दूरदर्शन को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये और अन्यत्र एक कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने में उसकी सहायता की जानी चाहिये । (17.17,18)

165. रेडियो के लिये भी प्रारम्भिक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों और अन्य विशेषज्ञता-प्राप्त संस्थाओं के हाथ में सौंप दिये जायें । आकाशवाणी को यथासमय केवल प्रवेश प्रशिक्षण तथा उच्च स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम मुहैया करना चाहिये । (17.19)

166. आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं को काफी सुदृढ़ और विस्तृत करने की आवश्यकता है। वर्तमान कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था (तकनीकी) के साधन सीमित हैं और इसका उचित रूप से विस्तार किया जाना चाहिये । कार्यक्रम प्रशिक्षण की भांति सर्वोत्तम इंजीनियरों को प्रशिक्षण स्कूलों में नियुक्त किया जाना चाहिये । इन स्कूलों में नियुक्ति को एक सम्मान माना जाना चाहिये । (17.21)

167. आकाश भारती को चाहिये कि वह विश्वविद्यालय अथवा डिप्लोमा प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने में सहायता करे । इसके लिये वह एप्रेन्टिसशिप और अल्पकालिक सेवा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर सकती है। (17.24)

168. आकाश भारती की प्रशिक्षित प्रशासकों और प्रबन्धकों की आवश्यकताओं को प्रबन्ध सम्बन्धी वर्तमान संस्थाओं द्वारा देश में ही उपलब्ध साधारण सुविधाओं को बढ़ाने से पूरा किया जा सकता है। (17.25)

अध्याय 18

कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था

169. हम सिफारिश करते हैं कि आकाश भारती में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के मध्य समानता रहनी चाहिए और स्टाफ आर्टिस्ट सहित सभी कार्यक्रम कर्मचारियों को एक ही संवर्ग में लाया जाना चाहिए। तीनों वर्गो अर्थात् तकनीकी, कार्यक्रम (समाचार सहित) और प्रशासन में से किसी एक में भर्ती हुए किसी नये कर्मचारी के लिय यह संभव होना चाहिए कि वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सके। (18.9)

170. वेतनमानों और शुल्कों का संशोधन होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकाशवाणी और दूरदर्शन आवश्यक प्रतिभा को आकृष्ट कर सकें और अपने साथ बनाए रख सकें। इस समय वे ऐसा नहीं कर सक रहे हैं। घुटन और निराशा से बचाने के लिये, सब सेवाओं के लिय, समान आधार पर, पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने चाहिए। [18.22 (III)]

171. आकाश भारती में ऐसा तन्त्र होना चाहिये जो उसके समस्त कर्मचारियों में सौहार्द्र और सद्भावना पैदा करने के लिये प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श की व्यवस्था करे और प्रतिनिधियों को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित करे। [18.12 (VI)]

172. अलाभ न्यास और आवश्यक सेवा के रूप में आकाश भारती के आचार के अनुरूप, हम यह सिफारिश करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत तन्त्र स्थापित किया जाये, जो किसी भी मतभेद या विवाद के मामले में स्वयं क्रियाशील हो जाये। [18.12 (VII)]

173. कर्मचारी कल्याण सेवाओं और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। [18.12 (IX)]

174. यदि कर्मचारी स्वीकृत अध्ययन, अनुसन्धान या प्रशिक्षण के लिये इच्छा व्यक्त करते हैं तो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अध्ययन अवकाश मिलना चाहिये। [18.12 (X)]

175. कर्मचारियों की अधिक श्रेणियां नहीं बनाई जानी चाहिये तथा वरिष्ठता और पदवी (रैंक) संज्ञा सोपान के वजाय दक्षता-रोध सहित समय-मान (टाइम स्केल) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये। [18.12(IX)]

176. उन सभी लोगों को, जिन्हें सेवा निवृत्ति की सामान्य आयु के बाद सेवा में रखा जाये डाक्टरी प्रमाणपत्र के बाद अल्पावधि नवीकरण योग्य अनुबन्धों पर नियुक्त किया जाये। [18.12 (XII)]

177. हम सिफारिश करते हैं कि वर्तमान स्टाफ आर्टिस्ट आकाश भारती के नियमित कर्मचारी बना दिये जायें। कार्यक्रम कर्मचारियों का एकीकरण विशेष कार्यक्रम कर्मचारी एकीकरण समितियों को सौंप दिया जाये, जो कुछ स्वीकृत नियमों के अनुसार काम करें। सभी कार्यक्रम सेवाओं के कर्मचारियों को एक ही एकीकृत कार्यक्रम संवर्ग में यथास्थान नियुक्त करने में अनुभव, सेवा के समय और प्रतिभा-मूल्यांकन का ध्यान रखा जाना चाहिये। (18.19)

178. हम सिफारिश करते हैं कि समाचार सेवा प्रभाग, प्रादेशिक समाचार एककों तथा अनुश्रवण एककों में ग्रेड I और उससे ऊपर के समाचार संपादकों के सभी पद खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरे जायें। केन्द्रीय सूचना सेवा संवर्ग के सभी सदस्य, चाहे वे कहीं भी काम कर रहे हों, और स्टाफ आर्टिस्ट एवं बाहरी लोग, जो आवश्यक योग्यता रखते हों, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। शेष के लिये, हम सिफारिश करते हैं कि के० सू० से० संवर्ग सभी सदस्यों को, केवल उन्हें ही नहीं, जो इस समय आकाशवाणी में हैं—यह छूट दी जाये कि यदि वे चाहें तो आकाश भारती में आ सकते हैं। (18.20)

179. के० सू० से० के जो कर्मचारी आ० भा० की सेवा में आना चाहें उनकी जांच पड़ताल एक विशेष चयन समिति द्वारा होनी चाहिये और 219 का वर्तमान के० सू० से० कोटा उनसे भरा जाना चाहिये जो इस प्रकार छांटे जायें। इसके बाद उन्हें आ० भा० का स्थायी कर्मचारी मानना चाहिये और उन्हें के० सू० से० से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये। (18.22)

180. आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन पदों के सम्बन्ध में भी चयन और यथास्थान नियुक्ति के लिये ऐसी ही प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में संवर्गित हैं, और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संवर्गों के हैं। आकाश भारती में वेतन और लेखा पदों को भरने के लिये चयन एवं यथास्थान नियुक्ति की हम ऐसी ही प्रक्रियाओं की सिफारिश करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को भी वह विकल्प दिया जाय, जो दूसरों को दिया गया है, और उन पर भी वह प्रक्रिया लागू हो जो दूसरों पर लागू होती है। (18.23)

181. अराजपत्रित इंजीनियरी कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायित्व के राजपत्रित पदों पर पदोन्नत होने का अवसर मिलना चाहिये बशर्ते कि वे उपयुक्त विभागीय परीक्षा पास

कर लें। विभागीय परीक्षा में प्रसारण इंजीनियरी के कुछ आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र रहने चाहिये। सम्बन्धित व्यक्ति के अनुभव और कार्य का भी ध्यान रखना चाहिये। (18.24)

182. हम सिफारिश करते हैं कि नीचे की श्रेणियों में, विभिन्न स्तरों के बीच समुचित पदोन्नति की व्यवस्था के साथ, सीधी भर्ती की जाये। ये पदोन्नतियां विभागीय परीक्षाओं और चयन के आधार पर की जावें। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में योग्यता की कसौटी को शिथिल न किया जाये, परन्तु हम ऐसा कोई कारण नही समझते जिससे उन लोगों पर, जो संगठन के अन्दर हैं, किसी अवस्था में आयु सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये। (18.25)

183. वे लोग जो विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहें उन्हें दफ्तरी या प्रबन्धकीय नौकरियों में न डालकर विशेषज्ञता का अवसर दिया जाना चाहिये। तथापि, उन्हे इसके लिये उपयुक्त समयमान, पदोन्नति दी जानी चाहिये। हम यह आवश्यक नही समझते कि आकाश भारती गैर-तकनीकी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये स्नातक या अन्य कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की मांग करे। तथापि, हम यह सिफारिश करते है कि आकाशवाणी, संगठन के भीतर सीखने और प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करे। (18.27, 28)

184. यह बात जरूरी कर दी जानी चाहिए कि हर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने से पहले विभिन्न कामों का कुछ अनुभव प्राप्त कर ले, इसी प्रकार कनिष्ठ पदों का कार्य-काल वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए और वरिष्ठ पदों का कार्यकाल उच्चतम पदों के लिए प्रशिक्षण काल समझा जाना चाहिए। (18.29)

185. हम वरिष्ठ पदों पर बाहर से आदमियों की भर्ती की सिफारिश करते हैं ताकि संवेदनशील ऊंचे पदों के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा, नया खून और नये विचार प्राप्त हो सकें। (18.30)

186. प्रसारण महानियंत्रक, निदेशकों और महाप्रबन्धकों के पदों का कार्यकाल निश्चित अवधि का, जो 5 वर्ष से अधिक नही होगी, होना चाहिए। पुर्ननियुक्ति वर्जित नही है। (18.31)

187. कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उनके प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक अध्यक्ष द्वारा लिखी जानी चाहिए। इससे कुछ संतुलन रहेगा और व्यक्ति विशेष का अधिक सही विवरण प्रकट होगा। वहुत ऊंचे अधिकारियों के मामले में यह वांछनीय है कि इस तरह का मूल्यांकन अधिकारी विशेष द्वारा न किया जाकर अधिकारियों के समूह द्वारा किया जाए। (18.32)

188. आकाश भारती के सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी श्रेणी के हों, नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए, जो ऐसे अनुबन्ध के रूप में हों, जो नियुक्ति या पद के स्तर को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से एक, तीन या छः महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सके। नये लोगों को आरम्भ में एक या दो साल की परिवीक्षा पर लिया जाना चाहिए। (18.35)

189. आकाश भारती को चाहिए कि वह एक कर्मचारी संघ के निर्माण को प्रोत्साहन दे, जिसमें सभी कर्मचारियों के सेवा हितों का प्रतिनिधित्व हो और प्रवन्धकों के साथ प्रभावी वात चीत हो सके। (18.37)

190. आकाश भारती द्वारा लिए गए कर्मचारियों को उनके मौजूदा लाभों, जैसे वेतन, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन और ग्रेच्युटी, अवकाश, यात्रा भत्ता तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभों की सुरक्षा प्रदान की जाए। वर्तमान कर्मचारियों (स्टाफ आर्टिस्टों सहित) को संक्रमण काल में सरकारी आवास पाने का अधिकार बना रहना चाहिए। (18.38)

अध्याय 19

इंजीनियरी और टैक्नालॉजी पक्ष

191. हम यह सिफारिश करते हैं कि आकाशवाणी की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ योजना, अत्युच्च फ्रीक्वेंसी का विकल्प और निम्न फ्रीक्वेंसी पारेषण शुरु करने की सम्भावनाओं पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को विचार करना चाहिए और आकाश भारती को ऐसी समिति यथासम्भव जल्दी ही नियुक्त कर देनी चाहिए। टैक्नोलॉजी के ये विकल्प केवल खर्च और अच्छे प्रसारण से ही सम्बद्ध नहीं है, अपितु कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था से भी इनका सम्बन्ध है। इसलिए यह वहुत ही आवश्यक है कि दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपरिवर्तनीय निर्णय करने से पूर्व लागत और लाभ के वारे में वस्तुपरक और निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए। (19.62)

192. आकाश भारती में कार्य के उन क्षेत्रों में अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए जिनको कारगर रूप से अन्यत्र नहीं किया जा सकता। संयंत्रों के विकास के प्रति अन्य विशेषज्ञता प्राप्त समस्याओं की तुलना में कम वरीयता होनी चाहिए। (19.63, 68)

193. अनुसंधान विभाग का अध्यक्ष वहुत वरिष्ठ इंजीनियर होना चाहिए, जो दीर्घकालीन आयोजन में सहायता दे सके और सर्वोच्च अधिकारियों को सूचित कर बढ़िया काम की व्यवस्था कर सके। इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ानी होगी, आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी, और गतिविधियों का विस्तार करना होगा तथा विशेषज्ञ समूहों को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। (19.70)

194. टेक्नीकल कामों के लिए कुल मिलाकर जितनी राशि व्यय की जाती है उसका तीन प्रतिशत अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित करना वांछनीय होगा। (19.71)

195. आकाश भारती के विस्तार के लिए इतनी बड़ी मात्रा में संयंत्र और उपकरण बनाने के लिए यह उचित ही होगा यदि प्रसारण उपकरण बनाने का कारखाना अलग से स्थापित किया जाए। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से ऐसा नया कारखाना लगाने के लिए कहा जा सकता है अथवा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारण इलेक्ट्रानिक्स निगम बना सकती है। (19.73)

196. धीमा चित्र विभेदन (स्लो-स्कैन) दूरदर्शन, संकुचित बैंडविड्थ आदि अनेकों तकनीकों के लिए इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता वांछनीय है और यदि आवश्यक हो, तो आकाश भारती को उनके लिए साधन जुटाने चाहिएं। (19.74,75)

अध्याय 20

भावी विस्तार

197. कार्य दल का विचार है कि यद्यपि टेलीविजन एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि कम से कम अगले 10 या 15 वर्षों तक भारत को रेडियो के विकास और उसे मजबूत बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। (20.2)

198. हम जोरदार सिफारिश करते है कि टेक्नॉलॉजी का जो भी चुनाव या सम्मिश्रण हो, आकाशवाणी को एक सुदृढ़ ग्राम विस्तार व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जो कम शक्ति वाले स्थानीय केन्द्रों के तेजी से फैलाव द्वारा हो सकती है। (20.4)

199. हम यह भी सिफारिश करते है कि प्रस्तावित नये केन्द्रों को खोलने के स्थानों के मामले में पिछड़े जिलों को, जिनमें सूखे को आंशका वाले, जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र शामिल है, तरजीह दी जाये बशर्ते कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, यथा-आवागमन और विश्वसनीय बिजलो की सुविधाएं उपलब्ध हों, राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाना चाहिए। (20.5)

200. आकाश भारती को रेडियो क्षेत्रीय सघनता वाले, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में अनुरक्षण की विशेष सेवाओं को आरंभ करना होगा। उसे यह काम, जहां कही संभव हो, स्वीकृत गुणवत्ता के सेटों की खरीद और बिक्री के साथ-साथ करना चाहिए। निर्माताओं को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे बिक्री के बाद की सेवाएं देने के लिए और रख-रखाव की व्यवस्था के लिए देहाती क्षेत्रों में संयुक्त इकाइयां स्थापित करें। केन्द्र और राज्य सरकारों को इन प्रयासों में समुचित सहायता करनी चाहिए। (20.7)

201. राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रो और स्वीकृत रेडियो क्षेत्रीय सफलता अंचलों में लाइसेंस का व्यय वहन करने के बारे में विचार करना चाहिए। (20.8)

202. 'मदर स्टेशन' या मूल केन्द्र से सम्बद्ध रेडियो श्रवणकर्ता समूहों का 'साइट' के नमूने पर विशेष शैक्षिक विस्तार तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्माण किया जा सकता है। रेडियो और टेलीविजन सेटों को किराया-खरीद पर बैंकों से रियायती ब्याज पर ऋणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। (20.9,10)

203. कुछ क्षेत्रो में तार द्वारा प्रसारण व्यवहार्य हो सकता है जैसा कि अरुणाचल में, जहां कि "कस्बा प्रसारण" प्रणालियां प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थापित की गई हैं। (20.11)

204. दूरदर्शन की वर्तमान श्रृंखला और चालू योजनाओं से लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए टेलीविजन के कार्यक्रम देखना संभव होगा। अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे टेलीविजन से सामूहिक दर्शन को प्राथमिकता देनी होगी। (20.12)

205. जैसा कि अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र ने अनुभव के आधार पर प्रयास किया है कम खर्च वाली ऐसी टेलीविजन तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त लगती है। यदि स्वयं आकाश भारती कुछ मार्ग-दर्शक परियोजनाएं चलाकर ऐसी तकनीक की मितव्ययिता को प्रदर्शित कर सके तो इस प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रम के तेजी से विस्तार की सम्भावना अच्छी होगी। (20.14)

206. 1981 में "इन्सेट" के चालू किये जाने के साथ दूरदर्शन कार्यक्रमों की राष्ट्रव्यापी श्रृंखला शुरू हो सकेगी। कार्य दल यह सिफारिश करना चाहेगा कि आरम्भ में 'इन्सेट' का प्रयोग मुख्यतः उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागों, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप में सीधे संग्रहण के लिए किया जाए। क्योंकि वहां के ऊंचे-नीचे भू-भाग और दूर-दूर बिखरी आबादी के कारण भी टेलीविजन बहुत खर्चीला बैठेगा। (20.15,16)

207. शहरी कार्यक्रमों के अन्तर्गत शहरों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उन्हें ग्रामीण श्रोताओं और दर्शकों के समान सामुदायिक और सामूहिक श्रवण तथा दूरदर्शन की सुविधाएं मिले। (20.20)

208. आकाश भारती को बहु-माध्यमीय प्रयास की दिशा में अनुसंधान और प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए रेडियो और टेलीविजन का संयुक्त प्रयोग होना चाहिए। शैक्षिक रेडियो और 'स्लो-स्कैन' टेलीविजन के साथ प्रयुक्त रेडियो-विजन और कैसेट टेपरिकार्डरों मे अच्छी आशाएं झलकती हैं। (20.21)

209. अगर रेडियो और टेलीविजन संबंधी सामूहिक श्रवण-दर्शन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना है तो टेलीविजन और रेडियो सैटों तथा ट्रांजिस्टरों की कीमत कम करनी होगी। रेडियो और टेलीविजन के छोटे पुर्जे जोड़ कर बनाने वाले लोगों को विपणन सहकारी समितियां या संकाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समान ब्रांड नामों से मानक उपस्कर बेचने चाहिएं । (20.22)

अध्याय 21

संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

210. हमें आशा है कि मंत्रिमंडल आकाश भारती विधेयक को औपचारिक रूप से संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए यथासमय स्वीकृति दे देगा ताकि मानसून सत्र में इस पर विचार किया जा सके और सितम्बर या अक्तूबर में इसे विधेयक बनाया जा सके। (21.3)

211. आकाशवाणी और दूरदर्शन को पूरी स्वायत्तता देने के फैसले को लागू करने की ईमानदारी को प्रकट करने के लिए हम सिफारिश करते हैं कि सरकार इन दोनों एजेंसियों को 'वैधानिक संरचना' नामक अध्याय 5 में वर्णित नियमों का अनुसरण करने के लिए निर्देश जारी करे। इससे फौरन ही इन दोनों प्रसारण संगठनों की विशेषता और दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आ जाएगा, जो उन्हें हमारी सिफारिशों की भावना के बारे में परिचित कराएगा । हमने जो सिफारिश की है, उसके आधार पर, यथाशीघ्र एक केन्द्रीय समाचार कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि समाचार और सामयिक प्रसंग के इस क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव डाला जा सकता है । (21.4)

212. सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस रिपोर्ट का आकलन करने के लिए तुरन्त एक प्रसारण स्वायत्त कक्ष स्थापित करना चाहिए और प्रारम्भिक कार्रवाई तथा मन्त्रिमण्डल के फैसले के लिए कार्य-पत्र तैयार करना चाहिए। (21.5)

213. हमारी सिफारिशों के अनुसार, कार्मिक संरचना को युक्तिसंगत बनाने और एकीकरण के लिए विस्तृत काम करना पड़ेगा। यह कार्य भारतीय प्रबन्ध संस्थान जैसी परामर्शदाताओं की संस्था को सौंपा जाना चाहिए ताकि ज्यों ही 'आकाश भारती' का गठन हो, उसे इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो सके। (21.6)

214. आकाश भारती विधेयक को ज्यों ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, आकाशवाणी और दूरदर्शन को संक्रमणकालीन विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और प्रसारण स्वायत्त कक्ष द्वारा सेवा उपलब्ध की जानी चाहिए। (21.7)

215. आकाश भारती अधिनियम एक जनवरी, 1979 से लागू कर दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही उसकी कुछ संक्रमणकालीन धाराएं लागू की जा सकती हैं। संक्रमणकालीन अवधि में, जैसे 15 अक्तूबर, 1978 से आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक विशेष कार्य-अधिकारी के अधीन रखा जा सकता है, जो संक्रमणकालीन प्रबंध मण्डल का अध्यक्ष भी होगा और जो आस्तियों और देयताओं को आकाश भारती को अन्तरित करने, केन्द्रीय सूचना सेवा तथा अन्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और प्रस्तावित आकाश भारती में शामिल होने या अपनी पहले वाली सेवा में जाने के विकल्प आदि की प्रक्रिया तैयार करेगा । (21.8, 9)

216. संक्रमणकालीन प्रबंध मण्डल को चाहिए कि वह आकाश भारती के लिए वर्ष 1979-80 के हेतु अलग बजट सूचना और प्रसारण तथा वित्त मंत्रालयों और योजना आयोग से परामर्श करके बना ले । (21.11)

परिशिष्ट

(क) भारत में प्रसारण का सिंहावलोकन

(ख) प्रसारण के बारे में सामान्य जानकारी

(ग) अन्य प्रसारण संगठनों का विवरण

(घ) विदेशों में विस्तार प्रसारण

(ङ) स्वतःपूर्ण टेलीविजन के लिए टी० वी० एन० एफ० अनुमान

(च) फिल्म प्रभाग के लिए वृतचित्र तैयार करने के नीति-निर्देश

(छ) स्लो-स्कैन टेलीविजन और बैंडविड्थ रिडक्शन के प्रयोग

(ज) जिला स्तरीय ग्रामीण दूरदर्शन प्रणाली

(झ) आकाशवाणी संहिता

(ञ) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए संहिता

(ट) आकाशवाणी केन्द्र : ट्रांसमीटर की शक्ति, वाणिज्यिक चैनल और कार्यक्रमों की भाषाएं

(ठ) आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण व्याप्ति

(ड) दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण व्याप्ति

(ढ) वैदेशिक सेवाएं

(ण) आकाशवाणी की अनुश्रवण सेवा

(त) रेडियो लाइसेंस

(थ) प्रसारण सम्बन्धी योजनागत परिव्यय

(द) आकाशवाणी द्वारा अनुमोदित वाद्य यन्त्रों की सूची

(ध) सामूहिक श्रवण योजना का ब्यौरा

(न) स्कूलों के लिए प्रसारण

(प) कार्य दल की प्रश्नावली

(फ) जारी की गई प्रश्नावली और प्राप्त उत्तरों की संख्या

(ब) कार्य दल और उसके सदस्यों की बैठकें और दौरे

(भ) आभार प्रदर्शन

(म) पुस्तक सूची

प्र० भा० स० मु० रिंग रोड नई दिल्ली—6 आई एण्ड बी/77—5-3-78—3,000